रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2004/भाद्र 9, 1926

No. 198] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2004/BHADRA 9, 1926

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

### (वाणिज्य विभाग)

### सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004

**सं० 1/2004—2009**

**फा०सं० 01/94/180/प्रक्रिया पुस्तक/एएम 05/पीसी-4.**—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में निहित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) को तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय की वैबसाइट **http://dgft.delhi.nic.in** पर उपलब्ध प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्टों को, एतद्द्वारा, अधिसूचित करते हैं। ये 1 सितम्बर, 2004 से प्रभावी होंगे।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

गोपाल के. पिल्लै, महानिदेशक, विदेश व्यापार



2666 GI/04—1A

# अध्याय - एक

## प्रस्तावना

अधिसूचना 1.1 विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 2002-2007 अवधि के लिए बनाई आयात-निर्यात नीति को संशोधित कर उसके स्थान पर 2004-2009 के लिए विदेश व्यापार नीति को अधिसूचित किया है।

यह नीति जब तक कि आवश्यक ना हो, 1 सितम्बर, 2004 से लागू होगी तथा 31 मार्च 2009 तक चलती रहेगी ।

नीति के पैरा 2.4 के प्रावधानों के अनुसार महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा समेकित प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1), और प्रक्रिया पुस्तक (भाग-2) और डी ई पी बी दरों की अनुसूची नामक पुस्तकों के संकलन को अधिसूचित करते हैं समय-समय पर यथासंशोधित ये संकलन 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी रहेंगे।

उद्देश्य 1.2 इस प्रक्रिया पुस्तक का उद्देश्य विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और आदेशों तथा निर्यात-आयात नीति 2002-2007 के स्थान पर निर्यात विदेश व्यापार नीति (2004-2009) को लागू करना तथा प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाना है जिससे अनुपालन और विदेश व्यापार के प्रबंधन का संचालन करना आसान हो।

परिभाषा 1.3 इस प्रक्रिया पुस्तक के उद्देश्य हेतु, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992, उसके तहत बने नियमों और आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति (2004-09) में उल्लिखित परिभाषाएँ लागू होंगी ।

2666 GI/04—1B

# अध्याय - दो

## निर्यात और आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान

| | | |
|---|---|---|
| नीति | 2.1 | नीति के अध्याय-2 में निर्यात और आयात के संबंध में सामान्य प्रावधान दिये गये हैं। |
| आयात/निर्यात के देश | 2.2 | जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो, ईराक को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से/को आयात/निर्यात करना वैध होगा। तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की संबंधित प्रतिबंध समिति से पूर्व अनुमति ले ली गई हो, ईराक को मदों के निर्यात व आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।<br><br>तथापि, उपर्युक्त प्रावधान आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के तहत यथा आवश्यक सभी शर्तों, अथवा लाइसेंस की जरूरत, अथवा अनुमति के मद्दे होंगे । |
| आवेदन-शुल्क | 2.3 | आवेदक को नीति के किसी प्रावधान और इस प्रक्रिया पुस्तक के अधीन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय जब तक अन्यथा छूट न दे/दी गई हो, विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क की मात्रा के भुगतान का तरीका तथा शुल्क-वापसी की प्रक्रिया और शुल्क से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणियां, प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-29 में दी गई हैं। |
| लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की क्षेत्रीय अधिकारिता | 2.4 | जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, आवेदन पत्र, परिशिष्ट-24 में उल्लिखित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। |
| आवेदन पत्र प्रस्तुत करना | 2.5 | किसी आयात/निर्यात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति या अन्य प्रयोजन के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र को नीति/प्रक्रिया के संबंधित प्रावधानों के अधीन यथा अपेक्षित हर प्रकार से पूरा किया जाना चाहिए और आवेदक द्वारा नीति के पैराग्राफ 9.9 में जैसा परिभाषित किया गया है के अनुसार उस पर हस्ताक्षर करने चाहिए। अधूरे आवेदन पत्र को विशिष्ट कारण बताते हुए रद्द कर दिया जाएगा । तथापि, मैनुअल आवेदनों के मामले में आवेदक को एम एस वर्ड फार्मेट में आवेदन की एक साफ्ट कापी एम एस वर्ड |

फार्म पर प्रस्तुत करनी होगी ।

| | | |
|---|---|---|
| आयातक निर्यातक का प्रोफाइल | 2.6 | प्रत्येक आयातक-निर्यातक को परिशिष्ट-2 के प्रपत्र में लाइसेंस प्राधिकारी को आयातक/निर्यातक प्रोफाइल प्रस्तुत करना होगा। लाइसेंसिंग प्राधिकारी को परिशिष्ट-2 में दी गई सूचना को अपने डाटा-बेस में डालना होगा ताकि बार-बार सूचना मांगने की जरूरत ना पड़े । परिशिष्ट-2 में दी गई सूचना में किसी परिवर्तन की स्थिति आयातक/निर्यातक लाईसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करेगा। |
| स्व-पता लेखी लिफाफा | 2.7 | आवेदक स्व पता लेखी लिफाफा 40X15 सेमी. प्रस्तुत करेगा जिस पर निम्नानुसार डाक मुहर लगी हो<br>स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए आवश्यक दस्तावेजों हेतु :-<br>(क) स्थानीय क्षेत्र के भीतर - 20 रुपए<br>(ख) 200 कि.मी. तक - 25 रुपए<br>(ग) 200 से 1000 कि.मी.. तक - 30 रुपए<br>(घ) 1000 कि.मी. से अधिक - 50 रुपए |
| आयातक-निर्यातक कोड संख्याः छूट प्राप्त श्रेणियाँ | 2.8 | आयातकों-निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियों को आयातक-निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करने से छूट हैः-<br>(1) विदेश व्यापार (कुछ मामलों में नियमों से छूट) आदेश, 1993 की धारा 3(1) (उप धारा (ड.) और (ठ) को छोड़कर) में शामिल आयातक तथा धारा 3(2) (उप धारा (झ) और (ट) को छोड़कर) में शामिल निर्यातक।<br>(2) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग।<br>(3) जो व्यक्ति अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार अथवा विनिर्माण या कृषि से असमबद्ध माल का आयात या निर्यात करते हैं।<br>(4) जो व्यक्ति नेपाल से/को माल का आयात/निर्यात करता है बशर्ते कि एकल परेषण का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य भारतीय 25,000/-रूपये से अधिक न हो।<br>(5) जो व्यक्ति भारत म्यांमार के सीमा क्षेत्रों से म्यांमार से/को माल का आयात/निर्यात करता है बशर्ते कि एकल परेषण का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य भारतीय 25,000/-रूपये से अधिक का न हो। |

"तथापि, उपर्युक्त श्रेणी 2 द्वारा निर्यात के मामलों को छोड़कर आई टी सी (एच एस) की अनूसूची-2, परिशिष्ट-3 में सूचीबद्ध विशेष रसायनों, जीव सामग्रियाँ और प्रौद्योगिकियाँ (एस सी को एफ ई टी) के निर्यात के लिए आयातक-निर्यातक कोड़ (आई ई सी) संख्या प्राप्त करने की छूट लागू नहीं होगी।

(6) आयात-नियात् प्रयोजन हेतु निर्यातक आयातक की श्रेणियों द्वारा उनके प्रति उल्लिखित निम्नलिखित स्थाई आई ई सी संख्या का उपयोग किया जायेगा।

| क्र.सं. | कोड सं. | आयातक/निर्यातक की श्रेणियाँ |
|---|---|---|
| 1. | 0100000011 | केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ। |
| 2. | 0100000029 | राज्य सरकारों के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ। |
| 3. | 0100000037 | डिप्लोमेटिक कार्मिक, काउंसिलर अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संगठन और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के अधिकारी। |
| 4. | 0100000045 | विदेश जाने/लौटने वाला भारतीय बैगेज नियमों के अधीन लाखों का दावा करता हो। |
| 5. | 0100000053 | व्यक्ति/संस्थान/अस्पताल को व्यापार या विनिर्माण अथवा कृषि से जुड़ा न हो और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात या निर्यात करता हो। |
| 6. | 0100000061 | वह व्यक्ति जो नेपाल को/से माल का निर्यात/आयात करता हो बशर्ते कि एकल परचेज का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 25000/- भारतीय रूपये से अधिक न हो। |
| 7. | 0100000070 | वह व्यक्ति जो म्यांमार को/से भारत म्यांमार सीमा के माध्यम से माल का निर्यात-आयात करता हो बशर्ते कि एकल परचेज का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 25000/- भारतीय रूपये से अधिक न हो। |
| 8. | 0100000088 | फोर्ड फाउंडेशन। |
| 9. | 0100000096 | आयातक जिसने ए टी ए कार्नेअ के प्रावधानों के अधीन मेले/प्रदार्शनियाँ या इसी प्रकार के आयोजनों में प्रदर्शन का उपयोग करने के लिए माल का आयात करता हो। |
| 10. | 0100000100 | निदेशक, राष्ट्रीय ब्लड ग्रूप संदर्भ प्रयोगशाला, मुम्बई या उनके द्वारा प्राधिकृत कार्यालय। |
| 11. | 0100000126 | व्यक्ति/खैराती संस्था/पंजीकृत गैर सरकारी संगठन जो माल का आयात करती है और जिन्हें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पीड़ित द्वारा वास्तविक उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन सीमाशुल्क से छूट दी गई है। |

टिप्पणी :- वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिन्होंने "पैन" प्राप्त किया है तथा, आयातक निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करनी होगी । गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपर्युक्त अनुसार स्थायी आई ई सी संख्या प्रयोग करनी होगी ।

| | | |
|---|---|---|
| आयातक-निर्यातक कोड संख्या की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र | 2.9 | आयातक निर्यातक कोड संख्या की मंजूरी के लिए आवेदक का पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार के तहत कम्पनी पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मामले में मुख्यालय आता हो को परिशिष्ट-3 में दिए गए फार्म पर आयातक-निर्यातक कोड संख्या के आबंटन के लिए आवेदन करेगा और समर्थन में उसके साथ निर्धारित दस्तावेज लगाना होगा।<br><br>एस टी पी आई/ई एच टी पी/बी टी पी के मामले में विदेश व्यापार महानिदेशालय के जिले जिसमें एस टी पी आई इकाई का प्रधान कार्यालय/पंजीकरण है को क्षेत्रीय कार्यालय आयातक निर्यातक कोड जारी करेंगे ।<br><br>एक "पैन" नम्बर पर एक ही आई ई सी जारी की जाएगी । कोई भी प्रोपर्राइटर एक आई ई सी प्राप्त कर सकता है तथा ऐसे मामले में जहाँ एक प्रोपर्राइटर को एक से अधिक आई ई सी नम्बर आवंटित कर दिए गए हैं वह इसे निरसन के लिए लाईसेसिंग कार्यालय को लौटाएगा । |
| आयातक-निर्यातक कोड फार्मेट और विवरण | 2.9.1 | संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी परिशिष्ट-3 क में दिए गए फार्मेट पर आई ई सी संख्या जारी करेगा। ऐसे आयातक निर्यातक कोड संख्या की एक प्रति संबंधित बैंक (आई ई पी आवेदन पत्र में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) को भेजी जाएगी। लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी आयातक निर्यातक कोड संख्या का समेकित विवरण, परिशिष्ट-3 ख में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, परिशिष्ट-30 की शर्तों पर भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा विनियमन नियंत्रण विभाग को भेजा जाएगा। |
| आयातक-निर्यातक कोड संख्या की वैधता | 2.9.2 | किसी आवेदक को आबंटित आयातक निर्यातक कोड संख्या, आयातक निर्यातक कोड संख्या परिशिष्ट-3 क में दिए आई ई सी के प्रपत्र में उल्लिखित इसकी सभी शाखाओं/प्रभागों/ यूनिटों फैक्टरी के लिए वैध होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| आयातक-निर्यातक कोड संख्या की डुप्लीकेट प्रतिलिपि | 2.9.3 | जहाँ आयातक-निर्यातक कोड संख्या गुम/अस्थानस्थ हो जाता है, तो वह जारी करने वाला प्राधिकारी डुप्लीकेट प्रतिलिपी की मंजूरी के अनुरोध पर विचार करेगा जिसने उसे मूल प्रमाणपत्र जारी किया था, बशर्ते आवेदन पत्र के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ शपथपत्र भी संलग्न किया हो। |
| आयातक-निर्यातक कोड संख्या को अभ्यर्पित करना | 2.9.4 | यदि कोई आयातक-निर्यातक कोड संख्या धारक आबंटित कोड संख्या का उपयोग नहीं करना चाहता है तो वह जारी करने वाले प्राधिकारी को सूचित करके उक्त कोड संख्या को लौटा सकता है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, लाइसेंसिंग प्राधिकारी तत्काल उसे रद्द कर देगा ओर सीमाशुल्क ओर क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के सूचनार्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय को इलैक्ट्रानिक माध्यम से सूचित करेगा । |
| अनिवार्य विवरण | 2.9.5 | प्रत्येक निर्यातक/आयातक को निर्यात लाईसेसिंग (जिन्हें वर्ष 1.4.2003 से 31.3.2004 में आई ई सी प्राप्त किया था ) उसके द्वारा विगत वर्ष में किए गए आयात/निर्यात का वार्षिक ब्यौरा अगले वर्ष 31 अक्तूबर तक देना होगा आई टी सी धारक को डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.एनआईसी.आईएन/एग्ज़िम पोल वैब साइट पर आन लाइन सूचना देनी होगी । |
| प्रतिबंधित मदों के आयात-निर्यात हेतु आवेदन | 2.10 | निर्यात और आयात मदों का आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में प्रतिबंधित के रूप में उल्लिखित मदों के आयात या निर्यात के लिए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति की मंजूरी हेतु ओवदन पत्र, इस प्रक्रिया पुस्तक के सम्बद्ध अध्यायों में विनिर्दिष्ट लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को फार्म पर परस्तुत करना होगा। |
| भारत-अमेरिका समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत आयात | 2.11 | संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्दिष्ट पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों आदि का आयात संयुक्त् राज्य निर्यात विनियमों के अधीन किया जाएगा। संयुक्त राज्य से ऐसी मदों के आपूर्तिकर्ताओं को, भारतीय आयातकों द्वारा संयुक्त राज्य आपूर्तिकर्ताओं को भेजे गए आयात प्रमाणपत्र के आधार पर निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना होगा। आयात प्रमाणपत्र जारी करने वाले मनोनीत प्राधिकारी (आई.सी.आई.ए.) निम्नलिखित होंगे:- |

(1) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पर आधारित सिस्टम के आयात हेतु इलैक्ट्रानिकी विभाग।

(2) औद्योगिक नीति और संवर्धन प्रौद्योगिकी विभाग (टी एस डब्ल्यू) इसके अधीन पंजीकृत संगठित क्षेत्र की यूनिटों के

लिए कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर आधारित सिस्टम को छोड़कर।

(3) रक्षा से संबंधित मदों के लिए रक्षा मंत्रालय ।

(4) लघु उद्योगों तथा अन्य मौजूदा उद्योग जो उपर्युक्त तथा उपर्युक्त से भिन्न के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार,

(5) उपर्युक्त किसी की भी ओर से भारतीय दूतावास, वाशिंगटन (डी सी)

आयात प्रमाणपत्रों के लिए परिशिष्ट-7 में दिए गए प्रपत्र में अनुरोध करना होगा। परिशिष्ट-7 के अनुलग्नक में दिए गए फार्म में आयात प्रमाण-पत्र आई.सी.आई.ए. द्वारा सीधे ही आयातक को दिया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि (1) विदेश मंत्रालय (ए एम एस अनुभाग), नई दिल्ली (2) इलैक्ट्रानिकी विभाग, नई दिल्ली, (3) विदेश व्यापार महानिदेशालय नई दिल्ली को दी जाएगी। तथापि, आई टी सी(एच एस) में यथा प्रतिबंधित मदों के बारे में इस लाइसेंस/अनुमति प्रमाणपत्र को आयात लाइसेंस के स्थान पर नहीं माना जाएगा और ऐसे मदों के लिए जब अपेक्षित हो आयात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति प्राप्त करनी होगा।

आयात लाइसेंसों/ प्रमाणपत्रों/ अनुमतियों सीमाशुल्क निकासी परमिटों की वैधता

2.12 (क) आयात लाइसेंस प्रमाण पत्र/अनुमति की वैधता जारी करने की तारीख से इस प्रकार होगी:

| | |
|---|---|
| (1) नीति के अध्याय 4 के अनुसार रत्न और जेवरातों के लिए अग्रिम लाईसेंस/ डी एफ आर सी और प्रतिपूर्ति लाइसेंस/ | 24 माह |
| (2) ई पी सी जी लाइसेंस (स्पेयर्स के अलावा) | 36 माह |
| (3) स्पेयर्स रिफ्रान्टरींग कैटालिस्ट और उपभोज्यों के लिए ई पी सी जी लाईसेंस | लाइसेंस की वैध अवधि तक |
| (4) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, सी सी पी और शुल्क हकदारी पास बुक योजना जब तक अन्यथा उल्लेख न हो सहित अन्य | 24 माह |
| (5) मान्य निर्यात हेतु अग्रिम लाइसेंस | 24 माह अथवा परियोजना की कार्य अवधि के साथ समाप्त |

होना, जो भी बाद में हो।

2.12.1 जहाँ लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति की समाप्ति की तारीख माह के अंतिम दिन से पहले से पड़ती है तो लाइसेंस /प्रमाणपत्र/अनुमति को माह के अंतिम दिन तक वैध माना जाएगा।

यह प्रावधान पुर्नवैधीकरण लाईसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति/शुल्क शाख प्रमाण-पत्र के आवेदनों पर है ।

2.12.2 वैधता की अवधि का अर्थ है, शिपमेन्ट की अवधि/लाइसेंस के अधीन कवर माल का प्रेषण। आयात लाइसेंस की वैधता शिपमेन्ट की तारीख/इस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 9.11 में यथाउल्लिखित आपूर्तिकर्ताओं देश से माल के प्रेषण की तारीख होगी न कि भारतीय पत्तन पर माल की पहुंचने की तारीख।

2.12.3 ऊपर पैरा 2.12.2 स्तरधारकों और सेवा, प्रदायकों लक्ष्योपरि योजना और सूर्योदय कृषि योजना के लिए उल्लिखित डी ई पी बी शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाण-पत्र पर लागू नहीं होंगे। स्तारधारकों और सेवा प्रदायकों, लक्ष्योपरि योजना, सूर्योदय कृषि योजना के लिए डी ई पी बी, शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाण-पत्र जो शुल्क शाखा हकदारी के अंतर्गत आते हैं की वास्तविक वैधता शुल्क जमा करने की तारीख तक मान्य मानी जाएगी।

2.12.4 इसी प्रकार, यदि मूल या बढ़े हुए निर्यात दायित्व की समाप्ति की तारीख चाहे महीने के अंत में पड़ती हो निर्यात दायित्व अवधि की वैधता महीने के अंतिम दिन तक मानी जाएगी ।

**आयात निर्यात/प्रमाण पत्रों/अनुमति लाइसेंसों का पुनः वैधीकरण**

2.13 उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा गुणावगुण के आधार पर लाइसेंस की वैधता की अवधि की समाप्ति की तारीख या मान्य तारीख से आगे छः माह की अवधि के लिए पुनर्वैधिकरण किया जा सकता है जिसने लाइसेंस जारी किया था लेकिन पुनर्वैधिकरण की अवधि समाप्ति की तारीख से 12 माह की अवधि तक ही होगी। तथापि, मुफ्त हस्तांतरणीय लाइसेंस प्रमाण पत्र/अनुमति स्टॉक तथा बिक्री लाइसेंसों प्रमाण पत्रों/अनुमति की पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.13.1 जिन मामलों में जहाँ ये लाइसेंस/प्रमाणपत्र/परमिट सीमाशुल्क प्राधिकारियों के कब्जे के दौरान समाप्त हो जाने के मामलों में मुक्त रुप से हस्तान्तरणीय लाइसेंस/प्रमाणपत्र/परमिट का पुनवैधीकरण अनुमत होगा ।

2.13.2 यह पुनः वैधीकरण क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के आधार पर अनुमत होगा जिसमें इस बारे में सीमाशुल्क प्राधिकारियों के कब्जे में रहे लाइसेंस/प्रमाणपत्र/परमिट की अवधि का उल्लेख होगा ।

2.13.3 पैरा 2.13 के प्रावधानों के बावजूद और ऊपर दिए गए पैरा 2.13.1 तथा 2.13.2 के अंतर्गत आने वाले मामलों में जहाँ लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति लाईसेंसिंग प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास रही है की अवधि के लिए पुनर्वैधता रहेगी । पुनर्वेधीकरण के लिए आवेदन, परिशिष्ट-10छ में दिए गए फार्म पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दिया जा सकता है। तथापि, उन मामलों में जहां लाइसेंसों के पुनः वैधीकरण पर महानिदेशक, विदेश व्यापार को विचार करना है, मूल आवेदन पत्र के साथ टी आर/डिमांड ड्राफ्ट को संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा जिसकी एक प्रति महानिदेशक, विदेश व्यापार को प्रस्तुत करनी होगी।

**निर्यात-आयात लाइसेंसों/प्रमाण पत्र/अनुमति सीमाशुल्क निकासी परमिटों की डुप्लीकेट प्रतियाँ**

2.14 जब कोई लाइसेंस प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र खो जाता है अथवा अस्थानस्थ हो जाता है तो परिशिष्ट-11 में दिए गए फार्म में शपथ पत्र और प्राथमिकी की प्रति के साथ उस लाइसेंसिंग प्राधिकारी को उसकी डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी करने के लिए आवेदन किया जा सकता है जिसने मूल लाइसेंस प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र जारी किया था।

संबंधित प्राधिकारी गुणावगुण के आधार पर मूल लाइसेंस प्रमाण पत्र/अनुमति/ को रद्द करने तथा उन संबंधित प्राधिकारियों, जिनके यहाँ इस लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की मूल प्रति पंजीकृत थी, को सूचित करने के बाद उस लाइसेंस/ प्रमाण पत्र/ अनुमति पत्र की डुप्लीकेट प्रति जारी करेगा।

2.15 मुक्त रूप से हस्तांतरणीय अग्रिम लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की डुप्लीकेट प्रति निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन के प्रति जारी की जाएगी।

(क) बचाए गए शुल्क के 10 प्रतिशत के समतुल्य फीस के साथ एक आवेदन पत्र।
(ख) गुम होने की दर्ज की गई प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की एक प्रति।
(ग) नोटरी स्टैम्प पेपर पर मूल शपथपत्र की एक प्रति।
(घ) डुप्लीकेट लाइसेंसों को जारी करने के कारण सरकार को राजस्व की होने वाली क्षति की पूर्ति करने की वचनबद्धता दर्शाने वाला स्टैम्प पेपर पर क्षतिपूर्ति बांड के समर्थन में उपयुक्त बैंक गारंटी। जिसमें बचाए गए शुल्क की राशि कवर करती होती है।

2.15.1 तथापि जब लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र सीमाशुल्क प्राधिकारी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा गुम हो जाता है और इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो (क) से (घ) तक के दस्तावेज नहीं माँगे जाएंगे ।

ऐसे मामलों में, लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र पृष्ठांकन की तारीख से छः महीनों की अवधि के लिए पुनः वैध हो जाएंगे। चाहे उनके नीचे कुछ भी लिखा हो ।

2.15.2 लाइसेंसिंग प्राधिकारी, लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र जारी करने से पूर्व मूल लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र में उल्लिखित पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी से लाइसेंसों के उपयोग से संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

डुप्लीकेट लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र केवल उस बकाया हेतु जारी किया जाएगा जिसके बारे में पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार उपयोग में नहीं लाई गई हो ।

2.15.3 डुप्लीकेट लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की बाध्यता मूल लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के साथ समाप्त होगी और इसी लिए यदि मूल लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की वैधता

समाप्त हो गई हो तो किसी अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

तथापि सीमाशुल्क/लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा डी ई पी बी/डी एफ आर सी गुम हो जाये तो छः महीने हेतु डुप्लीकेट लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र जारी होगा ।

तथापि, डी ई पी बी गुम होने के मामले में, जिसमें सीमाशुल्क या लाइसेंसिंग प्राधिकारियों का कोई वास्ता न हो, जारी की गई डूप्लीकेट डी ई पी बी की वैधता अवधि आवेदन करने की तारीख को मूल डी ई पी बी की बकाया वैधता अवधि के बराबर होगी ।

2.15.4 डी ई पी बी में बचाया गया 10 प्रतिशत शुल्क गुम हुए डी ई पी बी पर उपलब्ध क्रेडिट शेष के 10 प्रतिशत के समतुल्य होगा जबकि प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-10घ के कालम 10 में उपलब्ध सूचना के अनुसार अग्रिम लाइसेंस के लिए शेष मात्रा और समानुपातिक लागत बीमा भाड़ा मूल्य हेतु बनाए गए शुल्क के आधार पर राशि को परिकलित किया जाएगा। तथापि, शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र यथा डी ई पी बी, पैरा 2.15 (क) में दर्शाई 10 प्रतिशत शुल्क क्रेडिट गुमशुदा शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र पर उपलब्ध क्रेडिट शेष के 10 प्रतिशत के बरार उपलबध होगा।

2.15.5 2.15.2 तथा 2.15.3 पैरा के प्रावधान पैरा 2.14 तथा 2.15 दोनों के मामले में लागू होगी ।

पहचान पत्र

2.16 लाइसेंसों प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र तथा अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने की सुविधा के लिए आयातक और निर्यातक को प्रोपराइटर/ साझेदार/निदेशक और प्राधिकृत कर्मचारियों ( तीन से अधिक नहीं ) को पहचान पत्र जारी किए जा सकते हैं।

तथापि लिमिटेड कंपनियों के मामले में क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख तीन से अधिक पहचान पत्र जारी कर सकते हैं । पहचान पत्र जारी करने के लिए आवेदन परिशिष्ट-5 में दिए गए फार्म पर किया जा सकता है ।

दस्तावेज/लाईसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति धारक को दे दिए जाएगें तथा स्तावेज/लाइसेंस आदि के गुम हो जाने की जिम्मेदारी

विदेश व्यापार महानिदेशालय के किसी अधिकारी की नहीं होगी ।

पहचान पत्र खो जाने के मामले में डुप्लीकेट पहचान पत्र गुम हो जाने की प्राथमिक सूचना निपोर्ट और शपथ पत्र देने के आधार पर जारी किया जा सकता है। पहचान पत्र परिशिष्ट 5क में उल्लिखित प्रपत्र में दिए जाएं। पहचान पत्र जारी होने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि तक वैध होगा ।

साधारण परिस्थितियों एक प्राधिकृत कर्मचारी को उसकी कंपनी से संबंधिक एक पहचान पत्र आवंटित किया जाता है, तथापि सामान्य मामलों में डायरैक्टर/पार्टनर ग्रुप कंपनी तथ समकक्ष मामलों में क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख बहुप्रयोजना पहचान पत्र जारीकर सकते हैं जिसके लिए लिखित में कारण बताने होगें ।

| | | |
|---|---|---|
| प्राधिकृत अधिकारियों के साथ साक्षात्कार | 2.17 | आयातक/निर्यातक और उनके कर्मचारी लाइसेंसिंग प्राधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यालयों में आसानी से आ जा सकेंगे तथा साक्षात्कार के लिए प्राधिकृत होंगे। विशेष अभ्यावेदन देने के लिए ऐसे अधिकारी आयातक/निर्यातक के किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि को भी साक्षात्कार/स्पष्टीकरण की अनुमति दे सकते हैं। साक्षात्कार संबंधित अधिकारी के ई.मेल के माध्यम से भी बुक किए जा सकते हैं। |
| लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का निर्यात | 2.18 | लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के संबंध में लघु उद्योग एककों से भिन्न अन्य एककों को नई क्षमताओं का सृजन करने या इनमें विस्तार करने की अनुमति है बशर्ते कि उन्होंने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र प्राप्त कर लिया हो।<br><br>यह ऐसे लाइसेंसों/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की शर्त है कि विनिर्माता उद्योग मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निर्यात दायित्व पूरा करेगा और लाइसेंसधारी को इस आशय की विधिक वचनबद्धता विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत करनी होगी। निर्यात दायित्व को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मानीटर किया जाएगा। |
| गोदामों की सुविधा | 2.19 | निजी सीमाशुल्क वाण्डेड गोदाम, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय-9 में यथा उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए घरेलू ट्रेफिक क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकते हैं। ऐसे गोदाम |

को नीति के पैरा 2.28 की मदों को आयात करने की अनुमति होगी।

माल की प्राप्ति पर, गोदाम इस माल को यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना एक वर्ष की अवधि के लिए रख सकेगा। यथालागू सीमाशुल्क के भुगतान करने पर घरेलू उपभोग के लिए आगम-पत्र और लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की प्रस्तुति, जहाँ कहीं आवश्यक हो, के प्रति माल की निकासी की जा सकती है बशर्ते कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घरेलू उपभोग की इन वस्तुओं की निकासी का आदेश दिया गया हो।

शुल्क मुक्त श्रेणी/शुल्क छूट के मामलों में शुल्क में छूट की अनुमति दी जा सकती है।

इसी प्रकार डी.ई.पी.बी. के प्रति निकासी के मामले में शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देते समय क्रेडिट को समायोजित किया जा सकता है।

माल का सीमाशुल्क के भुगतान किए बिना पुनः निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि (1) ऐसे माल के मामले में शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया हो, और (2) ऐसे माल का निर्यात करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया गया हो।

आयात, स्टोरेज, निकासी या पुनः निर्यात, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों तथा नियमों, आदेशों अथवा इन उपबंधों के संबंध में जारी अधिसूचनाओं या अनुदेशों के अध्यधीन होगा।

अग्रिम लाईसेंस तथा इ पी सी जी के लिए बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन

2.20 प्रत्यक्ष आयात के मामले में आयातक को सीमाशुल्क से माल की निकासी से पूर्व, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन करना होगा।

प्रत्यक्ष आयात के मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाईसेंस में निम्नलिखित शर्त को पृष्ठांकित कर देंगे:

विधिक वचन वद्धता जो लागू हो को संबंधित सीमाशुल्क अधिसूचना परिपत्र के अनुसार निष्पादित होगी ।

तथापि, स्वदेशी माल की प्राप्ति के मामले में, आपूर्तिकर्ताओं या एजेंसियों से नामित एजेंसियों या स्वदेशी आपूर्तिकर्ता से माल की प्राप्ति से पूर्व लाईसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति धारकों लाइसेंसिंग प्राधिकारी को बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निम्नानुसार प्रस्तुत करेगाः-

| क्र.सं | निर्यातक की श्रेणी | बैंक गारंटी या विधिक बचन-बद्धता के संबंधित प्रावधान |
|---|---|---|
| 1. | सभी स्तरधारक (मरचैनडाईज निर्यातक तथा सेवा प्रदायक) सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन (पी एस यूज) | विधिक बचनबद्धता (एल यू टी) |
| 2. | विनिर्माता निर्यातक<br>(क) केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी के पास पंजीकृत<br>(ख) पिछले वर्ष में कम से कम रू. 1 करोड़ से अधिक का कारोबार<br>(ग) पिछले वित्त वर्ष में निर्यात किया हुआ | विधिक बचनबद्धता (एल यू टी) |
| 3. | विनिर्माता निर्यातक<br>(क) केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी के पास पंजीकृत<br>(ख) पिछले वर्ष में रू. 1 करोड़ से अधिक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया हो | विधिक बचनबद्धता (एल यू टी) |
| 4. | सभी निर्यातक<br>(क) पिछले वर्ष में रू. 5 करोड़ से अधिक करोबार<br>(ख) अच्छा ट्रेक रिकार्ड तथा 3 वर्ष का निर्यात निष्पादन | विधिक बचनबद्धता (एल यू टी) |
| 5. | अन्य विनिर्माता निर्यातक जो 1,2,3 व 4 में कवर्ड न हो(प्रोप्राइटरशिप व पार्टनरशिप फर्मों के अतिरिक्त)<br>(क) 3 वर्ष से निर्यात कर रहे हो या<br>(ख) 3 वर्षों से निर्यात करते हों तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों<br>उत्पाद प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो,<br>या<br>राज्य बिक्री कर प्राधिकारी के साथ पंजीकृत को निम्नलिखित प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैः<br>(i) सीमा शुल्क परिपत्र सं. 74/2003 दिनांक 21-8-2003 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का पिछले वर्ष के निर्यात का प्रमाणपत्र | 25 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में छूट तथा शिक्षा सैस यदि लागू हो 15 प्रतिशत ब्याज सहित का बौण्ड व बैंक गारंटी |

| | | |
|---|---|---|
| | (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र व एक्साईज कन्ट्रोल कोड (ई.सी.सी.) या राज्य बिक्री कर प्राधिकारियों जैसा भी मामला हो द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र: यह प्रावधान श्रेणी (क) के लिए नहीं है। | |
| 6. | विनिर्माता कम्पनियाँ (जो प्रोपाईटरशिप और पार्टनरशिप से अलग हों तथा जो विनिर्माता भी हो) जिन्होंने पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यात न किया हो परन्तु निम्नलिखि मापदण्डों में पूरा उतरती है।<br>(i) कम्पनी केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया हो (जब तक मुक्त न किया जो)<br>(ii) कम्पनी राज्य बिक्री कर प्राधिकारियों के पास पंजीकृत हो तथा बिक्री कर का भुगतान किया हो (जब तक मुक्त न किया जो)<br>(iii) कम्पनी ने अपना आडिट किया हुआ बैलेन्स सीट प्रस्तुत किया तथा प्लान्ट व मशीनरी में न्यूनतम निवेश सं. 50 लाख हो। | 25 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में छूट तथा शिक्षा सैस यदि लागू हो 15 प्रतिशत ब्याज सहित का बौण्ड व बैंक गारंटी |
| 7. | मरचैन्ट निर्यातक, सभी प्रकार के प्रोपाइटरशिप व पार्टनरशिप फर्में (स्तर/धारक/पी.एस.यू. तथा अपर श्रेणी 4 के अतिरिक्त | 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में छूट तथा शिक्षा सैस यदि लागू हो 15 प्रतिशत ब्याज सहित का बौण्ड व बैंक गारंटी |
| 8. | अपर श्रेणी 1 व 4 के सेवा प्रदायक के अतरिक्त | 25 प्रतिशत उत्पाद शुल्क में छूट तथा शिक्षा सैस यदि लागू हो 15 प्रतिशत ब्याज सहित का बौण्ड व बैंक गारंटी |

तथापि निम्न दो श्रेणी के विनिर्माताओं/मरचैन्ट निर्यात को जोखिम प्रोफाइल के आधार पर 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क छुट तथा शिक्षा सैस यदि लागू हो, 15 प्रतिशत ब्याज के साथ बौण्ड व बैंक गारंटी देने की आवश्यकता है। यह कार्यालय प्रमुख जो कि उप महानिदेशक, विदेश व्यापार के मद से नीचे का नहो ने कारणों लिखित रूप से रिकार्ड करके निर्धारित किया जाना है।

(क) गंभीर अनिमितताओं के लिए डीजीएफटी/सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद के प्रतिकूल नोटिस में आया हो।

(ख) बचे हुए निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिकूल ट्रैक रिकार्ड में हो

स्वदेशी खरीददारी के मदों के मामलो में जहाँ उत्पाद शुल्क शून्य हों, प्रस्तुत की जाने वाला बैंक गारंटी उसी उत्पाद के बशिक सीमाशुल्क 25 प्रतिशत तथा 15 प्रतिशत ब्याज की होगी। बैंक गारंटी व एल.यू.पी. परिशिष्ट-21 व 21क में दिये गये शर्तों के अनुसार वैध होगी। बैंक गारंटी/एल.यू.टी. की बैधता निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाने पर बढ़ाने की आवश्यकता होगी लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इस सम्बंध में लाइसेंस में विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा अपर श्रेणी 3,4 व 5 के संबंध में अगर निर्यातक ने पिछले 3 वर्षों में निर्यात न किया होतो बचाए हुए शुल्क की राशि का 25 प्रतिशत बैंक गारंटी लगायी जाएगी बशर्ते की सी.आई.एफ मूल्य स्वदेशी कारोबार का 200 प्रतिशत या आपूर्ति का 200 प्रतिशत एफओबी/ एफओआर मूल्य जो भी ज्यादा हो से अधिक न हो, 200 प्रतिशत पात्रता से अधिक के लाइसेंसों में 200 प्रतिशत सीआईएफ मूल्य की पात्रता के अधिक के लिए बचायी हुए शुल्क राशि का 100 प्रतिशत बैंक गारंटी लगायी जाएगी, तथापि निर्यात निष्पादन तथा निर्यात प्राप्ति/आपूर्ति प्राप्ति के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर पात्रता को फिर से जमा कर दिया जाएगा।

उपरोक्त सभी मामलों में लाइसेंस धारक का यह घोषणा देनी होगी की उनको सीमाशुल्क अधिनियम, उत्पाद अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा एफ ई एम ए/एफ ई आर ए के अधीन दण्डित नहीं किया गया है।

उपर श्रेणी 2,3 व विनिर्माता निर्यातक 4 के लाइसेंस धारकों को जहाँ फैक्टरी स्थित हैं के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के द्वारा जारी निर्यात निष्पादन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो, संबंधित सीमाशुल्क परिपत्र के अनुसार क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क इकाइयों को भी जो केन्द्रीय उत्पाद के नियंत्रण में नहीं आती है के सम्बंध में निर्यात निष्पादन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

तथापि ई.पी.सी.जी. स्कीम के अधीन कार के आयात/स्वदेशी खरीद पर 100 प्रतिशत बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी। स्तर धारक/पी.एस.यू. जो दी गयी शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी/एलयूटी प्रस्तुत करेंगे, के मामलों को छोड़कर।

उपर निर्दिष्ट बैंक गारंटी की छूट/रियायत उन पिछले लाइसेंस के मामलों में भी उपलब्ध होगी जहाँ लाइसेंस धारक बैंक गारंटी प्रस्तुत कर चुके हैं परन्तु उस विधि में लाइसेंस धारक बैंक गारंटी छूट के लिए पात्र है।

ऐसे मामलों में जहाँ फर्म ने सीमाशुल्क में स्वदेशी मदों की खरीददारी का पूरे कीमत के लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र के लिए बैंक गारंटी/एलयूटी का पहले ही निष्पादन का किया हो

तथा प्रमाण प्रस्तुत कर दिया हो को लाइसेंसिंग प्राधिकारी क़े समक्ष कोई बैंक गारंटी/एलयूटी नहीं देनी होगी।

| | | |
|---|---|---|
| कारपोरेट गारंटी | 2.20.1 | स्तर धारक अथवा पी.एस.यू. इस संबंध में संबंधित सीमाशुल्क के परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार बैंक गारंटी/एल.यू.टी. क बदले में कारपोरेट गारंटी प्रस्तुत कर सकते हैं। समूह कम्पनी के मामलों में यदि उस ग्रुप की कोई कम्पनी स्तरधारक हो दूसरी कम्पनी जो स्तर धारक नहीं है इस कम्पनी द्वारा कारपोरेट गारंटी दी जा सकती है। |
| उद्गम का प्रमाणपत्र | 2.21 | उद्गम का प्रमाण पत्र देश से निर्यातित माल के उद्गम का प्रमाण है । उद्गम के प्रमाण पत्र की दो श्रेणियाँ हैं यानी (1) तरजीही और (2) गैर तरजीही |
| तरजीही | 2.21.1 | तरजीही प्रबंध/स्कीमें जिसके तहत भारत अपने निर्यातों हेतु टैरिफ तरजीहें प्राप्त कर रहा है वह हैं - तरजीहों की सामान्यकृत प्रणाली (जी एस पी), व्यापार तरजीहों की विश्व प्रणाली (जी एसटीपी), सार्क तरजीही व्यापार समझौता और भारत-श्रीलंका व्यापार समझौता (साप्टा), बैंकाक समझौता और भारत-श्रीलंका व्यापार समझौता (आईएसएलएफटीए) । ये प्रबंध/समझौते उद्गम के नियमों को निर्धारित करते हैं जिन्हें टैरिफ तरजीहों हेतु पात्र होने के लिए निर्यातों हेतु पूरा करना होता है । प्राधिकृत एजेंसियों उद्गम के प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में सेवाएँ उपलब्ध कराएँगी जिनमें उद्गम के नियमों से संबंधित ब्यौरे, समझौते के तहत आने वाली मदों की सूची, टैरिफ तरजीहों की सीमा, पात्रता आदि का प्रमाणन एवं जाँच । खाली प्रमाणपत्रों को प्रिंट करने के लिए ई आई सी अकेली एजेंसी है। प्राधिकृत एजेंसियाँ प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित शुल्क ले सकती हैं । |
| तरजीहों की सामान्यकृत प्रणाली | (क) | जी एस पी एक गैर अनुबंधीय व्यवस्था है जिसके द्वारा औद्योगिक (विकसित) देश एकतरफा तौर पर और गैर-आदान प्रदान के आधार पर विकसित देशों को टैरिफ छूट दे सकती हैं। निम्नलिखित देश अपनी जी एस पी स्कीम के तहत टैरिफ तरजीहें उपलब्ध कराते हैं । |

| | | |
|---|---|---|
| अमेरिका | जापान | हंगरी |
| यूरोपीयन संघ | नार्वे | बेलारूस |
| कनाड़ा | स्विटरजरलैंड | स्लोवाकिया |
| आस्ट्रेलिया (केवल एल डी सी को) | बुल्गेरिया | रूस |
| न्यूजीलैंड | पौलेंड | चैक गणराज्य |

इन देशों की जी एस पी स्कीमों में सैक्टरों/उत्पादों और टैरिफ लाइनों के ब्यौरे हैं जिसके तहत ये लाभ उपलब्ध हैं, ये लाभों को दिलाने की शर्तों और प्रक्रियाओं के अलावा है । ये स्कीमें समय-समय पर पुर्ननिर्मित और संशोधित की जाती हैं । जी एस पी प्रदान करने वाले देशों के सीमाशुल्क कार्यालय सामान्यतः लाभान्वित देशों के निर्यातकों द्वारा बाकायदा भरे फार्म 'ए' (उद्गम के जी एस पी नियमों हेतु निर्धारित) में अपेक्षित सूचना मांगते हैं जो प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हो । उद्गम का जी एस पी प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-35 में दी गयी है ।

| | | |
|---|---|---|
| व्यापार तरजीह की विश्व प्रणाली | (ख) | व्यापार तरजीह की विश्व प्रणाली स्थापित करने वाले समझौते के अन्तर्गत विकासशील देशों के बीच व्यापारिक छूटों का आदान-प्रदान होता है जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हों । इस समय, जी एस टी पी के सदस्य देशों की संख्या 46 है और भारत ने उत्पादों की सीमित संख्या के बारे में 12 देशों के साथ व्यापारिक छूटों को आदान-प्रदान किया है । जी एस टी पी के तहत उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्यात जाँच परिषद् (ई आई सी) एकमात्र एजेंसी है । |
| सार्क तरजीही व्यापार समझौता | (ग) | साप्टा स्थापित करने वाले समझौते पर सात सार्क देशों यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ने 1993 में हस्ताक्षर किए थे तथा यह 1995 में संज्ञान में लाया गया था । व्यापार समझौते के 4 चरण पूरे हो चुके हैं तथा सार्क देशों के बीच टैरिफ रियायत के अधीन 3000 से अधिक टेरिफ लाईसेंस पूरे हो चुके हैं । साप्टा के तहत उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-35क के तहत अधिसूचित की गई है । |
| बैंकाक समझौता | (घ) | बैंकाक समझौता एक तरजीही व्यापार समझौता है जो एशिया और पैसिफिक हेतु आर्थिक और सामाजिक आयोग (एस्कैप) क्षेत्र |

में टैरिफ और गैर टैरिफ अवरोधकों में छूट के तौर पर इन उपायों और अन्य समझौता तकनीकों के इस्तेमाल के माध्यम से वस्तुओं के व्यापार को उत्तरोत्तर बढ़ावा देने और उदार बनाने के लिए बनाया गया है । इस समय बंगलादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, भारत व चीन टेरिफ रियायत का आदान प्रदान कर रहे हैं । बैंकाक समझौते के अंतर्गत उद्गम का प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत एजेंसियों की सूची परिशिष्ट 35-क पर दी गई है ।

| | | |
|---|---|---|
| भारत-श्रीलंका व्यापार समझौता | (ड.) | भारत और श्रीलंका के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर 20 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे । क्रमशः फरवरी और मार्च, 2000 में श्रीलंका और भारत सरकार द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ छूटों की अधिसूचना जारी करने के बाद मार्च, 2000 में समझौते पर कार्यान्वयन शुरू हुआ । इस लाफ्टा के तहत उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निर्यात जाँच परिषद् एकमात्र एजेंसी है । |
| भारत-अफगान तरजीह व्यापार समझौता | (च) | ट्रान्जिसनक इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान और भारतीय गणराज्य के बीच एक तरजीह व्यापार समझौता 6 मार्च 2003 को हस्ताक्षर किये गये तथा दिनांक 13 मई 2003 के सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 76/2003 लागू हुआ था । भारत अफगानिस्तान के बीच तरजीह व्यापार समझौता जारी करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद् एकमात्र एजेंसी होगी । |
| भारत थाइलैंड मुक्त व्यापार समझौता | (छ) | मुक्त व्यापार समझौता (एफ टी ए) के ढाँचे के अंतर्गत अर्ली हारवैस्ट स्कीम (ई.एच.एस.) को लागू करने का प्रोटोकोल पर भारत और थाइलैंड के बीच 30 अगस्त 2004 को हस्ताक्षर किए गए । ई एच एस स्कीम के अंतर्गत 82 उत्पादों के टैरिफ रियायत 1.9.04 से प्रारंभ हो रहे हैं । निर्यात निरीक्षण परिषद ई. एच.एस. के अधीन मदों के लिए उद्गम का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एकमात्र एजेंसी होगी । |
| गैर तरजीही | 2.21.2 | सरकार ने भी सीमाशुल्क औपचारिकताएँ 1923 के सरलीकरण से संबधित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन के अनुच्छेद 11 के अनुसार मूल के गैर-तरजीह प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कुछेक प्राधिकृत एजेंसियों को नामित किया है। ये मूल के प्रमाणपत्र सामान के मूल के साक्ष्य है और इनसे तरजीह शुल्क का कोई अधिकार नहीं होता है। इन एजेंसियों की सूची परिशिष्ट-35 ख में दी गई है। |

सभी निर्यातकों को जिन्हें उद्गम का प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) प्रस्तुत करना है, उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट-

35ख में उल्लिखित एजेंसियों में से किसी को आवेदन करना होगा :-

परिशिष्ट-35ख के अनुलग्नक-2 के अनुसार उद्गम का प्रमाणपत्र (गैर तरजीही) का प्रपत्र । प्रमाणपत्र पर कोई शुद्धि/ पुनः टंकण न करना सुनिश्चित करें ।

(क) निर्यात उत्पादों में इनपुट/उपभोज्य उपयोग का मात्रा/उद्गम के ब्यौरे ।

(ख) बीजक की दो प्रतियाँ ।

(ग) संबंधित बीजक के लिए पैकिंग सूची (दो प्रतियाँ)।

(घ) प्राधिकृत अभिकरण के नाम पर चलान/डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये संबंधित अभिकरण द्वारा यथा निर्धारित प्रति प्रमाण पत्र 100/- रू0 या इससे कम शुल्क ।

उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) जारी करने से पूर्व अभिकरण पर सुनिश्चित करेगा कि उद्गम के नियमों को शामिल करने वाले सामान्य सिद्धांतों के अनुसार वस्तुएँ भारतीय मूल की हैं ।

यदि कोई अभिकरण परिशिष्ट 35ख में अपना नाम लिखवाना चाहता है, तो उसे विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

(क) अभिकरण के वृत्तान्त, कार्यकलापों, सदस्यता, पुरस्कारों आदि के ब्यौरे ।

(ख) स्टाम्प पेपर (न्यूनतम दो रुपये) पर परिशिष्ट -35ख के अनुलग्नक-1 के अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित घोषणा और वचनबद्धता ।

इसकी एक प्रति वाणिज्य विभाग के आर एम टी आर प्रभाग को भी पृष्ठांकित की जाएगी ।

| | | |
|---|---|---|
| स्तर धारकों हेतु स्वचालित लाइसेंस/ प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र | 2.22 | स्तर धारकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वतः ही लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र जारी किए जायेंगे। यदि कोई कमी होती है तो इसे कवरिंग पत्र में सूचित किया जायेगा, कमी को सूचित करने की तारीख से 10 दिन के भीतर स्टेटस होल्डर्स द्वारा इन कमियों को दूर किया जाएगा। |
| दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना | 2.23 | जहाँ कहीं विभिन्न लाइसेंसिंग प्राधिकरण/नामजद अभिकरण या इसी लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अलग प्रभाग को मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं तो आवेदक मूल दस्तावेजों के स्थान पर स्वयं विधिवत प्रमाणित दस्तावेजों की फोटो प्रतियाँ प्रस्तुत कर सकता है। |

| | | |
|---|---|---|
| अग्रिम भुगतान | 2.24 | जिन मामलों में भुगतान पहले प्राप्त हो जाता है और निर्यात/मान्य निर्यात बाद में किया जाता है तो लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के लिए आवेदन आगामी माह के लिए विशिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिस माह के दौरान निर्यात/मान्य निर्यात जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो । |
| ई सी जी सी कवर के माध्यम से भुगतान | 2.25.1 | उन मामलों में जहाँ निर्यात पूरा कर दिया गया है लेकिन क्रेता से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे निर्यात को नीति के तहत लाभों के उद्देश्य हेतु ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते की ई सी जी सी कवर के माध्यम से भारतीय निर्यातक द्वारा भुगतान प्राप्त कर लिया गया हो । |
| सामान्य बीमे के जरिए भुगतान | 2.25.2 | ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात किए गए हैं और भुगतान अन्तरण हानि अथवा अन्य परिस्थितियों में सामान्य बीमा कवर के जरिए वसूल किया गया है, तो अदा किए गए बीमा कवर की राशि विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यातों के लिए वसूल किया गया भुगतान माना जाएगा। |
| डाक द्वारा निर्यात | 2.26 | डाक द्वारा निर्यात के मामले में समुद्र/वायु मार्ग द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित दस्तावेजों के स्थान पर निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः<br>1. परिशिष्ट 22 में दिया गया आयात वसूली का बैंक प्रमाणपत्र<br>2. संबद्ध डाक रसीद ।<br>3. सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा बाकायदा सत्यापित बीजक । |
| कुरियर सेवा के माध्यम से आयात/ निर्यात | 2.26.1 | राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत कूरियर सेवा के माध्यम से आयात/निर्यात अनुमत है। तथापि, ऐसी मदों की आयातिता/निर्यातिता नीति के अनुसार विनियमित होगी। |
| निर्यात दस्तावेज़ों का सीधे लेन-देन | 2.26.2 | उन मामलों में जहाँ निर्यातक भारतीय रिर्ज़व बैंक की अनुमति से दस्तावेज का सीधे (प्राधिकृत डीलर के माध्यम से नहीं) लेन-देन करता है, उसे निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे :-<br>क) दस्तावेज़ों के सीधे लेन-देन की अनुमति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति (तथापि, यह स्तर धारकों हेतु आवश्यक नहीं है जिन्हें आप अनुमति प्रदान की गई है)<br>ख) बी आर सी के बदले में आयकर विभाग के फार्म-10 |

| | | |
|---|---|---|
| | | एच के अनुसार विदेश से स्वदेश में धन प्राप्ति प्रमाणपत्र की प्रति तथा<br>ग) शिपिंग बिलों/बीजक के ब्यौरे देने का विवरण जिसके प्रति एफ आई आर सी जारी की गई थी । |
| नमूनों का आयात/ निर्यात | 2.27 | किसी आयातक को सब्जियों के बीज, मधुमक्खी और नई औषधियों को छोड़कर, निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में प्रतिबंधित मदों के रूप में उल्लिखित मदों के प्रमाणिक तकनीकी और व्यापार नमूनों के आयात के लिए किसी लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि चाय उद्योग से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र के बिना एक परेषण में 2000 रूपए (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) तक चाय के नमूनों के आयात की अनुमति होगी। रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों को छोड़कर सभी निर्यातकों के लिए और रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों के लिए 10000 रु0 तक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति सीमा-शुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार दी जाएगी ।<br>मुक्त रूप से निर्यात योग्य मद के प्रमाणिक व्यापार और तकनीकी नमूनों के निर्यात की कोई सीमा नहीं होगी । |
| लीज वित्तीयन के तहत आयत | 2.28 | लीज वित्तीयन के अधीन पूंजीगत माल के आयात के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी की अनुमति की अपेक्षा नहीं है। तथापि,वास्तविक उपयोगकर्ता या लाइसेंस/प्रमाणपत्र/ अनुमति पत्र की शर्त, नीति या इस प्रक्रिया पुस्तक के तहत जहां भी अपेक्षित हो ऐसे रिलीज वित्तीयन के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के मामले में लागू होगी। यह सुविधा ई पी सी जी स्कीम/ ई ओ यू/ई पी जैड, स्कीम के अन्तर्गत भी उपलब्ध होगी। मान्य निर्यात की पात्र श्रेणियों के पूंजीगत माल के घरेलू आपूर्तिकर्ता,ऐसे मामलों में भी जहां आपूर्ति लीज, वित्तीयन के तहत की गई है, नीति के पैराग्राफ 8.3 में यथाउल्लिखित मान्य निर्यात लाभों के हकदार होंगे। |

| | | |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय और अन्तर् - राष्ट्रीय प्रदर्शनी या मेलों और प्रदर्शनों के लिए अपेक्षित प्रदर्शित वस्तुएँ | 2.29 | विदेशी/भारतीय प्रदर्शकों को भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के किसी अधिकारी जिसका स्तर अवर सचिव, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार/महानिदेशक, विदेश व्यापार से कम का न हो अथवा भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के किसी अधिकारी जिसका इसके चेयरमैन मे अपनी ओर से ऐसी प्रदर्शनी, मेले या इसी प्रकार के शो या डिस्पले, जैसा भी मामला हो, के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया हो, का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/ अनुमति पत्र के बिना पुनः निर्यात/आयात के आधार पर छः माह की अवधि के लिए प्रदर्शनियों, मेले या इसी प्रकार के शो या डिस्पले पर अस्थाई स्टेण्ड हेतु अपेक्षित विनिर्माण और सज्जा सामग्री सहित प्रदर्शों के आयात/निर्यात की अनुमति होगी जब इसे,<br>(1) वाणिज्य विभाग/विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा अनुमोदित या प्रयोजित किया हो।<br>(2) लोकहित में आयोजित हो रहा हो ।<br><br>पुनः निर्यात/आयात के लिए छः माह से आगे अवधि बढ़ाने पर विचार सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा । प्रदर्शित वस्तुओं से संबंधित पेन्ट, प्रिंट सामग्री, पैप्पलैट, साहित्य आदि जैसे उपभोज्यों का पुनः निर्यात/आयात की आवश्यकता नहीं है । |
| आयात नीति | 2.30 | पूंजीगत माल, कच्चे माल, मध्यस्थों, संघटकों, उपभोज्यों अतिरिक्त पुर्जों, उपांगों, उपकरणों तथा अन्य माल के आयात के संबंध में सामान्य शर्तों से संबंधि नीति अध्याय 2 में दी गई है। |
| प्रतिबंधित सामान के लाइसेंस के लिए सामान्य प्रक्रिया | 2.31 | जहाँ इस अध्याय में दी गई नीति, प्रक्रिया के तहत आयात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमती पत्र सीमाशुल्क निकासी परमिट (सी सी पी) नीति अपेक्षित है । |
| पुराने माल/अवशिष्ट/ स्क्रेप/सेकण्डस/रैग्स का आयात | 2.32 | निम्नलिखित मदों को लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमती पत्र के बिना आयात किया जा सकता है।<br>(i) इस बारे में जारी अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी मद हेतु विनिर्दिष्ट मूल्य के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मैटेलिक अपशिष्ट, स्क्रेप, पुराने और खराब रूप में |

विनिर्दिष्ट मदें जिनमें खतरनाक, विसैले अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव कन्टैमिनिटिड अपशिष्ट/स्क्रेप जिनमें रेडियो ऐक्टिव मैटेरियल शामिल हैं को छोड़करः

(ii) ऊन के पूराने कपड़े/सिंथेटिक के पुराने कपड़े/पूर्ण कटी फटी रद्दी ऊन बशर्ते कि यह कटा-फटा रूप सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप हों।

(iii) पेट बोटल/वेस्ट

(iv) जहाजरानी मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर और जहाजरानी मंत्रालय द्वारा कालावधि/कालावधि अवशिष्ट निर्धारित मानदण्डों लाइसेंसों के बिना सभी प्रकार के जहाजों का आयात किया जा सकता है।

बशर्ते कि विद्रोह या युद्ध प्रभावित देश से धातु-स्क्रेप आयात करने के मामले में माल की निकासी के समय निर्यातक को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(i) परिशिष्ट-28 के अनुलग्नक-1 में दिए गए प्रपत्र में विनिर्दिष्ट किसी एक निरीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसी से परिशिष्ट 8 के अनुलग्नक 1 में प्रपत्र के अनुसार इस आशय का शिपमेंट पूर्व प्रमाणपत्र कि

(क) परेषण में किसी किस्म् का हथियार गोला बारूद, माइन्स (सुरंग), शेल्स, कारतूस रेडियो एक्टिव सम्मिश्रण या अन्य कोई विस्फोटक सामग्री किसी रूप में प्रयुक्त अथवा अन्यथा किसी रूप में रखा हुआ नहीं है, और

(ख) इस प्रकार के वर्गीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मैटेलिक वेस्ट/स्क्रैप/सैकेंड/डिफेक्टिव के लिए वास्तविक आयातित मदें ।

(2) आयातक और निर्यातक के बीच हुए करार की एक प्रति जिसमें यह उल्लेख हो कि परेषण में किसी भी प्रकार का हथियार, गोला बारूद, सुरंग या शैल्स, कारतूस, रेडियो एक्टिव सम्मिश्रण या कोई अन्य विस्फोटक सामग्री प्रयुक्त अथवा अन्यथा किसी भी रूप में नहीं है।

यदि कोई एजेंसी परिशिष्ट-28 के अन्तर्गत सूचीबद्ध होना चाहती है तो उसे विदेश व्यापार महानिदेशालय को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

(क) एजेंसी का इतिहास, सदस्यता, संगठनात्मक ढ़ाचा, मानवशक्ति आदि का विवरण देते हुए एजेंसी के कार्यकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा ।

(ख) धातु स्क्रैप की जांच करने के लिए मूलभूत सुविधाएं, लोजिस्टिक्स, टैस्टिंग लैब आदि ।

(ग) उन कम्पनियों/एजेंसियों की सूची जिनके लिए जांच का कार्य किया गया हो ।

महानिदेशक, विदेश व्र्यापार नियमित आधार पर परिशिष्ट 28 में दी गई निरीक्षण एवं प्रमाणन एजेंसियों की निष्पादन की पुनरीक्षा करेंगे ।

| | | |
|---|---|---|
| पुराने पूंजीगत माल का आयात | 2.33 | रिफर्बिश्ड/रिकन्डीशन्ड पुर्जों सहित पुराने पूंजीगत माल का आयात, मुक्त रूप से अनुमत होगा, बशर्ते कि निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शर्तों के अनुसार हो :-<br>निजी कम्प्यूटरों और लैपटाप सहित पुराने कम्प्यूटरों का आयात आयातों के लिए प्रतिबंधित है ।<br>रिफर्बिश्ड/रिकन्डीशन्ड पुर्जों का आयात सनदी अभियन्ता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अनुमत होगा जिसमें दर्शाया गया हो कि इन पुर्जों की गुणवत्ता वास्तविक पुर्जों के समान है तथा इससे प्रचालन की उत्पादकता/क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । |
| | 2.33.1 | उपर्युक्त पैरा 2.33 की शर्तों के बावजूद, पुराने कम्प्यूटर, लैपटाप और प्रिन्टर, प्लॉटर, स्कैनर, मॉनीटर, कीबोर्ड और स्टोरेज़ यूनिटों सहित कम्प्यूटर पैरीफेरियल्स निम्नलिखित दानकर्त्ताओं की श्रेणियों द्वारा दान के रूप से मुक्त रूप से आयात किए जा सकते हैं :<br>(1) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित स्कूल ।<br>(2) किसी संस्था द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाई गई शैक्षिक संस्था<br>(3) पंजीकृत चैरिटेबल अस्पताल<br>(4) पब्लिक लाइब्रेरी<br>(5) सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थान |

(6) केन्द्रीय, या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित समुदान सूचना केन्द्र

(7)केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

(8) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र का संगठन

इस उप - पैरा के अन्तर्गत आयातों की अनुमति होगी बशते कि माल किसी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए उपयोग न किए जाए, अहस्तांतरणीय हो, और संगत सीमाशुल्क विनियमों और अधिनियमों की शर्तों के अनुरूप हो।

2.33.क सीमाशुल्क अथवा अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार प्राधिकारी पूंजीगत माल की शेष कालावधि/मूल्य निर्धारण/ खरीद मूलय दोनों प्रमाणित करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट में दी गइ निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण एजेंसियों की सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं ।

**लाइसेंसधारी हथियार व्यापारियों द्वारा हथियारों का आयात**

2.34 लाइसेंसधारी हथियार व्यापारी द्वारा लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के प्रति निम्नलिखित किस्म के हथियारों का आयात अनुमत है बशर्ते कि यह यथाविनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो :

(1) शाटगन कार्टरिज 28,

(2) रिवाल्वर कार्टरिज .450, .455 और .45 बोर के।

(3) पिस्टल कार्टरिज .25, .30 माउजर, .450 और .45 बोर

(4) राइफल कार्टरिज 6.5 एम एम, .22 सेवेज, .22 हार्नेट, 300 शेरवुड, 32/40, .256, 275, 280, 7 एम/ एम मएउजर, 7 एम/एम मैनस्कूइनर, 9 एम/एम माउजर, 9 एम/एम मैनस्कूइनर, 8x57, 8x57 एस, 9.3 एम/एम, 9.5 एम/एम, .375 मैनगन, .405, .30 .06 .270, .30/30 विंच, .318, .33 विंच .275 मेग, .350 मेग, 400/350, .369 पुरडे, .450/400, .470, .32 विन 458 विन, .380 रूक, .220 स्वीफ्ट और .44 विन बोर्स के।

लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र विगत 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान गोला बारूद की वार्षिक बिक्री कारोबार (देशी अथवा आयातित) के मूल्य के 5 प्रतिशत आयात तक दियां जा सकता है बशर्ते कि न्यूनतम मूल्य 2000/- रूपये से कम न हो।

उपर्युक्त पैरा 2.34 में दी गई मदों के लिए लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र हेतु आवेदन पत्र, निर्धारित दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट 8 में दिए गए फार्म पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को दिया जाए।

**होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल् एजेन्टों, टूर-आपरेटरों और अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा अपेक्षित प्रतिबंधित मदें**

2.35 होटलों, रेस्तराओं, ट्रेबल एजेन्टों और टूर आपरेटरों द्वारा अपेक्षित निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण में आयात के लिए प्रतिबंधित के रूप उल्लिखित मद लाइसेंस/ प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के प्रति अनुमत होंगी। आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र महानिदेशक, क्षेत्रीय निदेशक या पर्यटन निदेशक, भारत सरकार की सिफारिशों पर दिया जायेगा।

2.35.1 महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटन होटलों सहित, होटल, पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान विदेशी पर्यटकों से उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत मूल्य तक के आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/ अनुमति पत्र के पात्र होंगे। ऐसे लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र होटल और पर्यटन उद्योग से संबंधित अनिवार्य सामग्री के आयात के लिए दिए जा सकते हैं।

2.35.2 भारत सरकार के पर्यटक महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंटों, टूर संचालकों रेस्तराओं तथा पर्यटन परिवहन संचालकों और सहासिक/वन्य जीव जैसे पर्यटन के लिए अन्य यूनिट और कन्वेन्शन यूनिट को गत लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत मूल्य का आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे। ऐसे लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र ट्रैवल तथा पर्यटन उद्योग को उनकी व्यावसायिक प्रयोग के लिए अपेक्षित कार्यालय एवं अन्य उपकरणों सहित अनिवार्य

वस्तुओं का आयात करने के लिए दिए जाएंगे।

2.35.3 पैरा 2.35.1 तथा 2.35.2 के अन्तर्गत किसी भी वर्ष की आयात हकदारी के लिए पूरी अथवा उसके एक भाग को आगे ले जाया जा सकता है तथा दो आगामी लाइसेंसिंग वर्षों की आयात हकदारी में जोड़ा जा सकता है।

2.35.4 पैराग्राफ 2.35.1 और 2.35.2 के अधीन मंजूर आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र हस्तान्तरणीय नहीं हो तथापि होटलों/रेस्टोरेन्टों/ट्रैवल एजेन्टों/टूर ऑपरेटरों को दिए गए ऐसे लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र संबंधित समूहों अथवा विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 में यथा परिभाषित प्रबन्धित होटलों के भीतर हस्तान्तरित किए जा सकते हैं।

2.35.5 अपने या अभिगृहीत लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के प्रति आयातित माल को विदेश व्यापार महानिदेशक की पूर्व अनुमति के बिना उनके आयात की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के भीतर किसी को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

2.35.6 पैराग्राफ 2.35.1 और 2.35.2 के अधीन लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन परिशिष्ट-8 में दिए गए फार्म पर महानिदेशक या क्षेत्रीय निदेशक, निदेश, पर्यटन, भारत सरकार को देना होगा । वे इस आवेदनपत्र को आयात किए जाने वाले माल और आयात की पात्रता की सिफारिश करके संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगे।

अन्य प्रतिबंधित मदों का आयात

2.36 निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण नामक पुस्तक में प्रतिबंधित मदों की सूची दी गई है। ऐसे मदों के आयात के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट-8 में दिए गए फार्म पर, निर्धारित दस्तावेजों के साथ विदेश व्यापार महानिदेशालय को दिया जाएगा ।

| | | |
|---|---|---|
| निर्यात आयात सुविधा समिति | 2.37 | प्रतिबंधित मद लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र (आर आई एल) विदेश व्यापार महानिदेशक या उनके ओर से इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। डी जी एफ टी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी, सुविधा समिति की सहायता और सलाह ले सकते हैं। सुविधा समिति में संबंधित तकनीकी प्राधिकारियों और विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मलित होंगे । |
| उपभोज्य अथवा अन्य माल का उपहार | 2.38 | नीति के पैरा 2.19 में दिए प्रावधानों के अनुसार, निर्यात और मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण में आयात के लिए प्रतिबंधित रूप में उल्लिखित मदों का उपहार के रूप में आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक, नई दिल्ली को निर्धारित प्रलेखों के साथ परिशिष्ट 8 में प्रस्तुत करना होगाः<br><br>तथापि, जहां उपहार का प्राप्त कर्ता समितियों अथवा ट्रस्टों के पंजीकरण से संबंधित कानून के तहत पंजीकृत अथवा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा अनुमोदित चैरिटेबल, धार्मिक अथवा शैक्षिक संस्थान हैं और आयात किया जाने वाला उपहार वित्त मंत्रालय द्वारा सीमाशुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है, ऐसा आयात सीमाशुल्क निकासी अनुज्ञापन के बिना अनुमत होगा। |
| एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत आयात | 2.39 | एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उनकी संतुष्टि के अनुसार आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र या सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना अनुमेय किया जा सकता है। |
| चैक बुक/टिकट फार्म आदि का आयात | 2.40 | विदेशी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा ट्रैवल एजेंसियों की भारतीय शाखाओं द्वारा चैक बुक, बैंक ड्राफ्ट फार्म तथा ट्रेवेलर चैक फार्मों का सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना आयात किया जा सकता है। इसी प्रकार, भारत में कार्यरत एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियाँ जिनमें ऐसे एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल हैं, सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना पैसेंजर्स टिकट फार्मों का आयात कर सकती है। |

| | | |
|---|---|---|
| पुनरनुकुलन/वायुयान के अतिरिक्त पुराने पुर्जों का आयात | 2.41 | एयर इंडिया, इंडियान एयर लाइंस, वायुदूत, पवनहंस लि0 तथा अनुसूचित घेरलू निजी एयर लाइंस, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां तथा राज्यसरकार चालित एक्जीक्यूटिव/ प्रशिक्षण एयर क्राफ्ट या जो फसलों के छिड़काव में रत हैं तथा गैर-अनुसूचित एयर लाइंस, एयर क्राफ्ट तथा चार्टड सर्विस आपरेटर, नगर विमानन महानिदेशक, भारत सरकार की सिफारिशों पर रिकंडिशन्ड/सेकिन्ड हैण्ड एयर क्राफ्ट के कलपुर्जे लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के बिना आयात करने के पात्र होंगे।<br><br>विदेशी एयर लाइन्स भी नागरिक उड्डयन महानिदेशक भारत सरकार की सिफारिशों पर लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र के बिना रिकंडिशन्ड/सेकिन्ड हैण्ड एयर क्राफ्ट कलपुर्जों का आयात कर सकती है । |
| प्रतिस्थापन माल का आयात | 2.42 | सामान और उसके पुर्जे आयात करने पर खराब या अन्यथा उपयोग के लिए उपयुक्त न हो अथवा ज़ो आयात करने के बाद नष्ट हो गये हों उनका लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है तथा सामान का विदेशी सप्लायरों द्वारा बिना प्रभार की आपूर्ति या समुद्री बीमा के प्रति आयात अथवा बीमा कम्पनी द्वारा निपटाये गए समुद्री व निर्माण बीमा दावों का निपटान कर लिया है उसकी मुफ्त आपूर्ति की जा सकती है। ऐसे सामान का सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आयात लाइसेंस के बिना निकासी करने की अनुमति होगी बशर्ते किः<br>(क) सीमाशुल्क द्वारा पिछले आयातित सामान की निकासी की तारीख से 24 माह के भीतर प्रतिस्थापन माल की निकासी की गई है अथवा मशीन या उसके कलपुर्जों के मामलों में, 24 माह से अधिक समय लग गया है परन्तु गारंटी अवधि के भीतर हो, और<br>(ख) जब आयातक द्वारा किए गए बीमा और/अथवा भाड़े के भुगतान के अधीन है, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान की प्रतिपूर्ति पर बीमा और भाड़े के भुगतान को छोड़कर कोई प्रेषण भार नहीं लिया जाएगा और प्रेषण शुल्क देते समय इस प्रयोजन का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।<br>आयातक के पास उपर्युक्त सामान की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बजाय, विदेशी सप्लायर को पहले ही किए गए भुगतान, यदि कोई हो तो, उस भुगतान को लौटाने का दावा करने का भी विकल्प होगा। |

2.42.1 ऐसे मामलों में जहाँ माल पोत में कम चढ़ाया, कम उतारा पाया जाए या वास्तविक आयात से पूर्व आवाजाही में गुम पाया जाए और/अथवा सीमाशुल्क से निकासी के समय इसका पता लगा हो तो प्रतिस्थापन माल की आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की क्षमता पर अनुमत होगा। ऐसे मामलों में, कोई आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की जरूरत नहीं होगी। वह प्रक्रिया उस मामले में भी लागू होगी जहाँ विदेशी सप्लायर द्वारा पोत में सामान का कम लदान को प्रमाणित किया जाता है और वह सामान मुफ्त बदलने के लिए तैयार है।

2.42.2 जो मामले उपर्युक्त प्रावधानों द्वारा कवर नहीं होते हैं उनके संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशक लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र की मंजूरी विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा गुणावगुण के आधार पर दी जाएगी इसके लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट-8 में दिए गए फार्म पर करना होगा।

**आयातित माल का हस्तांतरण**

2.43 जिस माल का बिना प्रतिबंध के आयात किया जा सकता है उसका, आयातक द्वारा बिक्री या अन्यथा रूप में हस्तांतरण किया जा सकता है। ऐसे आयातित माल का जो नीति के अधीन वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन हैं और वास्तविक उपयोक्ता की आवश्यकता से अधिक है, का हस्तांतरण केवल लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित सूचना, हस्तांतरण के लिए मंजूरी के अनुरोध सहित, सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

(1) आयातित सामग्री के हस्तांतरण के कारण,

(2) जिसको हस्तांतरित किया जाता है उस व्यक्ति का नाम, पता, आयातक-निर्यातक कोड संख्या तथा औद्योगिकलाइसेंस/ प्रमाण पत्र/ अनुमति पत्र/ पंजीकरण, यदि कोई हो।

(3) आयातित माल का विवरण, मात्रा और मूल्य तथा जिसका हस्तांतरण करने की अनुमति मांगी गई है।

(4) किए गए आयात से संबंधित आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र और आगमपत्र की प्रतियां, और

(5) क्रेता और विक्रेता के बीच हस्तांतरण की शर्तें।

| | | |
|---|---|---|
| | 2.43.1 | तथापि, ऐसे माल के हस्तांतरण या निपटान में किए लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी जिसको वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्तों पर आयात किया गया हो बशर्ते कि उसके हस्तांतरण की तारीख को वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्तों के बिना मुक्त आयात किया जाता हो। |
| | 2.43.2 | ऐसे आयातित माल के आयात की तारीख से दो वर्षों की अवधि के बाद हस्तांतरण या निपटान के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। , तथापि सभी आयातित अग्नि शस्त्रों के हस्तांतरण की अनुमति आयातकों/लाइसेंस धारकों को महानिदेशक, विदेश व्यापार के अनुमोदन से आयात की तारीख के केवल 10 वर्ष बाद होगी । |
| नुमाइशी मदों की बिक्री | 2.44 | (1) भारतीय व्यापार उन्नयन संगठन (आई टी पी ओ) द्वारा अनुमोदित/प्रायोजित अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी/आयोजित मेलों के लिए आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित मदों के प्रदर्शों की बिक्री प्रभावी सीमाशुल्क के भुगतान करने पर लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र बिना बाण्ड अवधि के भीतर पुनः निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि प्रत्येक प्रदर्शक के लिए ऐसे प्रदर्शों की लागत बीमा भाड़ा मूल्य की निर्धारित सीमा 5 लाख रू. हो। तथापि, जिन प्रदर्शित मदों का मुक्त आयात किया गया था उनकी भावी लागू सीमा शुल्क के भुगतान पर पुनः निर्यात की अनुमत बाण्ड अवधि के भीतर लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के बिना बिक्री की जाएगी।<br><br>(2) यदि आयातक के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण नुमाइश के लिए लाई गई वस्तुओं का बांड अवधि के अंदर पुनः निर्यात या बिक्री नहीं की जाती है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी गुण-दोष आधार पर बांड अवधि में वृद्धि कर सकते हैं। |
| विदेशी कार्यालय उपकरणों का आयात | 2.45 | भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से स्थापित समुद्रपारीय कार्यालयों को बंद करने पर, कार्यालय उपकरणों और अन्य मदों का आयात लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र के बिना किया जा सकता है । |
| निर्यात उत्पादों के लिए लेबल, मूल्य टैग और इसी प्रकार का सामान | 2.46 | भारतीय निर्यातकों को विदेशी क्रेताओं द्वारा दिए गए विशिष्ट आदेश के प्रति माल पर जो लेबल, मूल्य टैग, हैंगर्स, साइजर्स, पी वी सी बैग्स, इनले कार्डस प्रिंटेड बैग, स्टीकर्स और ट्रिमिंग सामग्री जैसे बटन और बैल्ट शोल्डर पैडस, बकल्स, आइलेटस, हुक्स और आइस और रिवेटस लगाए जाते हैं, का आयात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति |

| | | |
|---|---|---|
| | | पत्र के बिना किया जा सकता है । |
| प्रोटो टाइप्स | 2.47 | वास्तविक उपयोक्ता, जो उत्पादन कार्य में लगी है या उनके पास औद्योगिक लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र/आशय पत्र है अथवा अनुसंधान में लगी है और उन्हें उत्पाद विकास या अनुसंधान, जैसा भी मामला हो, के लिए प्रोटो टाइप/सेम्पल की जरूरत है, वे सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुरूप स्व घोषणा करके एक वर्ष में 10 तक प्रोटोटाइप/सेम्पल/ आयात का शुल्क अदा करके/आयात कर सकते हैं। |
| अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रतिबंधित मदें | 2.48 | आर एण्ड डी प्रयोजन के लिए अपेक्षित, जीवित जानवरों को छोड़कर सभी प्रतिबंधित मदों का आयात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास यूनिटों द्वारा लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के बिना किया जा सकता है। |
| निर्यात नीति | 2.49 | निर्यात से संबंधित नीति, इस नीति के अध्याय-2 में दी गई है । इसके अलावा, आई टी सी (एच एस) के परिशिष्ट 1 में उन मदों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनका किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है, जो कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा । |
| निर्यात लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र | 2.50 | आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 में उल्लिखित मदों के संबंध में निर्यात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र, परिशिष्ट 16 या 16क जैसा भी मामला हो, में उल्लिखित फार्म में विदेश व्यापार महानिदेशक को दिया जाए और इसके साथ उसमें उल्लिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए । विदेश व्यापार सुविधा समिति, निर्यात लाइसेंस/प्रमाणपत्र/ अनुमति पत्र जारी करने के लिए गुण-दोष के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगी ।<br><br>विदेश व्यापार महानिदेशालय में स्थित अन्तर मंत्रालयीय कार्य दल समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के आधार पर आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2, परिशिष्ट-3 में यथा विनिर्दिष्ट विशेष रसायनों, अर्गेनिजन्, सामग्री, उपकरणों और प्रौद्योगिकी के निर्यात के आवेदनों पर विचार करेगा ।<br><br>डी जी एफ टी आवेदन करने पर चिकित्सा और शल्य उपकरणों के संबंध में लागू दिशा निर्देशों के अनुसार मुक्त बिक्री प्रमाणपत्र भी जारी |

| | | |
|---|---|---|
| | | कर सकता है। |
| राज्य व्यापार व्यवस्था के अधीन मदों का निर्यात | 2.51 | राज्य व्यापार व्यवस्था के अधीन आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित मदों के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किए जाएँ । |
| नमूनों/नुमाइशी वस्तुओं का निर्यात | 2.52 | ऐसे नमूनों या नुमाइशी वस्तुएँ जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित हों, के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाए । |
| मुफ्त निर्यात | 2.52.1 | स्तर धारक ,निर्यात संवर्धन के लिए मुफ्त आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होंगे जोकि पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्त के 10 लाख रु0 या 2 प्रतिशत की वार्षिक सीमा, जो भी ज्यादा हो, के अधीन होगा । |
| उपहार/पूर्जे/ प्रतिस्थापन माल | 2.53 | नीति के पैराग्राफ 2.32, 2.33 और 2.37 में निर्धारित सीमा/अवधि से अधिक सीमा/अवधि में देशी/आयातित वारण्टी स्पेयर्स और प्रतिस्थापन माल, उपहार के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाए । |
| गैर वास्तविक रूप में निर्यात संबंधी रिटर्न भेजना | 2.54 | हाई स्पीड डाटा कम्यूनिकेसन लिंक्स, इन्टरनेट, टेलीफोन लाईन और कोई अन्य चैनल जिसमें सीमा शुल्क प्राधिकरण शामिल नहीं होता, सहित कम्यूनिकेशन लिंक का उपयोग करके, गैर वास्तविक रूप में किए जाने वाले सभी निर्यातों के बारे में अनिवार्य रूप से परिशिष्ट 4ख में उल्लिखित फार्म में इलैक्ट्रानिक और साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद को तिमाही आधार पर सूचना भेजनी होगी ।<br>यह प्रावधान सभी निर्यात करने वाले यूनिटों पर लागू होगें चाहे देश में कहीं भी स्थित हों। इनमें एस टी पी, ई पी जैड, एस ई जैड, ई एच टी पी और 100% ई ओ यू स्कीम के अधीन स्थित यूनिटें भी शामिल हैं । |
| भेषज और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास उपकरण का शुल्क मुक्त आयात | 2.55 | उन विनिर्माता निर्यातकों को समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क अधिसूचना सं0 21/2002 दिनांक 1.3.2002 की सूची 28 में यथा निर्दिष्ट पिछले लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत तक वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी जिनका अपना अनुसंधान और विकास यूनिट है तथा यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत है । यह अनुमति उक्त अधिसूचना की शर्त सं0 53(2) को पूरा करने के अधीन होगी । |

पात्र यूनिट परिशिष्ट-34 में दिए गए आवेदन-पत्र क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय या फर्म का मुख्यालय स्थित है ।

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी यूनिट द्वारा की गई घोषणा ओर जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा काउंटर साइन किया गया है, के आधार पर आवेदन की जाँच करेगा ।

2.55.1 उन विनिर्माता निर्यातकों को समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क अधिसूचना सं0 21/2002 दिनांक 1.3.2002 की सूची 28(क) में यथा निर्दिष्ट पिछले लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत तक वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी जिनका अपना अनुसंधान और विकास यूनिट है तथा यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में पंजीकृत है । यह अनुमति उक्त अधिसूचना की शर्त सं0 53(क) को पूरा करने के अधीन होगी ।

पात्र यूनिट परिशिष्ट-34क में दिए गए आवेदन-पत्र क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय या फर्म का मुख्यालय स्थित है ।

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी यूनिट द्वारा की गई घोषणा ओर जिसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा काउंटर साइन किया गया है, के आधार पर आवेदन की जाँच करेगा ।

**एक योजना से दूसरी योजना में शिपिंग बिल की ईपी प्रति में परिवर्तन**

2.56 यदि निर्यातक को उस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा जिसके अन्तर्गत लाइसेंसिंग प्राधिकारी या सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा शिपिंग बिल प्रस्तुत किया गया है, तो निर्यातक को ऐसे शिपमेंटों को दूसरी योजना में परिवर्तित करने की अनुमति होगी बशर्ते निर्यातक उस योजना के तहत लाभ पाने का पात्र हो जिसमें शिपमेंट को बाद में परिवर्तित किया गया है ।

**उद्योगों की पुनर्स्थापना**

2.57 लाइसेंस के बिना संयंत्र और मशीनों का आयात करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते ऐसे पुनर्स्थापित संयंत्र का मूल्य ह्रास 50 करोड़ रुपये से अधिक हो ।

**निर्यात आय की ऑफ सेटिंग**

2.58 किसी भी निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत लाइसेंस धारक किसी देय या इक्विटी निवेश के मद्दे निर्यात आय को ऑफसेट कर सकता है बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष अनुमोदन लियागया हो । ऐसे मामलों में, यदि निर्यातक निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ऑफ सेटिंग निर्यात आय की प्राप्ति के बराबर होगी :-

(क) बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र की एवज में परिशिष्ट-22 ख
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति ।

गुणवत्ता प्रमाणन 2.59 यह निरन्तर कोशिश रहती है कि निर्यात उत्पाद का विनिर्माण करने वाले एककों/निर्यात उत्पाद के गुणवत्ता मानदण्डों को बढ़ावा दिया जाए ।

2.59.1 गुणवत्ता मानदण्डों को बढ़ावा देने के लिए पैराग्राफ 3.7.2 टिप्पणी-1 के अनुसार निर्यात आयात नीति में शामिल की गई मुख्य-मुख्य बातों में से एक यह है कि आई एस ओ-9000(श्रृंखला), आई एस ओ-14000 (श्रृंखला) या एच ए सी सी पी प्रमाणन या डब्ल्यू एच ओ जी एम पी या एस ई आई सी एम एम स्तर-2 और उपर्युक्त स्तर/प्रमाणन वाले एककों के लिए न्यूनतम प्रारंम्भिक सीमा प्राप्त करने पर निर्यात सदन स्तर की मंजूरी दी जाए ।

2.59.2 गुणवत्ता प्रमाणन देने के लिए जिन्हें प्राधिकृत किया गया है, ऐसे अभिकरणों की सूची परिशिष्ट-28क में दी गई है ।

परिशिष्ट-28क में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण विदेश व्यापार महानिदेशालय को निम्न दस्तावेजों सहित अनुरोध कर सकते हैं :-

(क) प्रमाणित किए जाने वाले निकायों हेतु राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड एन ए सी बी सी या किसी अन्य अभिकरण, यदि लागू हो, से गुणवत्ता प्रबन्धन के लिए वैध मान्यता प्रमाणपत्र,

(ख) उन फर्मों/कम्पनियों की सूची जिन्हें आवेदक द्वारा प्रमाणन दिया गया है ।

(ग) अभिकरण की तार्किक/बुनियादी सुविधाओं के ढांचे के ब्यौरे ।

(ध) इस आशय की वचनबद्धता कि "प्रमाणन के कारण यदि कोई देनदारी सामने आती है तो भारत में अभिकरण को एफ टी डी आर अधिनियम या अन्य किसी सम्बद्ध अधिनियमों के तहत दण्डित किया जाएगा ।"

2.59 तथापि, यदि कोई विदेशी अभिकरण जिसे मूल देश में नोडल अभिकरण द्वारा मान्यता दी गई है, परिशिष्ट-28क में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो उन्हें इस कार्यालय को निम्नलिखित दस्तावेज भेजने होंगे :-

(क) विदेशी अभिकरण के वैध मान्यता प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि और यह भी उल्लेख करे कि क्या मान्यता अभिकरण आईएएफ ( अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता मंत्र ) का सदस्य है ।

(ख) मूल कम्पनी की ओर से भारत में कार्यरत भारतीय साझेदार/अभिकरण/शाखा के ब्यौरे ।

(ग) उन विदेशी और भारतीय अभिकरणों की सूची जिन्हें प्रमाणन दिया गया है ।

(घ) इस आशय की वचनबद्धता कि "यदि प्रमाणन के कारण कोई देनदारी सामने आती है तो मूल कम्पनी और भारत में इसके साझेदार/अभिकरण/शाखा पर भरतीय न्यायालय में भारतीय कानून लागू होंगे ।"

शिकायत निवारण तंत्र

2.60 शिकायत निवारण से तंत्र से संबंधित उपलबन्ध विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.49 में दिया गया है ।

# अध्याय - 3

## संवर्धनात्मक उपाय

| | | |
|---|---|---|
| स्तर प्रमाण पत्र | 3.1 | नीति के अध्याय-3 में स्तर धारकों से संबंधित नीति दी गई है । |
| स्तर की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र | 3.2 | किसी स्तर की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र 01 मार्च से पहले प्रस्तुत करना होगा । एक से पांच स्टार व्यापार सदन के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट 17 में देना होगा। एक से पांच स्टार व्यापार सदन के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट 17क में दिया जाएगा । |

नीचे दी गयी तालिका के अनुसार मोजूदा स्तरधारक को स्वतः ही स्टार निर्यात सदन के बराबर माना जाएगा :-

| निर्यात आयात नीति 2002 - 07 की तहत पूर्व स्तर | विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अनुसार परिवर्तित स्तर |
|---|---|
| निर्यात सदन | एक स्टार निर्यात सदन |
| व्यापार सदन | तीन स्टार निर्यात सदन |
| स्टार सदन | चार स्टार निर्यात सदन |
| सुपर स्टार सदन | पांच स्टार निर्यात सदन |

तथापि, कोई भी निर्यातक चाहे स्टार की मंजूरी या वह स्टारधारक है या नहीं कि वह अपने मौजूदा स्टार को बढ़ाने के लिए परिशिष्ट 17 या परिशिष्ट 17 क में दुबारा आवेदन कर सकता है ।

3.2.1 एक से पांच निर्यात सदन प्रमाण पत्र की मंजूरी हेतु प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा जिसका प्रमुख संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार है। ई ओ यू/एस ई जैड के सम्बन्ध में (निर्यात सदन/व्यापार सदन/सेवा प्रदायकों के लिए निर्यात सदन/सेवा प्रदायकों के लिए व्यापार सदन के रुप में) स्तर प्रमाण-पत्र की मँजूरी/नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किए जाएंगे यदि इसमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र में इसकी मूल कम्पनी के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की क्लबिंग शामिल न हो । फिर भी क्लबिंग के मामले में,

आवेदन संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार को प्रस्तुत किया जाएगा ।

3.2.2 किसी कम्पनी के मामले में ऐसे आवेदन पत्र कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय मुख्यालय निर्गमित द्वारा और अन्य के मामले में उनके मुख्ययालय /निर्गमित द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगें। कंपनी के मामले में जहां आवेदन पंजीकृत कार्यालय/ मुख्यालय/ कार्यालय है तो उसे (क) वैध आर सी एम सी की स्व प्रमाणित प्रति जिसमें पंजीकृत कार्यालय या मुख्यालय या निर्गमित कार्यालय का नाम दिया गया हो और

(ख) मुख्यालय और निर्गमित कार्यालय(या पंजीकृत कार्यालय और निर्गमित कार्यालय या पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय जैसा भी मामला हो, ) से इस आशय की प्रविष्टि करवानी होगी कि स्टार प्रमाणपत्र के लिए हकदारी की अवधि के मुददे कंपनी द्वारा पहले कोई ऐसा आवेदन नहीं किया गया है ।

3.2.3 गैर सेवा प्रदायकों के मामले में स्तर प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र के साथ परिशिष्ट 17ख के अनुसार "स्तर प्रमाण-पत्र के लिए निर्यात वसूली/मान्य निर्यात का बैंक प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।

3.2.4 सभी निर्यातक जो कि मुख्यालय से स्तर प्रमाण-पत्र प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन पत्र के तीन सैट मुख्यालय, जोनल और क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक को एक सैट प्रस्तुत करना होगा । जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय जोनल कार्यालय के तौर पर वही है तो निर्यातक आवेदन के केवल दो सैट प्रस्तुत करेगा । जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय आवेदन और उसमें किए दावे की वास्तविकता की जांच करेंगे और इनके द्वारा आवेदन पत्र की प्रति की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ताकि मुख्यालय स्तर प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए फर्म के आवेदन पत्र पर विचार-विमर्श कर सकें ।

लक्ष्योपरि योजना (टारगेट प्लस स्कीम)

3.2.5 लक्ष्योपरि योजना संबंधी नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में दी गई है:-

I. सीधे और तीसरी पार्टी निर्यात के लिए निर्यात दस्तावेज अर्थात् निर्यात आदेश, बीजक, जीआर फार्म, बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र आवेदक के नाम में ही चाहिए।

तथापि, जहा वस्तुएं विनिर्माता से प्राप्त की गई हैं तीसरी पार्टी

निर्यात के लिए शिपिंग बिल में निर्यात के साथ-साथ सहायक विनिर्माता का नाम भी होना चाहिए।

II. इस योजना के तहत आयात के लिए अनुमत वस्तुओं का आयातित उत्पादों के साथ अन्तर्संबंध होना चाहिए और इस संबंध में परिशिष्ट 17घ में आवेदक को एक घोषणा करनी होगी।

III. लाइसेंसिंग प्राधिकारी शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र जारी करते समय उस पर आवेदक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार एसोसिएट विनिर्माता/सहायक विनिर्माता/जॉब वर्कर का नाम पृष्ठांकित करेगा। ऐसे हकदारी प्रमाणपत्र के मद्दे आयातित वस्तुओं का इस्तेमाल आवेदक या सहायक विनिर्माता/जॉब वर्कर द्वारा किया जायेगा।

IV. ऐसे आवेदक प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 31 दिसम्बर, होगी।

V. प्रत्येक शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र, खण्डित ( स्पलिट) प्रमाणपत्र न्यूनतम 5 लाख रू. और इसके गुणजों ( मल्टीपल्स) के लिए जारी किया जा सकता है। प्रत्येक खण्डित ( स्पलिट) प्रमाणपत्र के लिए 1000/-रू. शुल्क देना होगा। तथापि, खण्डित ( स्पलिट) प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करते समय अनुरोध किया जा सकता है और इस पर बाद में विचार नहीं किया जायेगा।

VI. शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र सामान्यतया पंजीकरण के एकल पत्तन के लिए जारी किया जायेगा। तथापि, आवेदक प्रत्येक खण्डित प्रमाणपत्र के लिए अलग-अलग पत्तन चुन सकता है।

VII. शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख से 24 महीनों की अवधि के लिए वैध होगा।

VIII. आवेदक, इस प्रमाणपत्र के तहत किए गए अंतिम आयात के एक माह के भीतर या प्रमाणपत्र की अवधि समाप्त होने के एक महीने के भीतर, जो भी पहले हो, परिशिष्ट 17ड. के अनुसार प्रमाणपत्र के तहत किए गए आयातों/उपयोग का विवरण क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसने यह प्रमाणपत्र जारी कया है। इसकी एक प्रति क्षेत्राधिकारी

उत्पाद प्राधिकारी को भेजनी होगी।

| | | |
|---|---|---|
| खातों का रख रखाव | 3.3 | स्तर धारक ने वैध अवधि के दौरान जो निर्यात और आयात किया है उसका और उसे यह मान्यता दी गई है, के खाते का जिस निर्यात और आयात के आधार पर सही और उचित लेखा रखेगा । यह रिकार्ड ऐसे प्रमाण पत्र की वैध तारीख की समाप्ति से कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए रखा जाएगा । ये लेखे लाइसेंसिंग प्राधिकारी या विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा । |
| प्रमाण पत्र की अस्वीकृति/निलम्बन/ रद्द करना | 3.4 | यदि प्रमाण पत्र धारक/आवेदक या कोई एजेण्ट अथवा कर्मचारी जो उनकी ओर से कार्य करता हो, निम्नलिखित कार्य करने में असफल रहता है तो उस प्राधिकारी द्वारा स्तर प्रमाण पत्र की मान्यता अस्वीकृत अथवा निलम्बित या रद्द की जा सकती है जो ऐसे प्रमाणपत्र जारी/नवीकृत करने के लिए सक्षम है :<br><br>(क) लगाए गए निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है ;<br>(ख) लाइसेंसों में रद्दोबदल ;<br>(ग) किसी लाइसेंस को प्राप्त करने में अन्यथार्थ विवरण देने या भ्रष्ट या छल कपट करने में एक पक्ष बनता है ;<br>(घ) विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम 1992 अथवा उसके अधीन बने नियमों या आदेशों का उल्लंधन करता है ; या<br>(ड.) विदेश व्यापार महानिदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है ; |
| | 3.4.1 | प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 3.4 पैराग्राफ के अधीन कोई कार्यवाही करने से पूर्व आवेदक या स्तर धारक को पर्याप्त अवसर दिया जाएगा । |
| अपील | 3.5 | जो आवेदक प्रमाण पत्र के निलम्बन या रद्द के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वह उक्त निर्णय की तारीख से 45 दिनों के भीतर महानिदेशक, विदेश व्यापार को अपील कर सकता है । इस महानिदेशक, विदेश व्यापार का निर्णय अन्तिम होगा । |

निर्यात संवर्धन परिषद

3.6 निर्यात संवर्धन परिषदों से संबंधित सामान्य नीति, नीति के अध्याय- 2 में दी गई है । निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डो की सूची और उत्पाद वर्ग परिशिष्ट-27 में दिया गया है ।

3.7 निर्यात संवर्धन परिषदों का मुख्य कार्य इस प्रकार है:-

(क) अपने सदस्यों को उनके निर्यात के विकास और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक उपयोगी सूचना और सहायता देना ;

(ख) तकनालॉजी में उन्नति, गुणवत्ता और डिजाइन में सुधार, मानक और विनिर्देशन, उत्पाद में विकास, नवीकरण आदि जैसे क्षेत्रों में अपने सदस्यों को व्यावसायिक सलाह देना ;

(ग) समुद्रपारीय बाजार अवरोध का पता लगाने के लिए अपने सदस्यों के शिष्टमण्डल के लिए विदेशी-दौरों का आयोजन करना ;

(घ) देश और विदेश में व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता विक्रेता बैठकों में भाग लेने की व्यवस्था करना ;

(ड.) केन्द्रीय ओर राज्य सरकार के स्तर पर और निर्यातक समुदाय और सरकार के बीच आपसी बातचीत को बढ़ावा देना ; और

(च) अपने सदस्यों को निर्यात और आयात के संबंध में डाटा बेस प्रदान करना ।

अलाभकारी स्वशासी और व्यावसायिक निकाय

3.8 निर्यात संवर्धन परिषदें, कम्पनी अधिनियम या सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, जैसा भी मामला हो, के अधीन पंजीकृत अलाभकारी संगठन है ।

3.9 निर्यात संवर्धन परिषदें स्वशासी होंगी और अपने सारे कार्य विनियमित करेंगी । तथापि, यदि केन्द्रीय सरकार निर्यात संवर्धन परिषंदों के संगठन और/अथवा व्यापार कारोबार के लिए समान उपनियम बनाती है तो वे ऐसे संशोधनों के साथ उससे अपनाएँगी जो केन्द्रीय सरकार ऐसे निर्यात संवर्धन परिषद के विशेष किस्म या कार्यप्रणाली को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित करती है ।

निर्यात संवर्धन परिषदों को व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने और विदेशों में विक्रय दल/प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए केन्द्रीय सरकार से मंजूरी अनुमति लेने की आवश्यकता

नहीं होगी।

भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रलाय/वस्त्र मंत्रालय जैसा भी मामला हो संबंधित परिषद की प्रबंध समिति के साथ वर्ष में दो बार बैठक करेगा, पहली बार उनके वार्षिक योजना और बजट के अनुमोदन के लिए और दूसरी बार उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा और मध्य वर्ष मूल्यांकन के लिए होगी ।

3.10 निर्यात की तीव्र गति को बढ़ाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि निर्यात संवर्धन परिषदें व्यावसायिक निकायों के रूप में कार्य करें । इस प्रयोजन के लिए वाणिज्य, प्रबंधन तथा अन्तर्राष्ट्रीय विपणन में व्यावसायिक अनुभव और सरकार को उद्योग में अनुभवी प्रशासकों को निर्यात संवर्धन परिषदों में लाना चाहिए ।

सरकारी सहायता

3.11 निर्यात संवर्धन परिषदों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाए ।

पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी

3.12 जो निर्यातक पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आर सी एम सी) प्राप्त करना चाहता है उसे आवेदन में अपने मुख्य व्यापार की घोषणा करनी होगी, यह आवेदन परिशिष्ट-27 के अनुसार उक्त व्यापार से संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी) को प्रस्तुत किया जाएगा । तथापि, एक स्तर धारक के पास भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ (फियो) से आर सी एम सी प्राप्त करने का विकल्प होगा।

सभी सेवा निर्यातकों (साफ्टवेयर सेवा निर्यातकों को छोड़कर) के लिए एफ आई ई ओ से आर.सी.एम.सी लेना आवश्यक है। जिन निर्यातकों का मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय उड़ीसा राज्य में है, उन्हें आरसीएमसी भुवनेश्वर स्थित फियो कार्यालय से प्राप्त करना होगा चाहे वे उत्पाद का निर्यात कर रहे हों या नहीं।

सेवा क्षेत्र को उचित सलाह देने और बढ़ावा देने के लिए लेवल सेवा क्षेत्र के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद गठित की जायेगी।

3.12.1 इसके अलावा, निर्यातक के सामने यह भी विकल्प रहेगा कि वह भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ या अन्य किसी निर्यात

संवर्धन परिषद् से आर सी एम सी प्राप्त कर सकता है यदि उसका निर्यात उत्पाद उन परिषदों के अन्तर्गत आता है। यदि निर्यात उत्पाद ऐसा है कि वह किसी ई पी सी के अन्तर्गत नहीं आता है तो इनके बारे में आर सी एम सी भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ द्वारा जारी किया जाएगा।

**पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र**

3.12.2 निर्यातक परिशिष्ट-4 में दिए गए आवेदन पर पंजीकृत हो सकता है निर्यात संवर्धन परिषद की सदस्यता स्वीकार हो जाने पर आवेदक को परिषद-4 (क) में दिए गए प्रपत्र में उसी समय संबंधित संवर्धन परिषद का पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र मंजूर किया जाएगा बशर्ते कि इस सम्बंध में यथा विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हो। यदि कोई निर्यातक विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकरण करना चाहता है तो उसे इस आशय का प्रमाण पेश करना होगा।

भावी/संभावित निर्यातक आवेदन करने पर पंजीकृत करा सकते हैं और निर्यात संवर्धन परिषद का संबंध सदस्य बन सकते है ।

**आर सी एम सी की वैधता अवधि**

3.12.3 लाइसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल से आर सी एम सी की वैधता मानी जाएगी जिसके तहत इसे जारी किया गया था, और यह 31 मार्च को समाप्त लाइसेंसिंग वर्ष से 5 वर्ष के लिए वैध होगा, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो ।

**संरचना में परिवर्तन के संबंध में सूचना**

3.12.4 किसी निर्यातक के मालिकाना, संरचना, नाम और पते में परिवर्तन होने के मामले में यह निर्यातक आर सी एम सी धारक के लिए अनिवार्य होगा कि वह ऐसे परिवर्तन की तिथि से एक महीने की अवधि में पंजीकरण प्राधिकारी को इस संबंध में सूचित करेगा। तथापि, गुण दोष के आधार पर पंजीकरण प्राधिकारी देरी को माफ कर सकते हैं ।

**रिटर्न प्रस्तुत करना**

3.13 निर्यातक अपने संचालन के क्षेत्र के अनुसार संबंधित प्राधिकारी को अपने निर्यात की विभिन्न आवश्यकताओं तिमाही रिटर्न/ब्यौरे प्रस्तुत करेगा। यह पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किन्हीं अन्य रिटर्न के अतिरिक्त होगी तथापि स्तर धारक फिओ द्वारा निर्धारित प्रपत्र में फिओ को तिमाही रिटर्न भी भेजेंगे।

**पंजीकरण**

3.14 पंजीकरण प्राधिकारी किसी आर सी एम सी धारक को पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर किसी विशिष्ट अवधि के लिए विपंजीकृत कर सकता है। आर सी एम सी धारक को विपंजीकृत करने से पूर्व पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा

| | | |
|---|---|---|
| | | उसे एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और इसे प्रस्तावित विपंजीकरण के विरूद प्रत्यावेदन देने के लिए उपयुक्त अवसर दिया जाएगा। विपंजीकरण होने पर संबधित निर्यात संवर्धन परिषद लाईसेंसिंग प्राधिकारियों को सूचित करेगा । |
| विपंजीकरण के विरूद अपील | 3.15 | यदि कोई आवेदक आर सी एम सी जारी करने से संबंधित मामलों में पंजीकरण प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह उक्त निर्णय के विरूद 45 दिन के भीतर महानिदेशक, विदेश व्यापार अथवा इस पक्ष में पदनामित अधिकारी को अपील कर सकता है और अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। |
| महानिदेशक, विदेश व्यापार के निर्देश | 3.16 | महानिदेशक, विदेश व्यापार पंजीकरण प्राधिकारी को किसी निर्यातक का पंजीकरण अथवा विपंजीकरण करने अन्यथा निर्देश दे सकते हैं तथा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों और आदेशों के प्रावधानों को लागू करने, नीति या इस प्रक्रिया पुस्तक से सम्बंधित अन्य निर्देश दे सकते हैं । |
| इलैक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेंज | 3.17 | विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस/अनुज्ञापत्र/प्रमाणपत्र प्राप्त करने में लेन-देन में समय और लागत को कम करने के उद्देश्य से लाइसेंस आवेदन की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग और प्रोसेसिंग को आरम्भ कर दिया गया है । |
| पात्रता | 3.17.1 | इलैक्ट्रानिंग फाइलिंग की सुविधा सभी निर्यातकों को उपलब्ध होगी । |
| प्रक्रिया | 3.17.2 | इस योजना के अन्तर्गत निर्यातक अपना आवेदन डी जी एफ टी के वैबसाइट http://www.nic.in/eximpol. पर फाइल कर सकता है। आवेदन तब संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा डाऊनलोड कर लिया जाएगा और लागू नियम और विनियमनों के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई कमी हो तो आवेदक को आनलाइन बता दिया जाएगा। आवेदक को आवेदन फीस सहित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन की मूल प्रति देने के लिए संबंधित कार्यालय जाना होगा। प्रक्रिया पुस्तक में यथानिर्धारित पूरी छानबीन के बाद उल्लिखित दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ प्राप्ति होने पर लाइसेंस जारी किया जाएगा । |
| लाभ | 3.17.3 | यह सुविधा विदेश व्यापार माहानिदेशालय के साथ गैर-जरूरी |

व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क को कम करेगी। इसे तीव्रगति से कार्यवाही होगी, कमियाँ यदि कोई हों उसकी सूचना शीघ्र प्राप्त हो जायेगी तथा आवेदन पर कार्यवाही करने की स्थिति ऑन-लाइन पर उपलब्ध होगी ।

3.17.4 इलैक्ट्रानिकली रूप से जारी लाइसेंस सीमाशुल्क को ई डी आई मोड के माध्यम से भेजा जाएगा। चूंकि सीमाशुल्क द्वारा सत्यापन इलैक्ट्रानिकल रुप में किया जायेगा इसलिए क्लीयरेंस की अनुमति देने से पूर्व लाइसेंसों के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

3.18 (क) भारत से सेवित स्कीम हेतु नीति को विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में विस्तार उल्लेख किया गया है ।

(ख) शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र हेतु अकेला समेकित आवेदन परिशिष्ट 36 क् के अनुसार कम्पनी के मामले मे अधिकार क्षेत्रिय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास क्षेत्रिय कार्यालय और अन्यों के मामले में मुख्यालय में प्रस्तुत करना होगा 1

(ग) जहां आवेदक शाखा कार्यालय अथवा सेवा प्रदायक का अलग अलग युनिटें हैं, वह ( 1 ) कोई भी वैध दस्तावेजी प्रमाण की स्व - सत्यापित प्रति जैसी कि कर - विवरणिका आदि प्रस्तुत करेंगे जहां शाखा / युनिटों का नाम दिया गया है और (ii) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा फर्म के मुख्यालय से एक प्राधिकृत पत्र जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया हो कि पंजीकृत / मुख्यालय अथवा इसकी शाखाओं और यूनिटों को नीति के किसी भी प्रावधान के तहत उन्हें आयात / निर्यात हेतु चूककर्ता अथवा अन्यथा कुपात्र घोषित न किया गया हो 1

(घ) प्रत्येक शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र हेतु न्यूनतम 5 लाख रूपए मूल्य के आंशिक प्रमाणपत्र अथवा उतने मूल्य के अलग अलग प्रमाणपत्र भी जारी किए जा सकते हैं 1 तथापि आंशिक प्रमाणपत्रों ( पत्रों ) को जारी करने हेतु अनुरोध केवल आवेदन के समय किया जा सकता है और उस पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा । शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र सामान्यत : केवल पंजीकरण के एक पत्तन पर ही जारी किए जाएंगे । तथापि, आवेदक प्रत्येक आंशिक प्रमाणपत्र हेतु पंजीकरण के विभिन्न पत्तनों हेतु चुनाव कर सकता है ।

(ड) सीधे आयात के बदले में स्वदेशी स्त्रोतों / राज्य व्यापार उघमों से मद ( मदों ) को खरीदनें का इरादा रखने वाले प्रमाणपत्र धारक के पास अग्रिम रिलीज आदेश (ए आर ओ ) अथवा रददीकरण पत्र के मुददे जैसा भी मामला हो , प्राप्त करने का विकल्प होगा , जिसे विदेशी मुद्रा / भारतीय रूपयों में मूल्यांकित किया जाएगा ।

(च) हकदारी को विदेश व्यापार नीति के पॅरा 2.28 के प्रावधान तथा निजी/सार्वजनिक बांडेउ गोदामों के संध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना की शर्तों की पूर्ति के मद्दे निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों से आयात हेतु प्रयोग किया जा सकता है।

(छ) शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र 24 महीनों की अवधि हेतु वैध होगा। सेवा प्रदायक किएगए आयातों को पूरा करने के एक महीने के भीतर अथवा शुल्क क्रेउट हकदारी प्रमाणपत्र की अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहिले हो, परिशिष्ट-36ख के अनुसार प्रमाणपत्र के तहत किए गए आयातों की विवरणिका क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसकी एक प्रति क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तु करेगा जिसकी एक प्रति क्षेत्राधिकारी उत्पाद शुल्क प्राधिकारी (सेवा कर प्रकोष्ठ को देगा।)

(ज) इस सकीम के तहत सभी आवेदक जो (1 स्टार और उससे अधिक, हेरिटेज होटल) तथा विशिष्ट रेस्टोरेंट हैं यह सुनिश्चित करेंगे कि वे शुल्क क्रेडिट हकदारी का पूरा फायदा उपभोक्ता को देंगे।

इसकी पुष्टि "स्तर धारकों हेतु शुल्क क्रेडिट हकदारी की प्रयुक्ति का विवरण" से संबंधित परिशिष्ट-36ख के अनुलग्नक-1 के अनुसार एक प्रमाणपत्र की प्रस्तुति से होगी जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

(झ) केवल वह वेदशी मुद्रा प्राप्तियां जैसे कि सेवा निर्यातक द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के बदले में कमाई गयीं रकमों को इस स्कीम के तहत हकदारी की गणना हेतु गिना जाएगा।

विदेशी मुदा अर्जनों के अन्य स्रोतों जैसे कि इक्विटी अथवा ऋण भागीदारी, चंदे, कर्जों का पुनः भुगतान तथा प्रदान की गयी सेवा से असम्बद्ध विदेशी मुद्रा की अन्य आवक।

| | | |
|---|---|---|
| विशेष कृषि उपज योजना | 3.19 | विशेष कृषि उपज योजना से संबधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 में दी गयी है।<br><br>इस स्कीम के तहत निर्यातों हेतु निम्नलिखित मार्ग निर्देश लागू होंगे:-<br><br>(क) सीधे साथ-साथ तीसरे पक्ष के द्वारा निर्यातों हेतु, निर्यात दस्तावेज यानी निर्यात आदेश, बीजक, जी आर फार्म, बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र केवल आवेदक के नाम में होना चाहिए।<br>(ख) शुल्क क्रेडिट को निवेशों अथवा पूंजीगत माल समेत माल के आयात हेतु, यथा अधिसूचित, प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि वह आई टी सी (एचएस) के तहत मुक्त रूप से आयातीय हो।<br>(ग) शुल्क क्रेडिट प्रमाणपत्र 24 महीनों की अवधि हेतु वैध होगा।<br><br>स्कीम हेतु विस्तृत मार्गनिर्देश और प्रक्रिया अधिसूचित की जाएगी। |

# अध्याय-चार

## शुल्क मुक्त/वापसी स्कीम

नीति 4.1 नीति के अध्याय-4 में शुल्क मुक्त/शुल्क छूट संबंधी नीति दी गई है।

सामान्य प्रावधान 4.2 अग्रिम लाइसेंस वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम लाइसेंस डी एफ आर सी/डी ई पी बी हेतु आवेदन, पात्र निर्यातक के पंजीकृत कार्यालय अथवा मुख्यालय अथवा शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को किया जा सकता है ।

4.3 जहाँ निर्यातक का शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट (यूनिटें) आवेदक है, यह प्रस्तुत करेगा (क) जहाँ शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट का नाम दिया गया है, वहाँ वैध आर सी एम सी और (ख) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा फर्म के मुख्यालय से इस आशय का प्राधिकृत पत्र, जिसमें पंजीकृत/मुख्यालय अथवा इसकी किसी शाखा और विनिर्माण यूनिट को चूककर्ता घोषित कर दिया गया है अथवा नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात हेतु अन्यथ अपात्र घोषित कर दिया गया है तथापि यह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए आवेदनों पर लागू नहीं होगा तथापि इलैक्ट्रानिक माध्यम से भेजे जाने वाले आवेदनों हेतु यह घोषणा आवश्यक नहीं हैं।

अग्रिम लाइसेंस 4.4 जहाँ मानक निवेश उत्पादन मानदण्ड प्रकाशित कर दिए गए हैं, परिशिष्ट-10ख में दिए प्रपत्र में आवेदन सहित निर्धारित दस्तावेज, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएँगे ।

4.4.1 स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों तथ इनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के मामले में, मात्रा, अपशिष्ट तथा मूल्य संवर्धन मानदण्ड नीति के अध्याय 4 तथा इस अध्याय के अनुसार होंगे ।

4.4.2 उन मामलों में, जहां मानदण्ड प्रकाशित नहीं किए गए हैं, मानदंडों के निर्धारण के लिए परिशिष्ट - 10ख (अनुलग्नक 1 सहित) में दिए गए प्रपत्र में निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन का ए एल सी को प्रस्तुत करना होगा । ऐसे मामलों में, आवेदन की मूल प्रति के साथ् निर्धारित शुल्क संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को देना होगा जिसकी एक स्व सत्यापित प्रति ए एल सी को देनी होगी ।

ऐसे मामलों में ए एल सी की सिफारिश के आधार पर आर एल ए द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएँगे ।

कमेटी निवेश-उत्पादन मानदंडों हेतु सिफारिशी प्राधिकारी के तौर पर भी कार्य करेगी। अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार महानिदेशक, विदेश व्यापार इन मानदंडों को अधिसूचित करेंगे।

4.4.3 ऐसे आवेदन पत्र, जहाँ आयात के लिए निविष्टि के रूप में ऐसेटिक एनहाइड्राइड इफेड्रिन और स्यूडो इफेड्रिन की अपेक्षा है, ऐसे मामलों में जहाँ मानदण्ड निर्धारित नहीं है वे संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार के पास प्रस्तुत की जाएँगी तथापि, केवल संबंधित जोनल संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार के अनुमोदन से क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएँगे ।

ऐसे आवेदनों की प्रतियाँ भारत के औषध नियंत्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली, स्थापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरों, ग्वालियर और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित जोनल निदेशक को भी पृष्ठांकित करनी होगी जिसके साथ यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक रिकार्डो का रखरखाव करेगा और निर्धारित रिकार्ड/विवरणियाँ भी प्रस्तुत करेगा ।

4.4.4 लाइसेंसिंग प्राधिकरी जब एसेटिक एनहाईड्राइड, इफेड्राइन और स्यूडो इफेड्रिन के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी करेगा तो वह यह शत्र पृष्ठांकित करेंगे कि आयात करने से पूर्व, भारत के स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और उसकी एक प्रति औषध नियंत्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली और संबंधित स्वापक ब्यूरो के क्षेत्रीय निदेशक को भी पृष्ठांकित करेगा ।

**अधिक यूनिटों वाले आवेदकों हेतु अग्रिम लाइसेंस**

4.5 अधिक यूनिटों वाली कम्पनियों के मामले में अग्रिम लाइसेंस जारी करते समय आरएलए को कम्पनी की यूनिट विशेष हेतु आयातित सामग्री के प्रयोग को पृष्ठांकित करना होगा तथा इस स्पष्ट समझौते के साथ कि ऐसे स्थानांतरित निवेशों पर सेनवैट के लाभ का दावा नहीं किया जाएगा, कंपनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से किसी भी सामग्री की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को स्थानांतरित किया जा सकता है ।

**निःशुल्क और भुगतान किए गए माल हेतु अग्रिम लाइसेंस**

4.6 एग्जिम नीति के पैरा 4.1.6 के अनुसार निर्यातक नीति के पैरा 4.1.1 में उल्लिखित मदों के आयात हेतु अग्रिम लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकता है, जिनमें से कुछ निशुल्क सप्लाई की गई हों जबकि अन्य को लागत आधार पर आयात किया जा सकता है ।

ऐसे मामलों में अग्रिम लाइसेंस के विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति पर विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा जिसमें निःशुल्क सप्लाई किए गए माल के प्रति शुल्क वापसी की अनुमति नहीं दिया जाएगा । सभी आयातित निवेशों को वेस्टेज के अलावा उत्पाद के विनियोग में प्रयुक्त किया जाएगा ।

ऐसे अग्रिम लाइसेंसों के मामले में मूल्य संवर्धन की गणना, आयातों के लागत बीमाभाड़ा मूल्य तथा निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, दोनों में निःशुल्क माल के नोशनल मूल्य को जोड़कर किया जाएगा ।

**जहाँ मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड विद्यमान नहीं है वहाँ स्वघोषित लाइसेंस**

4.7 जहाँ मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड निर्धारित नहीं किए जाते हैं,वहाँ ए एल सी द्वारा निर्धारित तदर्थ/मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्डों के अनुसार अंतिम समायोजन के लिए आवेदक के स्वघोषणा और वचनबद्धता के आधार पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी अग्रिम लाइसेंस भी जारी कर सकता है । तथापि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा पैरा-4.7 के तहत जानवर के सींग, खुर या अन्य किसी अंग अथवा किसी अन्य मद हेतु अग्रिम लाइसेंसिंग समिति के निर्णय के अनुसार अग्रिम लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

**हकदारी**

4.7.1 एक या अधिक ऐसे लाइसेंसों के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 50 लाख रुपये पिछले वर्ष के निर्यात/आपूर्ति का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य और/अथवा रेल पर्यन्त शुल्क मूल्य का 100 प्रतिशत होना चाहिए जो भी ज्यादा है । तथापि निर्यात सदन/ व्यापार सदन/ स्टार व्यापार सदन/ सुपर स्टार व्यापार सदन विगत वर्ष के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 200 प्रतिशत तक के एक या एक से अधिक लाइसेंसें का दावा कर सकते हैं ।

तथापि, उन मामलों में जहाँ एएलसी ने पैरा 4.7 के तहत प्राप्त लाइसेंस के संबंध में उसी निर्यात आयात उत्पाद हेतु मानदंडों को पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है, ऐसे मानदंड अनुमोदन की तारीख से छह महीनों की अवधि हेतु वैध होंगे ।

ऐसे मामलों में लाइसेंसधारक एएलसी द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार और अधिक लाइसेंसों हेतु पात्र होगा और एएलसी द्वारा बाद में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसे मामलों में आवेदक तदर्थ मानदंड निर्धारित श्रेणी के तहत आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

" तदर्थ मानदंड निर्धारित " श्रेणी के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किए जाएँगे तथा ऐसे मामलों में आवेदन प्रतियाँ मानदंडों के निर्धारण/ अनुमोदन हेतु एएलसी को भेजने की जरूरत नहीं होगी ।

4.7.2 ए एल सी द्वारा मानदण्ड निर्धारित करने के बाद उप-पैरा 4.7.1 में उल्लिखित मूल्य सीमाएँ, इस पैरा के तहत जारी अग्रिम लाइसेंसों पर लागू नहीं होंगा। ऐसे लाइसेंस, ए एल सी द्वारा मानदण्डों के निर्धारण के बाद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्णित अथवा मूल रूप से आवेदित मूल्य तक बढ़ाया जा सकता है।

**हकदारी से अधिक लाइसेंस**

4.7.3 नए आवेदक समेत, आवेदक सीमाशुल्क से छूट का लाभ उठाने हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारी को 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी प्रस्तुत करके पैरा ख 4.7.1 में उल्लिखित हकदारी के अलावा उस पैरा के तहत लाइसेंस हेतु हकदार होगा । लाइसेंस पर इस आशय का विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा ।

4.7.4 निर्धारित दस्तावेजों सहित मूल आवेदन पत्र संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । लाइसेंसिंग प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर, मानदण्डों के निर्धारण के लिए एस ए एल सी को आवेदन पत्र की एक प्रति 7 दिनों में भेजेगा ।

4.7.5 आवेदक यह वचनबद्धता देगा कि वह ए एल सी द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करेगा तथा तदनुसार ए एल सी द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उपयोग में न लाए गए निविष्टियों पर 15 प्रतिशत ब्याज के साथ शुल्क का भुगतान करेगा ।

4.7.6 ऐसे मामलों में, जहाँ एस ए एल सी द्वारा लाइसेंस जारी होने की तारीख से 6 माह के भीतर मानदण्डों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है वहाँ यथा आवेदित मानदण्डों को अंतिम मानां जाएगा और कोई समायोजन नहीं किया जाएगा । तथापि, जिन मामलों में अपेक्षित दस्तावेज सूचना न करने के कारण तदर्थ/मानक मानदण्डों के निर्धारण के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, वहाँ लाइसेंसधारी को अर्थदण्ड देना होगा। लाइसेसिंग प्राधिकारी में विर्निदिष्ट शर्तों के मद्दे मुख्य ठेकेदार अथवा उप-ठेकेदार को विशेष अग्रदाय लाइसेंस जारी कर सकता है। ए एल सी द्वारा मानदंडों के निर्धारण से पूर्व पूरे किए गए निर्यात दायित्व के मामलों में, पैराग्राफ 4.7.1 में यथा उल्लिखित लाइसेंस की हकदारी विगत लाइसेंसों के संबंध में निर्यात दायित्व की पूर्ति और विदेशी मुद्रा की वसूली दर्शाने वाले दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर पुनः उनके खाते में डाली जाएगी । तथापि, ऐसे मामलों में मानदंडों के निर्धारित होने तक बांड मुक्त करने/बांड निष्क्रीत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

वित्तीय शक्तियाँ 4.8 लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ए.एल.सी. की वित्तीय शक्तियाँ नीचे सारणी में दी गयी हैं :-

| आवेदन की श्रेणी | प्रकाशित मानदण्डों और इस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.7 के तहत | | | |
|---|---|---|---|---|
| | क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी | | ए एल सी के सिफारिश पर क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी | |
| | पेट्रोलियम/तेल रसायन उत्पाद और वार्षिक आवश्यकताओं हेतु अग्रिम लाइसेंस | अन्य | पेट्रोलियम/तेल रसायन उत्पाद और वार्षिक आवश्यकताओं हेतु अग्रिम लाइसेंस | अन्य |
| लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य | 500 करोड़ रुपये तक | 100 करोड़ रुपये तक | 500 करोड़ रुपये या अधिक | 100 करोड़ रुपये या अधिक |

तदर्थ मानदण्डों का मानकीकरण 4.9 मानदण्डों के मानकीकरण के लिए, सहायक विनिर्माता से जुड़े व्यापार-निर्यातक अथवा विनिर्माता निर्यातक द्वारा बाकायदा सम्पूर्ण आंकड़ों सहित आवेदन किया जा सकता है । ऐसे आवेदन परिशिष्ट 10 में दिए प्रपत्र में अग्रिम लाइसेंसिंग समिति (ए एल सी) को किए जा सकते हैं ।

ए एल सी द्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत भी ईंधन के आयात की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :-

(क) ईंधन के आयात की सुविधा केवल कैप्टिव पावर प्लांट वाले विनिर्माताओं को दी जायेगी।

(ख) उन मामलों में जहाँ ईंधन की विशिष्ट तौर पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत अनुमति है, उसे अग्रिम लाइसेंस के तहत अनुमति दी जाएगी विकल्पतः मानक निविष्ट उत्पादन मानदण्डों के तहत आने वाले उत्पादों के लिए सामान्य ईंधन नीति के अनुसार ईंधन की अनुमति दी जाएगी या पैरा 4.7 के अंतर्गत अथवा तदर्थ मानदण्डों के तहत अनुमति दी जाएगी ।

(ग) ईंधन को केवल वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंस के प्रति अनुमति होनी चाहिए।

(घ) जहाँ कहीं ईंधन को मानक निवेश उत्पादन मानदण्ड के तहत शामिल किया गया हो परिणामी उत्पाद हेतु डी ई पी बी दर निर्धारित करते समय इससे ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जिसके प्रति ईंधन को निवेश के तौर पर अनुमति दी गई है ।

(ड.) नये क्षेत्रों के लिए ईधन हकदारी के निर्धारण के लिए तथा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) में ईधन के सामान्य टिप्पणी के अनुसार मौजूदा हकदारी के संशोधन के लिए आवेदन, "ईधन दरं के लिए डाटा शीट" से सम्बन्धित परिशिष्ट 10 ज में अपेक्षित डाटा सहित अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को किया जाएगा। अग्रिम लाइसेंस धारक जो देशी स्वदेशी रुप से ईधंन प्राप्त करना चाहते हैं वे अग्रिम मुक्त आदेश अथवा बैक टू बैक अन्दरदेशीय साखपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ईधन आपूर्ति करने वाले देशी संभरक, नीति के पैराग्राफ 8.3(क), (ख) और (ग) में दिए गए मान्य निर्यात लाभों के हकदार होंगे। यदि देशी संभरक अग्रिम लाइसेंसधारक को ऐसी ईधन आपूर्तियों के तहत मान्य निर्यात लाभों को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं हो तो वह उसे एक डिस क्लेमर जारी कर सकता है जिसके आधार पर प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अनुसार अग्रिम लाइसेंस धारक मान्य निर्यात लाभों को प्राप्त कर सकता है।

**मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड का संशोधन**

4.10 सहायक विनिर्माता जुड़े विनिर्माता और व्यापार-निर्यातक द्वारा ए एल सी के परिशिष्ट - 10 में दिए प्रपत्र में मानक निविष्टि-उत्पाद मानकों में संशोधन के लिए आवेदन करेगा।

**निर्यात मद का संशोधन**

4.10.क सिओन के अन्तर्गत निर्यात मद अथवा निवेशों के परिवर्तन हेतु कोई भी विनिर्माता अथवा व्यापारी निर्यातक प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-10 ट के अनुसार आवेदन कर सकता है।

आवेदन को संशोधन हेतु औचित्य भी बताना होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय कार्यालय प्रमुख के विशेष अनुमोदन के साथ भेजेगा।

तथापि, तदर्थ मानदंडों अथवा स्व-घोषणा के तहत अग्रिम लाइसेंसों हेतु इस संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

**अग्रिम लाइसेंस का विवरण**

4.11 अग्रिम लाइसेंस में निम्नलिखित को विर्निदिष्ट किया जायेगा।

(क) आयात-निर्यात/आपूर्ति की जानेवाली मदों का नाम और विवरण

(ख) आयात की जानेवाली प्रत्येक मद की मात्रा अथवा जहां कहीं मात्रा नहीं बताई जा सकती मद का मूल्य बताया जाएगा। तथापि यदि मानक निवेश उत्पादन मानदंड में संबंधित निवेशों की मात्रा और मूल्य सीमित कारक है तो वह स्वीकार्य होगा।

(ग) आयातों का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य और

(ध) निर्यात/आपूर्तियों का पोत पर्यन्त मूल्य/रेल पर्यन्त मूल्य और मात्रा।

| | | |
|---|---|---|
| लाइसेंस की प्रत्याशा मे निर्यात | 4.12 | लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से किए गए निर्यात/ आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकार की जाएंगी । यदि आवेदन अनुमादित हो तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख को प्रभावी निवेश/उत्पादन मानदंडों के आधार पर लाइसेंस जारी किया जायेगा जो कि मानदंडों में किसी भी संशोधन के अधिसूचित होने तक किए गए अन्तरिम निर्यात/आपूर्तियों के अनुपात में होगा। निर्यात के शेष हिस्से के लिए लाइसेंस के जारी होने की तारीख को प्रभावी नीति/प्रक्रिया लागू होगी। |
| | 4.12.1 | अग्रिम लाइसेंस और वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम लाइसेंस मलने की प्रत्याशा में किए गए निर्यात/आपूर्तियों पूर्णतः निर्यातक की जिम्मेवारी और जोखिम होगी। |
| | 4.12.2 | लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा अग्रिम लाइसेंस के आवेदन का मामला संशोधित अथवा अस्वीकृत होने की स्थिति में सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा शुल्क मुक्त शिपिंग बिलों से शुल्क वापसी बिलों में परिवर्तन की भी अनुमति दी जा सकती है। |
| टिप्पणी | : | अग्रिम लाइसेंस, जब तक अन्यथा उल्लिखित नहीं, का तात्पर्य है वास्तविक निर्यात/अन्तरवर्ती आपूर्ति/मान्य निर्यात हेतु अग्रिम लाइसेंस। |
| अन्तरवर्ती आपूर्तियों हेतु अग्रिम लाइसेंस अथवा डीएफआरसी | 4.13 | अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस अथवा डीएफआरसी की मंजूरी के लिए आवेदन, वास्तविक निर्यातों/मान्य निर्यातों अथवा डीएफआरसी के लिए अग्रिम लाइसेंसधारी निर्यातक के साथ प्रतिबंधित करार के आधार पर दिया जा सकता है । ऐसे अनुरोध पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।<br>अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस, अथवा डीएफआरसी अन्तरवर्ती निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई मदों के सीधे आयात के लिए लाइसेंस को अवैध घोषित करने के बाद जारी किया जाएगा । ऐसे मामलों में, लाइसेंस धारक को अवैधीकरण पत्र की एक प्रति दी जाएगी तथा उसकी एक प्रति मध्यवर्ती संभरक के साथ-साथ मध्यवर्ती संभरक के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी । ऐसे मामले में, लाइसेंसधारक के पास अग्रिम लाइसेंसधारक को वास्तविक निर्यात/मान्य निर्यात के लिए अन्तरवर्ती उत्पाद की आपूर्ति करने अथवा सीधे निर्यात करने का विकल्प होगा।<br>अग्रिम लाइसेंसधारी अन्तिम निर्यातक द्वारा मध्यवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस की सुविधा उन मामलों में भी उपलब्ध होगी जहाँ मध्यवर्ती आपूर्तिकर्त्ता ने निर्यात दायित्व पूरा करने पर सामग्री की आपूर्ति कर दी है या करना चाहता है। |
| अग्रिम रिलीज आदेश | 4.14 | स्वदेशी स्रोतों/राज्य व्यापार उद्यम से निविष्टियों की खरीद के लिए अग्रिम रिलीज आदेश (ए आर ओ) की मंजूरी के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा । |

4.14.1 आवेदन पत्र में (1) मद का नाम, विवरण और मात्रा, और (2) खरीद की जाने वाली मदों के अलग-अलग मूल्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। शुल्क मुक्त लाइसेंस को उल्लिखित मदों के सीधे आयात के लिए अवैध करने के बाद स्वदेशी स्पलायरों के नाम का उल्लेख किए बिना अग्रिम रिलीज आदेश जारी किया जाएगा । वास्तविक निर्यात/अन्तरवर्ती निर्यात/मान्य निर्यात/डीएफआरसी के लिए अग्रिम रिलीज आदेश, अग्रिम लाइसेंस के साथ अथवा बाद में जारी किया जा सकता है और इसकी वैधता अवधि वास्तविक निर्यात/अन्तरवर्ती निर्यात/मान्य निर्यात/डीएफआरसी के लिए अग्रिम लाइसेंस की वैधता की अवधि के साथ ही समाप्त होगी ।

अलग-अलग मद की खरीद के लिए जारी अग्रिम रिलीज आदेश स्वतः एक या अधिक स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए भी वैध होगा ।

बैक टू बैक अन्तरदेशी साखपत्र

4.15 निर्यातक बैंक से प्राप्त बैक टू बैक अन्तरदेशीय साख पत्र की सुविधा का बारी-बारी से लाभ उठा सकता है । अग्रिम लाइसेंसधारक और डीएफआरसी धारक स्वेदशी संभरक के पक्ष में अन्तरदेशीय (एल सी) साखपत्र खोलने हेतु बैंक के पास जा सकता है ।

4.15.1 एल.सी. खोलने से पूर्व, बैंक सुनिश्चित करेगा कि अग्रिम लाइसेंसधारक द्वारा आवश्यक बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन कर दया गया है तथा लाइसेंस पर उसका पृष्ठांकन कर दिया गया है ।

तथापि, डी एफ आर सी के प्रति बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता आवश्यक नहीं होगा । अन्तरदेशीय साखपत्र खोलने के बाद, बैंक वास्तविक निर्यात/मान्य निर्यात/डी एफ आर सी के लिए अग्रिम लाइसेंस के इक्सचेन्ज कन्ट्रोल और सीमाशुल्क की प्रति पर निम्नलिखित पृष्ठांकन करेगा:-

वास्तविक निर्यात/मान्य निर्यात/डी एफ आर सी हेतु अग्रिम लाइसेंस का मूल्य....................रुपये कम हो गया है क्योंकि लाइसेंसधारक ने मैसर्स......... (स्वदेशी आपूर्तिकर्ता का नाम और पता) के पक्ष में आज इतने ही मूल्य पर अन्तरदेशी साखपत्र संख्या .................खोल दिया है ।"

4.15.2 स्वदेशी प्राप्त की जा रही मद की पूर्ति, मात्रा और मूल्य के संबंध में केवल सीधी आयात हेतु बैंक द्वारा लाइसेंस को अवैध किया जायेगा।

4.15.3 बैंक द्वारा विनिमेय के लिए मूल साख पत्र रख लिया जाएगा तथा साखपत्र की केवल गैर-विनिमय प्रति स्वदेशी संभ्रक को दी जायेगी।

4.15.4 पृष्ठांकन करने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। जब लाइसेंसधारी बैंक से पृष्ठांकन के लिए अनुरोध करता है तो उसके द्वारा दिया गया कोई गलत विवरण या मिथ्या कथन के लिए बैंक जिम्मेवार नहीं होगा। स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के पक्ष में बैंक द्वारा खोला गया अन्तरदेशीय साख पत्र चाहे कुछ भी कारण हो रद्द नहीं किया जाएगा।

4.15.5 बैंक द्वारा विधिवत पृष्ठांकित अग्रिम लाइसेंस की फोटो प्रति सहित अन्तरदेशीय साख पत्र की गैर विनिमय प्रति मान्य निर्यात दावों के लिए पर्याप्त होंगी । तथापि डी एफ आर सी के मद्दे जारी साख पत्र नीति के पैरा 8.3 (ख) में निर्दिष्ट लाभ पाने का पात्र होंगें, जबकि अन्य श्रेणियों के साख पत्र नीति के पैरा 8.3 (ख) और (ग) में निर्दिष्ट लाभ पाने के पात्र होंगें।

4.15.6 जहाँ इस स्कीम के अधीन, निविष्ट के रूप में स्वर्ण/चाँदी का आयात अनुमेय है, वहाँ ऐसी स्वर्ण/चाँदी को इस कार्य के लिए जारी अग्रिम लाइसेंस के मद्दे आपूर्ति के लिए नीति के अध्याय-4 में उल्लिखित नामित एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है । सामग्री की आपूर्ति से पूर्व, नामित एजेंसियों, उपर्युक्त पैरा 4.15.1 में उल्लिखित प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगी।

**सह-विनिर्माताओं/जाबकर्त्ता की सुविधा**

4.16 आयातित माल लाइसेंसधारक या/जाबकर्ता सहायक विनिर्माता के किसी भी एकक में प्रयुक्त हो सकता है बशर्ते कि उसका पृष्ठांकन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लाइसेंस में किया गया है ।

तथापि, यदि लाइसेंसधारक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय के पास पंजीकृत है, तो क्षेत्रीय कायालय द्वारा लाइसेंस के पृष्ठांकन के बदले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय द्वारा जाबकर्ता के नामों को प्राप्त करने का विकल्प होगा । लाइसेंसधारी आयातित मदों और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा ।

**सह - लाइसेंसधारक की सुविधा**

4.17 यदि कोई आवेदक लाइसेंस में किसी विनिर्माता या जॉबर का नाम शामिल करवाना चाहता है तो उसे ऐसे पृष्ठांकन के लिए आवेदन करना चाहिए । तथापि, ऐसा पृष्ठांकन उन मामलों में आवश्यक होगा जहां अग्रिम लाइसेंस निर्यात से पहले आयात एक शर्त है और लाइसेंसधारी किसी अन्य विनिर्माता या जॉबर के माध्यम से सामग्री को संबंधित करवाना चाहता है ।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे पृष्ठांकन के बाद लाइसेंसधारी और सह-लाइसेंसधारी संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से निर्यात दायित्व का निष्पादन करने के जिम्मेदार होंगे । कोई सह-लाइसेंसी अपने नाम अथवा संयुक्त नामों पर माल का आयात कर सकता है । बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता भी उनके संयुक्त नाम से प्रस्तुत की जाएगी ।

| | | |
|---|---|---|
| बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति | 4.18 | लाइसेंस जारी करते समय, आवेदक द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को परिशिष्ट -10 ख में उल्लिखित फार्म में दी गई वचनवद्धता की स्वीकार्यता को अग्रिम लाइसेंस के पीछे पृष्ठांकित किया जाएगा। |
| टिप्पणी : | (क) | कोई आयात करने से पूर्व विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा करने पर कोई बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता देने की आवश्यकता नहीं होगी । कोई निर्यात करने से पूर्व निर्यात दायित्व की आंशिक पूर्ति करने के मामले में बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता उसी अनुपात में घटा दी जाएगी ।<br>लाइसेंसधारक संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को, जहाजरानी बिल की ई पी प्रति और निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र व निर्यात का विवरण जिसमें शिपिंग बिल के अनुसार शिपिंग बिल नम्बर, दिनाँक, शिपिंग बिल के अनुसार पोत पर्यन्त मूल्य का ब्यौरा दिया गया हो, और निर्यात उत्पाद के विवरण का निर्यात दायित्व की सम्पूर्ण अथवा आंशिक पूर्ति को प्रस्तुत करना होगा ।<br>तथापि, निर्यात कारोबार की प्राप्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा, यदि अपरिवर्तनीय साख पत्र अथवा इक्सचेन्ज के बिल पर बैंक द्वारा, बिना शर्त अवेलाइज्ड/सह-स्वीकार्यता/गारन्टी के मद्दे पोत लदान किया गया है और उसकी निर्यातक बैंक द्वारा पुष्टि की गई है। इन दोनों ही मामलों में इसका, परिशिष्ट 22 के कॉलम 14/15 में, बैंक द्वारा प्रमाणन किया जाएगा। |
| | (ख) | उन अग्रिम लाइसेंसों जिसमें "नो बैंक गारंटी एल यू टी" सूविधा दी गई हो, उनके मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी "नो बोंड प्रमाणपत्र" की प्रतिलिपि उसमें निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए ध्यान में रखे गए पोत लदान के संबंध में, शिपिंग बिल की संख्या, तारीख तथा शिपिंग बिल के अनुसार एफ ओ बी मूल्य और निर्यात उत्पाद के विवरण को दर्शाते हुए उसे संबंधित सीमाशुल्क जहाँ लाइसेंस पंजीकृत होना है को भेजेगा ।<br>ऐसे अग्रिम लाइसेंस में आयात अनुमत करने से पहले सीमाशुल्क "नो बॉड प्रमाणपत्र" में दिए गए निर्यात के विवरण की जाँच अपने रिकार्ड से करेंगे । |
| | (ग) | सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा बैंक गारण्टी/विधिक बचन बद्धता के निरस्तीकरण क्षेत्रीय लाइसेंसिंग कार्यालय द्वारा ई ओ डी सी/बाण्ड वेवर जारी करने के 30 दिन के अन्दर करना होगा । |

पंजीकरण का पत्तन

4.19 लाइसेंस और अग्रिम लाइसेंस नीचे विनिर्दिष्ट किसी एक बंदरगाह या वायुपत्तन अथवा आई सी डी एल सी सी के माध्यम से आयात और निर्यात के प्रयोजन के लिए जारी किया जाएगा लाइसेंसधारी लाइसेंस में विनिर्दिष्ट पत्तन के साथ लाइसेंस को पंजीकृत करेगा और उसके बाद उस लाइसेंस के प्रति सभी आयातों को तब तक केवल उसी पत्तन से करेगा जब तक कि वह उस पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी से किसी दूसरे विशिष्ट पत्तन के माध्यम से आयात करने की अनुमति नहीं ले लेता । तथापि, निर्यात किसी भी एक विनिर्दिष्ट पत्तन के माध्यम से किया जा सकता है।

समुद्र पत्तन: मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, काकीनाड़ा, कांदला, मंगलौर, मरमागाँव, चैन्नई, न्हासेवा, पाराद्वीप, पिपवाव, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापत्तनम, दहेज नागपत्तनम, ओखा, मुंद्रा और सूरत (मगडाला) और जामनगर

वायु पत्तन : अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कोलकाता, कोयम्बटूर एयर कार्गो परिसर, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, नागपुर और चेन्नई ।

आई सी डी: आगरा, बंगलौर, कोयम्बटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुवाहाटी (अमीनगाँव), गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुणे), पितमपुर(इंदौर), सूरत, तिरुपुर, वाराणसी, नासिक, रुद्रपुर (नैनीताल), दिघी(पूणे), बड़ोदरा, दौलताबाद (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), वलूज (औरंगाबाद), अनापार्थी, सलेम मल्लनपुर, सिंगनालूर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी, मदुरई, भीलवाड़ा, पाण्डिचेरी, गढ़ी हरसरु, भटिण्डाख् दप्पर, छेहराता (अमृतसर), करुर, मिराज और खाड़ी ।

एल सी एस: रानाधाट सिंहबाद और रक्सोल, जोगबनी, नवतनवा (सोनौली), पेटरापोल और महादीपुर

निम्नलिखित पत्तनों को आयात और निर्यात के प्रयोजनों के लिए एकल पत्तन माना जाएगा :

1. मुम्बई समुद्री पत्तन, हावा सेवा और मुम्बई वायु पत्तन
2. दिल्ली वायुयान और दिल्ली आई सी डी
3. कोलकाता समुद्री पत्तन, कोलकाता वायु पत्तन
4. चेन्नई वायु पत्तन और चेन्नई समुद्री पत्तन
5. बैंगलोर वायुपत्तन और बंगलौर आई सी डी
6. हैदराबाद वायुपत्तन और हैदराबाद आई सी डी

4.19.1 सार्वजनिक सूचना द्वारा अथवा लाइसेंसधारी के लिखित अनुरोध पर सीमाशुल्क आयुक्त, विशेष आदेश द्वारा और शर्तों के अधीन उपर्युक्त अन्य अतिरिक्त किसी पोत पत्तन/वायु पत्तन/आई सी डी या भूमि सीमाशुल्क स्टेशन से भी आयात-निर्यात की अनुमति दे सकता है ।

4.19.2 उन मामलों में, जहां लाइसेंस को लाइसेंस में निर्दिष्ट पत्तन पर पंजीकरण नहीं हुआ है और आयात नहीं हुआ है, तो पत्तन में परिवर्तन हेतु आवेदन पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा बशर्ते लाइसेंस विमुक्त न किया गया हो।

4.19.3 पंजीकरण पत्तन के अलावा किसी वायु पत्तन/पोत पत्तन/आई सी डी से आयात के लिए पंजीकरण के पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी को टेलीग्राफिक रिलीज आदेश भी जारी किया जाएगा ।

(क्लबिंग) मिलाने की सुविधा

4.20 सिर्फ मामलों की प्रतिपूर्ति/विनियमन के लिए मिलाने (क्लबिंग) की सुविधा उपलब्ध होगी और आगे कोई आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं होगी । इस सुविधा के लिए, समान सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत लाइसेंस जारी करने की आवश्यकता है ।

4.20.1 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जिनके कार्यक्षेत्र के अधीन लाइसेंस जारी किया गया है अथवा अन्य मामलों में ए एल ,सी एक से अधिक शुल्क मुक्त, अग्रिम लाइसेंस के आयात और निर्यात को मिलाने के अनुरोध पर भी विचार कर सकती है बशर्ते कि आयातित निवेश मानदण्डों के समान हो । वास्तविक निर्यातों के लिए एक अग्रिम लाइसेंस को अन्तरवर्ती आपूर्तियों अथवा मान्य निर्यातों के लिए अग्रिम लाइसेंसों और विलोमतः को नहीं मिलाया जा सकता। इसी प्रकार अन्तरवर्ती आपूर्तियों के लिए अगिम लाइसेंस को मान्य निर्यातों के लिए एक अग्रिम लाइसेंस से और विलोमतः नहीं मिलाया जा सकता । को मिलाना अथवा मान्य निर्यातों के लिए सभी अग्रिम लाइसेंसों को मिलाना । इसी प्रकार मिलाए गए लाइसेंसों का मूल्य संवर्धन अलग-अलग लाइसेंसों पर लागाए गए मूल्य संवर्धन का औसत होगा । मिलाने के बाद सभी प्रयोजनों के लिए इन लाइसेंसों को एक लाइसेंस माना जाएगा ।

4.20.2 इस योजना के तहत जारी वार्षिक आवश्यकताओं के लिए अग्रिम लाइसेंस सहित अग्रिम लाइसेंस की अलग-अलग श्रेणियों से संबंधित आयातों और निर्यातों के उत्तरदायित्व को प्रतिबंधित किया जाएगा ।

4.20.3 सिर्फ. लाइसेंस के लिए उपलब्ध सुविधा जहाँ निर्यात दायित्व के पूरा करने में कमी है और जो आयात के लिए वैध अग्रिम लाइसेंस के साथ जोड़ा जाना अपेक्षित है । निर्यात दायित्व की कमी के साथ व्ययगत लाइसेंस के लिए और आयात के लए वैध अग्रिम लाइसेंस के साथ जोड़े जाने के लिए आवेदक पैराग्राफ 4.22 के प्रावधानों क अनुसार निर्यात दायित्व की अवधि विस्तार के लिए संयोजन शुल्क अदा करेगा ।

4.20.4 ऐसे मामलों में, पहले लाइसेंस के जारी किए जाने के 36 महीने बाद किए गए निर्यातों, को मिलाने (क्लनिंग) पर विचार नहीं किया जाएगा ।

4.20.5 उपर्युक्त पैरा 4.20.4 के प्रावधानों के बावजूद, सभी व्यपगत लाइसेंसों को मिलाने की अनुमति दी जाएंगी बशर्ते सभ् व्यपगत लाइसेंस एक्जिम नीति 1997-2002 अर्थात 1 अप्रैल, 1997 से 31 मार्च, 2002 के मध्य जारी किए गए हों ।

**लाइसेंस के मूल्य में वृद्धि/कमी**

4.21 अग्रिम लाइसेंस के संबंध में, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी (उनकी वित्तीय शक्तियों के अनुसार), लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि/कमी के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसी वृद्धि के बाद मूल्य वृद्धि में अनुमानित न्यूनतम मूल्य वृद्धि से अधिक की कमी न आए तथा निविष्टि उत्पाद मानदण्डों और नीति जिसके अनुसार लाइसेंस जारी किया गया था, में कोई परिवर्तन नहीं आया हो ।

4.21.1 संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी (उनकी वित्तीय शक्तियों के अनुसार) किसी अग्रिम लाइसेंस के लागत-बीमा भाड़ा मूल्य, निविष्टि की मात्रा, निर्यात दायित्व का पोत पर्यन्त मूल्य तथा निर्यात की मात्रा में वृद्धि/गिरावट के अनुरोध पर भी विचार कर सकता है, बशर्तें कि निविष्टि उत्पाद, ऐसी वृद्धि के बाद मूल्य परिवर्धन अनुमानित न्यूनतम मूल्य परिवर्धन से कम न हो । में कोई परिवर्तन नहीं आया हो ।

| | | |
|---|---|---|
| | 4.21.2 | मूल्य और मात्रा में यथानुपातिक वृद्धि हेतु आवेदन निर्यात से पूर्व या बाद में किया जा सकता है । उन मामलों में जहाँ उक्त उत्पाद के निर्यात से पूर्व मानक निवेश उत्पादन मानदंडों में परिवर्तन किया गया हो, संशोधित मानक निवेश उत्पादन मानदंडों पर हकदारी की गणना करने के बाद यथानुपातिक वृद्धि प्रदान की जाएंगी । |
| वृद्धि के लिए आवेदन शुल्क | 4.21.3 | लाइसेंस के मूल्य में वद्धि /कमी के लिए, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 10च में आवेदन किया जाएगा ।<br><br>वृद्धि के लिए लगने वाले आवेदन शुल्क पर वास्तविक और अन्तिम लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अन्तर पर लगेगी ।<br>तथापि, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यदि लाइसेंस के मूल्य को कम किया जाए अथवा आवेदक ने अग्रिम लाइसेंस के लिए मूल आवेदन के साथ अधिकतम शुल्क क्रमशः 150,000 रुपये (व्यक्तिगत तौर पर आवेदन के लिए) और 75,000 रुपये (डिजिटली हस्ताक्षरित आवेदनों के लिए) जमा किए हैं । |
| निर्यात दायित्व अवधि और इसमें वृद्धि | 4.22 | अग्रिम लाइसेंस के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि लाइसेंस जारी करने की तारीख से आरम्भ होगी। आपूर्तियों के मामलों को छोड़कर 24 महीनों की अवधि के भीतर निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा, मान्य निर्यातों के लिए अग्रिम लाइसेंस/प्रोजेक्टों से अग्रिम लाइसेंस/भारत में टर्नकी प्रोजैक्ट/विदेशों में जहाँ प्रोजैक्ट निष्पादन की संविदा अवधि के दौरान निर्यात दायित्व पूरा किया जाए<br><br>तथापि, ड्रग्स क लिए अग्रिम लाइसेंसों के मामले में, जो एक विशिष्ट निर्यात आदेश के मद्दे जारी कियागया है औरपूर्व आयात शर्त के तहत निर्यात दायित्व की पूर्णावधि पहली खेप के आयात की तारीख से आरम्भ होगी और 6 महीने की अवधि क भ्तर पूरा किया जाएगा । |

4.22.1 निर्यात दायित्व में बढ़ोतरी हेतु आवेदन, परिशिष्ट-10 घ में दिए प्रपत्र के अनुसार किया जा सकता है । क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस पर मूल निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से छः महीनों की अवधि के लिए एक वृद्धि प्रदान करेगा बशर्ते लाइसेंस के अनुसार सभी अपूर्ण आयातित मदों पर बचाए गए शुल्क का 2 प्रतिशत भुगतान हो ।

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा छः महीने के और विस्तार के आवेदन पर विचार कियाजा सकता है बशर्ते कि लाइसेंस के अनुसार सभी अपूर्ण आयातित मदों पर आधारित शुल्क के 5 प्रतिशत संयोजन शुल्क का भुगतान है ।

तथापि 36 महीनों के बाद 48 महीनों की अवधि तक अग्रिम लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से या कंट्रेक्टेड प्रोजेक्ट की अवधि (मान्य निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस के मामले में) या इस कार्यालय द्वारा बढ़ाई अन्य किसी अवधि के व्यपगत होने पर बचाए गए शुल्क के 2 प्रतिशत प्रतिमाह के मिश्रित शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी ।

उपर्युक्त निर्यात दायित्व विस्तार के सभी तीन मामलों के लिए, उपयोग में न लाई गई सभी आयातित मदों पर बचाए गए शुल्क पर मिश्रित फीस लाइसेंसधारक द्वारा किए गए वास्तविक निर्यात और आयात के सन्दर्भ में परिकलित की जाएगी ।

तथापि, पूर्व मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों और वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस के मामले में ऐसे विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी इसके अलावा उन लाइसेंसों के संबंध में जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारियों की जानकारी में गलत बयानी/धोखाधड़ी देखने में आईहै, निर्यात दायित्व की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी । इसके अलावा उन लाइसेंसों के संबंध में जहाँ न्याय निर्णय आदेश पहले से ही जारी कर दिया गया है निर्यात दायित्व की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी ।

4.22.2 सीमाशुल्क प्राधिकारी निर्यात प्रेषण की अस्थायी निकासी की अनुमति दे सकता है जब लाइसेंस धारक संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निर्यात दायित्व बढाने के लिए आवेदन किया जाने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें बशर्ते कि पोतलदान लाइसेंस जारी करने की तारीख से 30 महीने के भीतर किए गए हों।

लाइसेंस का पुनर्वैधीकरण

4.23 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी मूल लाइसेंसधारी के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं और मूल लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से छः महीनें की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण कर सकते हैं । लाइसेंस के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन, परिशिष्ट-10छ में उल्लिखित फार्म में देना होगा ।

दायित्व की मानीटरिंग

4.24 लाइसेंसिंग प्राधिकारी, जिसके साथ अग्रिम लाइसेंसधारी द्वारा विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है, निर्यात दायित्व की मॉनीटरिंग करने के लिए वह एक मास्टर रजिस्टर में दायित्व प्रारंभ होने और समाप्त होने की तारीख और अन्य विवरणों का उचित रिकार्ड रखेगा।

दायित्व की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर लाइसेंसधारी, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.25 के अनुसार निर्यात दायित्व को पूरा करने के संबंध में अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

तथापि जहाँ शिपमेंट की विदेशी मुद्रा की वसूली के लिए छः महीने देय नहीं है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी निर्यातों के बैंक प्रमाण-पत्र को जमा न करने और वसूली के लिए कार्यवाही नहीं करेगा बशर्ते कि निर्यात दायित्व को पूरा करने के अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाए।

4.24.1 यदि निर्यात दायित्व को पूरा करने अथवा संबंधित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में लाइसेंसधारक असफल रहता है तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी आगे लाइसेंस देने की मनाही, लाइसेंस की शर्त तथा वचनबद्धता को लागू करने संबंधी कार्यवाही कर सकता है तथा नियमों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकता है ।

**वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस**

4.24 क (क) ऐसे लाइसेंसों के लिए पात्र निर्यातक लाइसेंसिंग प्राधिकारी को परिशिष्ट 10 झ में आवेदन कर सकते हैं जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक का विनिर्माण यूनिट स्थित है।

कम्पनी का मुख्यालय/ पंजीकृत कार्यालय भी विनिमाण यूनिट की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे मामलों में, मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय को उस कारखाने का पूरा पता बताना होगा जहाँ निर्यात के लिए परिणामी उत्पादों में निविष्टियों का प्रयोग किया जायेगा।

व्यापारी निर्यातकों के मामले में, आवेदन मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। सहायक विनिर्माता का नाम और पता इस लाइसेंस के साथ संलग्न शर्त शीट पर पृष्ठांकित किया जायेगा।

(ख) आवेदक लाइसेंस में उल्लिखित मदों के संबंध में किसी भी निविष्टि का आयात कर सकेगा। तथापि लाइसेंस धारक को इस संबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा निर्धारित सिओन/अलग अलग मानदण्डों के अनुसार निविष्टियों का हिसाब देना होगा। जिन निर्यात उत्पादों के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड मौजूद नहीं हैं उनके लिए लाइसेंसिंग समिति को निर्धारित दस्तावेजों सहित परिशिष्ट-10 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदक आवेदन के व्याख्या पत्र में वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस की संख्या और तारीख तथा जिस फाइल से उक्त लाइसेंस जारी किया गया था, उसकी संख्या भी लिखेगा।

जिन मामलों में लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान अग्रिम लाइसेंसिंग समिति द्वारा निर्धारित सिओन/अलग अलग मानदण्डों में परिवर्तन किया गया है, तो लाइसेंस धारक को संशोधन की तारीख से पहले किए संशोधन से पूर्व मानदण्डों के अनुसार किए गए निर्यात और संशोधित मानदण्डों के अनुसार संशोधन की तारीख को या उसके बाद किए गए निर्यात के संबंध में हिसाब देना होगा।

(ग) आयात करते समय, लाइसेंस धारक आयात कॉलम में प्रविष्टि करने के लिए सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को विशिष्ट और तकनीकी विशेषताओं सहित निविष्टियों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा। लाइसेंस धारक आयातित निविष्टियों और परिणामी उत्पाद के बीच अंतर्संबंध रखेगा।

(घ) आवेदक निर्यात उत्पाद समूह, लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य और निर्यात दायित्व के पोतपर्यन्त निशुल्क मूल्य का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। तथापि, छूट प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करने वाले निर्यात उत्पाद समूह के अन्तर्गत आने वाले किसी उत्पाद का निर्यात करने का लाइसेंसधारक को लचीलापन प्राप्त होगा

(ड.) जारी किए जाने की तारीख से लाइसेंस आयात के लिए 18 महीनों और निर्यात के लिए 24 महीनों हेतु वैद्य होगा। प्रत्येक लाइसेंस के लिए आयात हेतु पंजीकरण का एक पत्तन निश्चित है। निर्यात पैराग्राफ 4.19 में उल्लिखित किसी भी पत्तन से किया जा सकता है।
क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी मूल लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए पुनः वैधीकरण करने के लिए लाइसेंसधारक के अनुरोध पर विचार कर सकता है । क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा इससे आगे अवधि बढाने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.22 और 4.22.1 के अनुसार निर्यात दायित्व की अवधि भी बढ़ा सकता है बशर्ते निर्धारित मिश्रित शुल्क का भुगतान किया जाए । निर्यात दायित्व की अवधि की मूल निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

लाइसेंस के पुनः वैधीकरण और/अथवा निर्यात दायित्व अवधि के विस्तार के लिए आवेदन परिशिष्ट 10छ में दिए गए प्रपत्र में किया जाएगा।

(च) पात्रता के भीतर, निर्यातक किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक या अधिक लाइसेंसों के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते पंजीकरण के एक पत्तन के मद्दे, केवल एक लाइसेंस जारी किया जा सकता है ।
एक अथवा अधिक लाइसेंसों के प्रति निर्यात दायित्व पूरा होने पर निर्यातक की हकदारी, लाइसेसों के मद्दे निर्यात दायित्व पूरा होने के बराबर राशि जितना पुनः जीवित मान लिया जाएगा।

(छ) 24 महीनों की अवधि समाप्त होने पर लाइसेंस धारक पैराग्राफ 4.25 में विर्निदिष्ट दस्तावेजों को प्रस्तुत करके निर्यात दायित्व पूर्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। निर्यात दायित्व की पूर्ति में वास्तविक चूक के मामले में लाइसेंस धारक पैरा 4.28 के अनुसार विनिमयन हेतु आवेदन कर सकता है।

4.24 (ख) पैराग्राफ 4.24क में निहित उपबंध "अन्तरवर्ती आपूर्तियों के लिए वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम लइसेंस" पर ही लागू होंगे जहाँ तक ये निम्नलिखित से असंबद्ध न हो ।

"अन्तरवर्ती आपूर्तियों के लिए वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम लाइसेंस" की सुविधा उन मामलों के लिए उपलब्ध है जहाँ अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्त्ता वास्तविक निर्यातों/मान्य निर्यातों के लिए अग्रिम लाइसेंसधारकों को जारी अवैधीकरण पत्रों के मद्दे सामग्री की आपूर्ति करना चाहता है । ऐसे मामलों में, अवैधीकरण, अन्तरवर्ती विनिर्माता द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मदों के सीधे आयात के लिए लाइसेंस को अवैध बनाता है, की एक प्रति लाइसेंसधारक को दी जाए और इसकी एक प्रति अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्त्ता और अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्त्ता के लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजी जाएगी ।

इसके अलावा अवैधीकरण पत्रों में "अन्तरवर्ती आपूर्तियों के लिए वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम लाइसेंस" का लाइसेंस नम्बर और तारीख भी होनी चाहिए ताकि अवैधीकरण पत्रों को ठीक ढंग से गिना जा सके । लाइसेंस को बन्द करने के प्रयोजन के लिए इन्हें अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्त्ता द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजा जाएगा ।

**निर्यात दायित्व की पूर्ति**

4.25 लाइसेंसधारक, निर्यात दायित्व की पूर्ति के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

वास्तविक निर्यातों के लिए :-

(1) परिशिष्ट-22 में दिए गए फार्म में "निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र या दस्तातेजों के सीधे लेन देन के मामले में (एफ आई आर सी)अथक निर्यात आय को अप्रभावी करने के मामले में परिशिष्ट 22ख

(2) तथापि, निर्यात आय की प्राप्ति पर बल नहीं दिया जायेगा। यदि कर्ज के पुष्ट अपरिवर्तनीय पत्र के प्रति पोतलदान दिए गए हैं तथा बैंक द्वारा परिशिष्ट 22 के कालम 14/15 के अनुसार सत्यापित किया गया हो।

शिपिंग बिल की ई पी प्रतियाँ जिनमें किए गए पोतलदान के विवरण दिए गए हो।

(3) पोतलदान बिलवार निर्यातों का ब्यौरा देते हुए निर्यातों का विवरण जिसमें शिपिंग बिल संख्या, तारीख, जहाज प्रयन्त निःशुल्क मूल्य और निर्यात उत्पाद का ब्यौरा हो ।

(4) बिल में प्रविष्टि अनुसार, निर्यात की मदें, निर्यात की मात्रा और उनके लागत बीमा भाड़ा मूल्य सहित निर्यात का विवरण दें।

मान्य निर्यातों के लिए

(1) बीजक की एक प्रति या बीजक की एक विवरणी जो सामग्री प्राप्त करने वाले यूनिट (एकक) द्वारा हस्ताक्षरित हो और उनके क्षेत्राधिकारी/ उत्पाद प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित मदों क आपूर्ति, उनकी मात्रा, मूल्य और ऐसी आपूर्ति की तिथि को दर्शाने वाली एक प्रति ।

तथापि उन मदों की प्रतिपूर्ति के मामले में जो उत्पाद शुल्क देय नहीं है या उत्पाद शुल्क देय मदें जिन्हें उत्पाद शुल्क देय नहीं उत्पादो की इकाई के रूप में तैयार किया गया है, प्रोजेक्ट प्राधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें आपूर्ति की मद, उसकी मात्रा और आपूर्ति की तारीख प्रमाणित करने वाली उनके अन्तर्गत क्षेत्राधिकार वाले उत्पाद प्राधिकारियों का उल्लेख हो।

उपरोक्त के बावजूद ई ओ यू/एस ई जेड को आपूर्ति के संबंध में, क्षेत्राधिकारिक उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा बकायदा हस्ताक्षरित ए आर ई-3 की एक प्रति जिसमें आपूर्ति की मद इसकी मात्रा,मूल्य तथा ए सी आपूर्ति की तारीख प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना होगा ।

(2) परिशिष्ट 12-क में दिए गए फार्म में परियोजना प्राधिकारी से भुगतान प्रमाण-पत्र इ ओ यू/ एस इ जेड/ ई एच पी टी/ एस टी पी की सप्लाई के लिए मध्यवर्ती आपूर्तियों/मान्य निर्यातों के अग्रिम लाइसेंस के मामले में सामान्य बैंकिंग चेनल के माध्यम से माल की प्राप्ति का बैंक प्रमाण का दस्तावेजी प्रमाण परिशिष्ट-22क में उल्लिखित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा ।

तथापि निर्यात आय की प्राप्तियों पर जोर नहीं दिया जायेगा यदि शिपमेंन्ट अपरिवर्तनीय शाख पत्र के विरूद्ध किए गए है तथा इन्हें परिशिष्ट 22क कालम 5/6/7 में प्रमाणित किया गया है ।

(3) आपूर्ति बीजकों के ब्यौरे तथा बीजक संख्या, दिनांक रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्य, बीजक के अनुसार और उत्पाद के विवरण सूचित करते हुए एक ब्यौरा प्रस्तुत करें ।

(4) निर्यात की मदें, निर्यात की मात्रा, और उनके लागत बीमा भाड़ा मूल्य सहित प्रविष्टिवार आयात का विवरण प्रस्तुत करें।

| | | |
|---|---|---|
| निष्क्रियता | 4.26 | यदि निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया हो तो लाइसेंसिंग प्राधिकारी मामले को विमुक्त कर देगा ।<br>निष्क्रियता के बाद, लाइसेंसिंग प्राधिकारी निष्क्रियता पत्र की एक प्रति जिसमें शिपिंग बिल संख्या, तिथि, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य जो कि भारतीय रूपये में शिपिंग बिल(बिलों) के अनुसार हो और निर्यात उत्पाद का विवरण पँजीकरण के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी को भेजेगा। वास्तविक निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस के मद्दे बैंक गारण्टी/ विधिक बचनबद्धता को पूरा करने से पूर्व, सीमाशुल्क प्राधिकारी अपने रिकार्ड के अनुसार विमुक्ति प्रमाणपत्र में दर्शाए निर्यात का ब्यौरा सत्यापित करेगा ।<br>तथापि इंटरमीडिएट लाइसेंस एवं मान्य निर्यात के लिए जारी अग्रिम लाइसेंस के मद्दे बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को पूरा करने से पूर्व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों से आपूर्ति का विवरण सत्यापित करवाएगा ।<br>सामान्यतः एल यू टी का निष्क्रीयकरण लाईसेंस धारक के किसी अनुपस्थिति, गलत घोषण और गलत तथ्यों को बार-बार प्रस्तुत करने पर सीमा शुल्क द्वारा की गई कार्रवाई से प्रभावित नहीं होगी। |
| 31.3.2004 तक जारी किए गए लाइसेंसो के लिए संक्रमण प्रबन्ध | 4.27 | 31.3.2004 तक जारी वार्षिक जरुरतों के लिए अग्रिम लाइसेंस सहित अग्रिम लाइसेंस प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर ई 2001) एवं प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का अध्याय-4 के अध्याय-7 में निहित शर्तों के अनुसार संचालित किए जाएंगें। केवल उस प्रावधान जो कि एकत्रन के विषय में है के बिना जो कि इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.20 के प्रावधानों द्वारा संचालित है ।<br><br>तथापि जिन मामलों में अप्रयुक्त माल पर सीमाशल्क देय है, वह उस पर 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय होगा । यह सुविधा सभी वास्तविक चूक अग्रिम लाइसेंस के विनियम के लंबित मामलों में लागू होगी भले ही इसके जारी होने के तारीख जिसमें अग्रिम लाइसेंस (वास्तविक निर्यातों के लिए अग्रिम लाइसेंस) वार्षिक अग्रिम लाइसेंस (वार्षिक अपेक्षा के लिए अगिमल लाइसेंस), मान्य निर्यातों के लिए अग्रिम लाइसेंस (स्पैशल इम्प्रैस्ट लाइसेंस), अन्तर्वर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस (अतर्वर्ती लाइसेंस) । |
| वास्तविक चूक का विनियमन | 4.28 | निर्यात दायित्व को पूरा करने में यदि वास्तविक चूक हो जाती है तो उस मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित तरीकों से विनियमन किया जा सकता है :-<br>(1) यदि निर्यात दायित्व मूल्य की शर्तों पर पूरा किया गया है लेकिन मात्रा की शर्तों के अनुसार उसमें कमी है तो लाइसेंसधारी को विनियमन के लिए |

(क) सीमा शुल्क प्राधिकारी की प्रतिवर्ष 15% ब्याज दर के साथ आयातित माल के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमा शुल्क देगा और

(ख) 'शीर्ष लेखा : 1453, विदेश व्यापार और निर्यात संबर्धन तथा लघुशीर्ष 102' बताते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखा में एक खजान रसीद के माध्यम से उपर्युक्त आयातित माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के समतुल्य राशि के 3% तथापि इस उप पैरा के प्रावधान लागू नहीं होंगें यदि आयात की तारीख को उपयुक्त आयातित माल मुक्त रूप से आयात योग्य हों।

(2) यदि निर्यात दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया है लेकिन मूल्य के अनुसार इस में कमी आ गई है तो लाइसेंस धारक पर साकारत्मक मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जुर्माना नही लगाया जायेगा। तथापि मूल्य वर्धन सकारात्मक से नीचे आ जाता है तो लाईसेंसधारी खजाना रसीद के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखा में मुख्य शीर्ष संख्या 1453 - विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन उप शीर्ष - 102 में प्रदर्शित करते हुए उस कमी के बराबर राशि जमा राशि का 100 गुणा और लागत बीमा भाड़ा मूल्य के ऊपर संयोजन मूल्य संवर्धन के लिए जहाज प्रर्यन्त निःशुल्क मूल्य भारतीय रूपये में साथ ही जमा करेगा।

इसकी गणना निर्यात की मात्रा ओर जहाज़ प्रयन्त निःशुल्क मूल्य तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य के संदर्भ में यथाअनुपात की जायेगी। उदाहरण के लिए यदि निर्यात निष्पादन मात्रावार केवल 50% है लेकिन आयात अनुमत पूर्ण लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिएहै तो मूल्यवर्धन की यिनुपात आधार पर गणना की जाएगी अर्थात आयात लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 50% होगी । तदनुसार उसका यह मतलब होगा कि जहाँ लाइसेंस धारक निर्यात निष्पादन करने में असमर्थ हो वहाँ मूल्यवार कमी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

(3) यदि निर्यात आभार की प्रतिपूर्ति मात्रात्मक और मूल्यात्मक दोनों ही शर्तों के अनुसार पूरा नहीं होता है तो लाइसेंस धारक ऊपर उल्लिखित ।1। और ।2। के अनुसार नियमितिकरण के लिए भुगतान करेगा।

(4) यदि निर्यातक, निर्यात दायित्व को पूर्ण रूप से पूरा रकने में असमर्थ है और उसने लाइसेंस के अधीन कोई आयात नहीं किया है तो लाइसेंसधारी के पास शिपिंग बिलों को शुल्क वापसी शिपिंग बिलों में परिवर्तित करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद शुल्क वापसी हेतु आवेदन करने और लाइसेंस रद्द करवाने का विकल्प होगा ।

| | | |
|---|---|---|
| जुर्माना, सीमाशुल्क आदि जमा कराने हेतु समय अवधि | 4.29 | बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को विनियमित या लागू करने के संबंध में लाइसेंसी से वसूल किया जाने वाला ब्याज सहित सीमाशुल्क, लाइसेंसी लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा की गई माँग के 30 दिनों के भीतर निर्धारित टी.आर.चालान में संबंधित सीमाशुल्क राजस्व के मुख्य शीर्ष अर्थात् "0.37-सीमाशुल्क उपशुल्क 001 आयात शुल्क" में जमा करेगा और लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास तत्काल इस आशय का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । किए गए भुगतानों के ब्यौरे डी ई ई सी (भाग-1) के भाग-छ में दर्शाए जाने चाहिएं । लाइसेंसधारी से ऐसे दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी की गई वसूली/जमा का ब्यौरा संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी को भेजेगा जहाँ डी ई ई सी पंजीकृत है ओर उसकी सूचना आयुक्त (शुल्क वापसी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप भवन, नई दिल्ली को देगा ।<br><br>विनियमन के लिए शुल्क, ब्याज और किश्ती अन्य राशि का भुगतान अथवा विशेष आयात लाइसेंस को वापिस करना बिना इस पूर्वाग्रह के होना चाहिए कि सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत किसी समय सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही की गई थी । |
| खातों का समुचित रख-रखाव | 4.30 | प्रत्येक लाइसेंसधारी परिशिष्ट-18 में उल्लिखित आयातित माल लाइसेंस वार को उपयोग खपत का सही और समुचित हिसाब रखेगा । ऐसे रिकार्ड को निष्क्रय की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखा जाएगा । |

| | | |
|---|---|---|
| शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र | 4.31 | शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र संबंधी नीति के पैराग्राफ 4.2 दी गई है । डी एफ आर सी के तहत निर्यात करने वाले निर्यातक को शिपिंग बिल की ई पी प्रति में एक घोषणा करनी होगी जिसमें क्र. संख्या और निर्यात उत्पाद के एस आई ओ एन के ग्रुप उत्पाद को दर्शाया गया हो । इसके अलावा इसे निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों की मात्रा, तकनीकी विशेषताओं और विशिष्टियों के संबंध में एक घोषणा भी करनी होगी ।<br><br>स्वर्ण/ चांदी/ प्लटीनम आभूषणें और उनकी वस्तुओं के मामले में प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, के पैरा 4.56 की वेस्टेज मानकों कों शापिंग बिल की इ पी प्रति में निर्दिष्ट करें।<br><br>तथापि निम्नलिखित मदों के संबंध में निर्यातकों से शिपिंग बिल में तकनीकी स्थिति, मात्रा और विशिष्टकरण की घोषणा देनी होगी। लाईसेंसिंग प्राधिकरण शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र लाईसेंस जिसमें तकनीकी, मात्रा और विशिष्टीकरण संबंधी प्रविष्टियों की गई है :-<br><br>स्टेनलेस स्टील सहित एलॅाय स्टील, कॉपर एलॉय,सिंथेटिंक रबर, बिरिंग केबलल्स, आइ सी डाईज, पी सी बी ओर कैपीसीर्टस, ब्रास स्कैप, टंगस्टन फिलामेन्ट<br><br>पेपर/पेपर बोर्ड, डाइस्टफ, सोलवेंट,, परफ्यूमश/ एसेंम्सेयल आयल/एयरोमेटिक रसायन, सरफैक्टैंटस,<br>प्लास्टिक फिल्म<br>टेक्सटाईल<br>रिलेवेन्ट फैबरिक्स<br>मारबल |

| | | |
|---|---|---|
| शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र | 4.31 | (क) डी एफ आर सी की नीति इस नीति के अध्याय-4 में दी गई है। ऐसी डी एफ आर सी आवेदक के विकल्प के अनुसार प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के पैराग्राफ 4.19 पर उल्लिखित किसी एकल पंजीकरण पत्तन के साथ जारी किया जाएगा। |

डी एफ आर सी का लागत बीमा भाड़ा मूल्य आपूर्ति के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य से 20% की छूट के बाद निकाला जाएगा। पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य की संगणना नीचे दिए गए उप पैरा (2) में उल्लिखित दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित को भेजा जाएगा:

(1) सामग्री प्राप्त करने वाले एकक और उनके कार्यक्षेत्र वाले आपूर्ति की मद को अधिप्रमाणित करने वाले उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित बीजक की एक प्रति, ऐसी आपूर्ति की मात्रा, मूल्य और तारीख। तथापि ऐसी मदों की आपूर्ति जिन पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है अथवा उत्पाद शुल्क न लगने वाले उत्पादों का उत्पादन करने वाले यूनिटों को की जाने वाले उत्पाद शुल्क वाले मदों की आपूर्ति के मामले में, उत्पाद प्रमाणपत्र के बदले में परियोजना प्राधिकारी प्रमाणपत्र जिसमें मात्रा प्रमाणित की गई हो, आपूर्ति का मूल्य और तारीख स्वीकार्य होगी।

उपर्युक्त बातों के होते हुए ई ओ यू/एस ई जैड को आपूर्तियों के संबंध में क्षेत्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ए आर ई 3 की एक प्रति जिसमें आपूर्ति के मद उनकी मात्रा मूल्य और तारीख प्रमाणित की गयी हो, प्रस्तुत की जाएग्गी।

(2) परियोजना प्राधिकारी से परिशिष्ट -12क में उल्लिखित फार्म पर भुगतान प्रमाणपत्र, अन्तवर्ती आपूर्तियों/मान निर्यातों के लिए अग्रिम लाइसेंस के मामले में ई ओ यू/एस ई जैड/ई एच टी पी/एस टी पी को आपूर्तियाँ सामान्य बैंकिग चैनल के माध्यम से लाइसेंसधारक या ई ओ यू/एस ई जैड/ई एच टी पी/एस टी पी जैसे भी मामला हो कारोबार से प्राप्तियों के संबंध में बैंक से दस्तावेजी प्रमाण परिशिष्ट 22-क उल्लिखित फार्म में प्रस्तुत किया जाएगा।

तथापि, यदि सुनिश्चित अपरिवर्तनीय अन्तरदेशीय साखपत्र के मद्दे पोतलदान किया गया हो और उसे परिशिष्ट 22 क के कॉलम 5/6/7 में अधिप्रमाणित किया गया है तो निर्यात कारोबार से प्राप्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा।

| | | |
|---|---|---|
| डी एफ आर सी/ इसके तहत आयातित सामग्री की हस्तान्तरणीयता | 4.32 | डी एफ आर सी के तहत प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.19 में डी एफ आर सी एक मात्र पंजीकृत बन्दरगाह के लिए जारी की जायेगी जो वही बन्दरगाह होगा जिससे निर्यात प्रभावी है । डी एफ आर सी/इसके सामग्री की तहत आयातित सामग्री को मुक्त रूप से हस्तान्तरित किया जा सकता है, तथपि डी एफ आर सी का हस्ताक्षर डी एफ आर सी में निदृष्ट बन्दरगाह पर आयात के लिए किया जाएगा जो वही बन्दरगाह होगा जिससे निर्यात किया गया है, फिर भी निर्यात के बन्दरगाह के अलावा अन्य किसी बन्दरगाह से फिए जाने वाले आयात के लिए टी आर ए निर्यात के बन्दरगाह पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आयातक बन्दरगाह पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएगी । |
| आवेदन प्रस्तुत करना | 4.33 | डी एफ आर सी की मंजूरी के लिए आवेदन परिशिष्ट 10 ध दिए गए प्रपत्र और निर्धारित दस्तावेजों सहित संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रस्तुत किया जा सकता है। डी एफ आर सी के लिए आवेदन निर्यात आय प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि अपरिवर्तनीय शाख पत्र के तहत निर्यात के मामले में निर्यात के पश्चात आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ।<br>डी एफ आर सी का लागत बीमा भाड़ा मूल्य का निर्यात से 20% कटौती के बाद आंकलन किया जायेगा । पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर परिकलित किया जायेगा। तथापि,स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण तथा उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के मामले में पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य से लागत बीमा भाड़ा मूल्य को आकलन प्रक्रिया पुस्तक(खण्ड-1) के पैराग्राफ 4.56.1 में उल्लिखित मूल्य संवर्धन के अनुसार किया जाएगा । |
| समय सीमा | 4.34 | डी एफ आर सी के लिए आवेदन छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिसे शिपमैंट के संबंध में प्राप्ति की तारीख तक गिना जाएगा, जिसके संबंध में लिए डी एफ आर सी माँगा गया है। |
| | 4.34.1 | अपरिवर्तन शाख पत्र के तहत निर्यात के मामले में डी एफ आर सी छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिसे शिपमैंट के संबंध में प्राप्ति की अन्तिम तारीख तक गिना जाएगा, जिसके लिए डी एफ आर सी माँगा गया है । |
| | 4.34.2 | निर्यात के मद्दे अग्रिम भुगतान हेतु डी एफ आर सी निर्यात के मद्दे अग्रिम भुगतान की तिथि से छः महीने की अवधि के भीतर भरी जायेगी। |
| | 4.34.3 | जहाँ कहीं सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा अनअंतिम शिपमैंट की अनुमति दी गई है वहाँ ऐसे निर्यात के तहत डी एफ आर सी, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा शिपमैंट बिल रिलीज के पश्चात ही जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में आवेदन-प्रस्तुत करने की समय सीमा शिपिंग बिल को जारी करने की तारीख से छः महीने अथवा प्राप्ति की तारीख से तीन महीने, जो भी बाद में हो होगी । |

| | | |
|---|---|---|
| आवेदन प्रस्तुत करने की बीच अवधि | 4.35 | आवेदक निर्यात के एक बन्दरगाह से एक निर्यात उत्पाद हेतु एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । जिन मामलों में भिन्न-भिन्न पंजीकरण के बन्दरगाह से उसी उत्पाद निर्यात किया गया है तो निर्यातक उसी निर्यात उत्पाद समूह के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है । |
| सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जाँच | 4.36 | लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि डी एफ आर सी जारी करते समय शिपिंग बिल की संख्या व तारीख, निर्यात उत्पाद के विवरण और शिपिंग बिल के अनुसार भारतीय रुपये में एफ ओ बी मूल्य को डी एफ आर सी के पीछे पृष्ठांकित किया गया है । डी एफ आर सी के तहत आयात की अनुमति देने से पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि डी एफ आर सी में दिए गए निर्यात के ब्यौरे उनके रिकार्ड के अनुसार हैं ।<br>मान्य निर्यातों के लिए डी एफ आर सी जारी करते वक्त लाइसेंसिंग प्राधिकारी इसकी एक प्रति पंजीकरण पत्तन पर सीमाशुल्क को तथा एक प्रति उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को जिनका क्षेत्राधिकार मान्य निर्यातों को पाने वाली यूनिट तक होगा, पृष्ठांकन करेगा और वह ऐसी आपूर्ति की मद, इसकी मात्रा, मूल्य और दिनांक सहित बीजक का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा । यदि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों तथा उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित रिकार्ड में कोई भिन्नता पायी जाती है तो उत्पाद शुल्क प्राधिकारी, पंजीकरण पत्तन पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी और सीमाशुल्क प्राधिकारी को तुरन्त सूचित करेगा । |
| शुल्क पात्रता पासबुक योजना | 4.37 | शुल्क पात्रता पासबुक योजना से संबंधित नीति नीति के अध्याय-4 में दी गई है। इस योजना के अधीन शुल्क शाख, एस आई ओ एन के उपर्युक्त निर्यात उत्पादों के मान्य निर्यातों और ऐसे मान्य निर्यातों पर लगने वाले सीमा शुल्क के आधार पर परिकलित की जायेगी। इस योजना के अधीन, ऐसे उत्पादों के निर्यात के माध्यम से मूल्य संवर्धन शुल्क शाखा की जो दर निर्धारित की गई है, के खाते में डाली जायेगी। |
| डी ई पी बी दर का निर्धारण | 4.38 | परिशिष्ट-10(क) डी ई पी गबी दरों के निर्धारण से संबंधित है । डी ई पी बी दरों के निर्धारण के सभी आवेदन संबंधित निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से भेजे जाएँगे जो निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य की निविष्टियों के अंतराष्ट्रीय मूल्य सहित मानक निवेश उत्पादन मानदंडों के अनुसार जाँच करेगी । |
| अस्थायी डी ई पी बी दर | 4.38 | (क) विविधता को उत्साहित करने और नये उत्पादों के निर्यात को तरक्की प्रदान करने के लिए, डी ई पी बी समिति को ऐसे उत्पादों को विशेष मामलों के तौर पर ज्यादा अधिकार दिए गए हैं तथापि, ऐसी डी ई पी बी दरें कुछ निश्चित अवधि के लिए वैध रहेंगी जिसके दौरान दरों के नियमित निर्धारण के लिए निर्यातक, निर्यात और आयात डाटा प्रस्तुत करेगा । |

| | | |
|---|---|---|
| डी ई पी बी प्रत्याशा में निर्यात | 4.39 | संबंधित निर्यात उत्पाद की डी ई पी बी दर अधिसूचित नहीं की जाती हैं तब तक डी ई पी बी योजना के अधीन किसी निर्यात की अनुमति नहीं है। |
| पंजीकरण का पत्तन | 4.40 | विशिष्ट पत्तनों से किए गए निर्यात/आयात डी ई बी पी के लिए पात्र होंगे । |

| | | |
|---|---|---|
| समुद्र पत्तन | : | मुम्बई, कोलकात्ता, कोचीन, दाहीज, काकीनाड़ा कांदला, मंगलौर, मरमागाँव, मुन्दरा, चैन्नई, नावसेवा, पेराद्वीप, पिपानाव, सिक्का टूटीकोरिन विशाखापत्तनम सूरत (मगडाला) , नागपट ओखा और धरमतार । |
| वायु पत्तन | : | अहमदाबाद, बंगलौर, मुम्बई, कोलकात्ता, कोयम्बटूर एयर कार्गो काम्प्लेक्स, कोचीन दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, नागपुर और चेन्नई भुवनेश्वर । |
| आई.सी.डी | : | आगरा, अहमदाबाद, बंगलौर, भिवन्डी, कोयम्बटूर, दौलताबाद,(वंजरवाड़ी और भालीवाड़ा) दिल्ली, दिघी(पुणे), फरीदाबाद, मुन्टूर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जोधपुर, कानपुर, कोटा, लुधियाना, मदुरै और राजाघाट मल्लनपुर में लैण्ड कस्टम स्टेशन, मुरादाबाद, मेरठ, नागपुर,, नासिक, गुवाहाटी (अमिनगाँव),पिम्परी (पुणें) पीतमपुर (इंदौर), रुद्रपुर (नैनीताल), सेलम, सिंगनलुर, सूरत, तिरुपुर,, उदयपुर,, बदोदरा, वाराणसी, बालुज भिलवाड़ा, पॉडिचेरी और गह्वीहर्सरु । |
| एल.सी.एस | : | रानाघाट और सिंहबाद और रक्सौल । |

बशर्ते कि सीमाशुल्क आयुक्त सार्वजनिक सूचना अथवा लाइसेंसधारी के लिखित अनुरोध पर विशेष आदेश से ओर ऐसी शर्तों के प्रति जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, किसी अन्य समुद्री पत्तन हवाई पत्तन इंनलैंड कंटेनर डपो अथवा भूमि सीमाशुल्क द्वारा आयात अथवा निर्यात की अनुमति दे सकता है ।

आयात और निर्यात के उद्देश्यों हेतु निम्नलिखित पत्तनों को अकेले पत्तन के तौर पर माना जाएगा

1. मुम्बई समुद्र पत्तन, नव सेवा और मुम्बई एयरपोर्ट
2. दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट और आई सी डी
3. कोलकाता समुद्र पत्तन, कोलकता एयर पोर्ट
4. चैन्नई एयरपोर्ट और चैन्नई समुद्रपत्तन
5. बैंगलौर एयरपोर्ट और बैंगलौर आई सी डी
6. हैदराबाद एयरपोर्ट और हैदराबाद आई सी डी

| | | |
|---|---|---|
| | 4.40.1 | डी ई पी बी केवल एकल पंजीकरण पोर्ट के लिए जारी की जायेगी। यह वह पत्तन होगा जहाँ से निर्यात किया गया है । |
| लेखों का रख-रखाव | 4.40.2 | प्रत्येक सीमाशुल्क सदन डी ई पी बी जहाजरानी बिल के अधीन किए गए निर्यात के ब्यौरे का अलग रिकार्ड रखेगा । |

| | | |
|---|---|---|
| डी ई पी बी के अधीन क्रेडिट और मौजूदा बाजार मूल्य | 4.41 | जिन उत्पादों के संबंध में डी ई पी बी योजना के अधीन क्रेडिट हकदारी की दर 10 प्रतिशत या इससे ज्यादा है वहां ऐसे प्रत्येक निर्यात उत्पाद के प्रति क्रेडिट की राशि निर्यात उत्पाद के मौजूदा बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । निर्यात के समय निर्यातक को जहाजरानी बिल पर यह घोषणा करनी चाहिए कि निर्यात उत्पाद के प्रति डी ई पी बी योजना के तहत लाभ निर्यात उत्पाद के मौजूदा बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा ।<br>तथापि वर्तमान बाजार मूल्य घोषणा उन उत्पादों पर लागू नहीं होगी जिनके उत्पाद की डी ई पी बी दर के संबंध में वैल्यू कैप न हो । |
| डी ई पी बी आदेश का उपयोग | 4.42 | डी ई पी बी के अधीन क्रेडिट का इस्तेमाल पूंजीगत माल को छोड़कर आयातित किसी भी मद पर सीमाशुल्क का भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है । |
| डी ई पी बी के लिए आवेदन | 4.43 | डी ई पी बी के अधीन क्रेडिट प्रदान करने के लिए आवेदन संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को परिशिष्ट-10ग में उल्लिखित फार्म में निर्धारित दस्तावेजों के साथ दिया जा सकता है । सीमाशुल्क द्वारा पूर्व निर्यात आदेश की तारीख को लागू विधि को वित्त मंत्रालय द्वारा मुद्रा विनिमय अधिसूचना के तहत मुक्त विदेशी मुद्रा में पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है । |
| | 4.43 | (क) परेषण निर्यात के संबंध में, जहाँ निर्यातक ने अंनतिम आधार पर उत्पाद के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की घोषणा कर दी है तो निर्यातक ऐसे माल की मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में बिक्री से प्राप्त वास्तविक पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर आधारित शिपिंग बिल का अन्तिम मूल्यांकन के लिए पात्र होगा । तथापि, विदेशी मुद्रा के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को सीमाशुल्क द्वारा “अनुमत निर्यात” के आदेश की तारीख को यथा लागू वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्यात के लिए विनिमय दर के अनुसार भारतीय रुपयों में परिवर्तन किया जाएगा । |

4.43 (ख) डी डी ए से एस ई जैड यूनिटों को आपूर्तियों हेतु क्रेडिट को प्रदान करने के लिए आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को परिशिष्ट-10( )में निम्न दस्तावेजों के साथ देना होगा :

1) बैंक रसीद (डुप्लीकेट में)/डिमान्ड ड्राफ्ट परिशिष्ट 29 के अनुसार आवेदन शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रुप में
2) एस ई जैड में सीमाशुल्क द्वारा जारी निर्यातों के बिल की एक प्रति
3) बीजक की एक प्रति जो आपूर्ति की एफ और आर मूल्य, ऐसी आपूर्ति पर डी ई पी बी हकदारी और ऐसी बिक्री से प्राप्त कुल मूल्य दर्शाती हो
4) परिशिष्ट 22 क के अनुसार प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र
5) डी टी ए यूनिट इन आपूर्तियों पर किसी लाभ का दावा नहीं करेगी तथा इन आपूर्तियों पर डी ई पी बी लाभ का दावा करने के लिए एस ई जैड यूनिटों को प्राधिकृत करेगी ।

4.44 ऐसे मामलों में जहाँ आवेदक प्राप्ति के बाद डी ई पी बी के लिए आवेदन करता है या निर्यात और निकासी के संबंधित बैंक प्रमाण-पत्र में बैंक द्वारा प्रमाणित अपरिवर्तनीय साखपत्र के मद्दे शिपमेंट हुआ है तो डी ई पी बी हस्तान्तरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी की जायेगी। अन्य मामलों में शुरु में डी ई पी बी निर्यात कारोबार की प्राप्ति के बाद अहस्तान्तरणीय पृष्ठांकन के साथ जारी की जायेगी तथा यदि आवेदक चाहे तो ऐसे डी ई पी बी को हस्तान्तरित के तौर पर पृष्ठांकित किया जासकता है ।

निकासी की मोनिटरिंग

4.45 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी उन मामलों को मानिटर करेगा जहां निर्यात कारोबार की आय से पूर्व डी ई पी बी मंजूर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो जाएग कि वसूली निर्धारित समय के भीतर हो जाएगा । (ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ शिपमेंन्ट का माध्यम शाख पत्र के माध्यम से हुआ है) ऐसा करने में असफल रहने पर वे 15 प्रतिशत ब्याज के साथ डी ई पी बी साख के बराबर राशि की वसूली के मामलों में वसूली की राशि पैरा 4.29 में बताऐ गये सीमा शुल्क के मुख्य लेखा शीर्ष खाते में जमा की जायेगी।

4.45.1 यदि निर्यात आय छः महीने के भीतर या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत बढ़ाई गई अवधि के भीतर प्राप्त नहीं किया जाता तो डी ई पी बी धारक ऐसे निर्यात के प्रति प्राप्त क्रेडिट की राशि पर डी ई पी बी जारी होने की तारीख से जमा करने की तारीख तक 15 प्रतिशत ब्याज देना होगा । जहां विदेशी मुद्रा में प्राप्त की गई राशि उस राशि से कम है जिस पर डी ई पी बी क्रेडिट प्राप्त किया गया है तो डी ई पी बी धारक एस ए डी सहित आयात पर उपयोग किए गए शुल्क मुक्त के अनुपातिक राशि (डी ई पी बी के अधीन केवल आयात के लिए एस ए डी की छूट हो) पर आयात की तारीख से जमा करने की तारीख तक 15 प्रतिशत तक नकद ब्याज देगा ।

**डी ई पी बी क्रेडिट के प्रयोग पर प्रतिबंध**

4.46 डी ई पी बी के तहत किए गए निर्यात का लागत बीमा भाड़ा मूल्य उस पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य से अधिक नहीं होगा जिसके मद्दे डी ई पी बी जारी किया गया हो । लाइसेंसिंग प्राधिकारी डी ई पी बी पर इस आशय का एक पृष्ठांकन शामिल करेंगे तथा डी ई पी बी पर पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य (भारतीय रुपयों में) का उल्लेख भी करेंगे ।

**समय- अवधि**

4.47 क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्यात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर या वसूली की तारीख से तीन माह के भीतर जो भी बाद में हो, किए जाएँगे । शिपमैंट जिसके लिए दावा किया गया है उसका हिसाब वसूली/निर्यात की अंतिम तारीख से लगाया जाएगा ।

4.47.1 जहां कही सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनन्तिम पोतलदान की अनुमति दी गयी है वहां ऐसे निर्यात के प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जहाजरानी बिल रिलीज करने के बाद ही डी ई पी बी जारी किया जाएगा । ऐसे मामलों में, डी ई पी बी के लिए आवेदन ऐसे जहाजरानी बिल के रिजील की तारीख से छः महीनों के भीतर या वसूली की तारीख से तीन महीने के भीतर, जो भी बाद में हो, किए जाएँगे।

**आवेदनों की बारम्बारता**

4.48 आवेदक इस शर्त के अधीन एक या अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं कि प्रत्येक आवेदन में 25 से अधिक जहाजरानी बिल नहीं होंगे। किसी एक आवेदन में सभी जहाजरानी बिल केवल एक सीमाशुल्क सदन से किए गए निर्यात से संबंधित होने चाहिए। यह सीमा ई डी आई तरीके के द्वारा जमा किये गए आवेदनों पर लागू नहीं होगी।

| | | |
|---|---|---|
| सीमाशुल्क द्वारा सत्यापन | 4.49 | लाइसेंसिंग प्राधिकारी डी ई पी बी जारी करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि जहाजरानी बिल संख्या और तारीख, जहाजरानी बिल (बिलों) के अनुसार पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य भारतीय रुपयों में और निर्यात उत्पाद का ब्यौरा डी ई पी बी पर पृष्ठांकित है । डी ई पी बी के प्रति आयात अनुमत करने से पहले, सीमाशुल्क यह सत्यापित करेगा कि डी ई पी बी पर दिए गए निर्यात का ब्यौरा उनके लेखे के अनुसार है । एक बार डी जी एफ टी और सीमाशुल्क कार्यालय के बीच ई डी आई कार्यान्वित हो जाती है, तो इसकी सत्यता इलेक्ट्रानिक माध्यम से की जाएगी । |
| पुनः वैधीकरण | 4.50 | कोई पुनः वैधीकरण डी ई पी बी की मूल वैधता अवधि के बाद प्रदान नहीं किया जाएगा । |
| डी ई पी बी स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात | 4.51 | राजस्व विभाग द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार डी ई पी बी स्कीम के तहत आयातित माल जो खराब अथवा उपयोग हेतु उचित न पाया जाए, का पुनः निर्यात किया जा सकता है । ऐसे मामलों में, ऐसे माल के निर्यात हेतु डी ई पी बी के प्रति क्रेडिट राशि को 98 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है । प्रमाण पत्र के रूप में संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा ऐसा किया जाएगा । इस प्रमाण पत्र में राशि और मूल डी ई पी बी के ब्यौरे शामिल होंगे । प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नया डी ई पी बी जारी किया जाएगा । इस प्रकार जारी डी ई पी बी के पंजीकरण का पत्तन वही रहेगा और डी ई पी बी की वैधता की शेष अवधि के बराबर की अवधि हेतु वैध होगा जिसके प्रति इन वस्तुओं का आयात किया गया था । |
| जहाजरानी बिलों की खो गई ई पी प्रतिलिपि के तहत डी ई पी बी जारी करना | 4.52 | जिन मामलों में जहाजरानी बिलों की ई पी प्रतिलिपि खो गई है, वहाँ डी ई पी बी/डी एफ आर सी के दावे पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किए जाए ।<br>(क) खो गए मूल जहाजरानी बिल के स्थान पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जहाजरानी बिल की डुप्लीकेट/सत्यापित प्रतिलिपि ।<br>(ख) खो गए जहाजरानी बिल के संबंध में डी ई पी बी/डी एफ आर सी हकदारी के 2 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क या डी एफ आर सी हकदारी 1 प्रतिशत, जैसा भी मामला हो । तथापि, सरकारी एजेंसियों द्वारा शिपिंग बिल खाने पर दस्तावेजी प्रमाण देने से शुल्क नहीं लगेगा ।<br>(ग) मूल रूप में सभी निर्धारित दस्तावेज ।<br>(घ) खो गए जहाजरानी बिलों के संबंध में निर्यातक द्वारा एक शपथ-पत्र और यह आश्वासन कि यदि बाद में यह मिल जाता है तो इसे तत्काल संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को वापस कर दिया जाएगा । |

(ड.) इस आशय का एक क्षतिपूर्ति बांड निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा कि खो गए जहाजरानी बिल के बदले जारी किए गए डी ई पी बी/डी एफ आर सी के कारण सरकार को यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो वह उसकी क्षतिपूर्ति करेगा ।

निकासी करने से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसी शिपिंग बिल के प्रति डी ई पी बी/डी एफ आर सी का लाभ नहीं लिया गया है ।

4.52.1 खोए हुए जहाजरानी बिल का दावा जहाजरानी बिल की डुप्लीकेट प्रतिलिपि की वसूली की तिथि के छः महीने के भीतर होना चाहिए तथा इस प्रकार के किसी आवेदन पर इसके बाद विचार नहीं किया जाएगा। तथापि यदि कोई अनंतिम मूल्यांकित डी ई पी बी जहाजरानी बिल खो जाता है तो इस प्रकार के मामले में डी ई पी वी के आवेदन की तारीख अंतिम मूल्यांकित जहाजरानी बिल की वसूली की तिथि से छः महीने के भीतर होगी।

**मूल बैंक प्रमाणपत्र का लोप**

4.53 जिन मामलों में मूल बैंक प्रमाणपत्र खो जाता है उन मामलों में डी ई पी बी/डी एफ आर सी दावे पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ :-

(क) खोए हुए मूल प्रमाणपत्र के बदले बैंक प्राधिकारी द्वारा जारी बैंक प्रमाण पत्र की अनुलिपि ।

(ख) खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के संबंध में डी ई पी बी पात्रता के 2% या डी एफ आर सी के 1% के बराबर आवेदन फीस ।

(ग) अन्य सभी निर्धारित दस्तावेज मूल रूप में ।

(घ) बैंक प्रमाणपत्र के खो जाने के संबंध में निर्यातक द्वारा एक हलफनामा जिसमें यह वचन दिया गया हो कि यदि वह प्रमाण बाद में मिल जाता है तो उसे तत्काल संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को लौटा दिया जाएगा।

(ड.) निर्यातक द्वारा इस आशय का एक इडेमैनिटी बान्ड प्रस्तुत किया जाएगा कि वह खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के प्रति जारी डी ई पी बी/डी एफ आर सी के मद में यदि सरकार को कोई क्षति होती है तो वह उस क्षति की पूर्ति करेगा ।

खोए हुए बैंक प्रमाणपत्र के प्रति दावों निर्यात की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाए कि उसके बाद प्राप्त आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा।

जिन मामलों में दोनों दस्तावेज खो जाते हैं तो निर्यातक पैराग्राफ 4.51 व 4.52 में दी गई प्रक्रिया को अपनाएगा ।

**नीति**

4.54 हीरा प्रतिपूर्ति लाइसेंस,और स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम जेबरात के लिए स्कीम निर्यात एवं आयात नीति के अध्याय-4 में दी गई है ।

| | | |
|---|---|---|
| प्रतिपूर्ति लाइसेंस | 4.55 | प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र, निर्धारित दस्तावेजों के साथ परिशिष्ट 13 में उल्लिखित फार्म में परिशिष्ट-25 के अनुसार संबंधित लाइसेंसिंगस प्राधिकारी के पास जमा किया जाए । |
| | 4.55.1 | आवेदन पत्र उस माह से छ माह के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जिस माह के दौरान निर्यात आया प्राप्त की गई है । माह/तिमाही के दौरान निर्यात से प्राप्त आय के लिए पूरे महीने/तिमाही के लिए समेकित आवेदन प्रस्तुत करना होगा । तथापि, यदि कोई पूरक आवेदन करना होगा तो, यह 10 प्रतिशत हकदारी कम करके स्वीकार किया जाएगा । तीसरी पार्टी के मामले में, प्रतिपूर्ति लाभ ग्राल होंगे बशर्ते जहाजरानी बिल की ई पी प्रति में विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों का नाम दिया गया हो और ऐसे निर्यात के लिए दूसरी पार्टी द्वारा तथा न करने का पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात किसी एक पार्टी द्वारा प्रतिपूर्ति लाइसेंस का किया गया हो । प्रतिपूर्ति लाइसेंस हस्तांतरनीय होगा । |
| | 4.55.2 | जिन मामलों में बीजक के प्रति आंशिक भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन, जिस महीने के दौरान आंशिक भुगतान प्राप्त किया गया था उससे छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए बशर्ते कि<br>(क) प्रत्येक ऐसे बीजक के लिए दो से अधिक ऐसे आवेदन प्रस्तुत न किए गए हों, और<br>(ख) बीजक की प्राप्तियों के 50% वसूल करने के बाद ही ऐसे प्रथम आवेदन पत्र को जमा किया जाएगा । |
| | 4.55.3 | जिस मामले में भुगतान अग्रिम रूप से प्राप्त हो गया है और निर्यात बाद में किया जाता है तो प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन, जिस महीने के दौरान निर्यात किया गया है, उससे छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। |
| | 4.55.4 | स्पष्टता के प्रयोजन के लिए, यह पुनः दोहराया गया है कि अग्रिम भुगतान मामले में, जिस माह निर्यात किया गया है और निर्यात करने के बाद जिस माह निर्यात आय आंशिक रूप से या पूरी तरह प्राप्त की जाती है उस माह को प्रतिपूर्ति लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र दाखिल करने के प्रयोजन के लिए छः माह की अवधि को गिना नहीं जाएगा । |
| छीजन मानदण्ड | 4.56 | स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों तथा वस्तुओं के लिए छीजन या निर्माण हानि नीचे दी गई है :- |

**छीजन मानदण्ड**

| | निर्यात की मद | निर्यात मद में स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के अंश के संदर्भ में भार के रूप में छीजन का प्रतिशत | |
|---|---|---|---|
| | | स्वर्ण/प्लेटिनम | चाँदी |
| क. | सादा आभूषण और उसकी वस्तुएँ और आभूषण जैसे मंगल सूत्र जिसमें स्वर्ग और ब्लैक बीड्स/इमिटेशन स्टोन्स, क्यूबिक जिरालोनिया आदि लगे हों किन्तु हीरे, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थर न लगे हों । तथापि, यदि आभूषण/वस्तुएँ बनाने में इस्तेमाल किए अर्ध बहुमूल्य पत्थरों का प्रति ग्राम मूल्य स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के प्रति ग्राम मूल्य से कम है तो सादा आभूषणों के छीजन मानदण्ड लागू होंगे । | 3.5 प्रतिशत | 4.5 प्रतिशत |
| ख. | जड़ित आभूषण और उसकी वस्तुएँ ऊपर (क) में शामिल अन्य आभूषणों और उसकी वस्तुओं के अलावा | 9.0 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |
| ग. | स्वदेशी रूप से ( गैर मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित माऊंटिंग और फाइंडिंग | 3.5 प्रतिशत | 4.5 प्रतिशत |
| घ. | पूर्णतः मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मिता और अजडित कोई भी आभूषण/वस्तुएं | 1.25 प्रतिशत | 1.25 प्रतिशत |
| ड. | जड़ित जेबरात में प्रयुक्त माउंटिंग्स या तो आयातिक हो या स्वदेशी रूप से प्राप्त किए गए/विनिर्मित हों | 2.5 प्रतिशत | 2.5 प्रतिशत |
| च. | स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम मैडलायन्स और सिक्के (कानून प्रकृति के सिक्कों को छोड़कर) | 0.25 प्रतिशत | 0.25 प्रतिशत |
| छ. | मशीनीकृत तकनीक तरीके द्वारा तैयार किए गए फाइडिंग व माऊंटिंग । | 1.25 प्रतिशत | 1.25 प्रतिशत |

मूल्य संवर्धन 4.56.1 स्वीकार्य छीजन सहित स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम अंश के मूल्य के संदर्भ में मूल्य का परिकलन किया जायेगा । न्यूनतम मूल्य संवर्धन इस प्रकार होगाः-

| क्र. सं. | निर्यात मद | न्यूनतम मूल्य संवर्धन |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| क. | नीचे प्रविष्टि (ख) द्वारा शामिल आभूषणों और वस्तुओं के अलावा जड़ित स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी के आभूषण और वस्तुएँ | 15 प्रतिशत |
| ख. | सादा स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी के आभूषण और वस्तुएं जैसे मंगल सूत्र जिसमें स्वर्ण और ब्लैक बीड्स/इमटेशन स्टोन्स, कीमती पत्थर और अर्धकीमती पत्थर क्यूबिक जिरिकोनिया आदि लगे हों किन्तु हीरे, बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थर न लगे हों । तथापि, आभूषण/वस्तुएं बनाने में इस्तेमाल किए गए अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों तथा कीमती पत्थरों का प्रति ग्राम मूल्य स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के प्रति ग्राम मूल्य से कम है तो सादा आभूषणों के लिए यथा निर्धारित केवल 7 प्रतिशत मूल्य संवर्धन प्राप्त करना होगा । | 7 प्रतिशत |
| ग. | पूर्णतः मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तुएँ | 3 प्रतिशत |
| घ | स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के मैडलाइन्स और सिक्के (कानूनी निविदा के स्वरूप के सिक्कों को छोड़कर) | 3 प्रतिशत |
| ड. | मशीनीकृत प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम फाइंडिंग्स/माऊंटिंग्स | 5 प्रतिशत |

4.56.2 निर्यात के प्रति स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनमस की मात्रा की हकदारी में अनुमत छीजन/विनिर्माण क्षति सहित निर्यात की मद में स्वर्ण/चादीं/प्लेटिनम की मात्रा होगी ।

**रत्न और आभूषण का लोप**

4.57 देश के बाहर निर्यातित रत्न और आभूषण मदों के खेप, जो निर्यात के बाद रास्ते में खो गए हैं तथा ऐसे निर्यातों के मद्दे जहाँ विदेशी मुद्रा प्राप्त हो चुकी हों अथवा बीमा दावा कर लिया गया हो, वे भी प्रतिपूर्ति लाइसेंस के पात्र होंगे ।

**रत्न और आभूषण प्रतिपूर्ति लाइसेंस**

4.58 रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस, अपरिष्कृत हीरों, बहुमूल्य पत्थरों, अर्ध-बहुमूल्य तथा सिन्थेटिक स्टोन और मोतियों के आयात के लिए वैध होगा । इसके आलवा, यह लाइसेंस समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर लाइसेंस के मूल्य के भीतर 5% तक आभूषणों के खाली बक्सों के आयात के लिए भी वैध होगा । जड़ित स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों/सामग्री के आयात के प्रति जारी रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस, समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक के पन्ना के अतिरिक्त कट और पालिश किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के आयात के लिए भी वैध होंगा ।

4.58.1 रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस परिशिष्ट-26क में दिए गए मापदण्ड पर उपलब्ध होगा।

**आवेदन प्रस्तुत करना**

4.58.2 (1) रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए आवेदन संबंधित लाईसेंसिंग प्राधिकारी को परिशिष्ट 13क में दिए गए प्रपत्र में निर्धारित दस्तावेजों

सहित परिशिष्ट-25 के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

(2) यदि जहाजरानी बिल की ई पी प्रति और सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बीजक नामित अभिकरणों को प्रस्तुत किया जाता है तो निर्यातक इसकी स्वयं द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करेगा और इसके साथ नामित अभिकरण से यह प्रमाण पत्र भी भी होगा जिसमें जड़ित आभूषणों के मामले में स्टडिंग के कैरेट/मूल्य और सादे आभूषणों तथा वस्तुओं के मामले में प्राप्त किए गए अधिक मूल्य परिवर्धन को प्रमाणित किया गया हो ।

(3) रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए पैरा 4.55.1 से 4.55.4 के प्रावधान भी लागू होंगे ।

| | | |
|---|---|---|
| अभिकरण कमीशन | 4.59 | स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण योजना का उपयोग करने वाले निर्यातक को अभिकरण कमीशन देने के अनुमति है । मूल्य परिवर्धन का परिकलन अभिकरण कमीशन को घटा कर कियाजाएगा । जहाँ कहीं ऐसा अभिकरण कमीशन दिया जाता है तो मूल्य परिवर्धन अभिकरण कमीशन प्रतिशत द्वारा तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा । |
| जहाजरानी बिल और बीजक पर पृष्ठांकन | 4.60 | आभूषणों के निर्यात के समय,सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए जहाजरानी बिल और बीजक में मद का विवरण, इसकी शुद्धता, स्वर्ण/चाँदी /प्लेटिनम अंश का भार, इस पर दावा किए गए वेस्टेज, स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम अंश का कुल भार जमा दावा किए गए वेस्टेज तथ स्वर्ण/चाँदी के लिए 0.995/0.999 शुद्धता और प्लेटिनम के लिए 0.9999 शुद्धता में इसकी समकक्ष मात्रा तथा इसका मूल्य, निर्यात का एफ ओ बी मूल्य, प्राप्त मूल्य परिवर्धन के ब्यौरे होने चाहिए । निर्यात के लिए इन प्रत्येक धातुओं से निर्मित सभी या कुछ मदों के संबंध में इस्तेमाल किए गए स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम की शुद्धता यदि वही है तो निर्यातक को स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम का कुल भार और ऐसी ही मदों, जिनकी शुद्धता वही है, के अन्य ब्यौरे भी देने होंगे जड़ित मदों के मामलों में, जहाजरानी बिल में विनिर्माण में इस्तेमाल किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों/हीरों/मोतियों का भार और मूल्य तथा स्वर्ण/चाँदी के मिश्रण में इस्तेमाल की गई किसी अन्य बहुमूल्य धातु का भार/मूल्य के ब्यौरे भी होने चाहिए । |
| निर्यात की शर्तें | 4.61 | सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते जहाजरानी बिल और बीज5क में पृष्ठांकन ठीक किया गया हो तथा प्राप्त किया गया मूल्य परिवर्धन नीति में निर्धारित मूल्य |

परिवर्धन से कम न हो ।

निर्यात का सबूत 4.62 निर्यातक को जहां वहीं अपेक्षित हो निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं के निर्यात का सबूत देना होगा :-

(क) जहाजरानी बिल की ई पी प्रति,

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित बीजक, और

(ग) परिशिष्ट 22 में दिए गए प्रपत्र में निर्यात का बैंक प्रमाण पत्र जिसमें यह दर्शाया गया हो कि दस्तावेज लेन देन/संचयन के लिए भेजे गए हैं ।

(घ) निम्नानुसार एक घोषणा :-

"मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि 180 दिनों के बाद की निर्यात आया विगत न लाइसेंसिंग वर्षों के औसत निर्यात के 10% से ज्यादा नहीं होगी। मैं/हम आगे घोषणा करता हूँ/करते हैं कि कोई भी निर्यात आया एक वर्ष या ऐसी बढ़ी हुई अवधि जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त की गई हो, से ज्यादा बकाया नहीं है ।"

विदेशी क्रेता द्वारा आभूषणों की व्यक्तिगत ढुलाई के मामले में निर्यात हकदारियों का दावा करने के लिए निर्यात के सबूत के तौर पर निर्यातक/विक्रेता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें :-

(क) भारतीय विक्रेता द्वारा दाखिल किए गए शिपिंग बिल की प्रति

(ख) विदेशी क्रेता के आगमन के समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को दाखिल किए गए मुद्रा घोषणा प्रपत्र की एक प्रति ; और

(ग) बैंक से विदेशी मुद्रा नकदी प्रमाणपत्र ।

इसके अतिरिक्त, स्वीकृति पर दस्तावेज (डी ए)/सुपुर्दगी पर नकद आधार पर व्यक्तिगत ढुलाई की भी अनुमति है । आयात हकदारी का दावा करने हेतु आयातक को निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे:

(i) भारतीय विक्रेता द्वारा भरे गए जहाज रानी बिल की प्रति

(ii) निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र

इस संबंध में सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुपालन किया जायेगा ।

शुद्धता/परिशुद्धता का परिवर्तन 4.63 परिशुद्धता के रूप में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सूत्र अपनाया जाएगा :-

| | | |
|---|---|---|
| | | (1) जहां स्वर्ण वस्तुओं का कैरेट में निर्यात किया गया है, वहाँ स्वर्ण अंश को 24 से भाग किया जाएगा और इसके बाद 0.995/0.999/0.900 से गुणा किया जाएगा ताकि क्रमशः 0.995/0.999/0.900 परिशुद्धता के रूप में स्वर्ण की बराबर मात्रा तक पहुँचा जा सके, और<br>(2) जहां कहीं निर्यात की वस्तु की शुद्धता, परिशुद्धता के रूप में व्यक्त की गई है, वहां इसकी मात्रा को 0.995/0.999/0.900 से भाग किया जाएगा ताकि क्रमशः 0.995/0.999/0.900 परिशुद्धता की बराबर मात्रा तक पहुँचा जा सके, और |
| नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की रिलीज | 4.64 | नामित अभिकरणों/भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकृत बैंकों द्वारा आभूषणों के निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम केवल 10 ग्राम या स्वर्ण के संबंध में दस तौला छड़ों के गुणकों में रिलीज किया जाएगा । तथापि, निर्यातकों को चाँदी केवल 1 किग्रा गुणनों में रिलीज की जाएगी स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का कोई भी शेष निर्यातक को उसकी भावी हकदारी सहित उपलब्ध रहेगा । नामित प्राधिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/ 0.995/0.999 परिशुद्धता में और प्लेटिनम 0.900 या इससे अधिक परिशुद्धता में रिलीज की जाएगी । |
| भुगतान की शर्तें | 4.65 | स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वसतुओं के निर्यात की अनुमति अपरिवर्तनीय साख-पत्र, के आधार पर नकद भुगतान या विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान के तहत होगी । संचयन के आधार पर दी जाएगी (स्वीकृति के प्रति दस्तावेज) । |
| निर्यात बन्दरगाह | 4.66 | स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं संबंधी योजनाओं के अधीन निर्यात की अनुमति मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, कोची, कोयम्बटूर, अहमदाबाद डेबोलिन एअरपोर्ट, गोवा और हैदराबाद स्थित सीमाशुल्क सदनों के जरिए वायु भाड़े और विदेशी डाकघर द्वारा दी जाएगी । प्रति खेप 20 लाख रुपए मूल्य के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और हैदराबाद के स्थित सीमा-शुल्क सदनों माध्यम से क्रूरियर द्वारा निर्यात भी अनुमत होगा। |
| डाक द्वारा निर्यात | 4.67 | विदेशी डाक घर के जरिए निर्यात के मामले में, आभूषणों के पार्सलों का मूल्य 50000 अमरीकी डॉलर और वजनके रूप में 20 किग्रा. से अधिक नही होगा । निर्यात के समय, निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-<br>(1) विदेशी डाकघर में प्रस्तुत किया गया जहाजरानी बिल या बीजक, |

(2) नामित अभिकरणों से प्रमाण पत्र जिसमें वह मूल्य दर्शाया गया हो जिस पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम बुक किया गया था या तुरन्त बिक्री आधार पर या ऋण के आधार पर दिया गया था ।

(3) बीजक की तीन प्रतियाँ ।

| | | |
|---|---|---|
| मूल्य परिवर्धन | 4.68 | आभूषणों के निर्यात के लिए योजना के तहत, मूल्य परिवर्धन का परिकलन स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के सन्दर्भ में किया जाएगा । जो कि अनुमत वेस्टेज ओर निर्यात उत्पाद में सोना/चांदी/प्लेटिनम अंश के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा के कुल बर्हिगमन के बराबर होगा । जहां कहीं ऋण आधार पर स्वर्ण दिया गया है, वहां लागत बीमा भाड़ा मूल्य में विदेशी आपूर्ति कर्त्ता को दिया गया ब्याज भी शामिल होगा । |
| विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तियों के तहत निर्यात | 4.69 | विदेशी क्रेता द्वारा की गई आपूर्ति के प्रत्येक आयात परेषण की क्लीरेंस से पहले, नामित अभिकरण इस आशय के एक बॉण्ड का सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ निष्पादन करेगा कि वह करार में निर्धारित अवधि के भीतर ग्राहय वेस्टेज को छोड़कर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम माउंटिग और फाइंडिंग आदि के सम्पूर्ण आयात के बराबर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों या वस्तुओं का निर्यात करेगा। |

सोना/चांदी/प्लेटिनम, अयस्क, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाइडिंगस और माऊटिंगस और प्लेन सैमी फिनिशड सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों की स्तर धारक/निर्यातक को प्रत्यक्ष पूर्ति के मामले में शुल्क प्राधिकरण को आयातित सोना/चाँदी/प्लेटिनम, एलॉयस, सोना/चाँदी/ प्लेटिनम की फाइडिंगस और माऊटिंग्स और प्लेन सैमी-फिनिश्ड सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों आदि पर लगने वाले सीमा शुल्क की 1 और 1/2 गुनी बैंक गारंटी सीमा शुल्क के पास जमा करानी होगी । सीमा शुल्क के साथ निष्पादित बैंक गारंटी एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा । स्तर-धारक/निर्यातक को प्रत्यक्ष पूर्ति के संबंध में, निर्यात 120 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए । निर्यात दायित्व को पूरा न करने/निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त न करने की स्थिति में सीमा शुल्क विभाग सीमा शुल्क और ब्याज की वसूली कर सकता है जिसमें बैंक गारंटी का प्रवर्तन भी सम्मिलित है । इसके अलावा आयातक सीमा शुल्क अधिनियम के अंतगर्त दंडात्मक कार्रवाई का भी भागी हो सकता है ।

4.69.1 नामित अभिकरण को उस मात्रा पर लगने वाला सीमाशुल्क देना

होगा जिसके बारे में यह सिद्ध हो गया है कि निर्यात नहीं किया गया है ।

4.69.2 उन मामलों में भी जहाँ सहायक कम्पनियों द्वारा निर्यात आदेश प्राप्त किया गया है माल नामित अभिकरण द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारी के जरिए क्लीयर कराया जाएगा । ऐसे मामलों में, सहायक कम्पनी नामित अभिकरण को आगम पत्र और जहाजरानी बिल प्रस्तुत करने के लिए इसके अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत करेगी ।

4.69.3 निर्यात के समय, सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए जहाजरानी बिल में निम्नलिखित ब्यौरे भी होने चाहिए :-

(1) ऐसासिएट/स्तर धारक/ निर्यातक का नाम और पता

(2) नामित ऐजेन्सी द्वारा एक पृष्ठांकन कि सम्बद्ध साझेदार द्वारा प्राप्त आदेश के मद्दे निर्यात किया गया है, इसके पंजीकरण की तिथि और नामित एजेन्सी, स्तर धारक/ निर्यातक द्वारा निर्यातों के मामले में, इस संबंध में स्वतः घोषणापत्र दिया जाएगा ।

(3) सीमाशुल्क सदन का नाम जिसके माध्यम से सोना/ चाँदी/प्लेटिनम प्लेन सेमी फिनिश्ड सोना/सिल्वर/प्लेटिनम आभूषण का आयात किया गया है और अगम पत्र संख्या एवं तारीख तथा आयात की तारीख।

4.69.4 प्रत्येक शिपिंग बिल निर्यात हेतु केवल उस सीमा शुल्क सदन के माध्यम से वैध होगा जहाँ संबंधित नामित अभिकरण स्तरधारक/निर्यातक का कार्यालय स्थित है । यह शिपमेंट हेतु 7 दिन की अवधि के लिए वैध होगा जिसमें वह तारीख भी शामिल है जिस दिन नामित अभिकरण द्वारा पृष्ठांकन किया गया था । यदि निर्यात इस समयावधि में नहीं किया जाता है, तो निर्यातक एक नया शिपिंग बिल फाईल करेगा।

4.69.5 निर्यात के समय निर्यातक, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

(1) सीमाशुल्क सदन जिसके माध्यम से स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम प्लेन सेमी फिनिश्ड/सोना/सिल्वर/प्लेटिनम आभूषण का तदनुरूप आयात हुआ है, के अतरिक्त, सीमाशुल्क सदन जहां निर्यात किया गया है, के शिपिंग बिल की दो अतिरिक्त प्रतियों साहित। अन्य मामलों में शिपिंग बिल की एक अतिरिक्त प्रति ;

(2) बीजक की तीन प्रतियाँ ;

(3) विदेशी खरीददारों द्वारा भेजी गई मदों की मात्रा और मूल्य को इंगित करने वाला नामित एजेन्सी का प्रमाण पत्र।

4.69.6 सीमाशुल्क प्राधिकरण शिपिंग बिल और सम्बद्ध बीजक की विधिवत सत्यापित दो प्रतियाँ वापिस लौटाएगा । एक प्रति उस व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और दूसरी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा नामित एजेन्सी स्तर धारक/ निर्यातक के कार्यालय को भेजी जाएगी ।

4.69.7 निर्यात की तिथि से 15 दिन के भीतर उस नामित एजेन्सी को जिसने निर्यात किया है, निर्यातक, निर्यात का सबूत प्रस्तुत करेगा जो दस्तावेजों की जाँच करने के पश्चात निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि की अनुमत मात्रा जारी करेगा ।

4.69.8 निर्यातक अग्रिम रूप से स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं । उन मदों की अन्तर्राट्रीय कीमत जोड़कर उन पर लगने वाले सीमाशुल्क के बराबर राशि विदेशी खरीददार द्वारा बैंक गारन्टी की अदायगी की जाएगी बैंक गारन्टी की राशि तभी वापिस की जाएगी जब निर्यातक नामित एजेन्सी को निर्यात का सबूत और निर्यात उतपाद में मदों की अग्रिम प्रतिपूर्ति के उपयोग के लिए लेखा जोखा प्रस्तुत करेगा ।

4.69.9 सीमाशुल्क से निष्पादित बॉड/बैंक गारण्टी को छुड़ाने के उद्देश्य हेतु नामित अभिकरण विदेशी खरीदार द्वारा प्रतिपूर्ति मदों की मात्रा और मूल्य, तदनुरूप आगम बिल संख्या और तिथि, तदनुरूप किए गए निर्यात संबंधी प्रत्येक शिपिंग बिल की संख्या को बताएगा ।

**लेखा जोखा का रख-रखाव**

4.70 नामित अभिरण प्रत्येक निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए आयातित सोना, चॉदी, माउटिंग्स, फाइडिंग्स प्लेन सेमि फिनिश्ड गोल्ड/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण इत्यादि किए गए निर्यात और ऐसे निर्यात के लिए जारी सोना/चाँदी, माउटिंग्स, फाइटिंग्स इत्यादि का प्रेषण वार पूर्ण लेखा जोखा रखेगा तथा सीधे निर्यातों के मामले में ऐसा लेखा-जोखा स्तरधारक द्वारा रखा जाएगा । इसे निर्यात की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा ।

**प्रदर्शनियों/निर्यात संवर्धन दौरों/ ब्रॉण्डेड आभूषण के निर्यात जरिए निर्यात**

4.71 नामित अभिकरण सीमाशुल्क प्राधिकारी के पत्र की मूल प्रति प्रदर्शनी लगाने ब्रॉण्डेड आभूषण के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट सरकारी अनुमोदन की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा । अन्य कोई व्यक्ति सहायक, सीमाशुल्क के पत्र की मूल प्रति या प्रदर्शनी लगाने निर्यात संवर्धन दौरे/ब्रान्डेड आभूषण के लिए विनिर्दिष्ट जी जे ई पी सी के निर्यात अनुमोदन की प्रमाणित प्रति प्रेषित करेगा।

पुनः आयात के मामले में, ऐसी मदों के पहुँचने पर निकासी से पहले निर्यात दस्तावेजों के साथ जाँच की जाएगी ।

4.72 (क) इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्यात के तरीके के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :-

(i) विदेशी प्रर्दशनी में आयोजित/भाग लेने के लिए रत्नों और आभूषणों का निर्यात ।

इस योजना के तहत निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होंगेः

विदेशों में न बेची गई मदें प्रर्दशनी के बन्द होने के 60 दिनों के भीतर पुनः आयातित की जाएंगी । तथापि यदि निर्यातक पहली प्रर्दशनी के बन्द होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रर्दशनी में भाग ले रहा है तो दूसरी प्रर्दशनी के बन्द होने की तारीख से 60 दिन गिने जाएंगे विदेश प्रर्दशनी में आयोजन/भाग लेने के लिए रत्न और आभूषण के पर्सनल कैरिज के मामले में, ऐसे रत्न और आभूषण का मूल्य 2 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगी ।

ऐसी प्रर्दशनियों में बेची गई मदों पर सोना/चांदी/प्लेटिनम अंश प्रतिपूर्ति के रूप में आयातित किए जा सकते हैं । निर्यातक को प्रर्दशनी में विदेश में बेचे गए माल के प्रति प्रतिपूर्ति कान्टैन्ट के प्रयोजन के लिए सोना/चांदी/प्लेटिनम के बन्द होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर नामित एजेंसी से प्रतिपूर्ति ले सकता है ।

(ii) निर्यात संवर्धन दौरों के लिए रत्न और आभूषणों का पर्सनल कैरिज ।

सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषण, कट और पॉलिशड डायमण्ड, कीमती अर्द्ध-कीमती पत्थर, मोती और नमूनों के रूप में वस्तुएँ 100,000 अमरीकी डालर तक निर्यात प्रोमोशन टूर और अस्थायी डिस्पले/विदेश में बिक्री के लिए भी रत्न और आभूषण निर्यात संर्वधन परिषद् के अनुमोदन के साथ अनुमति है बशर्ते कि प्रोमोटर सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर आभूषण/सामान या बिक्री से प्राप्त आय को वापिस लाएगा । निर्यात संर्वधन दौरों के लिए पर्सनल कैरिज के मामले में, निर्यातक देश को छोडते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को ऐसे नमूनों की पर्सनल कैरिज घोषित करेगा और सीमाशुल्क के आभूषण मूल्यांकन कर्त्ता द्वारा जारी निर्यात प्रमाणपत्र पर आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा । ऐसे मामलों में निर्यातक निर्यात प्रोमोशन दौरे के बाद 120 दिनों के भीतर या 45 दिनों की निर्धारित अवधि

की समारित के बाद, जो भी पहले हो, सोना, चांदी, प्लेटिनम विदेश में बेची गई मदों के प्रति प्रतिपूर्ति कान्टैट के प्रयोजन के लिए नामित एजेंसी के साथ बुक करेगा ।

(iii) ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात

ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात भी विदेशों में स्थापित अनुमत दुकानों या उनके वितरकों/एजेन्टों के शोरुम में डिस्प्ले/ब्रिकी के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संर्वधन परिषद् के अनुमोदन से अनुमत है । 180 दिनों के भीतर विदेश में न बेची गई मदें 45 दिनों के भीतर पुनः आयातित की जाएंगी । विदेशों में बेची गई मदों के प्रति प्रतिपूर्ति अंश के उद्देश्य हेतु स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम को 180 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद 120 दिनों के भीतर नामित एजेन्सी को बुक करेगा ।

(ख) ऐसी प्रतिपूर्ति के दावे के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएगें

(1) सीमाशुल्क सत्यापित बीजक ।

(2) संरकार/जीजेईपीसी द्वारा जारी अनुमोदन पत्र की प्रति।

(3) परिशिष्ट-13क में दिए गए प्रपत्र नामित अभिकरण/ जी जे ई पी ई से प्रमाणपत्र ।

(ग) नामित अभिकरणों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के मामले में, नामित अभिकरणों द्वारा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर प्रतिपूर्ति के रूप में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का आयात किया जाएगा ।

4.73 नामित अभिकरण किए गए निर्यात, विदेश में बेची गई वस्तुओं, वस्तुओं को पुनः आयात और विदेश में खरीदी गई और भारत में आयातित धातुओं का पूरा लेखा जोखा रखेगा । ऐसा लेखा जोखा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

**नामित अभिकरणों द्वारा आपूर्ति के तहत निर्यात**

4.74 इस योजना के तहत निर्यातक निम्नलिखित आधार पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है :-

(1) निर्यात पूरा करने के पश्चात प्रतिपूर्ति के आधार पर,

(2) अग्रिम रूप से तत्काल खरीद आधार पर,

(3) ऋण के आधार पर

**प्रतिपूर्ति आधार**

4.75 निर्यातक बहुमूल्य धतु स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की बुकिंग के लिए नामित अभिकरण को आवेदन कर सकता है । नामित अभिकरण

के पास बुक बहुमूल्य धातु की मात्रा निर्यात उत्पाद में बहुमूल्य धातु के अंश और स्वीकार्य वेस्टेज के बराबर होनी चाहिए ।

4.75.1 आवेदक बुकिंग के समय बहुमूल्य धातु के नोशनल मूल्य का कम से कम 20% बयाना राशि जमा करेगा जिसे वास्तविक बिक्री के समय समायोजित कर लिया जाएगा ।

4.75.2 निर्यात बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र आधर पर जेवरात नोशनल दर पर निर्यात करेगे निर्यातक क्रेता के क्रेडिट टर्म के अन्दर मूल्य निर्धारित करेगा तथा उसकी आय नियम समय अथवा 180 दिनं जो भी पहले हो प्राप्त करे। निर्यातक जो प्रतिपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत नोशनल आधार पर निर्यात कर रहे है वो उसी दर पर तथा मात्रा के नामित ऐजेंसी से सोना बुक कर सकते हे जो उन्होंने क्रेता के साथ बुक किया है। नामित अभिकरण बहुमूल्य धातु खरीदेंगे ओर इसके पश्चात निर्यातक क्रम संख्या वाला एक खरीद प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनमकी मात्रा तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य डालर में निर्दिष्ट होगा, साथ ही रुपये में मूल्य भी दर्शाया जाएगा। मूल्य वह वास्तविक मूल्य होगा जिस पर नामित अभिकरिणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम खरीदा गया है इसमें अनुमत सेवा प्रभार शामिल होगा किन्तु बिक्री कर शामिल नहीं होगा । नामित अभिकरणों द्वारा लगाया गया सेवा प्रभार मूल्य परिवध्रन के प्रयोजन के लिए स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम के मूल्य में शामिल किया जाएगा। नामित एजेंसियों द्वारा निर्यातक हेतु क्रय प्रमाणपत्र की प्रतियों सहित निर्यातक के आवेदन की दूसरी और तीसरी प्रतियाँ संबंधित सीमाशुल्क सदन को तथा नेगोशियेटिगं बैक को भेजी जाएंगी । जो सोने के कप की पुष्टि करेगें निर्यातक जो समान्य तर पर निर्यात कर रहे हैं वे प्रतिपूरक व्य तभी लेगें जब आय प्राप्त हो जाएगी ।

4.75.3 बुकिंग की तारीख से 120 दिन की अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा और बुकिंग की तारीख से 150 दिन की अवधि के भीतर या निर्यात की तारीख से 30 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, बहुमूल्य धातु को निकाला जाएगा ।

अग्रिम रुप से तत्काल खरीद आधार पर

4.76 निर्यातक तत्काल खरीद आधार पर अग्रिम तौर पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को बैंक गांरटी प्रस्तुत की गई । निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी को लागू करेंगे ।

4.76.1 बहुमूल्य धातु की तत्काल खरीद की तारीख से 60 दिन की

अधिकतम अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा ।

ऋण आधार पर

4.77 निर्यातक ऋण आधार पर अग्रिम तौर पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को बैंक गांरटी प्रस्तुत की गई हो । निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी को लागू करेंगे ।

4.77.1 निर्यातक को ऋण के आधार पर लिए गए निर्णय पर यथानिर्दिष्ट दर ब्याज देना होगा. ।

4.77.2 सोने के ऋण आधार पर प्राप्त होने के अधिकतम 120 दिन के अन्दर निर्यात पूर्ण करना हो। निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु अवधि बढ़ाने करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4.77.3 (क)निर्यातकों को नामित अभिकरणों द्वारा जारी किए गए नोशनल दर प्रमाणपत्र के आधार पर किए गए रत्न निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी । यह दरें मौजूदा स्वर्ण/अमेरिकी डालर तथा अमेरिकी/ भारतीय रूपया नोशनल रेट प्रमाण पत्र के आधार पर होगी नामित ऐजेसियो द्वारा जारी प्रमाण पत्र शिपमैंट के दिन से 3 कार्य दिवसों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

मूल्य संयोजन, खरीददार और नामित अभिकरणों के साथ निर्धारित किए गए मूल्यों के आधार पर होगा ।

निर्यात की तिथि से 180 दिनों के अन्दर निर्यातों को मूल्य निर्धारण करने और स्वर्ण ऋण की वापिसी की मान्यता होगी। इस मूल्य के बारे में नामजद अभिकरणों को सूचित किया जाएगा जो दस्तावेजों पर कार्रवाई करने वाले बैंकों को दरन की अन्तिम पुष्टि दशार्ने वाला एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ताकि इस दर पर निर्यात आय को सुनिश्चित किया जाएगा ।

4.77क नामित एजेन्सी निर्यातक के ई ई एफ सी खाते से बहुमूल्य धातु के आयात की लागत का डालर में भुगतान स्वीकार कर सकती है।

अग्रिम लाइसेंसों के तहत निर्यात

4.78 इस प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 के अधीन अग्रिम लाइसेंसों के लिए लागू प्रक्रिया इस योजना हेतु भी लागू होगी ।

4.78.1 निर्यात दायित्व को लाइसेंस के तहत पहले परेषण के आयात की तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा करना होगा । अग्रिम लाइसेंसधारक निर्यात पूरा होने के पश्चात प्रतिपूर्ति के रूप में स्वर्ण का आयात कर सकता है ।

4.78.2 अग्रिम लाइसेंसधारक सीधे आयात के बदले नामित अभिकरणों से स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है । ऐसे मामले में, नामित अभिकरण लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति दोनों सीधे आयात के लिए अवैध कर देगा ।

**वास्तविक चूक का नियमन**

4.79 निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने में वास्तविक चूक के मामलों में उन बहुमूल्य धातुओं को जिन्हें उसने नामित अभिकरणों से प्राप्त किया है, को नियमित करेगा बशर्ते निर्यातक ने सीमाशुल्क प्राधिकारी को 15% ब्याज सहित सीमाशुल्क का भुगतान किया हो । तथापि अग्रिम लाइसेंस के मामले में इस प्रक्रिया पुसतक के अध्याय 4 में दिए गए उपबन्ध लागू होंगे। यह किसी भी ऐसी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना होगा जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992, तथा इसके अधीन जारी आदेश या नियमों के तहत निर्यातक के विरुद्ध की जा सकती हैं ।

**उपभोज्यों के आयात हेतु प्रतिपूर्ति लाइसेस**

4.80 सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र जिसमें निर्यात निष्पादन दर्शाया हो के प्रस्तुत करने पर पिछले वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त मूल्य का 1 % का शुल्क मुक्त आपात के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किया जाएगा, यह लाइंसेंस अहस्तान्तरणीय तथा वास्तविक उपयोग कर्ता के मद्द होगा। वह प्रतिपूरक लाइसेंस शुल्क मुक्त उपभाज्यों की आयात के लिए होगा जैसा कि सा शुल्क ने अधिसूचित किया है।

यथोपरौक्त उपभोज्यों के आयात अथवा प्लेन/जड़ित आभूषणों के आयात के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट-13 में दिए गए प्रपत्र में संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा ।

**रत्न और आभूषणों के निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर ले जाना**

4.81 सभी ई ओ यू और एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई , बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर में स्थित डी टी ए यूनिटों से भी विदेशी क्रेताओं द्वारा रत्नों और आभूषणों के पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति है । इसकी प्रक्रिया हवाई भाड़े द्वारा माल की ढुलाई प्रक्रिया के समान होगी लेकिन सीमाशुल्क की जाँच और सील करने के बाद पार्सलों को विदेशी क्रेता के देश छोड़ने के समय सौंपा जाएगा । प्राधिकृत क्रूरियर कम्पनियों को भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार संचालन की अनुमति होगी । प्रतिपूर्ति दावे के लिए दस्तावेज वही होंगे जो प्रक्रिया पुस्तक के खण्ड-1 में पैरा 4.75.2 में दिये गये है प्राधिकृत

कारियोर कम्पनी भी इन लाइनों में काम कर सकते है।

| | | |
|---|---|---|
| हीरा और आभूषणों के आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना | 4.82 | सभी ई ओ यू और एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई बंगलौर, हैदराबाद और जयपुर स्थित डी टी ए यूनिटों से भी विदेशी क्रेताओं द्वारा रत्नों और आभूषणों के पार्सल को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति है । इसकी प्रक्रिया हवाई भाड़े द्वारा माल की ढुलाई प्रक्रिया के समान होगी लेकिन सीमाशुल्क की जाँच और सील करने के पार्सलों को विदेशी क्रेता के देश छोड़ने के समय सौंपा जाएगा। इस स्कीम के अन्तर्गत आयातों की निकासी नीति पुस्तक के अध्याय 4 में दी गयी सामान्य लाइसेंसिंग पद्धति के अनुसार होगी। |
| अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात | 4.83 | सादे/बहुमूल्य पत्थर जड़ित आभूषणों के निर्यातक को, पिछले लाइससिंग वर्ष में किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत तक, अस्वीकृत ओर खरीदार द्वारा लौटाए गए आभूषण के शुल्क मुक्त पुनः आयात की अनुमति होगी । |
| | 4.83.1 | सादे/बहुमूल्य पत्थर जड़ित आभूषण के पुनः आयात के इच्छुक निर्यातक को, पुनः आयात के 60 दिनों के भीतर, क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उसके पिछले वर्ष के निर्यात की, चार्टेड लेखाकार से सम्यापित प्रति जमा करनी होगी और उसी मात्रा (पुनः आयातित सोने और बहुमूल्य पत्थर जड़ने के मूल्यक बराबर) में सादे/जड़ित आभूषणों की मात्रा के बराबर उकसे साथ पुनः निर्यात के बांड भी निष्पादित करेगा । |

# अध्याय-5

## निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल स्कीम

नीति 5.1 नीति के अध्याय 5 में निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम से संबंधित नीति, दी गई है ।

आवेदन प्रपत्र 5.2 लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन, परिशिष्ट-9 में दिए गए प्रपत्र में, उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजे जा सकते हैं ।

आवेदनों पर विचार 5.3 परिशिष्ट 9 में लगे प्रपत्र में, निर्यात दायित्व के लिए प्रयुक्त उत्पादों के लिए, पूर्व उत्पादन, उत्पादन अथवा उत्पादन के बाद इसमें इस्तेमाल के लिए आयात हेतु पूंजीगत माल के अन्तिम प्रयोग को सत्यापित करते हुए स्वतंत्र चार्टेड इंजीनियर से प्राप्त प्रमाणपत्र सहित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ईपीसीजी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है जहाँ, बचाया गया शुल्क 50 करोड़ रूपए हो ।

ऐसे मामलों के लिए जहाँ, बचाया गया शुल्क 50 करोड़ रूपए से अधिक है, आवेदक, संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को एक प्रति पृष्ठांकित करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय के मुख्यालय में सीधे आवेदन कर सकता है । ऐसे मामलों में, मुख्यालय की ईपीसीजी समिति/समक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सिफारिश के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा तदनुसार ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया जाएगा ।

5.3.1 ईपीसीजी लाइसेंस जारी होने के बाद, जहाँ बचाया गया शुल्क 50 करोड़ रूपए तक है, कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के अधिकारियों की एक समिति और जहाँ बचाया गया शुल्क 50 करोड़ रूपए से अधिक है मुख्यालय की ईपीसीजी समिति द्वारा चार्टेड इंजीनियर के प्रमाणपत्र के आधार पर और उनके द्वारा ईपीसीजी नेक्सस मानदण्ड के आधार पर, दो महीने की अनुमानित अवधि के भीतर नेक्सस के अन्तिम रूप दिया जाएगा । नेक्सस को अन्तिम रूप देने के दौरान, मौजूदा निर्यात आयात नीति/प्रक्रियाओं के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा ।

यदि लाइसेंस जारी होने की तारीख से 2 महीने के, भीतर क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी के अधिकारियों की समिति नेक्सस को अन्तिम रूप नहीं दे पाती है तो, आवेदित नेक्सस को अन्तिम मान लिया जाएगा ।

तथापि, जहाँ दस्तावेज/सूचना को न देने के कारण नेक्सस के निर्धारण के आवदेन को रद्द किया है, लाइसेंसधारी 15 प्रतिशत ब्याज सहित, लागू सीमाशुल्क देने का मागी होगा ।

5.3.2 लाइसेंसधारी, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें, आयात पूर्ण होने की तारीख से छः महीने के भीतर लाइसेंस धारी अथवा उसके सहायक विनिर्माता/वेन्डर के फैक्टरी/प्रांगण में अधिष्ठापित करने की पुष्टि की गई हो ।

तथापि, सेवा प्रदायक, या तो क्षेत्राधिकार उत्पाद शुल्क प्राधिकारी अथवा एक स्वतंत्र चार्टेड इंजीनियर से प्राप्त प्रमाणपत्र दे सकता है, जिसमें सेवा प्रदायक के प्रांगण में चल और अचल पूंजीगत माल को अधिष्ठापित करने की पुष्टि की गई हो ।

5.3.3 आयातों के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.19 में निर्दिष्ट एक मात्र पंजीकरण पोत के साथ ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया जाएगा । सभी आयात एक हो पत्तन् से किए जाएगें, जब तक की सीमाशुल्क प्राधिकरण से विशेष अनुमति न ली गई हो। तथापि, पैराग्राफ 4.19 में निर्दिष्ट किसी पत्तन से निर्यात किया जा सकता है ।

5.3.4 (1) ईपीसीजी योजना के तहत, अधिष्ठापन और पूंजीगत माल के रख रखाव के लिए आवश्यक, रिफ्रैक्टरी, कैटालिस्ट और उस ही उपभोज्य सहित स्पेयर्स के आयात के लिए भी आवेदक आवेदन कर सकता है ।

आवेदन में चार्टेड इंजीनियर अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित आवेदक की फैक्ट्री/प्रांगण में अधिष्ठापित प्लांट/मशीनरी की सूची, संलग्न होनी चाहिए, जिसमें स्पेयर्स की आवश्यकता है ।

ऐसे मामलों में, ईपीसीजी लाइसेंस स्पेयर्स की सूची को विनिर्दिष्ट नहीं करेगा बल्कि निम्नलिखित को दर्शाएगाः

(क) प्लांट/मशीनरी का नाम जिसके लिए स्पेयर्स की आवश्यकता है।

(ख) लाइसेंस के तहत अनुमत बचाए गए शुल्क का मूल्य

(ग) नीति के अनुसार निर्यात दायित्व के मूल्य सहित निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का विवरण

(2) लाइसेंसिंग प्राधिकारी स्पेयर्स के लिए ईपीसीजी लाइसेंस जारी करने के पश्चात संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को लाइसेंस की एक प्रति भेजेगा ।

(3) पूंजीगत वस्तुओं के लिए स्पेयर्स के आयात के मामले में लाइसेंस धारक (केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकरण में पंजीकृत हो अथवा न हो ।) क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि की गई हो कि प्रत्येक आयात के पूरा होने की तारीख से एक महीने के भीतर लाइसेंसधारक के रिकार्ड में स्पेयर्स को सूची को ले लिया गया है ।

इसके अलावा निर्यात दायित्व को अन्तिम रूप से पूरा करते समय लाइसेंसधारक को एक स्वतंत्र चार्टेड इंजीनियर से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि लाइसेंसधारक द्वारा रखे गए स्टाक और खपत रजिस्टर के आधार पर अधिष्ठापित पूंजीगत वस्तुओं में इस प्रकार आयातित स्पेयर्स का प्रयोग किया गया ।

तथापि सेवा प्रदायक, क्षेत्राधिकार प्राप्त उत्पाद शुल्क प्राधिकारी या स्वतंत्र चार्टेड इंजीनियर से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है जिसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि आयात पूरा करने की तारीख से छः महीने के भीतर स्पेयर्स की सूची को लाइसेंस धारक के रिकार्ड पर ले लिया गया है ।

| | | |
|---|---|---|
| ई.पी.सी.जी. स्कीम के अधीन ईओयू/एस ई जैड यूनिटे | 5.4 | ई.ओ/ई.पी.जैड एकक नीति के पैरा 6.20(घ) की शर्तों के अनुसार, ई.पी.सी.जी. लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते है । ऐसे आवेदन परिशिष्ट - 9 में दिए गए प्रपत्र में, निर्धारित दस्तावेजों सहित, प्रस्तुत किए जाएँगे । इसके अलावा,आवेदक विकास आयुक्त से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा जिसमें आवेदक द्वारा आयातित |

आवेदक द्वारा स्वदेशी रूप से प्राप्त किए गए पूंजीगत माल का ब्यौरा, आयात प्राप्त करते समय उसका मूल्य और स्कीम के अधीन शुल्क मूल्यांकन के लिए मूल्यह्रास का विवरण होगा ।

ऐसे मामलों को मुख्यालय की ई पी सी जी स्कीम समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी । संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी, संबंधित विकास आयुक्त के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर ई पी सी जी लाइसेंस जारी करेगा ।

**पूंजीगत माल की स्वदेशी स्रोतों से प्राप्ति**

5.5 स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत माल को प्राप्त करने के इच्छुक ई पी सी जी लाइसेंसधारक, सीधे आयात के लिए ई पी सी जी लाइसेंस को अमान्य कराने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अनुरोध भेजेंगे । ई पी सी जी लाइसेंसधारक उस व्यक्ति का नाम और पता भी देगा जिससे वह पूंजीगत माल प्राप्त करना चाहता है।

5.5.1 ऐसे अनुरोध प्राप्त होने पर की लाईसेंस जारी होने के समय या उसके पश्चात लाइसेंसिंग प्राधिकारी सीधे आयात के लाइसेंस को अवैध करेगा और ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारक को, दो प्रतियों में, एक अवैधीकरण पत्र जारी करेगा । लाइसेंसिंग प्राधिकारी साथ-ही-साथ सीधे आयात के बदले में स्वदेशी रूप से पूंजीगत माल प्राप्त करने के लिए ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारक को अनुमति प्रदान करेगा ।

5.5.2 ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारक को पूंजीगत माल की आपूर्ति करने के इच्छुक स्वदेशी विनिर्माता, परिशिष्ट-10 ख में दिए गए प्रपत्र में, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारक को आपूर्ति के लिए पूंजीगत माल के विनिर्माण के लिए यथा अपेक्षित ऐसी निविष्टियों के आयात के लिए मान्य निर्यातों हेतु अग्रिम लाइसेंस को जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

**पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ता को लाभ**

5.5.3 मान्य निर्यात के लाभ का दावा करने के प्रयोजन के लिए पूंजीगत माल का स्वदेशी आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :

क) विनिर्मित पूंजीगत माल की आपूर्ति/अर्जन के प्रमाण के रूप में, फैक्टरी प्रांगण पर क्षेत्राधिकार रखने वाले संबंधित सहायक सीमाशुल्क आयुक्त और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों का प्रमाण पत्र; सेवा प्रदायक के मामले में, स्वतंत्र सनदी इंजीनियर पूंजीगत माल की आपूर्तियों/प्राप्तियों की पुष्टि करने से संबंधित प्रमाणपत्र देना होगा ।

ख) परिशिष्ट - 22क के प्रपत्र में ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारक से सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त भुगतानों का प्रमाण ।

पूंजीगत माल की लीजिंग 5.6 ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारक, पार्टियों के बीच पक्की संविदा के आधार पर नीति के पैराग्राफ 2.25 के अनुसार पूंजीगत माल को घरेलू लीजिंग कम्पनी से प्राप्त करेगा । ऐसे मामलों में, आयातित पूंजीगत माल का प्रविष्टि बिल या स्वदेशी रूप से प्राप्त वाणिज्यिक बीजक, जैसा भी मामला हो, आयात/स्थानीय आपूर्ति के समय ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारक और लीजिंग कम्पनी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे । तथापि, ई.पी.सी.जी. लाइसेंसधारक ही निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

निर्यात दायित्व को पूरा करने की शर्ते 5.7 निर्यात नीति के पैराग्राफ 5.4 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्ते भी लागू होंगीः-

5.7.1 ईपीसीजी लाइसेंसधारक के नाम से निर्यात सीधा निर्यात होगा । तथापि, तीसरी पार्टी के माध्यम से निर्यात की भी अनुमति होगी बशर्ते ईपीसीजी लाइसेंसधारक का नाम जहाजरानी बिल में भी दर्शाया गया हो । यदि व्यापारी निर्यातक आयातक है तो सहायक निर्माता का नाम जहाजरानी बिल में दर्शाया जाएगा । निर्यात के समय, ईपीसीजी लाइसेंस सं. और तारीख जहाजरानी बिल पर पृष्ठांकित किया जाएगा जिसे निर्यात दायित्व के निष्पादन के लिए प्रस्तुत किया जाना है ।

5.7.2 पैराग्राफ 5.7.3 के तहत मान्य निर्यात के अलावा निर्यात आय, मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएगी । तथापि, मुक्त विदेशी मुद्रा में अपरिवर्तनीय साख-पत्र के मद्दे निर्यात के मामले में अथवा यदि विनिमय बिल बिना शर्त एवेलाइज्ड/संयुक्त रूप से स्वीकार्य/बैंक द्वारा गारन्टी दी गई हो और इसकी निर्यातक बैंक द्वारा पुष्टि की गई हो तो निर्यात दायित्व को पूरा करने पर जोर नहीं दिया जाएगा।

5.7.3 निर्यात वास्तविक निर्यात होना चाहिए । तथापि, नीति के पैरा 8.2 (क), (ख), (घ), (च) (छ) और (ज) में यथा निर्धारित मान्य निर्यातों को निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए नीति के पैरा 8.3 के अधीन दिए जाने वाले लाभ हेतु ध्यान में रखा जाएगा ।

ई पी सी जी स्कीम के अधीन मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा और अनुसंधान और विकास सेवाओं के लिए प्राप्त विदेशी मुद्रा में रायल्टी

भुगतान की भी गणना की जाएगी ।
विदेश व्यापार नीति के अध्याय 9 के अनुसार पत्तन की सेवाओं को हैण्डल करने के लिए रूपए में प्राप्त भुगतान को इस योजना के तहत निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए गिना जाएगा ।

5.7.3.1 तेल और गैस क्षेत्र को की गई आपूर्तियों को ईपीसीजी लाइसेंस के मुद्दे निर्यात दायित्व को पूरा किया गया समझा जाएगा बशर्ते लाइसेंस 31.3.2000 को या उससे पहले जारी किया गया हो और ऐसी आपूर्तियों के लिए नीति के पैरा 8.3 के तहत कोई लाभ न लिया गया हो ।

5.7.4 जहाँ निर्यात दायित्व का औसत स्तर भूतपूर्व यूएसएसआर या महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य देश को किये गये निर्यात को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया हो ऐसे मामलों निर्यात के औसत स्तर को ऐसे देशों को किये गये निर्यात से घटा दिया जाएगा । ऐसा अधित्याग सभी ईपीसीजी लाईसेंसों पर लागू में माना जाएगा, जो निष्पादित/नियमित न किये गये हो।

तथापि बाद में दिये जाने वाले ईपीसीजी लाइसेंस के उद्देश्य हेतु औसत निर्यात निष्पादन का परिकलन करने के लिए निष्पादित ईपीसीजी लाइसेंस के अतिरिक्त किसी अन्य ईपीसीजी लाइसेंस के अन्तर्गत किए गए निर्यात को नहीं जोड़ा जाएगा ।

5.7.5 नीति के पैरा 5.7.3 में इस योजना के तहत दर्शाए वास्तविक या मान्य निर्यात के लिए जहाँ विनिर्माता निर्यातक ने उसी निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए ईपीसीजी और शुल्क मुक्त स्कीम या हीरा अग्रदाय लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त किए हैं या डीईपीबी/डीएफआरसी/ प्रतिपूर्ति लाइसेंस के तहत निर्यात किया गया तो इन योजनाओं के अधीन किए गए वास्तविक निर्यात को ईपीसीजी योजना के तहत पूरे किए गए निर्यात दायित्व के रूप में भी गिना जाएगा ।

5.7.6 हथकरघा, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, छोटे क्षेत्र, कृषि, जल कृषि, पशु-पालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, मत्सय पालन, अंगुरोत्पादन, मुर्गीपालन रेशमोत्पाद और सेवाओं, से संबंधित वस्तुओं के निर्यात के मामले में, निर्यात दायित्व का निर्धारण इस नीति के पैराग्राफ 5.1 के अनुसार किया जाएगा किन्तु लाइसेसधारक के लिए नीति के उपर्युक्त पैराग्राफ 5.4 (1) और 5.9 में यथानिर्धारित निर्यातों के औसत स्तर

को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी ।

तथापि इन श्रेणियों द्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत औजारों के छोड़कर आयातित माल निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद की आयात की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए ऐसे मामलों में भी जहां निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया है, बदला नहीं जाएगा । तथापि ईपीसीजी योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं को समूह होटल कम्पनियों को हस्तांतरित किया जा सकता है ।

इसके अलावा जिन मामलों में सेवा प्रदायक वस्तुओं का निर्यात करके निर्यात दायित्व को पूरा करना चाहते हैं तो उसे निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए निर्यात की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुओं के संबंध में पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा के अर्जन के औसत स्तर को बनाए रखना होगा ।

5.7.7 निर्यात दायित्व को नीति के पैरा 5.4 में दी गई शर्तों के अनुसार पूरा करना होगा ।

**निर्यात दायित्व की पूर्ति**

5.8 ई.पी.सी.जी. स्कीम के अधीन लाइसेंसधारक निम्नलिखित अनुपातों में निर्दिष्ट अवधि में निर्यात दायित्व पूरा करेगा :

| लाइसेंस जारी होने की तारीख से अवधि | कुल निर्यात दायित्व का अनुपात |
|---|---|
| प्रथम और पष्टम वर्ष का ब्लाक | 50% |
| सप्तम और अष्टम वर्ष का ब्लाक | 50% |

5.8.1 ऐसे लाइसेंसों जिन पर बचाए गए शुल्क का मूल्य 100 करोड़ या इससे अधिक है, के संबंध में निर्यात दायित्व निम्नलिखित अनुपात में 12 वर्षों की अवधि में पूरा किया जाएगा:-

| लाइसेंस जारी होने की तारीख से अवधि | कुल निर्यात दायित्व का अनुपात |
|---|---|
| 1 और 10 वर्ष का ब्लाक | 50% |
| 11 और 12 वर्ष का ब्लाक | 50% |

5.8.2 तथापि, विशिष्ट ब्लाक वर्ष के निर्यात दायित्व को,पूर्ववर्ती ब्लाक वर्ष में किए गए अधिक निर्यात द्वारा बढ़ाया जा सकता है ।

लाइसेंसधारक निर्यात दायित्व को पूरा करने और डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग करके इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन सुनिश्चित करके वार्षिक रूप से औसत निर्यात के बारे में क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करेगा ।

5.8.3 जहाँ वर्ष के विशेष ब्लॉक का निर्यात दायित्व, उपर्युक्त अनुपातों की शर्तों के अनुसार पूरा नहीं हुआ है ऐसे मामलों को छोडकर जहाँ वर्ष के विशेष ब्लॉक के लिए निर्धारित निर्यात दायित्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया गया हो तो ऐसे लाइसेंस धारक उक्त वर्ष/ब्लाक वर्ष की समाप्ति से 3 महीनों के भीतर उस सामान, जिसमें कुल निर्यात दायित्व का अपूर्ण निर्यात दायित्व के भाग के रूप में समान अनुपात शामिल है, पर देय शुल्क के अनुपात के समकक्ष राशि का सीमाशुल्क और प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत ब्याज अदा करेगा ।

तथापि, 31.3.2000 तक स्कीम के तहत जारी किए गए लाइसेंस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 6.11 में दी गई शर्तों (खण्ड -1) (संशोधित संस्करण - 99) द्वारा संचालित किए जाएँगे । प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड - 1)( आरई- 99) की शर्तों के बाबजूद मूल्यवार कमी के मामले में लाइसेंसधारक को विशेष आयात लाइसेंस वापिस नहीं करना होगा ।

1 अप्रैल 2002 से 31 अगस्त 2004 तक जारी किए गए लाइसेंस प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-02) में दी गई शर्तों द्वारा संचालित किए जाएंगे । तथापि कि पुराने लाइसेंसों के मामले में भी क्लबिंग की शर्त इस प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.18 की मौजूदा शर्त के अनुसार होगी ।

तथापि, जहाँ ईपीसीजी स्कीम के तहत सीमाशुल्क, वास्तविक चूक के लिए विनयमीकरण के लिए निर्यात दायित्व में कमी के संबंध में अदा किया जाना है तो यह उस पर प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित अदा किया जाएगा । यह सुविधा ईपीसीजी लाइसेंसों के विनयमीकरण के सभी लम्बित मामलों के लिए उपलब्ध होगी, चाहे इसे जारी करने की तारीख कोई भी हो ।"

औसत का रख रखाव 5.8.5 ईपीसीजी लाइसेंस के तहत औसत निर्यात का नीति के पैरा 5.4 (1) और 5.9 की शर्तों के अनुसार रख रखाव किया जाएगा ।

तथापि, नीति के पैरा 5.9 में यथानिर्दिष्ट 75 प्रतिशत की सीमा से कम औसत निर्यातों को बनाए रखने में किसी कमी के मामले में, लाइसेंसधारक कमी के वर्ष के अन्त में वैध औचित्य देते हुए इसकी सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को देगा ।

| | | |
|---|---|---|
| निर्यात दायित्व की निगरानी | 5.9.1 | लाइसेंसधारक, जारी किए गए लाइसेंस के प्रति निर्यात दायित्व को पूरा करने में की गई प्रगति के बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । यह रिपोर्ट परिशिष्ट -9क में दिए गए फार्म में प्रस्तुत की जाएगी । रिपोर्ट का आर्वत्तन वर्षवार होगा लाइसेंसिंग प्राधिकारी विशेष वर्ष में पूरे किए गए निर्यात दायित्व तक आंशिक निर्यात दायित्व पूर्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा । |
| 10 प्रतिशत तक कमी/ स्वचलित वृद्धि और निर्यात दायित्व में यथानुपात कमी/वृद्धि | 5.10 | यदि स्कीम के तहत जारी लाइसेंस लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत के अधिक/कम मूल्य के आयात के लिए उपयोग किया गया है तो लाइसेंस को यथा-अनुपात आधार पर बढ़ा दिया जाएगा सीमाशुल्क प्राधिकारी लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना ही लाइसेंस के 10 प्रतिशत अधिक में माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा । ऐसे मामलों में लाइसेंसधारक बाद में आयातों के अधिक लागत बीमा भाड़ा मूल्य को कवर करने के लिए अतिरिक्त फीस देगा । निर्यात दायित्व में यथानुपात वृद्धि होगी हो । |
| | 5.10.1 | इसी प्रकार यदि ईपीसीजी लाइसेंसधारक ने लाइसेंस में दिए गए मूल्य से कम लाइसेंस का प्रयोग किया है तो उसका निर्यात दायित्व लाइसेंस के वास्तविक प्रयोग के सन्दर्भ से यथानुपात आधार पर कम हो जाएगी । |
| निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि | 5.11 | क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी, गुण दोष आधार पर, इस शर्त के मद्दे कि निर्यात दायित्व की समय सीमा निर्यात दायित्व अवधि समय सीमा समाप्त होने की तारीख कुल एक वर्ष (वर्षों) या ब्लाक वर्ष की अवधि के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी जिनमें निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु किसी एक वर्ष अथवा वर्षों के एक ब्लाक तक बढ़ाना शामिल है । इसके अलावा, पिछले ब्लाक वर्ष निर्यात दायित्व अवधि में एक/दो वर्ष की अवधि से अधिक विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी । निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार उन शर्तों के तहत दिया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हो । जहाँ निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाई गई है, लाइसेंसधारक को बढ़ाई अवधि के दौरान औसत दायित्व बनाए |

रखना होगा ।

5.11.1 बाइफर के साथ वास्तविक/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर पंजीकृत फर्म/कम्पनी अथवा समूह कम्पनी अथवा रूग्न ईकाई के रूप में एसएसआई यूनिट के लिए राज्य पुर्नवास स्कीम अथवा यूनिट प्राप्त कोई फर्म/कम्पनी, जो कि बाइफर के अधीन है, महानिदेशक, विदेश व्यापार का निर्यात दायित्व की पूति के लिए निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार के लिए आवेदन कर सकती है ।

फर्म/कम्पनी जो कि बाइफर/राज्य सरकार के पुर्नवास विभाग के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन कर रही है, संबंधित एजेन्सी द्वारा आवेदन की रसीद के 30 दिनों के भीतर ईपीसीजी लाइसेंस के लिए छूट के संबंध में, यदि कोई हो, महानिदेशक, विदेश व्यापार को सूचित करेगी ।

बाइफर/आप्रेटिंग एजेन्सी/राज्य सरकार के पुर्नवास विभाग से प्राप्त सूचना की प्राप्ति पर महानिदेशक, विदेश व्यापार ऐसी फर्म द्वारा प्राप्त किए गए ईपीसीजी लाइसेंस पर लगाए गए निर्यात दायित्व की पूर्ति में चूक के संबंध में संबंधित एजेन्सी से मामले पर विचार करेंगे ।

महानिदेशक, विदेश व्यापार विस्तार की अनुमति के लिए ऐसे आवेदन पर 12 वर्ष तक निर्यात दायित्व की अवधि में अथवा आप्रेटिंग एजेन्सी द्वारा तैयार पुर्नवास पैकेज अथवा बाइफर बोर्ड/राज्य प्राधिकरण, के अनुसार विचार करेंगे ।

निर्यात दायित्व में कमी

5.12 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी, निर्यात दायित्व में 5% तक की कमी को उनके द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन माफ भी किया जा सकता है ।

विमुक्ति

5.13 निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के रूप में, लाइसेंस धारक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :

(क) वास्तविक निर्यात के लिए :

सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् प्रमाणित परिशिष्ट-9क में दिए गए प्रपत्र में, किए गए निर्यात का समेकित विवरण और बैंक द्वारा

निर्यात और मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय मुद्रा में वसूली या सनदी लेखापाल द्वारा विधिवत् प्रमाणित बैंकों के लिए परिशिष्ट-9क में दिए गए प्रपत्र में निर्यातों का विवरण ।

तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ अपरिवर्तनीय साख पत्र अथवा विनिमय बिल बैंक द्वारा बिना शर्तों के अवेलाइज्ड/को-एक्सैप्टेड/गारण्टी प्राप्त है और निर्यातक बैंक द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, तो निर्यात आय की वसूली आवश्यक नहीं होगी ।

ईपीसीजी लाइसेंसधारक ईपीसीजी के लाभ प्राप्त करने के लिए अपरिवर्तनीय साख-पत्र अथवा विनिमय बिल की एक प्रति प्रस्तुत करेगा जो कि बैंक द्वारा बिना शर्तों के अवेलाइज्ड/को-एक्सैप्टेड/गारण्टी प्राप्त तथा जिसकी निर्यातक बैंक द्वारा पुष्टि की गई हो ।

(ख) मान्य निर्यात के लिए :

(1) अग्रिम रिलीज आदेश/बैंक-टू-बैंक अन्तर्देशीय साखपत्र या मध्यस्थ आपूर्तिया के लिए अग्रिम लाइसेंस

या

आपूर्ति प्राप्त हो गई हैं को दर्शाने वाला संबंधित ई.ओ.यू कार्यालय के बंध पत्र द्वारा विधिवत् प्रमाणित आपूर्ति बीजक या एआरई

(2) लाइसेंसधारक, सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भुगतान की प्राप्ति का प्रमाण या परिशिट - 22क में दिए गए प्रपत्र अथवा परिशिष्ट - 12क में दिए गए प्रपत्र में संबंधित परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी भुगतान प्रमाणपत्र की स्वतः प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करेगा ।

(ग) की गई सेवाओं के लिए :

परिशिष्ट - 9ख में दिए गए प्रपत्र में सनदी लेखापाल तथा बैंक/प्राधिकृत डीलर द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई सेवाओं का समेकित विवरण अथवा व्यक्तिगत विवरण (बैंक/प्राधिकृत डीलर वार) जिसमें सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा का प्रमाण दिया गया है ।

सन्तुष्ट होने पर, ई.पी.सी.जी लाइसेंसधारक को निर्यात दायित्व

| | | |
|---|---|---|
| | | के निष्पादन का प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति, सीमाशुल्क प्राधिकारियों जिनके साथ बैंक गारन्टी/विधिक, वचनबद्धता निष्पादित की है, को भेजेगा । |
| वास्तविक चूक का विनियमन | 5.14 | यदि ई.पी.सी.जी लाइसेंसधारी निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो वह पैरा 5.8.1 के अनुसार सीमाशुल्क प्राधिकारी को सीमाशुल्क तथा प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करेगा । |
| लेखों का रख-रखाव | 5.15 | प्रत्येक ई.पी.सी.जी लाइसेंस धारक विमुक्ति की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए स्कीम के अधीन निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए निर्यात/की गई आपूर्ति और प्रदान की गई सेवाओं का सही और उचित लेखा रखेगा । |
| ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात | 5.16 | ई.पी.सी.जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल जो खराब अथवा अप्रयुक्त पाया गया हो अपने आयात के शुल्क के भुगतान की तारीख से 3 वर्षों के भीतर विदेशी सप्लायर को पुनः निर्यात कर दिया जाए जिसकी अनुमति लाइसेंसिंग/सीमाशुल्क प्राधिकारी से ली जाए । |
| पूंजीगत माल का पुनः स्थापन्न | 5.16.1 | स्कीम के तहत आयातित और खराब पाया गया अथवा अन्यथा प्रयोग हेतु अनुचित पूंजीगत माल को पुनः निर्यात किया जाएगा तथा इस स्कीम के तहत उसके बदले में आयात किया जाएगा । ऐसे मामलों में, पुनः निर्यात की अनुमति देते समय, सीमाशुल्क प्राधिकारी प्राप्त किए गए शुल्क लाभ को ऐसे पुनः स्थपित पूंजीगत माल के आयात के समय घटा दिया जाएगा । |
| दण्डात्मक कार्यवाही | 5.17 | निर्यात दायित्व या लाइसेंस की किसी अन्य शर्त को पूरा करने में असफल रहने पर, लाइसेंस धारक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 तथा उसके तहत बनाए गए आदेशों और नियमों एवं नीति तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है । |
| ईपीसीजी लाइसेंसों की क्लबिंग | 5.18 | उसी लाइसेंसधारक के दो अथवा इससे अधिक ईपीसीजी लाइसेंसों की क्लबिंग इसमें दी गई शर्तों के अनुसार होगी । इस पैरा के उप पैरा में उल्लिखित समाप्ति की अवधि ईपीसीजी लाइसेंस के निर्यात दायित्व अवधि के सन्दर्भ से होगी । |

5.18.1 आयातों और निर्यातों का उत्तरदायित्व क्लब किए जाने वाले ईपीसीजी लाइसेंसों में उल्लिखित मदों को प्रतिबन्धित होगा ।

5.18.2 क्लबिंग के लिए आवेदन में केवल क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को किया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार में परिशिष्ट 9-ग में लाइसेंस जारी किया गया है । विभिन्न क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जारी लाइसेंसों के मामले में क्लबिंग की अनुमीत नहीं होगी । संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी केवल निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति पर क्लबिंग के आवेदन पर विचार करेगाः

(क) ईपीसीजी लाइसेंस उसी लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान जारी किए गए हैं,
(ख) ईपीसीजी लाइसेंस उसी सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत जारी किए गए हैं,
(ग) ईपीसीजी लाइसेंस उसी उत्पाद (ों) अथवा उन्हीं सेवाओं के निर्यात के लिए हो ।

5.18.3 इस तरह क्लब किए गए लाइसेंसों के लिए कुल निर्यात दायित्व बचाए गए कुल शुल्क अथवा आयातों के लागत बीमा भाड़ा मूल्य, क्लब किए गए लाइसेंसों, का जैसा भी मामला हो, को ध्यान में रखते हुए, पुनः नियत किया जाएगा ।

क्लब किए गए लाइसेंस की निर्यात दायित्व अवधि क्लब किए गए लागत बीमा भाड़ा मूल्य/क्लब किए गए शुल्क पर बचाई गई राशि, जैसा भी मामला हो, के लिए लागू नीति के अनुसार होगी । दो लाइसेंसों की निर्यात दायित्व अवधि में किसी विसंगति के मामले में, क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी ।

5.18.4 क्लबिंग पर, सभी प्रयोजनों के लिए लाइसेंस उक्त सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत जारी एकल ईपीसीजी लाइसेंस माना जाएगा और क्लब किए गए लाइसेंस के लिए निर्यात दायित्व अवधि पहले लाइसेंस को जारी करने की तारीख से मानी जाएगी ।

5.18.5 क्लब किए गए लाइसेंस के लिए बनाए रखे जाने वाले औसत निर्यात दायित्व क्लबिंग के लिए व्यक्तिगत लाइसेंसों पर लगाए गए औसत निर्यात दायित्वों का अधिकतम होगा ।

5.18.6 समाप्त हो गए लाइसेंसों के मामले में क्लबिंग की अनुमति नहीं होगी । यदि किसी ईपीसीजी लाइसेंस के लिए कोई विशेष (सामान्य विस्तारण के अर्न्तगत) निर्यात दायित्व विस्तारण दिया गया हो; तो इस लाइसेंस पर क्लबिंग के लिए विचार विमर्श नहीं किया जाएगा ।

**निर्यात दायित्व का पुनः निर्धारण**

5.19 (क) ईपीसीजी लाइसेंसधारक नीति के पैरा 5.4 (1) में दिए गए परिशिष्ट 9घ पर दिए गए प्रपत्र में निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए आवेदंन कर सकता है ।

(ख) सभी ईपीसीजी लाइसेंसों के मामले में जहाँ इसके जारी किए जाने के दो वर्षों के भीतर पुनः निर्धारण के लिए आवेदन किया गया है , निर्यात दायित्व लाइसेंस जारी करने की तारीख से बचाए शुल्क के 8 गुणा पर आधारित पुनः निर्धारित किया जाएगा ।

(ग) अन्य सभी ईपीसीजी लाइसेंसों के लिए लाइसेंसधारक आवेदन किए गए विशेष ब्लाक के अन्त अनिवार्य ब्लाकवार निर्यात दायित्व को पूरा करे । उदारणार्थ, यदि लाइसेंसधारक 8 वर्ष की निर्यात दायित्व अवधि के साथ ईपीसीजी लाइसेंस के लिए तीसरे, चौथे वर्ष ब्लॉक में आवेदन करता है, तो वह वास्तविक निर्यात दायित्व के 15 प्रतिशत को पूरा करता हो । ऐसे मामलों में, पुनः निर्धारित निर्यात दायित्व निम्नानुसार निकाला जाएगाः

(पूरा न किया गया प्रतिशत निर्यात दायित्व) x (8) (लाइसेंस जारी करने की तारीख से बचाया गया शुल्क)

(घ) ऐसे मामलों में, जहाँ ईपीसीजी लाइसेंस की शेष निर्यात दायित्व अवधि पुनः निर्धारण के लिए आवेदन की तारीख को 2 वर्ष से कम है, वहाँ निर्यात दायित्व लाइसेंस जारी करने की तारीख को बचाए गए शुल्क के दुगुणे पर पुनः निर्धारित किया जाएगा ।

(ड.) निर्धारित किए गए औसत निर्यात दायित्व और वास्तविक लाइसेंस की निर्यात दायित्व अवधि में परिवर्तन नहीं होगा ।

(च) परिशिष्ट 9 घ के तहत भी आवेदन किए जा सकते हैं यदि लाइसेंसधारक ने उसकी औसत प्राप्त कर ली है और नीति के पैरा 5.4 (1) की शर्तों के अनुसार उत्पादों सेवा परिवर्तन पर ईपीसीजी निर्यात दायित्व पुनः निर्धारित कर हो गया है ।

पूंजीगत माल का तकनीकी उन्नयन 5.20 ईपीसीजी लाइसेंसधारक नीति की पैरा 5.10 की शर्तों के अनुसार ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन का विकल्प चुन सकते है ।

यदि ईपीसीजी लाइसेंसधारक ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित मौजूदा पूंजीगत माल का उन्नयन करना चाहता है, तो वह निम्नलिखित शर्तों के अनुसार तकनीकी उन्नयन का विकल्प चुन सकता हैः

(1) आयात किया जाने वाला पूंजीगत माल नया और पहले के पूंजीगत माल से तकनीकी रूप से बढ़िया होना चाहिए । यह उसी उत्पाद के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाया गया हो, जिसके लिए वास्तविक ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था ।

(2) नए पूंजीगत माल के लिए निर्यात दायित्व पूंजीगत माल और पुराने पूंजीगत माल के तहत पहले ही किए गए निर्यातों दोनों पर बचाए गए शुल्क की छः गुणा कुल राशि का अन्तर होगा ।

(3) निर्यात दायित्व अवधि नए लाइसेंस को जारी करने की तारीख से 8 वर्ष होगी ।

(4) ब्लॉक वार निर्यात दायित्व पूर्ति इस प्रक्रिया के पैरा 5.8 के अनुसार होगी ।

(5) उन्नत पूंजीगत माल के लिए औसत निर्यात दायित्व पुनः स्थापित किए जाने वाले पूंजीगत माल के बराबर होगा ।

पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन के लिए आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 9 ड. में किया जाएगा ।

| | | |
|---|---|---|
| रिफरबिशड/रिकंडीशंड पुर्जों और औजारों का आयात | 5.21 | नीति के पैरा 5.1 और 5.1क में उल्लिखित रिफरबिशड पुर्जों का आयात ईपीसीजी योजना के तहत अनुमत किया जाएगा । |
| | | तथापि इस प्रकार रिफरबिशड/रिकंडीशंड पुर्जों की हालत ईपीसीजी लाइसेंसधारक द्वारा प्रमाणित मूल पुर्जे की कम से कम कालावधि कम से कम 80 प्रतिशत होनी चाहिए । |
| | | ईपीसीजी योजना के तहत आयतित औजार आवेदक की समूह कंपनियों या किसी भी एकक को हस्तांतरित किए जा सकते हैं। |

## अध्याय - 6

### निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू), इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ई एच टी पी), साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी ) स्कीम और बायो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी )

स्कीम

6.1 इसे निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी) और सॉफटवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एच टी पी) स्कीम कहा जाएगा ।

परिभाषाएँ

6.2 ई ओ यू और एस टी पी के उददेश्य हेतु जब तक सन्दर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, शब्द और अभिव्यक्तियाँ नीति में यथा उल्लिखित उनका निम्नलिखित तात्पर्य समझा जाएगा ।

पात्रता

6.3.1 डी टी ए में अनुभव बिक्रियों को छोडकर माल और सेवाओं का समस्त उत्पादन जिसमें सेवाओं को प्रदान करना, पूनः विनिर्माण, रिकंडीशनिंग, इंजीनियरिंग शामिल हैं समस्त उत्पादन माल के विनिर्माण हेतु ई ओ यू, ई एच टी पी या एस टी पी स्कीम के अन्तर्गत स्थापित किया जा सकता है तथापि व्यापारिक यूनिटें अनुमत नहीं होंगी ।

6.3.2 सेवा क्षेत्रों इसमें आर एंड डी साफ्टवेयर और आई टी सेवाएं, या बी ओ ए द्वारा नामित कोई अन्य सेवा कार्यकलाप में यूनिट की स्थापना हेतु प्रस्तावों के अलावा इ ओ यू स्कीम के तहत यूनिटों की स्थापना हेतु आवेदन परिशिष्ट 14 1 ख में उल्लिखित मापदन्ड के अनुसार 15 दिनों के भीतर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 15 दिनों के भीतर अनुमोदित अथवा रद्द किया जाएगा । अन्य मसमनसें में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निकासी के बाद विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा ।

6.3.3 सूचना प्रोद्यौगिक मंत्रालय में अनर्तमंत्रालीय स्थायी (आई एम एस सी) द्वारा विधिवत अनुमोदित सॉफ्टवेयर टेक्नॉलोजी पार्क (ई एच टी पी) कम्पलैक्सों की स्थापना केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र उपक्रम या उसी से संबंधित अन्य संगठन द्वारा की जा सकती है ।

6.3.4 साफ्टवेयर टैक्नालाजी पाक/इलैक्ट्रानिक्स हार्डवेयर तकनालाजी पार्क काम्पलेक्सों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक

अथवा निजी क्षेत्र के उद्यमों अथवा उनके किसी संयोजन के द्वारा स्थापित किया जा सकता है जो संचार और सूचना तकनालाजी मंत्रालय ( सूचना तकनालाजी विभाग ) की अन्तर मंत्रालय स्थायी समिति द्वारा बाकायदा अनुमोदित होगा ।

6.3.5 ईएचटीपी/एचटीपी यूनिट स्थापित करने हेतु आवेदन संचार और सूचना तकनालाजी मंत्रालय (सूचना तकनालाजी विभाग) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होगा तथा सूचना तकनालाजी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा । बीटीपी यूनिट को स्थापित करने हेतु आवेदन-बायो-तकनालाजी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ।

6.3.6 एल ओ पत्नी/एल ओ आई में विनिर्माण मदें/सेवा गतिविधियों वार्षिक क्षमता, डालरों में प्रथम पांच वर्षों के लिए प्रक्षेपित वार्षिक निर्यात, शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन, तैयार माल की बिक्री, उप-उत्पाद और डीटीए में बेकार माल के बारे में नियंत्रण, यदि कोई हो तथा ऐसे कोई अन्य मामले जो आवश्यक हो तथा ऐसी शर्तें भी लगा सकते हैं जो अपेक्षित है का उल्लेख होगा ।

6.3.7 संबंधित प्राधिकारी द्वारा ई ओ यू / ई एच टी पी / एस टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी / एल ओ आई सभी उददेश्यों हेतु लाइसेंस माने जाएंगे । ई ओ यू यूनिटों हेतु एल ओ पी का मानक प्रपत्र परिशिष्ट 14-1 ड में दिया गया है ।

6.3.8 ई ओ यू का अलग एल ओ पी हेतु अलग निर्धारित परिसर होंगे । ई ओ यू लीजड परिसदों पर अनुमोदित की जा सकती है बशर्ते कि लीज सरकारी विभाग/उधम/एजेंसी से प्राप्त् की गयी हो । तथापि, यदि लीज निजी पक्षों से प्राप्त की गयी हो तो इसकी वैधता एल यू टी की तारीख से 5 वर्षों की अवधि हेतु होगी तथा विकास आयुक्त लीज की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा ।

6.3.9 पैरा 8.9 में उल्लिखित अनुमोदित अवधि के पूरा होने पर, स्कीम में बने रहने अथवा उससे बाहर चले जाने का विकल्प यूनिट को होगा । यदि अनुमोदित अवधि की समाप्ति के छह महीनों की अवधि के भीतर यूनिट से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती तो विकास आयुक्त ई ओ यू स्कीम में अन्तर्गत अनुमोदन को स्वयं रदद करने की कार्यवाही करेगा और इस संबंध में

आगे की कार्यवाही करेगा । जहाँ यूनिट स्कीम के तहत बने रहना चाहती है, विकास आयुक्त अनुमोदन अवधि को आगे बढ़ा देगा ।

विधिक वचनबद्धता

6.4.1 अनुमोदित ई ओ यू/ईएचटीपी/एस टी पी यूनिट परिशिष्ट 14 I व में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार विकास आयुक्त को विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी।

6.4.2 अनुमोदित ईओयू/एचटीपीसी/एसटीपी यूनिट को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) के परिशिष्ट 14घ में दिए प्रपत्र मे विकास आयुक्त को विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी। 1अप्रैल, 2003 के तुरन्त प्रभाव से सभी ईओयू यूनिटों को स्वयं की वेबसाइट का ई मेल पता होगा। 1.4.2003 के बाद नयी यूनिटों के लिए विधिक वचनबद्धता नहीं होगी बशर्ते यूनिटें अपना वेबसाइट या ई मेल नहीं होगा। उन्हें आगे निर्यात और डीटीए बिक्री की विकास आयुक्त द्वारा अनुमति दी जाएगी।

... और ... का ...

6.5.1 सॉफ्टवेयर यूनिटें, प्रोफेशनल सेवाओं के निर्यात समेत डाटासंचार लिंकों का इस्तेमाल करते हुए अथवा वास्तविक निर्यात (जो कूरियर सेवा के माध्यम से भी) कर सकती है।

6.5.2 सेवा यूनिटों के अलावा, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट भारतीय रिजर्व बैंक की निकासी के प्रति क्रेता के स्टेट क्रेडिट/एस्क्रो रूपया खाता यदि कोई हो, के पुनः भुगतान के प्रति रूसी फेडरेशन को भी निर्यात कर सकती है।

6.5.3 ईओयू नामित एजेंसी द्वारा जारी नोशनल रेट सर्टीफिकेट के आधार पर आभूषणों का निर्यात करने हेतु अनुमत होगी। यह रेट नोशनल रेट सर्टीफिकेट में प्रचलित स्वर्ण/अमेरिकी डालर दर और अमेरिकी डालर/भारतीय रूपया दर पर आधारित होगा। नामित एजेंसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पोत लदान की तारीख के 3 कार्य दिवसों से पुराना नहीं होना चाहिए1

6.5.4 रत्न और आभूषण ईओयू आयातित माल का पुनः निर्यात और घरेलू खरीद माल का निर्यात कर सकती हैं इनमें आंशिक संसाधन/विनिर्माण से पैदा हुई वस्तुएँ शामिल है। इसके अलावा,

उपयुक्त शुल्क का भुगतान करके यथा लागू वैध रत्न प्रतिपूर्ति के प्रति डीटीए में आयातित अथवा स्वदेशी तौर पर खरीदे माल के मूल्य के 5% तक उपयुक्त/टूटे कर और पालिश्ड हीरों, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों की आपूर्ति भी अनुमत होगी।

निर्यात/वस्तुओं की घरेलू खरीद

6.6.1 घरेलू टेरिफ क्षेत्र सहित पूँजीगत माल के आयात/खरीद की अनुमति होगी:–

(क) कच्चामाल, संघटक, उपभोज्य, अन्तरवर्ती, कल-पूर्जे और पैकिंग सामग्रियाँ।

(ख) पूँजीगत माल, चाहे नया या पुराना हो, जिसमें अबतक के परिवर्तनों सहित निम्नलिखित और उनके कल-पूर्जे:

(i) डी जी सैट्स, कैपटिव पावर प्लांट्स, ट्रांसफार्मर्स तथा सहायक उपकरण और उपर्युक्त सभी के लिए अतिरिक्त पुर्जे।

(ii) प्रदूषण नियंत्रण उपकरण।

(iii) गुणवत्ता आश्वासन उपकरण।

(iv) सामग्री पकड़ने का उपकरण जैसे फोर्क लिफ्ट्स तथा ओवरहैड क्रेन्स।

(v) बिना व्यवधान बिजली आपूर्ति प्रणाली (यू पी एस) संचयन के लिए विशेष रैक्स, संचयन प्रणाली, मोइलर फर्नीचर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, एंटी स्टेरिक कारपेट, टेली कन्फ्रेन्सिंग उपकरण, सर्वो कन्ट्रोल प्रणाली, एयर-कंडीशनर्स, विद्युत उपकरण के लिए पैनल।

(vi) सुरक्षा प्रणाली।

(vii) टूल्स, जिग्स, फिक्चर्स, गेजों, मोल्डस, डाइस, उपकरण तथा अनुषांगिक मदें।

(ग) यूनिट के भीतर पूँजीगत माल बनाने के लिए कच्चा माल।

(घ) अन्य।

(i) उत्पाद दिशान्तरण, विकास अथवा मूल्यांकन के लिए प्रोटोटाइप तथा तकनीकी नमूने।

(ii) ड्राइंग्स, वैल्यू प्रिन्टर्स, चार्ट्स, माइक्रो फिल्म और तकनीकी डाटा।

(iii) पी ए बी एक्स, फैक्स मशीनें, वीडियो प्रोजेक्शन प्रणाली सहित कार्यालय उपकरण।

(ङ) उक्त मदों के लिए कल-पूर्जे तथा उपभोज्य।

(च) अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अन्य कोई मद।

6.6.2 ईओयू मरम्मत/पुनर्निर्माण के बाद निर्यात हेतु सादा/जड़ित

स्वर्ण/प्लेटिनम अथवा चाँदी आभूषणों का आयात कर सकती है।

आयात की शर्तें 6.7 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी द्वारा आयात निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा:—

(क) माल का ईओयू/ईपीजैड/ईएचटीपी/एसटीपी परिसर में आयात किया जाएगा। तथापि, ईओयू/ईपीजैड में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के एकक सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारिक सहायक आयुक्त को पहले ही सूचित करके फार्मों/खदानों में पूँजीगत वस्तुओं और निविष्टियों की आपूर्ति/हस्तांतरण कर सकते हैं बशर्ते माल का स्वामित्व ईओयू/ईपीजैड एकक का हो।

(ख) ईओयू एककों और ईपीजैड/ईएचटीपी/एसटीपी में एककों के लिए सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क संबंधी नियमों के अधीन यथा निर्धारित सामान्य प्रक्रिया अपनाई जायेगी और सीमा-शुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के पास उचित बॉण्ड प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) पूँजीगत वस्तुओं और कल-पूर्जो को छोड़कर वस्तुओं का ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी द्वारा उपयोग सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा तीन वर्ष या बढ़ाई गई अवधि के भीतर नीति के अनुसार किया जायेगा।

(घ) अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी किंये जाने से पूर्व आयातित/जहाज से भेजी गई/पहुँच चुकी वस्तुएँ ईओयू/ईपीजेड/ईएचटीपी/एसटीपी के तहत शुल्क मुक्त निकासी हेतु पात्र होंगी बशर्ते सीमा-शुल्क का भुगतान न किया गया हो और वस्तुओं की सीमाशुल्क प्राधिकारी से निकासी न कराई गई हो।

(ङ) उक्त मदों के लिए कल-पूर्जे तथा उपभोज्य।

(च) अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अन्य कोई मद।

| | | |
|---|---|---|
| अनुमोदित परिसरों के बाहर फैक्स मशीनों/ लैफ्टॉप कम्प्यूटर | 6.8.1 | ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट स्वीकृत कार्य स्थल लेफ्टॉप कम्प्यूटर के बाहर अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर एक फैक्स मशीन लगा सकते हैं बशर्ते इसके कार्य स्थल के बारे में सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंधित सहायक आयुक्त को सूचित किया जाएगा। |
| | 6.8.2 | ईओयू/ईपीजैड/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट आयातित लेफ्टॉप कम्प्यूटर/वीडियों प्रोजेक्शन सिस्टम को बांडेड कार्य स्थल से अस्थायी रूप से बाहर ले जा सकते हैं ताकि इनपर प्राधिकृत कर्मचारी कार्य कर सकें। |
| | 6.8.3 | ईओयू/ईपीजैड/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिटें अपने पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय में शुल्क मुक्त आयातित/प्राप्त निजी कम्प्यूटर, जो दो से ज्यादा न हो लगा सकतें हैं बशर्ते कि वे इस संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हो। |
| | 6.8.4 | सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर यूनिटों द्वारा प्राधिकृत सूचना प्रौद्योगिकी संचालित सेवाएँ और व्यक्ति संचार लिंकों के माध्यम से ईओयू/ईपीजैड/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट में स्थापित सुविधा का लाभ ले सकते हैं। |
| पूँजीगत माल की लीजिंग | 6.9 | लीजिंग कम्पनियों के माध्यम से वित्तपोषित मुफ्त प्राप्त और/अथवा ऋण आधार पर आयातित पूँजीगत माल के मूल्य को भी नीति में यथा परिभाषित नेट विदेशी मुद्रा के परिकलन के उद्देश्य हेतु गिना जाएगा। |
| शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन | 6.10.1 | विशेष आर्थिक जोन स्कीम के अधीन ईओयू/ईपीजैड/ईएचटीपी/ एसटीपी यूनिटें शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन का संगणना निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार किया जाएगा।<br><br>सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) = ए – बी > 0<br>जबकि<br>(क) विशेष आर्थिक जोन यूनिट द्वारा निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है। और<br>(ख) सभी आयातित व निविष्टि का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, सभी आयातित माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य और पिछले पाँच वर्षों के दौरान बाह्य उधार पर ब्याज के माध्यम से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी भुगतान का मूल्य या कोई अन्य प्रभार का समग्र योग है। निविष्टि का तात्पर्य कच्चे माल, अन्तखर्ती, संघटक, उपभोज्य, कलपुर्जे और पैकिंग से है। |

6.10.2 यदि कोई निविष्टि अन्य एस ई जैड/ईओयू/ईपीजैड/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट या भारत में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शियों से प्राप्त होती हैं तो ऐसी निविष्टि का मूल्य बी के अधीन शामिल किया जाएगा।

6.10.3 यदि किसी लीजिंग कम्पनी से मुफ्त आयातित किसी पूँजीगत माल को लीज किया जाता है, मुफ्त और/अथवा ऋण आधार पर या हस्तांतरण आधार पर प्राप्त किया जाता है तो उसको प्रत्येक यूनिट के पास जिस शेष अवधि के लिए बी के अधीन यथानुपात जैसा भी मामला हो, शामिल किया अथवा नहीं किया जाएगा।

6.10.4 शुद्ध विदेशी मुद्रा के वार्षिक संगणना के लिए आयातित पूँजीगत माल के मूल्य का भुगतान इस प्रकार किया जाएगा।

प्रथम दस वर्ष - 10 प्रतिशत।

खातों का रखरखाव

6.11.1 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिटें अपने खातों को नियमित रखें और परिशिष्ट-14 1-च में दर्शायें गए नियमों के अनुसार विकास आयुक्त/सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय/जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नामित अधिकारी तथा सीमाशुल्क एवं केंन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

6.11.2 यूनिट डीटीए में निर्यात और बिक्री/आपूर्ति या अन्य ईओयू/ईपीजैड/ ईएचटीपी/एसटीपी यूनिटों को हस्तांतरित और अपने स्टॉक के शेष माल के माध्यम से प्रमुख मालों के प्रत्येक श्रेणी के आयात/प्राप्त माल का हिसाब लगा सकेगी। नीति के शर्तों के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा तय नहीं किये गये माल के मामले में स्पष्टीकरण देना होगा।

नेट विदेशी मुद्रा की निगरानी

6.12.1 प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14छ में उललिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिटों के निष्पादन की निगरानी की जाएगी।

6.12.2 सकारात्मक एन एफ टी सुनिश्चित न कर पाने और ओपी/एलओआई/आईएल/एलयूटी की शर्तों का अनुसरण न कर पाने पर इस एकक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास तथ

| | | |
|---|---|---|
| | | विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के अधीन किसी अन्य कानून/ नियमों और एलओपी/एलओआई/आई एल को रद्द करके या मंजूर करके बिना किसी पूर्वाग्रह के दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगा । |
| | 6.13 | सोना/चाँदी/प्लेटिनम का स्क्रैप/डस्ट/स्वीपिंग ईओयू/ ईपीजैड से गर्वन्मैंट ऑफ इण्डिया मिण्ट/प्राइवेट मिण्ट को भेजी जा सकती है और सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मानक रोध में उन्हें लौटाई जा सकती है अथवा सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित सोना/ चाँदी/प्लेटिनम काण्टेन्ट के आधार पर लागू सीमाशुल्क के भुगतान पर डीटीए में बेचने की अनुमति दी जा सकती है । |
| डीटीए आपूर्ति | 6.14 | नीति के पैरा 6.8 में डी टी ए बिक्री के प्रावधान को ध्यान में न लाकर, ऐसी डी टी ए बिक्री उस समय में आयात के समय लागू नियमों एवं अन्य प्रतिबंधों को भी ध्यान में लाना होगा ऐसा करने से आयातक किसी अन्य लागू नियम/विनिमय की छूट के लिए अधिकृत नहीं होगा । |
| अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड यूनिटों को आपूर्ति | 6.15 | अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड यूनिटों को आपूर्ति निवल विदेशी मुद्रा से गिनी जाएगी बशर्ते कि ऐसे माल इन यूनिटों द्वारा प्राप्ति के लिए अनुमत हैं । |
| अन्तर एकक ऊर्जा का हस्तांतरण | 6.16 | एक ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट से दूसरे ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड यूनितट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति होगी । |
| | 6.17 | डीटीए से ईओयू एकको को बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया (खण्ड-1) में उल्लिखित मदों के लिए दरों पर प्रतिर्पू लाइसेंस पाने के पात्र होंगे । प्रतिपूर्ति लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के संगत अध्याय में है । तथापि, आवेदन संबंधित एस ई जैड के विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए । ईओयू को ऐसी आपूर्तियों को मान्य निर्यात लाभों के किसी भी प्रयोजन के लिए मान्य निर्यातों के रूप में नहीं माना जाता है । |

6.18 ऊपर दी गई सभी हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र संबंधित एसईजैड के विकास आयुक्त को प्रस्तुत किए जाए ।

**स्तर धारकों के जरिए निर्यात**

6.19 कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क की यूनिट अपने विनिर्मित माल/इसके द्वारा विकसित साफ्टवेयर का निर्यात किसी अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/साफ्टवेयर पार्क यूनिट अथवा इस नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किसी व्यापारी निर्यातक/स्तरधारी के जरिए कर सकती है बशर्ते कि :-

क) माल संबंधित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी में तैयार किया जाएगा ।

ख) निवल विदेशी मुद्रा का स्तर अथवा यथानिर्धारित आयातों और निर्यातों से संबंधित अनय शर्ते संबंधित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी द्वारा विनियमित की जाएगी ।

ग) इस प्रकार से प्राप्त निर्यात आदेश ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी स्कीम के अन्तर्गत ही निष्पादित किए जाएंगे और माल यूनिट से सीधे ही पोत लदान के पत्तन पर भेज दिया जाएगा ।

घ) इस प्रकार के निर्यात ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों द्वारा एन एफ ई को पूरा करेन के लिए अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट से या अन्य निर्यातक से ई ओ यू द्वारा आपूर्ति किए गए मूल्य के आधार पर गणना की जाएगी ।

ड.) सभी निर्यात पात्रताएँ जिसमें स्तरधारक की मान्यता भी शामिल हैं भी निर्यातक के खाते में जोड़े जाएंगे जिसके नाम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है तथापि ऐसा निर्यात ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात आभार को पूरा करने के लिए गिना जाएगा ।

6.20.1 निर्यात सदन, व्यापार सदन, स्टार व्यापार सदन या सुपर स्टार व्यापार सदन स्तर के प्रयोजन के लिए ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट के मुख्य कंपनी अथवा विलोमतः के निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के साथ निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य को मिला दिया जाएगा ।

6.20.2 भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सेवा गतिविधियों के सीधा विदेशी निवेश पर क्षेत्रीय मानदण्ड लागू होंगे ।

6.20.3 प्रशिक्षण प्रयोजन (जिसमें वाणिज्यिक प्रशिक्षण शामिल है) के लिए सॉफ्टवेयर यूनिटों को कम्प्यूटर पद्धति के उपयोग की भी अनुमति है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए बाण्डेड परिसर से बाहर कोई कम्प्यूटर टर्मिनल न हो ।

6.20.4 ईओयू विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार प्रणाली लागू नहीं होगी । लौह अयस्क का निर्यात भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णय के अधीन होगा । आई टी सी(एचएस) के अनुसार निर्यात की अन्य शर्तें जैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य/ उपभोक्ता पैक आदि में निर्यात की अपेक्षा डीटीएस खरीदे गए कच्चे माल और प्रसंस्करण/विनिर्माण के बिना निर्यात के मामले में लागू होगी । क्सा मदों का निर्यात द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत आएगा । काष्ठ आधारित एककों को इमारती लकड़ी/अन्य काष्ठ के उपयोग के संबंध में 1996 के रिट याचिका संख्या 171 टीएन गोडावर्मन थिरूमुलपाद बनाम भारत सरकार और अन्य - 1995 के रिट (सिविल) संख्या 202 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश में दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा ।

उप ठेके 6.21.1 अन्य ईओयू या एसईजेड यूनिट अथवा डीटीए की यूनिट के माध्यम से ईओयू रत्न और आभूषण यूनिटों द्वारा उप-ठेका निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाएगा :-

(क) उप ठेके पर दिया गया तौर या अर्ध तैयार माल जिसमें जड़ितस आभूषण भी शामिल हैं, की 30 दिनों के भीतर यूनिट में वापस लाना होगा ।

(ख) किसी कटे और पालिस किए हीरों, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों जिनपर शून्य शुल्क हो, को छोड़कर) उप-ठेके पर देने की अनुमति नहीं होगी ।

(ग) डीटीए/यूओयू/एसईजैड यूनिटों से सोना/चाँदी/ प्लेटिनम के बराबर मात्रा के बदले प्राप्त सोना/चाँदी/ प्लेटिनम के आभूषण, जैसा भी मामला हो, उक्त आभूषण शामिल हैं ।

(घ) ईओयू, उप ठेके हेतु अदला-बदली के मद्दे यथा लागू छीजन के लिए पात्र होगा ।

(ड.) डीटीयू यूनिट जो सोना/चाँदी/प्लेटिनम केम दबल में फुटकर ठेका या आभूषण आपूर्ति का कार्य करती हैं वे मान्य निर्यात लाभों के पात्र होंगे ।

6.21.2 डीटीए यूनिट से जाब वर्क करवाने की सुविधा तब भी उपलब्ध होगी चाहे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण में जाबवर्कर को पंजीकृत न भी कराया गया हो । यह इस शर्त के अधीन होगा कि जाबवर्क पूरा होने पर वस्तुओं को यूनिट के प्रांगण में वापस लाया जाएगा ।

6.21.3 फुटकर ठेकेदार के परिसर से तैयार माल के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे परिसर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हों । जहां जाब वर्कर एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट है, ऐसे मामलों में उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकरण की अपेक्षा नहीं है और निर्यात या तो जॉब वर्कर के परिसर अथवा यूनिट के परिसरों से किया जा सकता है । जॉब वर्कर के परिसर से ऐसे उत्पादों के तृतीय पार्टी के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी जैसा कि नीति में उल्लेख किया गया है ।

6.21.4 ईओयू को उन ठेकेदारों के परिसर से मोल्ड्स जिग्स, टूल्स, फिक्चर्स, टेकल्स, उपकरण, हैंगर्स और पैटर्न और ड्राइंग को हटाने की अनुमति होगी बशर्ते कि इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर फुटकर ठेका कार्य पूरा होने पर यूनिट के परिसर में वापस लाने की अनुमति होगी । इस माल के साथ कच्चा माल भेजा अथवा नहीं भी जाएगा ।

6.21.5 विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के उपठेके के मामले में माल का उपठेकेदार के परिसर से निर्यात किया जा सकता है । बशर्ते है कि जॉबवर्क परिसरों का, निर्यात घोषणा फार्मों, बीजकों आदि में घोषणा की जाए और पूरी विदेशी मुद्रा देश में वापस लाई जाए ।

ठेका कृषि 6.22 ठेका कृषि में संलग्न कृषि/बागवानी की निर्यातोन्मुखता यूनिटें सीमाशुल्क प्राधिकारियों से वार्षिक अनुमति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के मद्दे डीटीए फार्म से उपकरण और साजो सामान निकाल सकती है (परिशिष्ट 14 I)

(क) ठेके फार्मों से ईओयू द्वारा निवेशों की आपूर्ति विदेश व्यापार महानिदेशालय/अनुमोदन बोर्ड द्वारा अधिसूचित निवेश उत्पादन मानदंडों के मद्दे होगी ।

(ख) ईओयू और डी टी ए किसानों के बीच खेती संबंधी ठेका होगा ।

(ग) ईकाईयां कम से कम दो वर्ष तक कार्यरत होनी चाहिए तथा वह कृषि/बागवानी उत्पादों के निर्यात में संलग्न रहनी चाहिए अन्यथा दो वर्ष पूरा होने तक उस यूनिट को उप/सहायक आयुक्त सीमाशुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास बाहर ले जाने वाले माल के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी ।

| | | |
|---|---|---|
| प्रदर्शनी के माध्यम से निर्यात/निर्यात संवर्धन दौरे | 6.23 | ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने/ प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन माल का निर्यात कर सकती है :-<br>(क) यूनिट, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को मूल का पत्र या इसकी प्रमाणित प्रति जिसमें विकास आयुक्त का अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा । रत्न और आभूषण मदों के लिए, उत्पाद की एक स्व प्रमाणित फोटोप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी ।<br>(ख) पुनः आयात के मामले में, आने पर ऐसे मदों को, निकासी से पूर्व निर्यात दस्तावेजों के साथ प्रमाणित किया जाएगा ।<br>(ग) जो मदें विदेश में बिकी न हो, प्रदर्शनी समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर उसका आयात किया जाएगा । तथापि, यदि निर्यातक प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में, भाग लेना चाहता है तो 60 दिनों की गणना प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने की तारीख से की जाएगी। |
| निर्यात संवर्धन दौरों के लिए रत्न एवं आभूषणों का व्यक्तिगत असबाब | 6.24 | ईओयू द्वारा निर्यात संवर्धन दौरों और विदेशों में अस्थायी प्रदर्शन/बिक्री के लिए 100,000 अमरीकी डालर तक के सोना/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों, कटे और पालिश हीरों, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, मानकों और नमूनों के रूप में सामग्री के व्यक्तिगत असबाबों की निम्नलिखित शर्तों पर विकास आयुक्त की अनुमति है :-<br>(क) ईओयू प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर माल को वापस लाएगा अथवा सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से बिक्री आय को वापस लाएगा ।<br>(ख) यूनिट ऐसे नमूनों के व्यक्तिगत असबाब की सीमाशुल्क को देश छोड़ने से पहले घोषणा करेगा/ आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा । |
| विदेशों में शोरूम शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से निर्यात | 6.25 | विदेश में स्थापित अनुमत दुकानों या वितरकों/एजेंटों के शोरूम में प्रदर्श/बिक्री के लिए भी माल के निर्यात की अनुमति है, जो मद 180 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकतीं हैं उसका 45 दिनों में पुनः आयात किया जाएगा । |
| निर्यात संवर्धन दौरों के लिए रत्न और आभूषण का व्यक्तिगत | 6.26 | ईओयू सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल की बिक्री के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वायु-पत्तनों में शो रूम/फुटकर दुकान स्थपित कर सकते हैं, जो मद 60 दिन के भीतर विदेशों में नहीं बिकती है उसे संबंधित ईओयू निर्यात या लौटा जाएगा । |

असबाब

**आयात और निर्यात पार्सलों के व्यक्तिगत असवाब जिनमें विदेश जाने वाले यात्रिओं का असबाव भी शामिल है**

6.27.1 रत्न और आभूषण मदों के पर्सनल कैरेज के माध्यम से आयात/निर्यात, सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा तथापि निर्यात आय सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। रत्न ओर आभूषण यूनिटों से अन्य पर्सनल कैरेज यूनिटों के माध्यम से आयात/निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते की माल वाणिज्यिक मात्रा में न हो ।

6.27.2 विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत कैरेज के लिए ईओयू यूनिट द्वारा निर्यात के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँगे :-

(क) ईओयू द्वारा फाईल की गई पोत लदान बिल की प्रति ।

(ख) विदेशी खरीददार द्वारा आगमन के समय सीमाशुल्क को प्रस्तुत मुद्रा घोषणा फार्म की प्रति ।

(ग) बैंक से विदेशी मुद्रा प्रति/नकदीकरण प्रमाणपत्र

6.27.3 इसके अलावा विदेश जाने वाले यात्रियों के व्यक्तिगत कैरेज की डाक्यूमैंट अगेन्स्ट एक्सप्टैन्स (डी ए) कैश आन डिलवरी (सी ओ डी) आधार पर अनुमति होगी ईओयू को निर्यात के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

(क) पोत लदान बिल की प्रति

(ख) निर्यात आय प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र

6.27.4 आयात पार्सलों का व्यक्तिगत कैरेज के लिए वहीं प्रक्रिया जो वायुभाड़ा द्वारा माल को आयात के लिए होती है इसमें वह पार्सल शामिल नहीं है जिसे ईओयू / विदेशी नागरिक द्वारा जाँच ओर निकासी के लिए सीमाशुल्क के पास लाया जाता हे । इस संबंध में कस्टम प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का आवश्यक परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जाएगा ।

6.27.5 विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा पार्ट्स को व्यक्तिगत समान के तौर ले जाने की अनुमति होगी यदि ग्राहक के स्थान पर निर्यातित माल की मरम्मत हेतु उनकी आवश्यकता हो । निर्यातों के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

(क) निर्यातों हेतु सीमाशुल्क कार्यालय से अनुज्ञा पत्र

(ख) मूल्य सहित बीजक (भुगतान करने पर अथवा निःशुल्क)

| | | |
|---|---|---|
| आयातित/माल का प्रतिस्थापन/ मरम्मत | 6.28.1 | यूनिट पूँजीगत माल की मरम्मत के लिए विदेश भेजा जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए किसी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति होगी । |
| | 6.28.2 | इ ओ यू / इ एच टी पी/ एस टी पी यूनिट अपने रिकार्ड के अनुसार और सीमा शुल्क प्राधिकरी की अनुमित से निम्नलिखित कार्य करेगा। |
| | क | माल के मरम्मत/ प्रतिस्थाफ/जाँच या केलिब्रेसन तथ रिर्टन के लिए डीटीए/ विदेश को स्थान्तरित करेगा। |
| | ख | माल के वापसी के हुए सीमाशुल्क के उपयुक्त बचनबद्धता देते हुंए शुल्क का भुगतान किये बिना प्रतिवर्ष रू. 5 लाख तक के माल का किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/ संस्थान को गुणवत्ता जाँच/ आर एण्ड डी प्रयोजन के लिए स्थाना चरण किया जा सकता है तथापि यदि माल नष्ट हो जाता है इस आशय का प्रर्याण शाल/संस्थान से सीमा शुल्क को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। |
| नमूने | 6.29 1 | इ ओ यू/ इ एच टी पी/ एस टी पी यूनिट अपने रिकार्ड के अनुसार तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों की पूर्व सूचना देकर डी टी ए में नमूनों की आपूर्ति या विक्रय कर सकता है। वे यथा लागू शुल्क का भुगतान करके प्रदेश/ बाजार संवर्धन कर सकते हैं। |
| | 6.29 2 | निर्धारित सीमा के भीतर नमूनों को वापस तीन के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को उपयुक्त वचनबद्धता प्रस्तुत करके शुल्क के भुगतान किये बिना हराया जा सकता है। |
| | 6.29 3 | सभी इ ओ यू करि पर एजेंसियों/डाकघर के माध्यम सहित नियात के सभी अनुमत तरीकों से किसी सीमा के बिना मुक्त नियात का सकता है जिनमें वैक्स मौल्ड, सिल्वर गोल्ड और रबर गोल्ड के नमूने शामिल है |
| कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर पैरिफेरिल्स के दान | 6.30 | संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इ ओ यू/ इ एच टी पी / एस टी पी यूनिट को वह अनुमति दी गयी है वह आयातित/ स्वदेशा खदीदे गये उधार किये गये। कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पैरिफिरिपल जिनमें प्रिन्टर्स, प्लौटर, स्कैनर, मानिटर, की बोड्र और स्टोरेंज यूनिट शामिल हैं उनको आयात/खरीद और पउपर्याज के दो वर्ष के बाद शुल्क का भुगतान किसी मान्यताप्रापत गैर वाणिज्यिक शिक्षा संस्थाओं, पंजीकृत खैराती अस्पताओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों सरकारी निधि प्राप्त अनुसंधान और वकास प्रतिष्ठानों, सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के संगठनों को इस संबंध में जारी सीमा/उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार दान स्वरूप दे सकता है। |

| | | |
|---|---|---|
| माल को नष्ट करना | 6.31 | सीमा शुल्क प्राधिकारीयों को सूचना देकर या यूनिट के बाहर पूँजीगत माल कच्चा माल, उपभोज्य, कलपूर्जे, विर्निमित माल/ प्रसंस्कृत4 या पैक्ड और स्क्रेप/ अवशिष्ट/अवशष/रड्डीमाल को नष्ट करने के मामले में कोइ शुल्क देय नहीं होगा। नष्ट करना जैसे उपर उल्लेख किया गया है, सोनला चाँदी, प्लेटिनियम, हीरा बहुमूल्य अर्द्धमूल्य पत्थरां पर लागू नहीं होगा। |
| पृथक पहचान | 6.32 | यदि औद्योगिक उद्यू धरेलू यूनिट पहचान के साथ साथ इ ओ यू/ इ एच टी पी / एस टी पी यूनिट दोनो रूप में कार्य कर रहा है तो उसके दो पृथक पहचान होगी और पृथक-पृथक बैंक खाते होंगे। तथापि इसके यह आवश्यक नहीं है की उसकी कोई पृथक कानूनी पहचान हो लेकिनल इ ओ यू/ इ एच टी पी/ एस टी पी द्वारा प्रभावी आयात और निर्यात अथवा आपूर्तितयों को प्रतिष्ठान के अन्य पूजीयों द्वारा किये गये कार्य से पृथक करना संभव हो। |
| यूनिट अनुमोदन समिति | 6.33.1 | एकक अनुमोदन समिति की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार होगेः- |
| | (क) | सेवा क्षेत्र ( साफ्टवेयर और आइ संबंधी सेवाए या बो ए ए द्वारा सौपी गई कोई अन्य सेवा) औद्योगिक ( विकास और विनिमयन) अधिनियम 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस वाली मद के लिए यूनिट स्थापित करने हेतु कोई अन्य प्रस्ताव के अलावा इ ओ यू स्थापित करने के लिए आवेदन पर बी ओ ए द्वारा विचार किया जाएगा। |
| | (ख) | एस इ जैड से इ ओ यू में यूनिट के परिवर्तन पर विचार और अनुमति |
| | (ग) | यूनिट के कार्य निष्पादन की मानिटरिंग |
| | (घ) | यूनिट को डी गयी अनुमति निकासी, लाइसेंस का पर्यवेक्ष और मानिटरिंग तथ विधि के अनुसार समुचित कारवाई करना |
| | (ड) | यूनिट को दी गयी अनुमति निकासी लाइसेंस के अधीन अउसके काय निष्पादन का मानिटरिंग करने के लिए उपस्थिति सूचना मागना। |
| | (च) | केन्द्रीय सरकार या उसकी ऐजेंसिया द्वारा साये माप किसी अन्य कार्य का निष्पादन। |
| | (छ) | राज्य सरकार या उसकी ऐजेंसिया द्वारा साये माप किसी अन्य कार्य का निष्पादन। |
| | (ज) | इ ओ यू की स्थापना और प्रचालन के लिए सभी अनुमोदन और निकासी देना |

ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों का अनुमोदन — 6.33.2 ईएचटीपी/एसटीपी योजना के तहत यूनिटों के मामलें में, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिक के विभाग/निदेशक ( एसटीपीआई) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी । इसी प्रकार बीटीपी के तहत यूनिटों के मामले में, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी । तथापि, परिशिष्ट 14-झ ख में दिए अनुसार, नए यूनिटों के स्वतः अनुमोदन देने के लिए मनोनित अधिकारी इसके निर्धारित मानदण्डों को अपनाएँगे ।

इ ओ यू का प्रशासन/विकास आयुक्त की शक्ति — 6.34 यूनिट के संबंध में विकास आयूक्त की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी। विकास आयूक्त का अधिकार क्षेत्र परिशष्ट 14-1(ट) में दिया गया हैं।

(1) पूँजीगत माल जिसके आयात की अनुमति की कोइ अवधि समित नहीं है शामिल है की सूची प्रमाणित करना
(2) रूग्ण/बन्द डी टही ए यूनिट को इ ओ यू में बदलना
(3) इ ओ यू को एस टी पी / इ एच टी पी तथा बिलोमतः में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन करना।
(4) विदेश विनिमय दर के घटने बढने के कारण भारतीय रूपये में पूँजीगत माल के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति

5. केवल बिना लाइसेंस वाले उद्योगों के मामले में सीमा से परे क्षमता वृद्धि अनुमत करना।
6. एल पी में उल्लिखित समान वस्तुओं के लिए ब्रोडे वैन्डिंग की अनुमित देना अथवा विनिर्माक के मौजूदा पद्धति को बैकवर्ड या फारवर्डलिंकेज प्रदान करना।
7. कार्यान्वियन समिति या कम्पनी के नाम परिवर्तन को अधिकृत करना तथ एक कम्पनी से दूसरे में परिवर्तन करना बशर्ते कि नयी कर्यान्वयन समिति। कम्पनी, मौजूदा यूनिट की सम्पत्ति और जिम्मेवारी लेने का बचन देती है।

8. एल ओ पी में उल्लिखित स्थन से दूसरे स्थान में परिवर्तन अनुमत करना और या अतिरिक्त स्थान सम्मिलित करना बशर्ते कि अनुमोदन के अन्य शर्तो तथा समझौतों में किसी परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और नया स्थान डी सी के क्षेत्राधिकार के भीतर हैं।
9. एल ओ पी के वैंधता अवधि को एल ओ पी के शुरूआती वैंधता अवधि से 3 वष से बढ़ाना ( अनुमोदन के शुरूआती अवधि पर जहाँ कही भी प्रतिबधिता हैं वैसे मामलों के अलावा, जैसे तेल परिशेधन परियोजना की स्थापना करना )
10. जहाँ कही भी न्याय संगत हो, एल ओ पी को निरस्त करना।
11. दो या अधिक यूनिटों को एक यूनिट में विलय बशर्ते की यूनिटें उसी डी सी के क्षेत्राधिकार में आती हैं, इस शर्त पर कि कार्यकलाप ब्रोंड बैन्डिंग के प्रावधानों के तहत शामिल हैं।
12. राजपत्र अधिसूचना संख्या सां0 आ0 194 ( ड.) दिनांक 6.3.2000 में यथा उल्लिखित निर्यात आभिमुख यूनिटों के संबंध में विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 की धारा 2 के साथ् पठित धारा 13 के अन्तर्गत अधिनिर्णय शक्तियों का प्रयोग करना।
13. भारतीय रिजर्व बैंक ए.डी. (एम ए श्रृंख्ला ) परिपत्र ए वी (डी आइ आर श्रृख्ला परिपत्र संख्या 9 दिनांक 25.10.2001 ) के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा साफ्टेक्स फार्म पर घोषित निर्यातों का मुल्यांकन करना।
14. गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 25022/7/99-एफ 1 दिनांक 20.9.1999 के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा निम्न स्तर के विदेशी तकनीशियनों को काम में लगाने के लिए रोजगार वीसा प्रदान करने के लिए योग्यता प्रभाव पत्र जारी करना।

पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र

15. निर्यातोंमुखी यूनिटों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में काम करना। नीति के पैरा 2.44 में दिये पैरा अनुसार उनेके मामलों में अलग पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

आयातक निर्यातक कोड संख्या

16. फर्म को यिद पहले आयतिक निर्यातक कोड संख्या आवंटित नहीं की गयी है तो निर्यात अभिमुख यूनिटों को उसे आवंटित करना।

ग्रीन कार्ड

17. विधिक् वचन वद्यता निष्पादन के बाद अपने आप ग्रीन काड्र जारी करना ।
18. निर्यातोन्मुखी यूनिटों के संबद्य में स्तर प्रयास पत्र की

| | | |
|---|---|---|
| | | स्वीकृतिं/नविनीकरण बशर्ते कि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में इसके उद्गम कम्पनी के निर्यात के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का मिलाना शामिल नहीं है। |
| | 19. | निर्यातोन्मुखी यूनिट स्कीम का उसके क्षेत्राधिकार में प्रचार । |
| ई पी सी जी स्कीम के अन्तर्गत पूँजीगत माल की निकासी | 6.35 | पुराने पूंजीगत माल के आयात की निकासी की अनुमति इ पी सी जी स्कीम के तहत नीति के अनुसार, दी जायेगी। आयात के समय पुराने घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में निकासी की अनुमति केवल पूंजीगत माल की निकासी की अनुमति आयात की तारीख से 2 वर्ष से ज्यादा पुराने है । |
| पूंजीगत माल के लिए ह्रास मानण्ड | 6.36.1 | सूचना प्रौद्योगिकी मदों के मामले में 5 वर्षो में पूँजीगत माल के लिए ह्रास 100 प्रतिशत है तथा अन्य मदों के मामले में यह 10 वर्ष होगा । |
| कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पेरीफेरियल्स के लिए मूल्यहास मानदण्ड | 6.36.2 | सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक यूनिटों के लिए कम्प्यूटर पेरीफेरलस तथा कम्प्यूटर के लिए ह्रास निम्नवत होगाः-<br><br>प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 10 प्रतिशत<br>द्वितीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 8 प्रतिशत<br>तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 5 प्रतिशत<br>चौथे और पाँचवे वर्ष में प्रत्येक तिमाही हेतुं 1 प्रतिशत |
| पूँजीगत माल के लिए मूल्यहास मानदण् | 6.36.3 | उपरोक्त के अलावा में पूँजीगत माल के लिए द्वारा की दर निम्नवत होगी:-<br>प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत<br>द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत<br>चतुर्थ और पॉचवे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत<br>उसके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए 2 प्रतिशत |

रूपान्तरण 6.37.1 मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटों इ ओ यू/ इ एच टी पी/ एस टी पी में रूपान्तरण के लिए आवेदन कर सकती है लेकिन पूर्वस्थापित प्लाण्ट, मशीनरी और उपकरण के लिए स्कीम के तहत शुल्क और करो मे कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी। परिवर्तन के बाद विनिर्माण के प्रारम्भ होने की मूल तारीख से आयकर से अधिकतम 10 वर्ष के लिए छूट होगी अथवा आयकर अधिनियम घारा-10 के तहत निर्धारित छूट प्राप्त होगी, जो भी पहले हो । इस प्रयोजन के लिए धरेलू प्रशुल्क क्षेत्र एकक संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास आयुक्त को उसी तरह आवेदन कर सकता है जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू होगा। यदि इ पी सी जी स्कीम किया जायेगा। यदि यूनिट अग्रिम लाइसेंसिग स्कीम के तहत बकाया निर्यात निष्पादन रखता है तो यह अग्रिम लाइसेसिंग समिति को उत्पादन के लिए वास्तविक तौर पर प्रयुक्त शुल्क मुक्त सामग्री की मात्रा के अनुपात में निर्यात बचन वद्धता को कम करने के लिए आवेदन करेगी तथा अग्रीम लाइसेंस के मद्दे आयातित अप्रयूक्त सामग्री इ ओ यू/ इ एच टी पी / एस टी पी स्कीम के तहत यदि कोई हो, को आगे ले जाने की अनुमति है।

6.37.2 मौजूदा इ एच टी पी/ एस टी पी यूनिटें इ ओ यू में रूपान्तरण विलय होने के लिए आवेदन कर सकती हैं। तथा इ ओ यू, भी इ एच टी पी/ एस टी पी यूनिटों में रूपान्तरण विलय होने के लिए आवेदन कर सकती है। ऐसे मामलों में यूनिटे सम्बद्ध स्कीम के तहत लागू शुल्कों और करों की छूट की अनुमति प्राप्त करना जारी रखेगी। इ ओ यू के रूप में रूपान्तरण के लिए इच्छुक इ एच टी पी/ एस टी पी यूनिटें संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र के डी सी को सूचना तकनीकी विभाग द्वारा पदनामित अधिकारी के माध्यम से जैसा कि नई यूनिट के लागू है, उसी तरह आवेदन कर सकती हैं। वैसे ही इ एच टी पी/ एस टी पी में रूपात्तरण को इच्छुक इ ओ यू संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र के डी सी के माध्यम से सूचना तकनीकी विभाग द्वारा पदनामित अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

6.37.3 विकास आयुक्त के अनुमोदन से एक निर्यातोन्मुख यूनिट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है वशर्ते कि निर्यातोन्मुखी यूनिट, निर्यातोन्मुखी यूनिट स्कीम के तहत यथानुपात दायित्व प्राप्त कर चुकी है।

रूग्ण यूनिट का पुनरूत्थान 6.38 उचित प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रूग्ण घोषित किय जाने की शर्त पर यूनिट के पुनरूत्थान के प्रस्ताव या अधिकार में लेने के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है। रूग्ण यूनिट के पुनरूत्थन पर दिशा निर्देश परिशिष्ट 14.1 ट में दिये गये हैं।

**शीघ्राति - शीघ्र निपटान**

6.39.1 नीति के तहत स्तरधारक प्रमाणपत्र रखने वाले ईओयू के शीघ्रातिशीघ्र निपटान के लिए प्रक्रिया का उद्देश्य ईओयू के कार्य में अनकी मदद करना है । निम्नलिखित शीघ्रातिशीघ्र निपटान प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है ।

पात्र यूनिट, अपने स्तर की वैधता के दौरान स्वतः प्रमाणपत्र के आधार पर इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं । इस प्रयोजन के लिए यूनिटों को क्षेत्राधिकार प्राप्त विकास आयुक्त से प्राधिकृत हस्ताक्षरों को अधिसूचित करवाना होगा । जहाँ कहीं इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना देना अनिवार्य है, वहाँ इसे इन अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

6.39.2 ये यूनिट शुल्क मुक्त आयात/घरेलू प्राप्ति को संभव बनाने के लिए ख - 17 बाण्ड निष्पादित करेंगे । ऐसे मामलों में ख-17 बाण्ड/बैंक गारंटी/जमानत के बिना होंगे ।

6.39.3 पात्र ईओयू यूनिटों को स्वतः प्रमाणन के आधार पर वस्तुओं की निकासी की अनुमति दी जाएगी और परिपत्र संख्या 426/59/98-सीई में यथाशामिल कंटेनरों को स्वतः सीलिंग के लिए पात्र होंगे ।

6.39.4 गेट वे पोर्ट पर आयात और निर्यात कार्गो दोनो की जाँच के लिए, स्तरधारक ईओयू पर एसईजैड यूनिटों के लिए लागू प्रक्रियाओं पर ही लागू होगा ।

6.39.5 ऐसी यूनिटें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों अथवा विकास आयुक्त से अनुमति प्राप्त किए बिना अथवा बिना किसी निगरानी के, डीटीए में 5 प्रतिशत तक रिजेक्ट्स की निकासी करेंगी, वेस्ट/स्क्रैप की बिक्री और सभी श्रेणियों की डीटीए बिक्रियाँ करेंगी । ऐसी निकासी, विकास आयुक्त और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना के आधार पर की जाएगी ।

6.39.6 स्तरधारक यूनिटों को आयात के पत्तन और यूनिट के प्रागंण पर आयात कार्गो के परिक्षण से छूट दी जाएगी । तथापि, आयात की पूर्व सूचना, क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज को देनी होगी । कार्गो का पुनर्भण्डारण ऐसी सूचना के आधार पर ही अनुमत होगा ।

6.39.7 यूनिटों द्वारा सभी घरेलू खरीदों शुल्क मुक्त आयातों को स्वतः दिए गए सीटी3/वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा । पहले से छपे हुए सी टी 3/अनुलग्नक पुस्तिका में प्रयोग में लाई जा रही क्रम संख्या को अग्रिम रूप से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक आयुक्त/उपायुक्त को सूचित किया जाएगा । यूनिट द्वारा, प्रत्येक माह, क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक आयुक्त/उपायुक्त को शुल्क मुक्त खरीद/ आयातों का विवरण दिया जाएगा ।

6.39.8 यूनिट द्वारा नमूनों का निर्यात, रिजेक्ट किए हुए आयातित/स्वदेशी वस्तुओं की वापसी बिना अनुमति के किया जाएगा । तथापि, क्षेत्राधिकारी प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को अग्रिम सूचना देनी होगी ।

6.39.9 विकास आयुक्त और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उपायुक्त के अनुमति के बिना डीजी सेट की खरीद अनुमेय होगी ।

6.39.10 स्तरधारक यूनिटें बिना किसी अनुमति के फैक्ट्री स्टफिंग के योग्य मानी जाएगी ।

6.39.11 नमूनों की निकासी और पूंजीगत माल को अस्थाई रूप से हटा देना तथा मरम्मत के लिए पार्ट्स स्वतः प्रमाणन आधार पर अनुमत होंगे ।

6.39.12 उप ठेका प्रोसेस की पूर्व सूचना पर आधारित होगा और वार्षिक आधार पर उप ठेके के ब्यौरे क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक आयुक्त/उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को प्रस्तुत करने होंगे । नमूने इक्ट्ठे करने, नमूने रखने और जाब वर्कर से तैयार वस्तुएँ प्राप्त करने के अनुसार परिपत्र सं0 65/2002 - सीमाशुल्क के उपबंधों और 30 दिन की प्रतिबंधित अवधि ईओयू के स्तरधारक के लिए लागू नहीं होंगी ।

6.39.13 ईओयू के स्तरधारक के निम्नलिखित कार्यकलापों के संबंध में विकास आयुक्त/क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति आवश्यक नहीं होगी । इसके स्थान पर यूनिट को निम्नलिखित पूर्व सूचना देनी होगी :-

(i) पूंजीगत वस्तुओं का आयात (ii) फैक्स मशीन को अधिष्ठापित करना (iii) अनुमोदित प्रांगणों के बाहर से लैपटाप (iv) तैयार उत्पादों की डीटीए में बिक्री (v) अन्तर एकक हस्तांतरण (vi) उप ठेका (vii) प्रदर्शनियों में भाग लेना (viii) निर्यात संवर्धक दौरों के लिए रत्नों और आभूषणों को व्यक्तिगत रूप से ले जाना (ix) स्वदेशी रूप से आयातित वस्तुओं को प्रतिस्थापित करना/इनकी मरम्मत करना (x) नमूनों की बिक्री के लिए आपूर्ति (xi) प्रयोग में न लाए गए माल की बिक्री

अध्याय - 7

# विशेष आर्थिक जोन

| | | |
|---|---|---|
| योजना | 7.1 | इसे विशेष आर्थिक जोन योजना कहा जायेगा । |
| परिभाषाएँ | 7.2 | विशेष आर्थिक जोन योजना के प्रयोजन के लिए, जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्द और अभिव्यक्ति का अर्थ नीति के अनुसार होगा । |
| एसईजेड का स्तर | 7.3.1 | विशेष आर्थिक जोन विशेष रूप से वर्णित शुल्क मुक्त एन्क्लेव है और व्यापार परिचालनों, शुल्क तथा प्रशुल्क के प्रयोजन हेतु इसे विदेशी सीमा माना जायेगा । |
| | 7.3.2 | डीटीए से एसईजैड क्षेत्र में आन वाली वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात माना जायेगा और एसईजैड क्षेत्र से डीटीए में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं को आयात किया जा रहा है । |
| | 7.3.3 | विशेष आर्थिक जोनों के क्षेत्रों को निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा:- <br>क. वस्तुओं के उत्पादन और सेवाएं प्रदान करने के लिए यूनिट स्थापित करने हेतु प्रोसेसिंग क्षेत्र; और <br>ख. गैर-प्रोसेसिंग क्षेत्र, यदि कोई हो । |
| निजी/संयुक्त/राज्य क्षेत्र में एसईजैड की स्थापना | 7.4.1 | एसईजैड की स्थापना सार्वजनिक, निजी या संयुक्त क्षेत्र में या राज्य सरकार द्वारा की जा सकती है । सार्वजनिक/निजी/संयुक्त क्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश परिशिष्ट-14-2द में दिए गए हैं । |
| | 4.2 | संबंधित राज्य सरकार द्वारा संस्तुत एसईजैड की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव पर परिशिष्ट-14-1घ के अनुसार वाणिज्य विभाग में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा । |
| | 7.4.2 | प्रस्ताव का अनुमोदन होने पर, विकासक को परिशिष्ट-14-2ण के अनुसार एसईजैड का विकास, परिचालन और रख-रखाव करने के लिए एक अनुमति पत्र जारी किया जायेगा । एसईजैड के परिचालन और रख-रखाव में संलग्न विकासकर्त्ताओं के लिए अनुमति पत्र का फार्मेट परिशिष्ट-14-2त में दिया गया है । |
| विकासक का | 7.5.1 | विकासक को एसईजैड के संबंधित विकास आयुक्त से आरसीएमसी प्राप्त |

| | | |
|---|---|---|
| पंजीकरण | | करना होगा । |
| एसईजैड विकासक की हकदारियां | 7.5.2 | एसईजैड में बुनियादी सुविधाओं का विकास, परिचालन और रख-रखाव करने के लिए विकासक निम्नलिखित हकदारियों का पात्र होगा:- |

क. आयकर अधिनियम 80 आईए के अनुसार आय कर से छूट ।

ख. सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना वस्तुओं का आयात/प्राप्ति ।

ग. बिक्री कर से छूट ।

घ. सीएसटी से छूट ।

| | | |
|---|---|---|
| | 7.6 | हटा दिया गया है । |
| एस ई जेड यूनिट की पात्रता | 7.7.1 | माल के विनिर्माण और सेवाएँ प्रदान करने हेतु एस ई जेड एकक की स्थापना की जा सकती है । |
| अनुमोदन के लिए आवेदन/अनुमोदन और नवीकरण | 7.7.2 | एसईजैड यूनिट स्थापित करने के लिए, परिशिष्ट-14-1क में दिए गए फार्म में आवेदन को तीन प्रतियां संबंधित एसईजैड के विकास आयुक्त को प्रस्तुत करनी होंगी । |
| | 7.7.3 | सेवा क्षेत्र (साफ्टवेयर और आईटी सेवाओं, व्यापार या बीओए द्वारा यथा प्रत्यायोजित किसी अन्य सेवा संबंधी कार्यकलाप को छोड़कर) में यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्तावों के अलावा एसईजैड में यूनिट स्थापित करने हेतु आवेदन परिशिष्ट-14-1ख में दी गई प्रक्रिया के अनुसार एकक अनुमोदन समिति द्वारा 15 दिन के भीतर मंजूर या नामंजूर किए जायेंगे । अन्य मामलों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन देने के पश्चात् विकास आयुक्त द्वारा मंजूरी दी जायेगा । अनुमोदन से संबंधित क्षेत्र विशेष के लिए शर्तें परिशिष्ट-14-1ग में दी गई है । |
| | 7.7.4 | विशेष आर्थिक जौन में औद्योगिक लाइसेंस की अपेक्षा वाले यूनिटों की स्थापना के प्रस्तावों को 45 दिनों के भीतर गुण-दोष के आधार पर एसईजैड अनुमोदन बोर्ड और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्ताव के पास करने के बाद विकास आयुक्त द्वारा मंजूरी दी जायेगी । |

7.7.5 परिशिष्ट-14-1ड. में उल्लिखित मानक फार्मेट के अनुसार एसईजैड यूनिटों को जारी अनुमति पत्र/आशय पत्र उत्पादन प्रारम्भ होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा । एलओपी/एलओआई उत्पादन आरम्भ होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा और सभी प्रयोजनों के लिए इसे लाइसेंस माना जायेगा । प्रचालन के 5 वर्ष पूरा होने पर संबंधित विकास आयुक्त द्वारा यूनिट से नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए इस अनुमोदन का नवीकरण किया जायेगा ।

7.7.6 एलओपी/एलओआई में विनिर्माण मदें/सेवा गतिविधियों/वार्षिक क्षमता, डालरों में प्रथम पांच वर्षों के लिए प्रक्षेपित वार्षिक निर्यात, शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन, तैयार माल की बिक्री, उप-उत्पाद और डीटीए में बेकार माल के बारे में नियंत्रण, यदि कोई हो तथा ऐसे कोई अन्य मामले, जो आवश्यक हो तथा ऐसी शर्तें भी लगा सकते हैं जो अपेक्षित हैं, का उल्लेख होगा ।

7.7.7 विशेष आर्थिक जौन यूनिटों द्वारा अनुमोदित गतिविधियों में परिवर्तन या किसी नई गतिविधि आरम्भ करने के बारे में, विकास आयुक्त यूनिट से सूचना प्राप्त होने के 6 दिनों के भीतर संशोधित एलओपी जारी करेगा ।

**विधिक वचनबद्धता**

7.8 यूनिट को परिशिष्ट-14-1च में दिए गए फार्म में संबंधित विकास आयुक्त के साथ एक विधिक वचनबद्धता प्रतिपादित करनी होगी ।

**निर्यात**

7.9.1 एसईजैड यूनिटें आईटीसी (एचएस) में निषिद्ध निर्यात मदों के अलावा कृषि-उत्पादों, आंशिक रूप से प्रसंस्कृत वस्तुओं, सबअसेमब्लीज और संघटकों सहित वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है । ये यूनिट उपोत्यादों, रिजेक्ट्स; उत्पादन प्रक्रिया में वचे वेस्ट, स्क्रेप का भी निर्यात कर सकते हैं । विशेष रसायनों, आरॅगेनिज्मों, सामग्रियों, उपकरण और प्रौद्योगिकियों का निर्यात आईटीसी (एचएस) में दी गई शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा ।

7.9.2 व्यापारिक/सेवा यूनिट के अलावा एसईजैड यूनिटें आरबीआई की अनुमति के अधीन, यदि कोई हो, खरीददार के स्टेट क्रेडिट/एस्क्रो रूपया खाते के पुनर्भुगतान के मदे भारतीय रूपये में भी निर्यात कर सकती हैं ।

7.9.3 आभूषणों का निर्यात करते समय, सीमा शुल्क प्राधिकारियों का प्रस्तुत किए गए शिपिंग बिल और बीजक में मदों का विवरण, इसका भार, स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम की शुद्धता, स्टडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले रत्न और आभूषण स्टोन (हीरा, रूबी, सेपहायर, क्यूबिक जिर्क्रान आदि) की किस्म और केरेट में स्टडिंग का भार, आभूषणों की पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य दर, नगों में मात्रा और कुल मूल्य शामिल होना चाहिए ।

7.9.4 एसईजैड यूनिट नामित अभिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले नोशनल दर प्रमाण पत्र के आधार पर आभूषणों का निर्यात कर सकते हैं । यह दर मौजूदा स्वर्ण/यूएसडी दर और नोशनल दर प्रमाणपत्र में यूएसडी/आईएनआर दर पर आधारित होगी नामित अभिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र शिपमेंट की तारीख से 3 कार्य दिवस से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ।

7.9.5 निर्यातक निर्यात की तारीख से 180 दिन के भीतर मूल्य निर्धारित करना और स्वर्ण के ऋण को वापस कर सकता है इस मूल्य को नामित अभिकरणों को सूचित कर दिया जाऐगा जो एक प्रमाणपत्र जारी करेंगे जिसमें दस्तावेजों के संबंध में कार्यवाही करके बेंक को दर की अंतिम पुष्ठि की जायेगी ताकि इस दर निर्यात आय को वसूल किया जा सके ।

7.9.6 साफ्टवेयर यूनिट डाटा कम्यूनिकेशन लिंक का इस्तेमाल करके या वास्तविक निर्यात के रूप में (जिसे कूरियर सेवा के जरिए भी किया जा सकता है) इस्तेमाल करके कर सकते हैं जिसमें व्यवसायिक सेवा का निर्यात भी सम्मिलत है ।

आयात/घरेलू खरीद

7.10.1 एसईजैड यूनिट पूंजीगत वस्तुओं, नई हो या पुरानी जो यूनिट के कार्यकलापों या इससे संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक है, सहित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का शुल्क का भुगतान किये बिना, डी टी ए से आयात/खरीद सकती है बशर्ते ये मदे आईटीसी (एचएस) के अनुसार आयात की निषिद्ध न हो । तथापि किसी भी अन्य कानून के तहत आयात के लिए अपेक्षित अनुमति लेनी होगी । वस्तुओं में यूनिट के भीतर प्रयोग में आने वाली पूंजीगत वस्तुओं को निर्मित करने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल शामिल है । यूनिट को पूंजीगत वस्तु को जिन्हे ग्राहको से मुक्त या ऋण पर लिया जायेगा, सहित अनुमोदित कार्यकलापों के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात करने की अनुमति होगी ।

7.10.2 इस बात में संदेह होने पर कि मदों की जरूरत यूनिट के कार्यकलापों के लिए है या इनसे संबंधित है, इस बारे में अंतिम निर्णय संबंधित विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा ।

7.10.3 आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः-

क. वस्तुओं का यूनिट के परिसर में आयात किया जाएगा ।

ख. एसईजैड के लिए सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क संबंधी नियमों के तहत यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारी के साथ सामान्य बांड़ निष्पादित किया जाएगा ।

ग. अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी होने से पहले आयातित शिप्ड़ और पहले से आ चुकी वस्तुएँ एसईजैड़ योजना के तहत शुल्क मुक्त निकासी की पात्र है कि बशर्ते सीमा शुल्क का भुगतान न किया गया हो और/सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा वस्तुओं की निकासी न की गई हो ।

7.10.4 एसईजैड़ यूनिटें नीति के तहत स्थापित डीटीए में बॉण्डिड गोदामों और/या भारत में आयोजित अतरराष्ट्रीय प्रर्दशनियों से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा. 65 के तहत शुल्क का भुगतान किये बिना आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकती है ।

7.10.5 एसईजैड यूनिटे, एसईजैड़, में यूनिटों द्वारा प्रयोग के लिए केन्द्रीय सुविधा का सर्जन करने के लिए शुल्क का भुगतान किये बिना सभी प्रकार की वस्तुएँ डीटीए से आयात/खरीद सकती है । साफ्टवेयर के निर्यात के लिए डीटीए में यूनिटों द्वारा साफ्टवेयर विकास के लिए केन्द्रीय सुविधा का भी मूल्यांकन किया जा सकता है ।

7.10.6 रत्न और आभूषण यूनिटें नामित ऐजंसियों के लिए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम को भी खरीद सकती है ।

7.10.7 ऋण के आधार पर नामित एजेंसियों से स्वर्ण/चांदी/प्लेटनियम प्राप्त करने वाली एसईजैड यूनिटे रिलिज की तारीख से 60 दिन के भीतर स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनियम आभूषणों का निर्यात कर सकती है । तथापि ये नामित एजेसिंयों से बहुमूल्य धातु की सम्पूर्ण खरीद पर लोंगू नहीं होगा ।

7.10.8 एसईजैड़ यूनिटें जोन में यूनिटों की स्थापना करने परिचालन करने और रख-रखाव करने के लिए शुल्क का भुगतान किये बिना डीटीए से वस्तुओं और सेवाओं का आयात/खरीद कर सकती है ।

7.10.9 पूंजीगत वस्तुओं और हिस्से पुर्जों के अलावा वस्तुओं का इस्तेमाल 5 वर्ष की अनुमोदन अवधि के भीतर करना होगा ।

पूंजीगत वस्तुओं की लिजिंग

7.11.1 एसईजैड़ यूनिट पार्टियों के बीच पक्के करार के आधार पर घरेलू/विदेशी लिजिंग कम्पनी से पूंजीगत वस्तुएँ खरीद सकती है ऐसे मामले में एसईजैड यूनिट और घरेलू/विदेशी लिजिंग कम्पनी संयुक्त रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करेगी ताकि शुल्क का भुगतान किये बिना पूंजीगत वस्तुओं का आयात/खरीद की जा सके ।

7.11.2 लिजिंग कम्पनी एसईजैड़ यूनिट के बीच हुए लिज करार के आधार पर स्वदेशी स्त्रोतों से खरीदी गई पूंजीगत वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट उपलब्ध होगी ।

7.11.3 लिजिंग कम्पनियों के ज़रिए वित्त पोषित पूंजीगत वस्तुओं या मुफ्त प्राप्त की गई और या त्रण के आधार पर ली गई पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य को शुद्ध विदेशी विनिमय अर्जन के परिकलन के प्रयोजन के लिए गिना जायेगा।

शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन

7.12.1 एस ई जेड यूनिट सकारात्मक शुद्ध विदशी मुद्रा अर्जक होगा शुद्ध विदेशी अर्जन को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार उत्पादन प्रारम्भ होने से 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल मिलाकर परिकलित किया जायेगा:-

सकारात्मक एन एफ ई उ ए-(बी)

जहाँ

एः एस इ जेड यूनिट द्वारा निर्यात का एफ ओ बी मूल्य है। और

बीः सभी आयातित निविष्टियों के सी आई एफ मूल्य और सभी आयातित पूंजीगत वस्तुओं के सी आई एफ मूल्य और पहले 5 वर्ष की अवधि के दौरान कमीशन, रॉयल्टी, फीस, लायहॉस आंतरिक त्रृणों पर ब्याज के रूप में वदेशी मुद्रा मे किये गये सभी भुगतानों के मूल्य या अन्य किसी प्रभार का कुल योग है। निविष्ठियों का अभिप्राय कच्चा माल, अंतरवती वस्तुओं, संघटक, उपभोज्य, पार्टस और पैकिंग सामग्री है।

7.12.2 यदि कोई वस्तु किसी अन्य एस ई जेड/ ई ओ यू / इ एच टी पी/ एस टी पी यूनिट या बोंडिड गौदामों या भारत में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रर्दशनियों से प्राप्त की गई है या नामित एजेंसियों से प्राप्त की गई बहुमुल्य धातु है तो ऐसी वस्तुओं के मूल्य के तहत शामिल किया जायेगा।

7.12.3 यदि किसी पूंजीगत वस्तु को शुल्क मुक्त आयात किया गया है या लिजिंग कम्पनी से प्राप्त किया गया है, मुक्त प्राप्त किया गया और/या ऋण या हस्तांतरण के आधार पर प्राप्त किया गया है तो पूंजीगत वस्तुओं के सी आई एफ मूल्य को यूनिट के पास जितने समय तक ये वस्तुओं रही है की अवधि के लिए बी के तहत यथा अनुपात आधार पर शामिल किया जायेगा।

7.12.4 एन एफ इ के वार्षिक परिकलन के लिए आयातित पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य और विदेशी तकनीकी जानकारी शुल्क के एक मुश्त भुगतान निम्न अनुसार निकाला जायेगाः
पहला- दसवां वर्ष प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत

खातो का रख-रखाव

7.13.1 एस इ जेड यूनिट को उचित खाता रखना होगा और परिशिष्ट 14-1 च के अनुलग्नक में यथा निर्धारित फार्म में तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट विकास आयुक्त/ सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

7.13.2 यह यूनिट को शुल्क मुक्त आयातित एक जेसी वस्तुओं की प्रत्येक श्रेणी की सम्पूर्ण मात्रा, निर्यात

डी टी एम ए बक्री/आपूर्ति या किसी अन्य इ पी जेड/ इ ओ यू/ ई एच टी पी/ एस टी पी यूनिट को हस्तांरण और स्टाक में शेष वस्तुओं के लिए हिसाब देना होगा। तथापि यूनिट को किसी भी समय प्रत्येक आयात कन्साइनमेंट को अपने निर्यात से संबंधित करने, अन्य किसी ई पी जेड/ इ ओ यू/ ई एच टी पी/ एस टी पी यूनिट को हस्तांतरण, डी टी ऐ में बिक्री और स्टॉक में शेष वस्तुओं को आपस में संबंधित करने को आवश्यकता नहीं होगी। वस्तुएँ एक समान हैं या नहीं, इस बारे में स्पष्टीकरण यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा दिया जायेगा। यूनिट अनुमोदन समिति वार्षिक निष्पादन की पुर्नरीक्षा के हिस्से के रुप आयातित घरेलू खरीदे गए माल जो कि पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रयोग नहीं किया है । समीक्षा करेगी ।

| | | |
|---|---|---|
| कार्य निष्पादन निगरानी | 7.14.1 | एस इ जेड यूनिटों के कार्य निष्पादन की निगरानी परिशिष्ट 14-1 छ में गए दिशा निर्देशें के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा की जायेगी। |
| | 7.14.2 | सकारात्मक एन एफ इ सुनिश्चित करने या एल ओ पी/ एल यू टी की शर्तो का अनुपालन न कर पाने की स्थिति में यूनिट के विरूद्ध विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन ) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और ओदेशों के तहत अन्य किसी कानून/नियमों के अधीन बिना किसी पूर्वाग्रह के और एल ओ पी को रद्द किये बिना या मंसूरब किये बिना दण्डात्मक कार्यवाही को जायेगी। |
| डीटी ऐ में बिक्री आपूर्तियाँ | 7.15.1 | एस इ जेड यूनिट लागू आयात नीति के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ऐ में उपोतत्पातों और सेवाओं सहित वस्तुओं की बिक्री कर सकती हैं। |
| | 7.15.2 | सेवा/व्यापारिक यूनिट द्वारा डी टी ऐ बिक्री सकल सकारात्मक एन एफ ई प्राप्त करने के अधीन होगी। इसी प्रकार एक ही एल ओ पी, डी टी ऐ बिक्री के मुद्दे विनिर्माणकारी और सेवा/ व्यापारिक कार्यकलाप करने वाले यूनिट सकल एन एफ ई प्राप्त करने के अधीन होगी। |
| | 7.15.3 | उत्पादन प्रक्रिया या इससे संबंधित कार्यकलापों से निकले स्क्रेप/ वेस्ट/ रेमनेंटस को लागू शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ऐ में बेचा जा सकता है। |
| | 7.15.4 | स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनियम के स्क्रेप/डस्ट/ स्वीपिंग को एस ई जेड यूनिटों से भारत सरकार की टकसाल/ नीति में भेजा जा सकता है। और सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्टेंड्रड बारस में वापिस किया जा सकता है या सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा यथा सूचना के अनुसार स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनियम अंश के आधार पर लागू सीमा शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ऐ थे बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। |
| एन एफ ई में गिनी वाली डी टी ऐ आपू | 7.16.1 | डी टी ऐ से /एस सी जेड यूनिटों में निम्नलिखित आपूर्तियों को सकार एन एफ पी को पूरा करने के प्रयोजन के लिए गिना जायेगा।<br>क नीति के अध्याय-8 के अनुसार डी टी ऐ में की गई आपूर्तिया।<br>ख नीति और/या सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बोन्डेड गोदामों की गई आपूर्तियां।<br>ग वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात को विशेष हकदारियों के मद्दे आपूर्तियां।<br>घ वित्त मंत्रांलय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार ऐसी मदो का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए हकदार संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्तियों। |

ड मुक्त विदेशी मुद्रा में किये गए भुगतान से संबंधित निर्यात के बारे में सेवाओं की आपूर्ति या भारतीय रूपये में दी गई ऐसी सेवाओं की आपूर्ति जिन्हें अन्यथा भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा भुगतान किया समझा गया है।

च परिशिष्ट ग में उल्लिखित सूचना प्रौद्योगिकी करार मुद्दा और अधिसूचित शुल्क दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक मद्दो की आपूर्तियां।

अन्य इ ओ यू/एस टी पी/ इ एच टी पी / एस इ जेड यूनिटों को आपूर्तियां

7.16.2 अन्य इ ओ यू/ एस टी पी / इ एच टी पी / एस इ जेड यूनिटों को की गई आपूर्तियों को एन एफ इ के लिए गना जायेगा बशर्ते ऐसी वस्तुओं को यूनिटों द्वारा खरीदने की अनुमति हो।

डीं टी ए से आपूर्ति के लिए हकदारी

7.17.1 एस ई जेड को की गई डी टी ए आपूतियाँ निम्नलिखित की हकदार होगीः-

क शुल्क वापसी या शुल्क वापसी की एवज में डी ई पी बी।
ख निर्यात निष्पादन, यदि कोई हो, को पूरा करना

7.17.2 उपयुक्त के बावजूद एस ई जेड यूनिटे/ एस इ जेड विकासकर्ता डी टी ए आपूर्तिकर्ता से डिस्कलेमर प्रमाण प्रत्र पुस्तुत करने पर ऊपर निर्दिशत लाभ पाने के पात्र होगा।

7.17.3 एस ई जेड यूनिट निम्नलिखित लाभ पाने के पात्र होगेः

क केन्द्रीय बिक्री कर से छूट।

ख पेराग्राफ 8.1 के अनुसार खरीद के लिए पात्र सभी वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।

ग इस संबंध में जब तक बल्क चाय पर लेवी लागू है, लाइसेंस शुदा नीलामी केन्द्रों से संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्तों द्वारा खरीदी गई बल्क चाय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान की प्रतिपूर्ति उत्पाद शुल्क सहित अतिरिक्त यदि कोई हो यूनिट दावे के साथ इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करेगी ये दिखाते हुए कि चाय लाइसेंस शुदा नीलामी के केन्द्रों से खरीदी गई।

घ ऐसी अधिसूचना की तारीख से विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी की दर के अनुसार डी टी ए से खरीदी गई अन्य वस्तुओं या ईधन पर दिये गए शुल्क की प्रतिपूर्ति।

7.17.4 एस ई जेड स्थित यूनिटों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से बहुमुल्य और अर्द्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और प्रोसेसड़ मोतियों की आपूर्ति प्रक्रिया पुस्तक खंड-1 में उल्लिखित दरों पर और मद्दों के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस की मंजूरी की पात्र होगी।

7.17.5 कटे हुए और पालिश किए हुए हीरों, बहुमूल्य एवं अर्द्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और तराशे हुए मोतियों हेतु प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया नीति के अनुसार लागू होगी। तथापि, एस ई जैड का संबंधित विकास आयुक्त से इसकी मंजूरी लेना आवश्यक होगा। ऐसी आपूर्तियों को जिनका उद्देश्य कोई निर्यात लाभ लेने हेतु निर्यात नहीं माना जाएगा।

7.17.6 भारत में तैयार की गई आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 17.1 और 17.3 के अधीन हकदार होगें।

स्तरधारक द्वारा निर्यात

7.18 एसईजैड इकाई बनाई हुई वस्तुओं या सॉफ्टवेयर विकसित सॉफ्टवेयर का भी निर्यात कर सकती है। इस नीति के अधीन मान्यता प्राप्त व्यापारी निर्यातक/स्तरधारक या अन्य कोई ईओयू/एसईजेड/ईएचटीपी/एसटीपी ईकाई निम्नलिखित शर्तो के अधीन निर्यात कर सकती है -

(क) माल/सॉफ्टवेयर संबंधित एसईजैड .इकाई ने बनाया/विकसित किया हो।

(ख) एन एफ ई का स्तर या आयात और निर्यात से संबंधित अन्य निर्धारित शर्तों के अधीन संबंधित एसईजैड यूनिट द्वारा लगातार पूर्ति की जाएगी।

ग) इस प्रकार प्राप्त के निर्यात आदेश, एस ई जैड स्कीम के पेरीमीटरों के भीतर निष्पादित किए जाएँगे और माल एस ई जैड यूनिट से पोत लदान को सीधे हस्तांतरित किया जाएगा ।

घ) ऐसे निर्यातों के संबंध में एस ई जैड यूनिटों द्वारा शुद्ध विदेशी मुद्रा अजन करने का हिसाब, ईओयू द्वारा स्तरधारी/व्यापारी निर्यातक या अन्य एसईजैड यूनिट को आपूर्ति किए गए माल की कीमत के आधार पर लगाया ।

ङ) सभी निर्यात पात्रता जिसमें स्तरधारक के रूप में मान्यता शामिल है, उस निर्यातक की होगी जिसके नाम पर विदेशी मुद्रा अर्जन प्राप्त होता हैस्। तथापि ऐसे निर्यातक के केवल एस ई जैड स्कीम के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की दिशा में माना जाएगा ।

अन्तार एकक हस्तांतरण

7.19.1 एक ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट से दूसरे एसईजैड यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति होगी ।

7.19.2 एसईजैड यूनिट द्वारा आयातित/खरीदे गए माल का हस्तांतरण किया जा सकता है या अन्य यूनिट को पट्टे पर दिया जा सकता है। एसईजैड यूनिट इसका हिसाब रखेगी। किन्तु निर्यात की पूर्ति के लिए इसको नहीं माना जाएगा।

7.19.3 संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति से दूसरे ईओयू/एसई जैड/ईएचटीपी/एसटीपी को पूँजीगत माल का हस्तांतरण या उधार पर दिया जा सके ।

7.19.4 वस्तुओं का हस्तांतरण यदि उस एस ई जेड यूनिट में किया जाता है तो निर्यात नीति के पैरा 19.1 और पैरा 19.2 के अनुसार इसके लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु यूनिट इसका लेखा जोखा रखेगी।

अन्य पात्रताएँ

7.20.1 स्थापित एस ई जेड यूनिट में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित दरों पर औद्योगिक परिसर, फैक्टरी बिल्डिंग, आदि का करार के अनुसार किराया वसूल करेगी।

7.20.2 सेवाकर में छूट।

7.20.3 आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आयकर के भुगतान की छूट होगी।

7.20.4 निर्यात सदन, व्यापार सदन, स्टार व्यापार सदन या सुपर स्टार व्यापार सदन स्तर के प्रयोजन के लिए एस ई जैड यूनिट के मुख्य कंपनी अथवा विलोमतः के निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के साथ निर्यात के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य को मिला दिया जाएगा।

7.20.5 विनिर्माण क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक सीधा विदेशी निवेश की औद्योगिक और संवर्द्धन विभाग के इस संबंध में जारी निम्नलिखित मार्ग निर्देशन के अनुमति है -

(क) हथियार और गोला बारूद, विस्फोटक और उससे संबंधित मदें, उपकरण, रक्षा वायुयान और जहाज।

(ख) आण्विक पदार्थ।

(ग) नारकोटिक्स एवं फिजियोट्रोपिक पदार्थ और अपशिष्ट रसायन।

(घ) निर्जलीकरण और एल्कोहलिक पदार्थ के पेय और

(ङ) सिगरेट/सिगार और निर्मित तम्बाकू पदार्थ।

7.20.6 भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सेवा गतिविधियों के विदेशी निवेश पर क्षेत्रीय मानदण्ड लागू होंगे ।

7.20.7 एस ई जैड इकाईयाँ अपने ई ई एफ सी खातों में अपने निर्यात माल का 100 प्रतिशत वापस ला सकती है।

7.20.8 पूँजीगत माल का निर्यात मूल्य एस ई जेड यूनिट द्वारा सॉफ्टवेयर और सेवाओं का निकास कर सकती है और निर्यात की तिथि से 12 महीने के अन्दर अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर माल वापस ला सकती है।

7.20.9 प्रशिक्षण प्रयोजन (जिसमें वाणिज्यिक प्रशिक्षण शामिल है) के लिए सॉफ्टवेयर यूनिटों को कम्प्यूटर पद्धति के उपयोग की भी अनुमति है बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए बाण्डेड परिसर से बाहर कोई कम्प्यूटर टर्मिनल न हो ।

7.20.10 कच्चे माल की खरीद और तैयार माल का निर्यात केन्द्रीय लेवी से छूट होगें।

7.20.11 लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण हेतु औद्योगिक लाइसें छूट होगी ।

7.20.12 एस ई जैड विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार प्रणाली लागू नहीं होगी । लौह अयस्क का निर्यात भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णय के अधीन होगा। निर्यात नीति के अनुसार निर्यात की अन्य शर्तें जैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य/ उपभोक्ता पैक आदि में निर्यात की अपेक्षा डीटीएस खरीदे गए कच्चे माल और प्रसंस्करण/विनिर्माण के बिना निर्यात के मामले में लागू होगी । वसा मदों का निर्यात द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत आएगा। काष्ठ आधारित एककों को इमारती लकड़ी/अन्य काष्ठ के उपयोग के संबंध में 1996 के रिट याचिका संख्या 171 टीएन गोडावर्मन थिरूमुलपाद बनाम भारत सरकार और अन्य - 1995 के रिट (सिविल) संख्या 202 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश में दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा ।

7.20.13 जोन के बाहर एस ई जेड युनिट अपनी इच्छा के स्थन पर एक फैक्स मशीन लगा सकती है बशर्ते उसने उस स्थान की सूचना संबंधित सीमाशुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारियों को दी हो ।

7.20.14 युनिट द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा कार्य करनें हेतु अस्थाई तौर पर जोन से बाहर लैपटाप कम्प्यूटर एवं विडियो प्रोजेक्शन सिस्टम ले जा सकते हैं ।

7.20.15 राजस्व विभाग द्वारा इस आशय के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में एस ई जेड यूनिटें आयातित/शुल्क मुक्त प्राप्त दो व्यक्तिगत कम्प्यूटर अपने पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय में लगा सकते हैं ।

7.20.16 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए साफ्टवेयर एकक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति सूचना लिंक के माध्यम से एस ई जेड यूनिट में इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं ।

**उप ठेका**

7.21.1 एस ई जेड यूनिट जिनमें रत्न और आभूषण भूमि भी शामिल है, सीमाशुल्क प्राधिकारियों के वार्षिक अनुमति के आधार पर यूनिटों द्वारा फुटकर ठेके के आधार पर माल के रूप में किस्म में परिवर्तन करने सहित डीटीए में उप ठेका उत्पादन प्रक्रिया कर सकती है। ये यूनिटें सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति से फुटकर ठेके के लिए उप ठेके पर दे सकते हैं।

7.21.2 रत्न और आभूषण यूनिटों सहित सभी यूनिटें रखे गए रिकार्ड के अनुसार उसी यूनिट के माध्यम से उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के उप ठेके की प्रक्रिया किसी सीमा के बिना आरम्भ कर सकते हैं । विकास आयुक्त के अनुमोदन से रूपान्तरण प्रक्रिया के हिस्से का उप ठेका विदेश में भी किया जा सकता है ।

7.21.3 अन्य एसईजेड यूनिट अथवा डीटीए की यूनिट के माध्यम से एस ई जैड रत्न और आभूषण यूनिटों द्वारा उप-ठेका निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाएगाः-

(क) उप ठेके पर दिया गया तौर या अर्ध तैयार माल जिसमें जड़ित आभूषण भी शामिल हैं, की 30 दिनों के भीतर यूनिट में वापस लाना होगा ।

(ख) किसी कटे और पालिस किए हीरें, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों और कृत्रिम पत्थरों जिनपर शून्य शुल्क हो, को छोड़कर) उप-ठेके पर देने की अनुमति नहीं होगी ।

(ग) डीटीए/यूओयू/एसईजैड यूनिटों से सोना/चाँदी/ प्लेटिनम के बराबर मात्रा के बदले प्राप्त सोना/चाँदी/ प्लेटिनम तथा उनके यथाअधिसूचित अपशिष्ट सहित के आभूषण, जैसा भी मामला हो, उक्त आभूषण शामिल हैं।

(घ) ईओयू, उप ठेके हेतु अदला-बदली के मद्दे यथा लागू छीजन के लिए पात्र होगा ।

(ड.) डीटीयू यूनिट जो सोना/चाँदी/प्लेटिनम केम दबल में फुटकर ठेका या आभूषण आपूर्ति का कार्य करती हैं वे मान्य निर्यात लाभों के पात्र होंगे ।

7.21.4 फुटकर ठेकेदार के माध्यम से पैदा हुए स्क्रैप/अवशिष्ट/अवशेषों को यथा लागू शुल्क का भुगतान करने के बाद या तो फुटकर ठेकेदार के परिसर में ही निपटान करें अथ्वा सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क अधिकारियों की मौजूदी में नष्ट किया करें या यूनिट को लौटाए । नष्ट करना, सोना, चॉदी, प्लेटिनम, हीरा, बहुमूल्य ओर अर्ध बहुमूल्य पत्थरों पर लागू नहीं होगा ।

7.21.5 फुटकर ठेकेदार के परिसर से तैयार माल के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे परिसर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हों । जहाँ जाब वर्कर एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट है, ऐसे मामलों में उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकरण की अपेक्षा नहीं है और निर्यात या तो जॉब वर्कर के परिसर अथवा यूनिट के परिसरों से किया जा सकता है । जॉब वर्कर के परिसर से ऐसे उत्पादों के तृतीय पार्टी के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी जैसा कि नीति में उल्लेख़ किया गया है ।

7.21.6 सीमाशुल्क प्राधिकारियों से वार्षिक अनुमति के आधार पर एस ई जैड यूनिट, डीटीए निर्यातक की ओर से निर्यात के लिए फुटकर ठेका दे सकती है बशर्ते कि उस माल का एस ई जैड से सीधा निर्यात होता है और निर्यात दस्तावेज

संयुक्त रूप से डीटीए/ईओयू के नाम पर हो । ऐसें निर्यात के लिए, डीटीए यूनिट, शुल्क वापसी के ब्राड दर के माध्यम से निविष्टियों पर दिए गए शुल्क वापस लेने के लिए पात्र होगा ।

7.21.7 एस ई जैड को उप ठेकेदारों के परिसर से माउल्ड जिग्स, टूल्स, फिक्चर्स, टेकल्स, उपकरण, हैंगर्स और पैटर्न और डांइग को हटाने की अनुमति होगी बशर्ते कि इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर फुटकर ठेका कार्य पूरा होने पर यूनिट के परिसर में वापस लाने की अनुमति होगी । इस माल के साथ कच्चा माल भेजा अथवा नहीं भो जाएगा ।

7.21.8 विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के उपठेके के मामले में माल का उपठेकेदार के परिसर से निर्यात किया जा सकता है । बशर्ते कि जॉबवर्क परिसरों का, निर्यात घोषणा फार्मो, बीजकों आदि में एसईजैड यूनिट घोषणा की जाए और पूरी विदेशी मुद्रा देश में वापस लाई जाए ।

ठेका कृषि

7.21.9 ठेका कृषि में संलग्न कृषि/बागवानी की निर्यातोन्मुख यूनिटें सीमाशुल्क प्राधिकारियों से वार्षिक अनुमति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के मद्दे डीटीए फार्म से उपकरण और साजो सामान निकाल सकती है (परिशिष्ट-14 ण)

(क) ठेके फार्मों से एसईजेड द्वारा निवेशों की आपूर्ति विदेश व्यापार महानिदेशालय/अनुमोदन बोर्ड द्वारा अधिसूचित निवेश-उत्पादन मानदंडों के मद्दे होगी ।

(ख) एसईजेड और डी टी ए किसानों के बीच खेती संबंधी ठेका होगा ।

(ग) इकाई कम से कम दो वर्ष तक कार्यरत होनी चाहिए तथ वह कृषि/बागवानी उत्पादों के निर्यात में संलग्न रहनी चाहिए अन्यथा दो वर्ष पूरा होने तक उस यूनिट को उप/सहायक आयुक्त सीमाशुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास बाहर ले जाने वाले माल के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रदर्शनियों के माध्यम से निर्यात

7.22.1 एस ई जैड यूनिट विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करेने/ प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन माल का निर्यात कर सकती है :-

(क) यूनिट, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को मूल का पत्र या इसकी प्रमाणित प्रति जिसमें विकास आयुक्त का अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा । रत्न और आभूषण मदों के लिए, उत्पाद की एक स्व प्रमाणित फोटोप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी ।

(ख) पुनः आयात के मामले में, आने पर ऐसे मदों को, निकासी से पूर्व निर्यात दस्तावेजों के साथ प्रमाणित किया जाएगा ।

(ग) जो मदों विदेश में बिकी न हों, प्रदर्शनी समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर उसंका आयात किया जाएगा । तथापि, यदि निर्यातक प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में, भाग लेना चाहता है तो 60 दिनों की गणना प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने की तारीख से की जाएगी।

(घ) वैयक्तिक संसाधनों से माल ढ़ोने का और विदेशों की प्रदर्शनियों में माल रोकने/भागीदारी की स्थिति में रत्न और आभूषणों का मूल्य 2 लाख अमेरिकी डालर से अधिक नहीं होगा।

| | | |
|---|---|---|
| निर्यात संवर्धन दौरों के लिए रत्न एवं आभूषणों का व्यक्तिगत असवा | 7.22.2 | एस ई जैड द्वारा निर्यात संवर्धन दोरों और विदेशों में अस्थायी प्रदर्शन/बिक्री के लिए 100,000 अमरीकी डालर तक के सोना/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों, कटे और पालिस हीरों, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, मानकों और नमूनों के रूप में सामग्री के व्यक्तिगत असबाबों की निम्नलिखित शर्तो पर विकास आयुक्त की अनुमति है :-<br>(क) एसईजैड, प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर माल को वापस लाएगा अथवा सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से बिक्री आय को वापस लाएगा ।<br>(ख) यूनिट ऐसे नमूनों के व्यक्तिगत असवाब की सीमाशुल्क को देश छोड़ने से पहले घोषणा करेगा/ आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा । |
| विदेशों में शोरूम शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से निर्यात | 7.23.1 | विदेश में स्थापित अनुमत दुकानों या वितरकों/एजेंटों के शोरूम में प्रदर्श/बिक्री के लिए भी माल के निर्यात की अनुमति है, जो मद 180 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकेगी हैस उसका 45 दिनों में पुनः आयात किया जाएगा । |
| | 7.23.2 | एसईजेड सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल की बिक्री के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वायु-पत्तनों में शो रूम/फुटकर दुकान स्थपित कर सकते हैं, जो मद 60 दिन के भीतर विदेशों में नहीं बिकती है उसे संबंधित एसईजैड निर्यात या लौटा जाएगा। |
| आयात और निर्यात पार्सलों के व्यक्तिगत असवाब जिनमें विदेश जाने वाले यात्रियों का असबाव भी शामिल है | 7.24.1 | रत्न और आभूषण मदों के पर्सनल कैरेज के माध्यम से आयात/निर्यात, सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा तथापि निर्यात आय सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। रत्न ओर आभूषण यूनिटों से अन्य पर्सनल कैरेज यूनिटों के माध्यम से आयात/निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते की माल वाणिज्यिक मात्रा में न हो । |
| | 7.24.2 | विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत कैरेज के लिए एसईजैड यूनिट द्वारा निर्यात के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँगे :-<br>(क) एसईजैड द्वारा फाईल की गई पोत लदान बिल की प्रति । |

(ख) विदेशी खरीददार द्वारा आगमन के समय सीमाशुल्क को प्रस्तुत मुद्रा घोषणा फार्म की प्रति ।

(ग) बैंक से विदेशी मुद्रा प्रति/नकदीकरण प्रमाणपत्र

(घ) विदेश जाने वाले यात्री द्वारा हिस्सों को वैयक्तिक सामान के रुप में उन मामलों में अनुमति होगी जहाँ ग्राहक के स्थान पर निर्यातित माल की मरम्मत के लिए उसकी आवश्यकता हो । निर्यात के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।

(1) सीमा निर्यात हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारी से अनुज्ञापत्र

(2) मूल्य सहित बीजक (भुगतान करके अथवा निशुल्क)

7.24.3 इसके अलावा विदेश जाने वाले यात्रियों के व्यक्तिगत कैरेज की डाक्यूमैंट अगेन्स्ट एक्सप्टैन्स (डी ए) कैश आन डिलवरी (सी ओ डी) आधार पर अनुमति होगी एसईजैड को निर्यात के प्रमाण के रुप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

(क) पोत लदान बिल की प्रति

(ख) निर्यात आय प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र

7.24.4 आयात पार्सलों का व्यक्तिगत कैरेज के लिए वहीं प्रक्रिया जो वायुभाड़ा द्वारा माल को आयात के लिए होती है इसमें वह पार्सल शामिल नहीं है जिसे एसईजैड / विदेशी नागरिक द्वारा जाँच ओर निकासी के लिए सीमाशुल्क के पास लाया जाता हे । इस संबंध में कस्टम प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का आवश्यक परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जाएगा ।

डाक/कूरियर निर्यात/आयात

7.25 मुक्त नमूनों सहित माल का वायुयान या विदेशी डाक घर या कूरियर के माध्यम से सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन निर्यात/आयात किया जाएगा ।

आयातित/माल प्रतिस्थापन/मरम्मत

7.26.1 माल के प्रतिस्थापन/मरम्मत के निर्यात के संबंध में नीति के सामान्य प्रावधान एसईजैड सामान्य रूप से लागू रहेंगे जो मामले इन प्रावधानों के अधीन नहीं आते हैं उनका विकास आयुक्त गुण दोष के आधार पर विचार करेगा ।

7.26.2 यूनिट पूँजीगत माल की मरम्मत के लिए विदेश भेजा जा सकता है । इस प्रयोजन के लिए किसी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति होगी ।

7.26.3 डीटीए में बेची गई वस्तुओं जिन्हें खराब पाया गया है उन्हें विकास आयुक्त को सूचित करते हुए मरम्मत/बदलने के लिए वापिस लाया जाएगा ।

7.26.4 वस्तुओं या इसके हिस्सों को अभ्यातित रूप से/स्वदेशी रूप से प्राप्त किए जाने और खराब पाया जाने या प्रयोग के लिए अन्यथा ठीक ना पाया जाना या जो वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं या आयात/प्राप्त के पश्चात् खराब हो गई हैं उन्हें वापिस किया जा सकता है और बदला जा सकता है या नष्ट किया जा

सकता है । वस्तुओं को बदले जाने की स्थिति में वस्तुओं को विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं या भारत इनके प्राधिकृत एजेंन्टों या स्वदेशी आपूर्तिकत्ताओं से वापिस लाया जा सकता है ।

7.26.5 सीमाशुल्क प्राधिकारी को सूचित करके वस्तुओं को मरम्मत करने/बदलने, परीक्षणया अंशाकन, गुणवत्ता, परीक्षण और अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिए डीटीए को हस्तान्तरित किया जा सकता है ।

7.26.6 एसईजैड यूनिटें सामान को आरडी के लिए अपने 5 लारव प्रतिवर्ष तक के सामान को किसी मान्यता प्राप्त लेबोरेट्री संस्थान बिना शुल्क दिये स्थानान्तरित कर सकती है उसके लिए उसे सीमा शुल्क विभाग को अन्डरटेकिंग देनी होगी. अगर वह सामान टेस्टिंग के दौरान समाप्त हो जाए तो इस संबंध में लेबोरेट्री से एक प्रमाण पत्र लेकर सीमाशुल्क विभाग को देना होगा ।

नमूने

7.27.1 एसईजेड एकक उनके द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर और सीमाशुल्क प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से लागू शुल्क का भुगतान, प्रर्दशन/बाजार संवर्धन के लिए डीटीए में नमूनों की आपूर्ति या बिक्री कर सकते हैं ।

7.27.2 निर्धारित अवधि के भीतर वस्तुओं को वापिस लाने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी को उपर्युक्त वचनबद्धता देकर शुल्क के भुगतान के बिना नमूनों को हटा सकते हैं ।

7.27.3 कुरियर एजेंन्सियों के माध्यम से नंमूनों सहित निर्यात नमूने वैक्स मोडल्स, सिल्वर मोडल्स और रबर माइल्डस के निर्मित नमूनों का भी यूनिटों द्वारा रखे गए रिकार्ड एवं सीमाशुल्क प्राधिकरण को सूचना के आधार पर बिना किसी सीमा के निर्यात कर सकते हैं । कुरियर एजेन्टों के माध्यम से भी नमूनों का निर्यात किया जा सकता है ।

अप्रयुक्त सामग्री/ नष्टीकरण सामान की बिक्री

7.28.1 यदि कोई एसईजेड एकक वैध कारणों से वस्तुओं/सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाता तो उस ईओयू/एसईजेड/ईएचटीपी/एसटीपी को स्थानान्तरित कर सकता है या इसे वह लागू शुल्क का भुगतान करके तथा डीटीए यूनिटों में आयात लाइसेंस प्रस्तुत करके वह डीटीए में इसे बेच सकता है । ऐसा एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी में एसईजैड से स्थानान्तरित किया गया सामान प्राप्त करने वाले यूनिटों के लिये आयात मात्रा जाए ।

7.28.2 जो पूंजीगत वस्तुएं और हिस्से पूर्जे प्रचलित/फालतू हो गए हैं उन्हें या तो निर्यात किया जा सकता है या लागू शुल्क का भुगतान करके डीटीए में बेचा जा सकता है । या लागू मूल्यहास लाभ डीटीए में बिक्री के मामले में उपलब्ध होंगे ।

7.28.3 संबंधित सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा एसईजेड एकक को प्रिन्टर, प्लोटर, स्कैनर, मॉनिटर, की-बोर्ड और स्टोरेज यूनिट सहित आयातित/स्वदेशी (खरीदा या ऋण पर लेना) रूप से प्राप्त किए गए कम्प्यूटर और पेरिफैरलस का एकक द्वारा आयात करने/प्राप्त करने और प्रयोग के 2 वर्ष के पश्चात शुल्क का भुगतान किए बिना इस संबंध में जारी सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अधिसूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यक शैक्षिक संस्थाओं, पंजीकृत धार्मिक अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप वित्त पोषित अनुसांधन और विकास प्रतिष्ठानों, भारत सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश के संगठनों को दान कर सकते हैं ।

7.28.4 पूंजीगत माल, कच्चा माल, उपभोज्य पुर्जे सामान विनिर्मित प्रोसेस्ड, पैक्ड या स्क्रेप/वेस्ट/रिमनैन्टस/रिजेक्टस को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करके जौन के अन्दर ही समाप्त कर दिया गया है या जौन से बाहर कस्टम प्राधिकारियों की अनुमति से समाप्त कर दिया गया है तो उसे शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा । यह समाप्ति स्वर्ण, चाँदी, प्लेटिनियम, डायमंड बहुमूल्य व अर्द्ध बहुमूल्य धातुओं पर लागू नहीं होगी ।

स्व प्रमाणित करना है

7.29 एसईजैड जौनों की सभी कार्यकलाप जिसमे निर्यात पुनः आयात भी शामिल जब तक अन्यथा न कहा गया है । स्वयं प्रमाणित प्रक्रिया के अधीन होंगे ।

पृथक पहचान

7.30 यदि कोई औद्योगिक उद्यम एसईजैड और घरेलू दोनों यूनिटों के तौर पर कार्य कर रहा है । इसके लिए उसके दो पृथक पहचान अलग खाते जिसमें बैंक के खाते भी शामिल है होने चाहिए तथापि यह आवश्यक नहीं हैं इनके पृथक कानूनी पहचान है । परन्तु यह संभव होना चाहिए अन्य यूनिटों तथा एसईजैड यूनिटों के आयात निर्यात को पृथक किया जा सके ।

यूनिट अनुमोदन समिति के अधिकार

7.31 परिशिष्ट 14-2.द में सरकार द्वारा अधिसूचित यूनिट अनुमोदन समिति के अधिकार और कार्यकलाप दिये गये हैः

(क) सेवा क्षेत्र (साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं व्यापार या अनुमोदन समिति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई सेवा क्रिया कलाप के अलावा) में यूनिट की स्थापना के प्रस्ताव को छोड़कर निर्यातोन्मुख यूनिट की स्थापना करने लिए आवेदन पर विचार, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत औद्योगिक

लाइसेंस की आवश्यकता वाले विनिर्माता के मद पर विचार, अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जायेगा ।

(ख) विशेष आर्थिक क्षेत्र से निर्यातों-मुखी यूनिट में रूपान्तरण पर अनुमति और विचार करना।

(ग) यूनिटों के अनुपालन की निगरानी करना।

(घ) यूनिटों को स्वीकृत अनुमति, निकासी, लाइसेंस की निगरानी और पर्यवेक्षण करना तथा कानून के अनुसार उचित कार्यवाई करना।

(ड.) इसे स्वीकृत अनुमति, निकासी और लाइसेंस के तहत यूनिट के निष्पादन की निगरानी के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए।

(च) केन्द्र सरकार या इसकी एजेन्सियों को प्रदत्त किसी अन्य कार्यकलापों को पूरा करना।

(छ) राज्य सरकार या इसकी एजेन्सियों को प्रदत्त किसी अन्य कार्यकलापों को पूरा करना।

(ज) निर्यातो-मुखी यूनिटों के स्थापना और संचालन के लिए अनुमोदन और निकासी स्वीकृति करना।

एसईजैड का प्रबन्धन — 7.32.1 एसईजैड विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

पंजीकरण-सह सदस्यता प्रमाणपत्र — 7.32.2 एसईजैड यूनिटों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी संबंधित विकास आयुक्त होगा उनके मामले में अलग से पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी जैसे कि नीति कहा गया है

विकास आयुक्त की शक्तियाँ — 7.32.3 अन्य जगहों में प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त एसईजैड यूनिटों के विकास आयुक्त एसईजैड के संबंध में निम्न शक्तियों का प्रयोग करेंगे । विकास आयुक्तों के कार्य क्षेत्र परिशिष्ट-14-1.ट में दिये गये है।

आयातक-निर्यातक कोड नम्बर — (क) एसईजैड यूनिटों तथा एसईजैड डेवलैपर को आयातक निर्यातक कोड नम्बर का आवंटन।

(ख) यूनिटों को अनुमोदन के पश्चात कार्यकलाप/अतिरिक्त पूंजीगत माल को प्राप्त करना विदेशी मुद्रा में बदलाव आने के कारण पूंजीगत माल के मूल्य को बढ़ाना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, ब्रौड बैन्डिग/बदलाव, कार्यान्वयन एजेंसी या कम्पनी के नाम को बदलना, एक कमेटी से दूसरे में बदलना बशर्ते की नयी कार्यान्वयन एजेंसी/कम्पनी पुरानी की सम्पति और दायित्व की जिम्मेदारी ले तथा दो या ज्यादा एसईजी को मिलाने की अनुमति।

(ग) एलओपी/एलओआई/आईएल जहाँ आवश्यक हो।

(घ) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 13, धारा 11 के साथ पठित के अन्तर्गत एसईजी यूनिटों का अधिनिर्णय।

(ड.) लोक परिसर एविक्शन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करना अगर प्लाट बने हुए परिसर का किराया लंबित हो या परिसर/प्लाट उस कार्य के लिए नहीं प्रयोग किया जा रहा हो जिसके लिए वह आवंटित है ।

(च) एसईजैड में स्थित यूनिटों का साफटैक्स फार्म में दिये गये निर्यात का मूल्यांकन करना।

(छ) एसईजैड में कार्य करने के लिए निचले स्तर के विदेशी टैकनिशियनों को विसा दिलाने के लिए पात्रता प्रमाणपत्र जारी करना।

(ज) कम्पनी द्वारा कानूनी करार देने के लिए कार्ड जारी करना।

(झ) बिना किसी उम्र प्रतिबन्ध के पुराने पूंजीगत माल का आयात

(ञ) एसईजैड यूनिटों को स्तर प्रमाण प्रदान/नवीनीकरण करना बशर्ते कि डीटीए में पेरेन्ट कम्पनी के निर्यात के एफओबी मूल्य का मिलान न हो ।

| | | |
|---|---|---|
| एस ई जेड स्कीम से बर्हिगमन | 7.33.1 | एसईजैड यूनिटें विकास आयुक्त की अनुमति से बर्हिगमन कर सकते है। एसा बर्हिगमन, पूंजीगत माल, कच्चा माल आयातित तथा घरेलू कच्चे माल पर तथा स्टाक में बने बनाये सामान पर सीमा और उत्पाद शुल्क का भुगतान करके किया जा सकता है । यदि यूनिट ने कुल विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है तो बर्हिगमन, न्याय निर्णय प्राधिकारी द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के द्वारा दण्ड देने पर होगा। |
| | 7.33.2 | एसईजैड स्कीम से यूनिटों के बर्हिगमन की शर्तें परिशिष्ट-ठ में दी गयी है। |
| | 7. 33.3 | रत्न व आभूषण यूनिटें यदि अपना कार्य बन्द करती है तो स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातु, एलोएज, रत्न तथा अन्य सामग्री जो कि आभूषण बनाने के लिए उपलब्ध हो इनको वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा नामित ऐजेसी को उनके द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य पर सौंप देना चाहिए। |
| | 7.33.4 | एसईजैड यूनिटों को विद्यमान पूंजीगत माल स्कीम के अन्तर्गत पूंजीगत माल पर शुल्क का भुगतान करने पर एक बार दिये गये विकल्प के आधार पर विकास आयुक्त द्वारा बर्हिगमन की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि यूनिट उपर्युक्त पैराग्राफ के अनुसार पात्रता की शर्त को सन्तुष्ट कर सके। |
| पूंजीगत वस्तुओं हेतु मूल्यहास मानदंड | 7.33.5 | राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचित मानदण्ड के अनुसार मूल्यह्रस 5 वर्ष में कम्प्यूटर और कम्टीप्यूटर वैरी फैरलसफेर 100 प्रतिशत तथा अन्य मदों में 10 वर्ष का या ट्रान्जेक्सन मूल्य पर निकाला गया शुल्क अनुमेय हैं। |
| | 7.33.6 | एसईजैड यूनिटों में सभी प्रकार के कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पेरिफेरिल्स तथा आई टी र्हाडवेयर/इलैक्ट्रोनिक यूनिटों में पूंजीगत माल का मूल्यहास इस प्रकार हैः<br><br>पहले वर्ष के प्रत्येक तिमाही में 10 प्रतिशत<br>दूसरे वर्ष के प्रत्येक तिमाही में 8 प्रतिशत<br>तीसरे वर्ष के प्रत्येक तिमाही में 7 प्रतिशत<br>चौथे और पाचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 1 प्रतिशत |

7.33.7 उपर्युक्त अलावा अन्य पूंजीगत माल में मूल्य हास दर निम्न होगी:

पहले वर्ष के प्रत्येक तिमाही में 4 प्रतिशत
दूसरे वर्ष के प्रत्येक तिमाही में 3 प्रतिशत
तीसरे वर्ष के प्रत्येक तिमाही में 2.5 प्रतिशत
इसके पश्चात प्रत्येक तिमाही में 2 प्रतिशत

7.33.8 पुराने पुंजीगत माल पर आपूर्ति पूंजीगत माल की निकासी इपीसीजी स्कीम के अन्तर्गत अनुमेय होगी। पुराने पूंजीगत माल के मामले में जो आयात की तारीख को 10 वर्ष से कम पुराने न हो आयात की तारीख से 2 वर्षो बाद लागू शुल्कों का भुगतान करके निकासी की जा सकती है। इसके अलावा जहाँ पुराना पूंजीगत माल 10 वर्ष से ज्यादा पुराना डीटीए में निकासी की अनुमति आयात लाइसेंस और लागू शुल्कों के भुगतान के बाद होगी।

रूग्ण एककों को पुर्नजीवित करना

7.34 उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रूग्ण घोषित किये जाने तथा यूनिट का पुर्नजीवन या इसके टेक ओवर का प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड परिशिष्ट 14-1ङ. दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

## अध्याय - आठ

### मान्य निर्यात

नीति 8.1 मान्य निर्यात संबंधी नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय- 8 में दी गई है।

आपूर्तिकर्ता को लाभ 8.2 नीति के पैरा 8.2क के बारे में की गई अन्तरवर्ती आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता अग्रिम लाइसेंस लाभों का हकदार होगा

(1) तथापि, यदि आपूर्तीकर्ता ने नीति के पैरा 4.1.11 और 4.1.12 की शर्तों के अनुसार अग्रिम रिलीज आ देश ए आर ओ या बैक टू बैक साख-पत्र के अनुसार आपूर्ति की है तो वह नीति के पैरा 8.3 ख, ग और घ में दिए गए लाभों का हकदार होगा ।

(2) तथापि, उन मामलों में जहाँ नीति के पैरा 4.1.11 और 4..12 के अनुसार डीएफआरसी के मद्दे अग्रिम रिलीज आदेश या बैक-ट्र-बैक ऋण पत्र जारी किया गया है, आपूर्तिकर्ता केवल नीति के पैरा 8.3ख तथा (ग) जो भी लागू हो में उल्लिखित लाभ का हकदार होगा ।

8.2.1 नीति के पैरा 8.2 (ख) के अनुसार ईओयू/ईपीजैड/एसईजैड/ईएच टीपी/एसटीपी को माल की आपूर्ति के संबंध में, आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3(क), (ख) और (ग) जो भी लागू हो में उल्लिखित लाभों का हकदार होगा ।

8.2.2 नीति के पैरा 8.2 ग के अधीन आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता नीति के पैरा 8.3 क) (ख) और (ग) जो भी लागू हो में निर्दिष्ट लाभों के पात्र होंगे ।

8.2.3 नीति के अन्तर्गत पैरा 2 (घ), (च) और (छ) के तहत आपूर्तियों के मामले में, आपूर्तिकर्त्ता पैरा 8.3(क), (ख) और (ग) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हों, का पात्र होगा ।

8.2.4 नीति के अंतर्गत पैरा (ड) के तहत आपूर्तियों के मामले में आपूर्तिकर्त्ता पैरा 8.3 (क) और में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हों, का पात्र होगा ।

8.2.5 नीति के पैरा 8.2(1) के तहत आने वाली संयुक्त राष्ट्र वित्त पोषित द्वाराएजेंसियों के प्रोजैक्टस के लिए किए गए माल की आर्तियों का आपूर्तिकर्त्ता नीति के पैरा 8.3(क) और (ख) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हों, का पात्र होगा ।

8.2.6 नीति 8.2(ज) के अन्तर्गत परमाणु ऊर्जा प्रोजैक्टस की आपूर्तियों के विषय में आपूर्तिकत्ता के पैरा 8.3(क), (ख) और (ग) में सूचीबद्ध लाभों, जो भी लागू हो, का पात्र होगा ।

8.3 मान्य निर्यात के सभी मामलों में आपूर्तियाँ प्रत्यक्षतः नामित प्रोज्क्टस/एजेंसियाँ/यूनिटें/अग्रिम लाइसेंस/ई पी सी जी लाइसेंसधारक को की जाएंगी । तथापि, उप ठेकेदार पैरा 8.5 के अनुसार नामित एजेंसियों/प्रोजैक्टस के बजाय मुख्य ठेकेदार को आपूर्तियाँ कर सकता है ।

मान्य निर्यातों के लाभों का दावा करने के लिए प्रक्रिया

8.4(1) (1) नीति के पैरा 8.2(क) श्रेणी के मामले में ए आर ओ /बैक टू बैक अन्तर्देशीय साख-पत्र को जारी करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.14 और 4.15 में दी गई है।

(2) मान्य निर्यातों के लाभों के दावे के उद्देश्य, से यदि कोई हों तो, देशीय आपूर्तिकर्ता बैक टू बैक अन्तर्देशीय सा-पत्र की अहस्तान्तरणीय प्रति/ए आर ओ प्रति और सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से शुल्क मुक्त लाइसेंसधारी से आय की वसूली को प्रमाणित करने वाला परिशिष्ट-22क दिए गए प्रपत्र में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

8.4.1 नीति के पैरा 8.2ख के अन्तर्गत आपूर्तियों के संबंध में डीटीए यूनिट संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से मान्य निर्यात हेतु अग्रिम लाइसेंस का दावा करेगी । डी टी ए यूनिट विकास आयुक्त से विशेष अग्रदाय लाइसेंस के अलावा मान्य निर्यात लाभों के लिए दावा करेंगी । फिर भी, ई एच टी पी/एस टी पी को सप्लाई के लिए डी टी ए यूनिट ऐसे लाभों के लिए सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी से दावा करेंगी ।

ऐसी आपूर्तियों का प्राप्त करने वाली एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा ।

8.4.2 नीति के पैरा 8.2ग के अन्तर्गत पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता संबंधित सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहायक आयुक्त, फैक्टरी जिसके क्षेत्राधिकार में आती है, से उस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि आपूर्ति/विनिर्मित पूंजीगत माल प्राप्त हो गया है । किए गए और सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से ई पी सी जी लाइसेंसधारक से आगमों की वसूली का परिशिष्ट-२२क में दिए गए प्रपत्र में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।

8.4.3 नीति के पैरा 8.2 घ, ङ., च, छ, ज और झ में दी गई श्रेणियों के अन्तर्गत आपूर्ति के संबंध में ऐसी आपूर्तियों का भुगतान परिशिष्ट 12-क में दिए गए फार्म के अनुसार संबंधित परियोजना प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ।

तथापि, पैरा 8.2घ में बताये अनुसार केवल ऐसे अभिकरणों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की आपूर्ति जो वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अधिसूचित हो मान्य निर्यात लाभों के पात्र होंगे । ऐसे अभिकरणों/निधियों की सूची परिशिष्ट 33 में दी गई है ।

8.4.4(क) नीति के पैरा 8.2ङ. में निर्दिष्ट श्रेणियों के अधीन आपूर्ति काकीनाडा, गाडेपन, बबराला और शाहजहांपुर में स्थापित किए जा रहे संयंत्रों के लिए होगी और उन संयंत्रों के लिए जिनका आठवीं योजना अवधि के दौरान स्थापना/दुरूस्त/विस्तार/आधुनिकीकरण हुआ है बशर्ते कि ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के अधीन हुई हों ।

8.4.4(ख) मान्य निर्यातों के लाभ पूँजीगत माल उर्वरक संयंत्रों के पुर्जों लिए भी उपलब्ध होगें जिन्हें नौवीं योजना के द्वारा या जिनकी थापना/दुरुस्त/ विस्तार/ आधुनीकीकरण किया गया है । मान्य निर्यातों के लाभ उर्वरक संयंत्रों को की जाने वाली उन आपूर्तियों के लिए भी उपलब्ध होंगे जो आठवीं/नौवी योजना में शुरु हुई है और दसवीं परियोजना तक चलेंगी ।

8.4.5 शून्य सीमाशुल्क के आधार पर मान्य निर्यातों का लाभ नीति के पैराग्राफ 8.2च के अधीन समय-समय पर यथासंशोधित राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 1/3/2002 के क्रम संख्या 214,216 और 217 में विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए सूची 12 में विनिर्दिष्ट माल की आपूर्ति के लिए उपलब्ध होगा ।

8.4.6 केवल पैरा-8.2छ के अनुसार विद्युत परियोजनाओं को की गई पूंजीगत माल की आपूर्ति मान्य निर्यात लाभों के लिए पात्र होंगी बशर्ते कि वह केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित हों और विद्युत परियोजनाओं को ऐसे पूंजीगत माल की आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद की गई हो । घरेलू आपूर्तिकर्ता केवल पैरा 8.3क ,ख में गए लाभों के लिए पात्र होंगे । मान्य निर्यात के लाभ पावर संयंत्रों के नवीकरण/ आधुनिकीकरण हेतु भी उपलब्ध होंगे ।

तथापि समय-समय पर यथासंशोधित राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क दिनांक 1.3.2002 की सूची 400 में निर्दिष्ट जोकि राजस्व विभाग की दिनांक 1.3.2003 की अधिसूचना सं0 26 द्वारा यथा संशोधित तथा आतिय में किसी अन्य संशोधन की शर्तों के अधीन कोई बड़ी पावर परियोजना स्थापित करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं की आपूर्ति निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 8.3 क, ख और ग में यथा उल्लिखित मान्य निर्यात के लाभ पाने की पात्र होंगी, यदि ऐसी बड़ी-बड़ी योजना

(क) अन्तर्राज्य थर्मल पॉवर संयंत्र जिसकी क्षमता 1000 मैगावॉट या इससे अधिक है ।

(ख). 500 एम डब्ल्यू या उससे अधिक की क्षमा वाले एक अन्तर्रीज्पीप हाइडिल पावर प्लान्ट जो उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के अधिकारी के स्तर के नीचे का अधिकारों न हो ने प्रमणित किया हो ।

8.4.7 नीति के पैराग्राफ 8.2छ के अन्तर्गत उन रिफिनरियों को जो नवे पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगी है को आपूर्ति अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क दिनांक 1.3.2002 यथासंशोधित के सूची संख्या 17 क्रम संख्या 228 में विनिर्दिष्ट माल के लिए मान्य निर्यात के लाभ के हकदार होगी । घरेलु आपूर्तिकर्ता नीति के पैराग्राफ 8.3क, ख जो भी लागू हो में दिये गये लाभ के पात्र होगी ।

| | | |
|---|---|---|
| न्यूक्लियर पावर प्रोजैक्टों को आपूर्ति | 8.4.8 | दिनांक 1.3.2002 के अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क यथासंशोधित सूची संख्या 43 के क्रम संख्या 401 के अनुसार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जिनकी क्षमता 440 एम डब्ल्यू या अधिक हो जो आणविक उर्जा विभाग, भारत सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर के नीचे का अधकारी न हो ने प्रमाणित किया हो को की गई आपूर्ति मान्य निर्यात लाभ के हकदार होंगे बशर्ते की एसी आपूर्तियाँ प्रतिस्पर्धात्मक वोली ( न कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली ) प्रक्रिया के अधीन हुईग् हो । घरेलु आपूर्तिकर्ता जो कि एसे न्यक्लेयर पावर प्रोजक्टो को आपूर्ति कर रही हो वे नीति के पैराग्राफ 8.3क, ख व ग में विनिर्दिष्ट लाभों के हकदार होंगे । |
| उप ठेकदारों का लाभ | 8.5 | भारतीय या विदेशी मुख्य ठेकदारों के भारतीय उप ठेकेदार द्वारा की गयी आपूर्तिया भी मान्य निर्यात के लिए पात्र होगी बशर्ते कि करार में या मूल रूप में या बाद में उप ठेकेदार का नाम भी दर्शाया गया हो तथा परिशिष्ट-12क में निर्धारित प्रपत्र में उपठेकेदार के नाम में परियोजना अधिकारी द्वारा भुगतान प्रमाणपत्र जारी किया हो ।<br>पैरा 8.2(घ) (ड.) (च) (छ) (ज) और (ञ) के तहत उप ठेकेदार द्वारा मुख्य ठेकेदार को की गई आपूर्तियों के संबंध में, मुख्य ठेकेदार उप ठेकेदार को भुगतान कर सकता है और परिशिष्ट 12क में दिए गए फार्म 1-ग में भुगतान प्रमाण पत्र जारी पत्र जारी कर सकता है। तथापि, पैरा 8.2 (घ)(ड.)(च)(छ)(ज) और (ञ) के तहत की गई आपूर्तियों के लिए अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए मुख्य ठेकेदार से भुगतान प्रमाण पत्र लेने पर जोर नहीं दिया जायेगा। उप-ठेकेदार को मान्य निर्यात के लाभ वस्तुओं की उस सीमा तक उपलब्ध होंगे जिस सीमा तक उप-ठेकेदार द्वारा वस्तुओं का विनिर्माण लिया गया है और इनकी आपूर्ति की गई है या अन्य विनिर्माताओं से इन्हें प्राप्त किया गया है, वस्तुओं का मूल्य परिशिष्ट-12 क में यथा निर्दिष्टानुसार होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| मान्य निर्यात शुल्क वापसी और टर्मिनल उत्पाद शुल्क वापसी/टर्मिनल उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट | 8.6 | नीति के पैरा 8.3 ख और ग के तहत लाभों का दावा करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है :-<br>•<br>1. परिशिष्ट 12-ख में बताए गए प्रपत्र में दस्तावेजों सहित आवेदन संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा ।<br><br>2. दावा मासिक आधार/तिमाही आधार/छमाही आधार पर प्राप्त भुगतान प्रमाणपत्र के प्रति प्रस्तुत किया जायेगा जबकि पैरा 8.2 (घ)(ड.)(च) और (छ) के तहत की गई आपूर्ति के लिए दावा आपूर्ति की प्राप्ति के आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा। की गई आपूर्तियों कके संबंध में, आपूर्तिकर्ता के समक्ष प्राप्त किए गए भुगतान प्रमाण पत्र के आधार पर अथवा की गई आपूर्तियों के आधार पर दावा प्रस्तुत करने का विकल्प रहेगा।<br><br>ऐसे दावे आवेदक के विकल्प के अनुसार मासिक/तिमाही/ अर्द्धवार्षिक अवधि के समाप्ति की प्राप्ति की तारीख अथवा आवेदक के विकल्प के अनुसार परियोजना प्राधिकारी द्वारा आपूर्तियों के प्राप्ति की तारीख से गिना जाएगा। |
| | 8.6.1 | आवेदन माविक/तिमाही छमाही के अन्त में आवेदक के विकल्प के अनुसार छः महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा। ऐसे दावे आंशिक भुगतान प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। |
| | 8.6.2 | टर्मिनल उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा । |

8.6.3 जहाँ बैक की कोई समग्र उद्योग दर उपलब्ध नहीं है या यह उक्त माल के उत्पादन या विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री या उपकरणों पर शुल्क के 4/5 से कम है तो निर्यातक आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) के परिशिष्ट-२४ में दर्शाए गए क्षेत्राधिकार के अनुसार ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी को की गई आपूर्तियों के संदर्भ में क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण/विकास आयुक्त को परिशिष्ट-१२ ख में दिए गए प्रपत्र में ब्रांड दर के निर्धारण के लिए आवेदन कर सकता है ।

8.6.4 अगर ब्रांड दर के निर्धारण की आवश्यता है तो छूट प्राप्ति के लिए आवेदन शुल्क वापसी के ब्रांड रेट के निर्धारण के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

8.6.5 क्षेत्रीय लाइसेंसिंगग प्राधिकारी निजी कम्पनियों के मामले में शुल्क वापसी के दावे के 75 प्रतिशत तक और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में 90 प्रतिशत तक अन्तिम भुगतान पर विचार करेगा जोकि ब्राण्ड दर का निर्धारण लम्बित न होने के कारण हैं।

8.6.6 इस प्रक्रिया पुस्तक में दी गई प्रक्रिया के अधीन सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम, 1995 मान्य निर्यात के लिए आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

## अध्याय - 9

### विविध मामले

नाम, संरचना में परिवर्तन

9.1 यदि मान्य प्राप्त निर्यात सदन/व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार व्यापार सदन के बिना आयात का पात्र आई ई सी धारक/लाइसेंस धारक/वास्तविक उपयोक्ता के नाम/पते या संरचना में कोई परिवर्तन होता है तो संबंधित आई ई सी धारक/लाइसेंस धारक/वास्तविक उपयोक्ता/ निर्यात सदन/ व्यापार सदन/स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार व्यापार सदन जो भी मामला हो, यदि वह इस बीच निम्न लिखित कार्रवाई नहीं करता है तो नाम या संरचना में परिवर्तन की तारीख से 90 दिन की समाप्ति के पश्चात् उक्त लाइसेंस के तहत या नीति और इस प्रक्रिया पुस्तक के अधीन अनुमत आयात या निर्यात या अन्य सुविधा का पात्र नहीं रहेगा :-

(क) आई ई सी धारक/लाइसेंस धारक/स्तर धारक आई ई सी नें./लाइसेंस या मान्यता प्रमाणपत्र में जो भी मामला हो, संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त परिवर्तन करवा लेता है ;

(ख) वास्तविक उपयोक्ता ने औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (उद्योग भवन) द्वारा जारी औद्योगिक लाइसेंस में या राज्य सरकार के उद्योग निदेशक द्वारा जारी वास्तविक उपयोक्ता के यप में पंजीकरण प्रमाणपत्र में संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त परिवर्तन करवा लिए हैं या औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में ज्ञापन प्रस्तुत करने की पावती की सूचना प्राप्त कर ली है ।

बशर्ते कि आई.ई.सी.कोड नम्बर जारी करने वाला लाइसेंसिंग प्राधिकारी लिखित रूप से पर्याप्त कारण दर्ज करने के बाद 1000/- रुपये के जुर्माने के भुगतान पर देरी को माफ कर दे ।

तथापि एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के निदेशक को बदलना कम्पनी के ढाँचागत परिवर्तन की स्थित में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

आईईसी में संशोधन तथा कम्पनी के ढाँचागत परिवर्तन जुर्माने के भुगतान का आशय है कि साझेदारी फर्म में साझेदार बदलने से ट्रस्ट के ट्रस्टी सोसायटी बोर्ड के सदस्य तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के निदेशक बदल जाएंगे ।

**आयात लाइसेंसों/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र का वर्ग**

9.2 नीति के तहत जारी आयात लाइसेंसों/प्रमाण पत्रों/अनुमति पत्रों पर मूल्य लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र जारी करने की तारीख पर मौजूद विनिमय दर पर रुपयों में और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा दोनों में निर्दिष्ट किया जागए । जिन लाइसेंसों/प्रमाण पत्रों/अनुमति पत्रों पर निर्यात दायित्व लगाया गया है वहां निर्यात दायित्व का मूल्य लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र जारी करने की तारीख पर मौजूद विनिमय दर पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा और रुपय दोनों निर्दिष्ट किया जाएगा । यह विनिमय दरन आयात लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र पर भी निर्दिष्ट की जाएगी ।

9.2.1 तथापि, लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के तहत विदेशी मुद्रा के प्रेषण और निर्यात दायित्व का निष्पादन मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में किया जाएगा । रुपयों के मूल्य में कोई वृद्धि आवश्यक नहीं होगी यदि विदेशी मुद्रा का प्रेषण मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में निर्दिष्ट लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र के मूल्य द्वारा कवर होता है ।

9.2.2 तथापि, ए सी यू देशों को निर्यात के लिए जारी शुल्क मुक्त लाइसेंसों पर निर्यात दायित्व ए सी यू डॉलरों में लगाया और निष्पादित किया जाएगा ।

9.2.3 जहां आपूर्तियाँ देश के भीतर की जानी हों, वहां अग्रिम अन्तर्वर्ती लाइसेंस और विशेष अग्रदाय लाइसेंस के तहत निर्यात दायित्व भारतीय रुपयों में लगाया जाएगा और निर्यात दायित्व का निष्पादन भारतीय रुपयों में आयात के मूल्य को ध्यान में रखे बिना लाइसेंस पर निर्दिष्ट भारतीय रुपयों में लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के संदर्भ के अनुसार भारतीय रुपयों में किया जाएगा ।

**आवेदन प्राप्त की तारीख समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदन**

9.3 जब कभी आवेदन प्राप्ती की तारीख समाप्त होने के पश्चात् कोई आवेदन प्राप्त होता है किन्तु अंतिम तारीख से छह माह के भीतर यह प्राप्त होता है तो हकदारी पर 10% विलम्ब कटौती लगा कर इन पर विचार किया जा सकता है ।

| | | |
|---|---|---|
| अनुपूरक दावे | 9.4 | यदि निर्धारित समयावधि के भीतर अनुपूरक दावे के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होता है तो उस आवेदन के दावे में से देरी के लिए 10% कटौती करके ऐसे आवेदन पर विचार किया जाएगा । |
| सूचना देना | 9.5 | प्रत्येक आयातक/निर्यातक महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना देगा । |
| नीति/प्रक्रियाओं पर स्पष्टीकरण | 9.6 | नीति के किसी भी प्रावधान या प्रक्रिया पुस्तक, निर्यात-आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण के तहत मदों की आयातीयता या निर्यातीयत के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण महानिदेशक, विदेश व्यापार से परिशिष्ट-19 में दिए गए प्रपत्र में माँगा जा सकता है । इलैक्ट्रानिक माध्यम से भी स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है । |
| उपभोग का रजिस्टर | 9.7 | आयातक लाइसेंस (विशेष आयात लाइसेंस के अलावा) के अधीन आयातित मदों और इसके उपयोग के बारे में एक रजिस्टर रखेगा । आयातक लाइसेंस के बिना आयातित मदों और इसके उपयोग के संबंध में एक रजिस्टर भी रखेगा बशर्ते ऐसी मदों का आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के तहत किया गया हो केवल उस स्कीम को छोड़कर जिसमें रजिस्टर रखने के विशिष्ट आदेश उपलब्ध हैं,<br>रजिस्टर परिशिष्ट-18 में दिए गए प्रपत्र में रखा जाएगा तथा रजिस्टर आयात की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक रखा जाएगा। |
| निर्यात सुविधा | 9.8 | निर्यातकों की समस्याओं को संबंधित रूप से समाधान के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार के क्षेत्रीय कार्यालय निर्यात सुविधा केन्द्र का कार्य करेंगे ।<br>ये कार्यालय निर्यातकों की शिकायतों को समाधान के लिए नोडल एजेन्सी का कार्य करेगी तथा विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करेगी ।<br>इसके अतिरिक्त अल्प मंत्रालयों/विभागों में नोडल अधिकार नामांकित किए गए हैं जिनकी सूची परिशिष्ट 38 में दी गई है ।<br>विभिन्न विभगों में निर्यातकों समस्या समाधान के लिए सुविधा कमेटी का गठन किया जाएगा जिसकी सेवा महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। |

| | | |
|---|---|---|
| स्थायी शिकायत समितियाँ | 9.9 | शिकायत तंत्र का ब्यौरा नीति के पैरा 2.49 में दिए गए हैं । नीति और प्रक्रिया संबंधी व्यापार और उद्योग की वास्तविक शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत समितियों का गठन किया गया है ।<br>इन शिकायत समितियों के अध्यक्ष (1) मुख्यालय में महानिदेशक, विदेश व्यापार और (2) अलग-अलग लाइसेंसिंग कार्यालयों में संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे । शिकायत समिति में भारतीय निर्यात संगठन संघ, निर्यात संवर्धन परिषदों/ वस्तु निकायों, सरकारी विभागों/तकनीकी प्राधिकरणों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे । |
| | 9.9.1 | अलग-अलग शिकायत समिति का अध्यक्ष किसी सदस्य को शामिल कर सकता है । ऐसी समितियों की बैठकें मासिक आधार पर आयोजित की जाएँगी । |
| | 9.9.2 | प्रत्येक निर्यातक/आयात को शिकायत समिति में अभ्यावेदन देने तथा यदि वह चाहे तो व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अधिकार होगा । इस प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत सुनवाई के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है । |
| | 9.9.3 | शिकायत समिति को अभ्यावेदन परिशिष्ट-23 में दिए गए प्रपत्र में भेजा जाएगा । |
| काउंटर सहायता | 9.10 | आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों में "काउंटर सहायता" प्रकोष्ठ कार्य करेगा ।<br>प्रत्येक कार्यालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी काउंटर का प्रभारी होगा । काउंटर पर आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदक को एक टोकन दिया जाएगा और टोकन को उसी दिन लौटाने की सलाह दी जाएगी जब उसे यह बताया जाएगा कि उसका आवेदन पूर्ण है और इसे कार्यालय द्वारा आगे की कार्रवाई के लिए रख लिया गया है या इसमें कोई कमी है या अन्य दस्तावेज कम है जिसे आवेदक को पूरा करना है । |

9.10.1 काउंटर सहायता प्रकोष्ठ आवेदन को आवश्यक संवीक्षा के लिए उसी दिन संबंधित अनुभाग को भेजेगा । यदि इसमें कोई कमी होगी तो इसे संबंधित अनुभाग द्वारा नोट किया जाएगा और इसे उसी दिन काउंटर सहायता प्रकोष्ठ को लौटा दिया जाएगा । पूर्ण आवेदन के मामले में, आवेदन को औपचारिक रसीद दी जाएगी जिसमें आगे संदर्भ के लिए फाइल नम्बर दिया जाएगा ।

अपूर्ण आवेदनों के मामले में, संबंधित अनुभाग द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए इसे आवेदक को लौटा दिया जाएगा ।

पूर्ण आवेदनों पर पैरा 9.11 के अधीन दी गई समय-सीमा के भीतर संबंधित अनुभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी ।

यदि और कोई कमी नोट की जाती है तो कार्यालय के अध्यक्ष के अनुमोदन से इसे बताया जाएगा । जो व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि नीति के अधीन प्रत्येक योजना के संबंध में कारगर रूप से काउंटर सहायता दी जाए।

9.10.2 थोड़ा संशोधनों/पूछताछ के लिए भी काउंटर सहायता का उपयोग किया जाएगा । ऐसे मामलों में आवेदन उपयुक्त रसदी के प्रति काउंटर पर लाइसेंसिंग कार्यालयों में प्राप्त किए जाएँगे और लाइसेंस/सूची आदि को काउंटर पर ही उसी दिन संशोधित करके/आवश्यक जवाब दे कर वापिस कर दिया जाएगा ।

**आवेदनों का समयबद्ध निपटान**

9.11 लाइसेंसिंग प्राधिकारी आवेदनों को शीघ्रता से निपटाएंगे। आवेदनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सारणी को अपनाया जाएगा बशर्ते आवेदन हर तरह से पूर्ण हो और उसके साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न हों :

| क्रमांक | आवेदन की श्रेणी | निपटान हेतु समय सीमा |
|---|---|---|
| क. | आयातक निर्यातक कोड संख्या | 2 कार्य दिवस |

| | | |
|---|---|---|
| ख. | अग्रिम लाइसेंस जहीं निविष्टि-उत्पादन मानदण्ड को अधिसूचित किया गया है या पैराग्राफ 4.7 के तहत है। | 3 कार्य दिवस |
| | अग्रिम लाइसेंस जहां निविष्टि उत्पादन मानदण्डों को अधिसूचित किया गया है किन्तु आवेदनों को एल सी के समक्ष रखा जाना हैं। | 15 कार्य दिवस |
| | अग्रिम लाइसेंस जीं निवेश उत्पादन मानदंड अधिसूचित नहीं हैं। | 45 कार्य दिवस |
| | निवेश-उत्पादन मानदंडों को निर्धारण | 90 कार्य दिवस |
| ग. | डी एफ आर सी/डी ई पी बी | 3 कार्य दिवस |
| घ. | स्वघोषणा आधार पर ई पी सी जी लाइसेंस | 3 कार्य दिवस |
| | उपर ।1। को छोड़कर ।अन्य। के संबंध में निर्धारण हेतु ई पी सी जी लाइसेंस | 45 कार्य दिवस |
| ड. | रत्न और आभूषण स्कीम के तहत सभी लाइसेंस | 3 कार्य दिवस |
| च. | लाइसेंस की पुनर्वेधता की स्वीकृति तथा क्षेत्रीय लाइसेंसिंग समिति द्वारा निर्यात आभार अवधि में वृद्धि | 3 कार्य दिवस |
| छ. | बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति | 3 कार्य दिवस |
| | अग्रिम लाइसेंसों हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को निष्क्रय बनाना | 15 कार्य दिवस |
| | ई पी सी जी लाइसेंसों हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्क्रय करना | 30 कार्य दिवस |
| ज. | स्तर प्रमाण पत्र जारी/नवीकरण करना | 3 कार्य दिवस |
| झ. | किसी भी श्रेणी के लाइसेंस का संशोधन | 3 कार्य दिवस |
| ञ. | मान्य निर्यात शुल्क वापसी दर निर्धारण | 45 कार्य दिवस |
| ट. | विविध | 10 कार्य दिवस |
| ठ. | ई डी आई माध्यम से अभी आवेदन | 1 कार्य दिवस |

आवेदनों के निपटान में अनुचित देरी के मामलों को क्षेंत्रीय कायालयों के अध्यक्ष की जानकारी में लिखित रूप से लाया जायेगा और शीघ्रता से इसकी जांच की जायेगी और उत्तर दिया जायेगा।

| | | |
|---|---|---|
| आयात के संबंध में शिपमेंट/प्रेषण की तारीख | 9.11क | आयात के उद्देश्य के लिए शिपमेंट/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगाः- |

| परिवहन का तरीका | शिपमेंट/प्रेषण की तारीख |
|---|---|

| | |
|---|---|
| समुद्र मार्ग द्वारा | लदान-पत्र पर लिखी तारीख |
| वायु मार्ग द्वारा | सम्बद्ध मार्ग पत्र की ताराख बशर्ते इससे उस तारीख का पता चलता हो जब माल पने देश के अंतिम हवाई अड्डे को छोड़ा हो, जहाँ से आयात किया गया। |
| स्थल-रूद्ध देशों से | प्रेषण आधार के माध्यम से भारत में परदेशी को रेल, सड़क या अन्य मान्यता प्राप्त परिवहन के साधन द्वारा प्रेषण की तारीख। |
| डाक पार्सल द्वारा | पैकेटों या प्रेषण नोट पर प्रेषण कार्यालय की स्टैम्प की तारीख |
| पंजीकृत कुरियर सेवा द्वारा | कुरियर रसीद/माल-सूची पर अंकित तारीख |
| विविध परिवहन | कम्बाइंड बिल लेडिंग में पहले वाहन से सामान सौंपने की तारीख |

आयात के संबंध में शिपमेंट/प्रेषण की तारीख

9.12 आयात के उद्देश्य के लिए शिपमेंट/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगाः-

| परिवहन का तरीका | शिपमेंट/प्रेषण की तारीख |
|---|---|
| 1. समुद्र मार्ग द्वारा | क. बल्क कार्गो के लिए, लदान-पत्र की तारीख या नेट रसीद की तारीख, हो भी बाद की हो। |
| | ख. कंटेनर-युक्त कार्गो के लिए," जहाज पर लदान पत्र " की तारीख जहाँ एल/सी में ऐसे लदान-पत्र की व्यवस्था है। अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो ।आई सी डी। से कंटेनरों द्वारा निर्यात के लिए, सीमाशुल्क कलरअरेंस के पश्चात आई सी डी में लदान के समय शिपिंग एजेंटों द्वारा जारी किए गए लदान-पत्र की तारीख। |
| | ग. लैश वर्जिल के लिए, लदान-पत्र की तारीख जिसमें जहाज पर निर्यात की जाने वाली वस्तूओं के लदान का प्रमाण हो। |

| | |
|---|---|
| 2. वायु मार्ग द्वारा | उपयुक्त सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा शिपिंग बिल पर उल्लिखित तारीख, जिसमें लदान या वस्तु कार्गो काम्पलैक्स, जो अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है, को माल सौंपने का या उड़ान संख्या और तारीख का प्रमाण हो। |
| 3. डाक पार्सल द्वारा | डाक रसीदी पर अंकित तारीख। |
| 4. रेल द्वारा | रेलवे रसीद की तारीख। |
| 5. पंजीकृत कुरियर सेवा द्वारा | कुरियर रसीद/माल-सूची पर अंकित तारीख। |
| 6. सड़क मार्ग द्वारा | जैसाकि भूमि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया है भारतीय सीमा से माल बाहर जाने की तारीख। |

तथापि, जहाँ कहीं नीति सम्बंधी उपबंधों को निर्यातकों के अहित में संशोधित किया गया है, तो इस सार्वजनिक सूचना की तारीख तक जाँच के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी को पहले से ही सौंपे गए कन्साइन्मैंटों और बाद में निर्यातों पर लागू नहीं होंगे ।

इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात दायित्व अवाध क समाप्ति से पहले माल सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता किन्तु वास्तविक निर्यात निर्यात दायित्व की अवधि की समाप्ति के बाद किए जाते हैं, ऐसे निर्यातों पर निर्यात दायित्व अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाएगी।

| | | |
|---|---|---|
| पुनरीक्षा का सामान्य अधिकार | 9.13 | महानिदेशक, विदेश व्यापार स्वयं अपने प्रस्ताव पर या अन्यथा ई पी सी/एफ आई ई ओ के किसी अधिकारी, जिसमें उसके द्वारा नामित व्यक्ति, नियुक्त या प्राधिकारियों का समूह/समिति शामिल है, के पास लम्बित पड़े किसी मामले या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तय किए गए मामले के रिकार्ड मंगा सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे। |

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Commerce)

### PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 31st August, 2004

**No. 1/2004—2009**

**F. No. 01/94/180/Handbook/AM05/PC-IV.**—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the Handbook of Procedures (Volume 1) as contained in Annexure to this Public Notice and the Appendices to the Handbook of Procedures (Volume 1) as available on the website of Directorate General of Foreign Trade at http://dgft.delhi.nic.in. This shall come into force from 1st September, 2004.

This issues in public interest.

GOPAL K. PILLAI, Director General of Foreign Trade

## CHAPTER-1

### INTRODUCTION

***Notification*** 1.1 In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby notifies the Foreign Trade Policy for the period 2004-2009, incorporating the Export and Import Policy for the period 2002-2007, as modified.

This Policy shall come into force with effect from 1st September, 2004 and shall remain in force upto 31st March, 2009, unless as otherwise specified.

In pursuance of the provisions of paragraph 2.4 of the Policy, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the compilation known as Handbook of Procedures (Vol. 1), Handbook of Procedures (Vol. 2) and Schedule of DEPB rates.

These compilations, as amended from time to time, shall remain in force upto 31st March, 2009.

***Objective*** 1.2 The objective of this Handbook is to implement the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders made thereunder and the Foreign Trade Policy (2004-09) incorporating the Export and Import Policy (2002-07) by laying down simple, transparent and EDI (Electronic Data Interchange) compatible procedures which are easy to comply with and administer for efficacious management of foreign trade.

***Definition*** 1.3 For the purpose of this Handbook, the definitions contained in the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders made thereunder and the Foreign Trade Policy (2004-09) shall apply.

# CHAPTER-2

## GENERAL PROVISIONS REGARDING EXPORTS AND IMPORTS

| | | |
|---|---|---|
| *Policy* | 2.1 | The Policy relating to the general provisions regarding exports and imports is given in Chapter-2 of the Policy. |
| *Countries of Imports/ Exports* | 2.2 | Unless otherwise specifically provided, import/export will be valid from/to any country. However, import/export of arms and related material from/to Iraq shall be prohibited.<br><br>The above provisions shall, however, be subject to all conditionality or requirement of licence or permission, as may be required, under Schedule II of ITC (HS). |
| *Application Fee* | 2.3 | Unless otherwise exempted, specified fee shall be paid for making an application under any provision of the Policy and this Handbook. The scale of fee, mode of payment, procedure for refund of fee and the categories of persons exempted from the payment of fee are contained in Appendix-29. |
| *Territorial Jurisdiction of Licensing Authorities* | 2.4 | Every application, unless otherwise specified, shall be submitted to the licensing authority concerned, as per the territorial jurisdiction of the licensing authorities indicated in Appendix-24. |
| *Filing of Application* | 2.5 | Every application for an Import/Export licence/certificate/ permission or any other purpose should be complete in all respect as required under the relevant provisions of the Policy/ Procedures and shall be signed by the applicant as defined in paragraph 9.9 of the Policy.<br><br>An incomplete application is liable to be rejected giving specific reason for rejection. However, in case of manual applications, the applicant would furnish a soft copy of the application in MS word format. |
| *Profile of Importer/ Exporter* | 2.6 | Each importer/exporter shall be required to file importer/ exporter profile once with the licensing authority in the form given in Appendix-2. Licensing authority shall enter the information furnished in Appendix-2 in their database so as to dispense with the need for asking the same information repetitively. In case of any change in the information given in Appendix-2, importer/exporter shall intimate the same to the licensing authority. |

***Self Addressed Stamped Envelope*** 2.7 The applicant shall furnish a self addressed envelope of 40 x 15 cm with postal stamp affixed on the envelope as follows for all the documents required to be sent by Speed Post:

(a) Within local area : Rs. 20.00
(b) Up to 200 Kms. : Rs. 25.00
(c) Between 200 to 1000 Kms. : Rs. 30.00
(d) Beyond 1000 Kms. : Rs. 50.00

***IEC No: Exempted Categories*** 2.8 The following categories of importers or exporters are exempted from obtaining Importer - Exporter Code (IEC) number:

(i) Importers covered by clause 3(1) [except sub-clauses (e) and (i)] and exporters covered by clause 3(2) [except sub-clauses (i) and (k)] of the Foreign Trade (Exemption from application of Rules in certain cases) Order, 1993.

(ii) Ministries/Departments of the Central or a State Government.

(iii) Persons importing or exporting goods for personal use not connected with trade or manufacture or agriculture.

(iv) Persons importing/exporting goods from/to Nepal, provided the CIF value of a single consignment does not exceed Indian Rs. 25,000.

(v) Persons importing/exporting goods from/to Myanmar through Indo-Myanmar border areas, provided the CIF value of a single consignment does not exceed Indian Rs. 25,000.

However, the exemption from obtaining Importer-Exporter Code (IEC) number shall not be applicable for the export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipments and Technologies (SCOMET) as listed in Appendix-3, Schedule 2 of the ITC(HS), except in the case of exports by category(ii) above.

(vi) The following permanent IEC numbers shall be used by the categories of importers/exporters mentioned against them for import/export purposes.

| S. No. | Code Number | Categories of Importers/Exporters |
|---|---|---|
| 1. | 0100000011 | All Ministries/Departments of the Central Government and agencies, wholly or partially owned by them. |
| 2. | 0100000029 | All Ministries/Departments of the State Government and agencies, wholly or partially owned by them. |
| 3. | 0100000037 | Diplomatic personnel, Counselor officers in India and the officials of the UNO and its specialised agencies. |
| 4. | 0100000045 | Indians returning from/going abroad and claiming benefit, under the Baggage Rules. |
| 5. | 0100000053 | Persons/Institutions/Hospitals importing or exporting goods for personnel use, not connected with trade or manufacture or agriculture. |
| 6. | 0100000061 | Persons importing/exporting goods from/to Nepal, provided the CIF value of a single consignment does not exceed Indian Rupees 25000/-. |
| 7. | 0100000070 | Persons importing/exporting goods from/to Myanmar through Indo-Myanmar border areas provided the CIF value of a single consignment does not exceed Indian Rupees 25000/-. |
| 8. | 0100000088 | Ford Foundation. |
| 9. | 0100000096 | Persons importing goods for display or use in fairs/exhibitions or similar events under the provisions of ATA carnet. |
| 10. | 0100000100 | Director, National Blood Group Reference Laboratory, Bombay or their authorized offices. |
| 11. | 0100000126 | Individuals/Charitable Institutions/Registered NGOs importing goods, which have been exempted from Customs duty under the Notification issued by the Ministry of Finance for bonafide use by the victims, affected by natural calamity. |

Note: Commercial Public Sector Undertaking (PSU), who have obtained PAN will, however, be required to obtain Importer-Exporter Code number. The permanent IEC number as mentioned above, shall be used by non-commercial PSUs.

***Application for Grant of IEC Number*** 2.9

An application for grant of IEC number shall be made by the Registered/Head Office of the applicant to the licensing authority under whose jurisdiction, the Registered office in case of company and Head office in case of others, falls in the form specified in Appendix-3 and shall be accompanied by documents prescribed therein. In case of STPI/EHTP/BTP units, the Regional Offices of the DGFT, having jurisdiction over the district in which the Registered/Head Office of the STPI unit is located, shall issue or amend the IECs.

Only one IEC would be issued against a single PAN number. Any proprietor can have only one IEC number and in case, there are more than one IECs allotted to a proprietor, the same may be surrendered to the licencing office for cancellation.

***IEC Format and Statements*** 2.9.1

The Licensing Authority concerned shall issue an IEC number in the format as given in Appendix-3A. A copy of such IEC number shall be endorsed to the concerned banker (as per the details given in the IEC application form).

A consolidated statement of IEC numbers issued by the licensing authority shall be sent to the offices of the Exchange Control Department of the RBI as given in Appendix-30, as per the statement given in Appendix-3B.

***Validity of IEC No.*** 2.9.2

An IEC number allotted to an applicant shall be valid for all its branches/divisions/units/factories, as indicated in the format of IEC given in Appendix- 3A.

***Duplicate Copy of IEC Number*** 2.9.3

Where an IEC Number is lost or misplaced, the issuing authority may consider requests for grant of a duplicate copy of IEC number, if accompanied by an affidavit.

***Surrender of IEC Number*** 2.9.4

If an IEC holder does not wish to operate the allotted IEC number, he may surrender the same by informing the issuing authority. On receipt of such intimation, the issuing authority shall immediately cancel the same and electronically transmit it to DGFT for onward transmission to the Customs and RLAs.

***Mandatory returns*** 2.9.5

Each IEC holder (barring those who have obtained IEC in the preceding licensing year, i.e, 1.4.2003 to 31.3.2004) shall be required to furnish yearly details of imports/exports made by him in the preceding licensing year by 31st October. The information shall be furnished online by the IEC holder by accessing the website at www.nic.in/eximpol.

***Application for Import and Export of Restricted Items***

2.10 An application for grant of a licence/certificate/permission for import or export of items mentioned as restricted in ITC(HS) may be made in the form and to the licensing authorities, specified under the relevant chapters of this Handbook.

***Imports under Indo-US Memorandum of Understanding***

2.11 Import of specified capital goods, raw materials, components etc. from the United States of America is subject to US Export Control Regulations.

US suppliers of such items are required to obtain an export licence/certificate/permission based on the import certificate furnished by the Indian importer to the US supplier. The following are the designated Import Certificate Issuing Authorities (ICIA):

(i) The Department of Electronics, for import of computer and computer based systems;

(ii) The Department of Industrial Policy and Promotion, Technical Support Wing (TSW), for organised sector units registered under it, except for import of computers and computer based systems;

(iii) The Ministry of Defence, for defence related items;

(iv) The Director General of Foreign Trade, for small scale industries and entities not covered above as well as on behalf of any of the above;

(v) The Embassy of India, Washington DC, on behalf of any of the above.

A request for an import certificate shall be made in the form given in Appendix-7. The import certificate in the form given in Annexure to Appendix-7 may be issued by the ICIA directly to the importer with a copy to (i) Ministry of External Affairs (AMS Section), New Delhi; (ii) Department of Electronics, New Delhi; and (iii) Directorate General of Foreign Trade, New Delhi.

However, this import certificate will not be regarded as a substitute for an import licence/certificate/permission in respect of the items mentioned as restricted in ITC(HS) and an import licence/certificate/permission will have to be obtained wherever required, for such items.

***Validity of Import Licence/Certificate/ Permission/CCP***

2.12 The validity of import licence/certificate/permission/CCP from the date of issue of licence/certificate/permission/CCP shall be as follows:

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Advance Licence (including advance licence for annual requirement), DFRC and Replenishment licence for Gem & Jewellery as per Chapter- 4 of the Policy | 24 months |
| (ii) | EPCG licence (other than spares) | 36 months |
| (iii) | EPCG Licence for Spares, refractories, catalyst and consumables | Co-terminus with the Licence. |
| (iv) | Others including CCP and Duty Entitlement Passbook Scheme, unless otherwise specified | 24 months |
| (v) | Advance Licence for deemed export (Including advance Licence for annual requirement) | 24 months or Co-terminus with the contracted duration of execution of the project, whichever is later. |

2.12.1 Where the date of expiry of the licence/certificate/permission/duty credit certificate falls before the last day of the month, the licence/certificate/permission/duty free certificate shall be deemed to be valid until the last day of the month.

This proviso would be applicable even for a revalidated licence/certificate/permission/duty credit certificate.

2.12.2 The period of validity means the period for shipment/dispatch of goods covered under the licence/certificate/permission. The validity of an import licence/certificate/permission is decided with reference to the date of shipment/dispatch of the goods from the supplying country; as given in paragraph 9.11 of this Handbook and not the date of arrival of the goods at an Indian port.

2.12.3 The provision of paragraph 2.12.2 above shall not be applicable to DEPB, Duty Free Entitlement Certificate for Status Holders & Service Providers, Target Plus Scheme and Visesh Krishi Upaj Yojana. Since these schemes are in the nature of duty credit entitlement, they must be valid on the date on which actual debit of duty is made.

2.12.4 Similarly, where the date of expiry of either original or extended export obligation period falls before the last day of the month, such export obligation period shall be deemed to be valid until the last day of the month.

***Revalidation of Import/Export Licence/Certificate/ Permission***

2.13 The licence/certificate/permission may be revalidated on merit by the licensing authority concerned, which has issued the licence/certificate/permission, for a period of six months at a time but not beyond a period of 12 months, reckoned from the date of expiry of the validity period.

2.13.1 However, revalidation of licence/certificate/permission and stock and sale licence/certificate/permission shall not be permitted unless the licence/certificate/permission has expired while in custody of the Customs authority/licencing authority.

2.13.2 In case the licence/certificate/permission expires in the custody of the concerned licencing authority, revalidation would be permitted under the specific orders of the Head of the Office for a period for which the Licence/Certificate/Permission has remained in the Custody with the concerned licencing authority.

2.13.3 Notwithstanding the provision of para 2.13 and in cases covered under paras 2.13.1 and 2.13.2 above, the revalidation would be for a period for which the Licence/Certificate/Permission remains in the custody of the Customs or Licencing Authority.

An application for revalidation may be made to the licensing authority concerned in the form given in Appendix-10G. However, in such cases, where revalidation of the licence/ certificate/permission is to be considered by the DGFT, the original application alongwith Treasury Receipt (TR)/Demand Draft shall be submitted to the regional licensing authorities concerned and self-attested copy of the same shall be submitted to the DGFT.

***Duplicate Copies of Export-Import Licence/Certificate/ Permission/CCP***

2.14 Where a licence/certificate/permission or an actual user duty credit certificate is lost or misplaced, an application for grant of a duplicate copy thereof, may be made alongwith a copy of an affidavit, as given in Appendix-11, to the licensing authority which has issued the original licence/certificate/permission.

The licensing authority concerned may, on merits, issue a duplicate copy of the same after issuing an order for cancellation of the original licence/certificate/permission and after informing the customs authority where the original licence/certificate/permission was registered.

2.15 Duplicate copy of freely transferable licence/certificate/permission, may be issued against an application accompanied by the following documents:

a. An application with a fee equivalent to 10% of duty saved or duty credit.

b. A copy of FIR reporting the loss.

c. A copy of the original affidavit on notorised stamp paper.

d. Indemnity bond on a stamp paper undertaking to indemnify the revenue loss to the Government which may be caused on account of issue of duplicate license covering the duty saved/duty credit amount.

2.15.1 However, when the licence/certificate/permission has been lost by the Government agency and a proof to this effect is submitted, the documents at serial nos. (a) to (d) shall not be asked for.

In such cases, licence/certificate/permission shall be revalidated for a period for six months from the date of endorsement, not withstanding anything stated below.

2.15.2 The licensing authority, before issuing the licenses, shall obtain the report regarding utilisation of the licence/certificate/permission from the Customs authority at the port of registration mentioned in the original licence/certificate/permission.

The duplicate licence/certificate/permission shall be issued only for the balance, which remained unutilised as per the report furnished by the Customs authority at the port of registration.

2.15.3 The validity of duplicate licence/certificate/permission shall be co-terminus with the original license and therefore no request shall be entertained if the validity of the original licence/certificate/permission has expired.

However, in case when DEPB/DFRC is lost by Customs/Licensing Authority, duplicate licence/certificate/permission shall be issued for a validity of six months.

However in the case of loss of DEPB not involving either the Customs or the Licencing Authorities, the duplicate DEPB issued would have a validity equivalent to the balance period of validity of the original DEPB on the date of application for the duplicate DEPB.

2.15.4 The 10% duty saved as given in para 2.15(a) is applicable for DFRC and would be the duty saved amount for the balance quantity and proportionate CIF value as per the information available in Column 10 of Appendix-10D. However, in case of other duty credit certificates such as DEPB, it will be equivalent to 10% of the available credit balance on the lost DEPB whereas for DFRC, the amount shall be calculated on the basis of 10% of the duty saved on the unutilised portion of the DFRC.

2.15.5 The provision of paragraph 2.15.2 and 2.15.3 shall be applicable both for cases covered under paragraph 2.14 and 2.15.

*Identity Card*

2.16 To facilitate collection of licence/certificate/permissions and other documents, identity cards may be issued to the proprietor/partners/directors and the authorised employees (not more than three), of the importer and exporter.

However, in case of limited companies, the Head of the Regional Office may approve the allotment of more than three identity cards per company. An application for issuance of an Identity Card may be made in the form given in Appendix-5.

The documents/licence/certificate/permission may be delivered to the identity card holder and the officials of the DGFT shall not be responsible for any loss etc. of the documents/licence/certificate/permission thereafter.

In case of loss of an identity card, a duplicate card may be issued on the basis of an affidavit. The identity card shall be issued in the format as given in Appendix-5A and shall be valid for a period of three years from the date of issuance.

In the normal circumstances, one authorized employee is allotted one identity card pertaining to the company, he represents. However, to take care of cases like common directors/partners, group company or any other similar issues, Head of the Regional Office may issue multiple identity cards to authorized employee after recording the reasons in writing.

*Interviews with authorised Officers*

2.17 Importer/Exporter and their employees shall have free access to the offices of the licensing authorities and to the officers, authorised to grant interviews. Such officers may also grant interview at their discretion to authorised representative of the importer/exporter for making specific representation. Interviews/clarifications may also be sought through E-mails with the officer concerned.

***Export of Items Reserved for SSI Sector*** 2.18 Units other than small scale units are permitted to expand or create new capacities in respect of items reserved for the small scale sector, subject to the condition that they obtain an Industrial licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951.

It is a condition of such licence that the manufacturer shall undertake export obligation as may be specified by the Ministry of Industry and the licensee is required to furnish a Legal Undertaking to the Directorate General of Foreign Trade in this behalf. The Directorate General of Foreign Trade shall monitor the export obligation.

***Warehousing Facility*** 2.19 Public/Private Customs Bonded Warehouses may be set up in Domestic Tariff Area by following the procedure envisaged in Chapter-IX of the Customs Act, 1962. Such warehouses shall be permitted to import the items in terms of paragraph 2.28 of the Policy.

On receipt of goods, such warehouses shall keep the goods for a period of one year without payment of applicable customs duties. Goods can be cleared against the Bill of Entry for home consumption, on payment of applicable custom duty and on submission of licence/certificate/permission wherever required, provided the competent customs authorities have made an order for clearance of such goods for home consumption.

In case of clearance against duty free categories/concessional duty categories, exemption/concession from duty, as the case may be, allowed.

In case of clearance against DEPB, customs duty on imports may be adjusted against DEPB credit.

The goods can be re-exported without payment of customs duty provided (i) a shipping bill or a bill of export is presented in respect of such goods; and (ii) order for export of such goods has been made by competent customs authorities.

Import, storage, clearance or re-export are subject to the provisions of the Customs Act, 1962 and the Rules, Orders, Notifications or Instructions issued in respect of these provisions.

***Execution of Bank Guarantee/Legal Undertaking for Advance Licence and EPCG*** 2.20 In cases of direct import before clearance of goods through customs, the licence holder shall execute a legal undertaking (LUT)/Bank Guarantee (BG) with the customs authorities in the manner as prescribed by them.

For cases of direct imports, the Licencing Authority shall endorse the following condition on the licence :

"Bank Guarantee/LUT as applicable to be executed as per relevant Customs Notification/Circular"

However, in case of indigenous sourcing, the licence/certificate/ permission holder shall furnish Bank Guarantee/LUT to the licensing authority as prescribed below before sourcing the material from the nominated agencies or indigenous supplier:-

| S. No. | | Category of Exporter | Relevant provisions of Bank Guarantee/ LUT |
|---|---|---|---|
| 1 | | All Status holders (both merchandise exporter and service providers)/Public Sector Undertaking (PSUs). | Legal Undertaking (LUT). |
| 2 | | Manufacturer exporter | Legal Undertaking (LUT) |
| | (a) | Registered with Central Excise authority and | |
| | (b) | Having a minimum export turn- over of Rs.1 Crore and above in the preceding year and | |
| | (c) | Having exported during the previous two financial years. | |
| 3 | | Manufacturer Exporter | Legal Undertaking (LUT) |
| | (a) | Registered with Central Excise Authority and | |
| | (b) | Having paid Central Excise Duty of Rs.1 Crore or more during the preceding financial year. | |
| | | The exporter must submit a Certificate issued by Jurisdictional Superintendent of Central Excise where the factory is located validating clause (b) above. | |
| 4 | | All exporters | Legal Undertaking (LUT) |
| | (a) | having an export turnover of at least Rupees 5 crore in the preceding licencing year and | |
| | (b) | have a good track record and three years of export performance | |
| 5 | | Other Manufacturer Exporter not covered under 1, 2, 3 & 4 above (except Proprietorship and Partnership firms) | Bond supported by Bank Guarantee to |

| | | |
|---|---|---|
| | a) exporting for last 3 years, or<br>b) exporting in any of the last 3 years and satisfying the following conditions: Registered with Excise Authorities, or Registered with State Sales Tax Authorities;<br>Shall be required to furnish:<br>(i) A Central Excise certificate certifying preceding years exports as per customs Circular No.74/2003 dated 21.8.2003, and<br>(ii) Registration Certificate and Excise Control Code (E.C.C.) Number issued by Central Excise Authorities or Registration Certificate issued by State Sales Tax Authorities, as the case may be. This provision is not required for category (a) above. | the extent of 25% of duty saved on excise and education cess, if applicable, with 15% interest. |
| 6 | Manufacturing companies (as distinguished from Proprietorship and Partnership firm, who may also be manufacturers) having not exported in each of the preceding three licencing years but fulfilled the following criterion:<br>(I) The company is registered with Central Excise Authorities and has paid Central Excise duty (unless exempted); and<br>(II) The company is registered with State Sales Tax Authorities and has paid sales tax (unless exempted); and<br>(III) The company furnishes copy of their audited balance sheet; and the minimum investment in plant and machinery must be Rs. 50 lakhs. | Bond supported by Bank Guarantee to the extent of 25% of duty saved on excise duty and education cess, if applicable, with 15% interest. |
| 7 | Merchant Exporter, all types of Proprietorship and Partnership firms (Other than Status Holders/PSUs and category 4 above) | Bond supported by Bank Guarantee to the extent of 100% of the duty saved on excise and |

| | | |
|---|---|---|
| | | education cess, if applicable, with 15% interest |
| 8 | Service providers other than those in category 1and 4 above. | Bond supported by Bank Guarantee to the extent of 100% of the duty saved on excise and education cess, if applicable, with 15% interest. |

However, Manufacturer/Merchant Exporters falling under any of the following two categories based on risk profile of the exporter are required to execute bond supported by Bank Guarantee to the extent of 100% of the duty saved amount on excise and education cess, if applicable, with 15% interest. This can be prescribed by the Head of the office not below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade by recording the reasons in writing.

(a) Have come under the adverse notice of Customs/DGFT/ Central Excise for serious irregularities;

(b) Having adverse track record in terms of fulfillment of pending export obligation.

In cases, where the Excise Duty is nil on the items of indigenous procurement, the Bank Guarantee furnished would be for 25% of the basic Customs Duty with 15% interest on the same product. The Bank Guarantee and LUT should be valid as per the terms and conditions incorporated in the Appendix-21 & 21A respectively. The validity of the Bank Guarantee/LUT is required to be extended in case of extension in export obligation period. Specific endorsement to this effect shall be made in the licence by the licencing authority.

In respect of categories 3, 4 & 5 above, if the exporter has not exported for all the 3 preceding years, 25% Bank Guarantee condition shall be imposed on the duty saved amount provided

the CIF value does not exceed 200% of the domestic turnover or 200% of FOB/FOR value of supplies, whichever is higher. Licence beyond 200% entitlement shall be subject to 100% BG on the duty saved amount for the CIF value exceeding 200% entitlement. However the entitlement may be re-credited on production of documentary evidence showing fulfillment of export obligation and realization of export/supply proceed.

In all the above cases, the licencee is required to furnish declaration to the effect that they have not been penalized under the Customs Act, Excise Act, Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and FEMA/FERA.

In respect of categories at S No. 2 and 4, the licencee would be required to submit the Export Performance Certificate issued by a Chartered Accountant as per Appendix 23.

However, for import/domestic procurement of car under EPCG scheme, 100% Bank Guarantee will be required to be furnished except in case of status holders/PSUs who will furnish Bank Guarantee/LUT as per aforesaid conditions.

Bank Guarantee exemption/relaxation as mentioned above shall also be available in respect of past licences where licence holder had earlier filed Bank Guarantee but as on date, the licence holder is entitled for Bank Guarantee exemption.

In case, the firm has already executed BG/LUT for the full value of the licence/certificate/permission covering the items indigenously procured,to the Customs and furnishes proof of the same, no BG/LUT shall be required to be executed with the licencing authority.

***Corporate Guarantee*** 2.20.1 A Status holder or a PSU may also submit Corporate Guarantee in lieu of Bank Guarantee/LUT in terms of the provisions of relevant Customs Circular in this regard. In case of a group company, if one company of a Group is a status holder, Corporate Guarantee may be given for another company by this company, which is not a status holder.

***Certificate of Origin*** 2.21 Certificate of Origin is the instrument to establish evidence on the origin of goods imported into any country. There are two categories of Certificate of Origin viz, (1) Preferential and (2) Non-preferential.

***Preferential*** 2.21.1 The preferential arrangement/schemes under which India is receiving tariff preferences for its exports are Generalised System of Preferences (GSP), Global System Of Trade

Preferences (GSTP), SAARC Preferential Trading Agreement (SAPTA), Bangkok Agreement, India–Srilanka Free Trade Agreement (ISLFTA) and Indo-Thailand Free Trade Agreement. These arrangements/agreements prescribe Rules of origin, which have to be fulfilled for the exports to be eligible for the tariff preference.

The authorised agencies shall provide services relating to issuance of certificate of origin, including details regarding the rules of origin, list of items covered by an agreement, extent of tariff preference, verification and certification of eligibility etc. Export Inspection Council (EIC) is the sole agency authorised to print blank certificates. The authorised agencies may charge a fee, as approved by Ministry of Commerce and Industry, for services rendered.

***Generalised System of Preferences (GSP)***

(a) GSP is a non contractual instrument by which industrialized (developed) countries unilaterally and on the basis of non-reciprocity extend tariff concessions to developing countries. The following countries extend tariff preferences under their GSP Scheme.

| | | |
|---|---|---|
| United States, | Japan | Belarus |
| European Union, | Norway | Russia |
| Canada, | Switzerland | |
| Australia (only to LDCs) | Bulgaria | |
| New Zealand | | |

GSP schemes of these countries detail the sectors/products and tariff lines under which these benefits are available, besides the conditions and the procedures governing the benefits. These schemes are renewed and modified from time to time. Normally the Customs of GSP offering countries require information-in Form 'A' (prescribed for GSP Rules Of Origin) duly filled in by the exporters of the beneficiary countries and certified by authorised agencies. List of agencies authorised to issue GSP Certificate of Origin is given in Appendix-35.

***Global System of Trade Preference (GSTP)***

(b) Under the agreement establishing Global System of Trade Preference (GSTP), tariff concessions are exchanged among developing countries, who have signed the agreement. Presently, there are 46 member countries of GSTP and India has exchanged tariff concessions with 12 countries on a limited number of products. Export Inspection Council (EIC) is the sole agency authorised to issue Certificate of Origin under GSTP.

***SAARC Preferential Trading Agreement (SAPTA)***

(c) The Agreement establishing SAPTA was signed by seven SAARC members namely India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives in 1993 and came into operation in 1995. Four rounds of trade negotiations have been completed and more than 3000 tariff lines are under tariff concessions among the SAARC countries. The list of agencies, which are authorised to issue Certificate of Origin under SAPTA are notified under Appendix – 35A.

***Bangkok Agreement***

(d) The Bangkok agreement is a preferential trading arrangement designed to liberalise and expand trade in goods progressively in the Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP) region through liberalization of tariff and non-tariff barriers. At present, Bangladesh, Sri Lanka, South Korea, India and China are exchanging tariff concessions. The agencies authorised to issue Certificate of Origin under Bangkok agreement are listed in Appendix – 35A.

***India-Sri Lanka Free Trade Agreement (ISLFTA)***

(e) A Free Trade Agreement (FTA) between India and Sri Lanka was signed on 20th December, 1998. The agreement was operationalised in March, 2000 following notification of the required Customs tariff concessions by the Government of Sri Lanka and India in February, and March, 2000 respectively. Export Inspection Council is the sole agency to issue the Certificate of Origin under ISLFTA.

***India Afghanistan Preferential Trade Agreement***

(f) A Preferential Trade Agreement between the Transitional Islamic State of Afghanistan and Republic of India was signed on 6th March, 2003 and was operationalised with the issuance of the Customs Notification No 76/2003 dated 13th May, 2003. Export Inspection Council is the sole agency to issue the Certificate of Origin under India Afghanistan Preferential Trade Agreement.

***Indo – Thailand Frame-work Agreement for Free Trade Area***

(g) The Protocol to implement the Early Harvest Scheme (EHS) under the framework for the Free Trade Area (FTA) between India and Thailand was signed on 30th August, 2004. The tariff concessions on 82 products under the EHS begins from 01.09.2004. Export Inspection Council would be the sole agency to issue the Certificate of Origin for items under the EHS.

***Non-Preferential***

2.21.2 The Government has also nominated certain authorised agencies to issue Non-Preferential Certificate of Origin in accordance with Article II of International Convention Relating

to Simplification of Customs formalities, 1923. These Certificates of Origin evidence the origin of goods and do not bestow any right to preferential tariffs. The list of these agencies is provided in Appendix – 35B.

All the exporters who are required to submit Certificate of Origin (Non-Preferential) would have to apply to any of the agencies enlisted in Appendix–35B with the following documents:

(a) Details of quantum/origin of the inputs/consumables used in the export product.

(b) Two copies of invoices.

(c) Packing list in duplicate for the concerned invoice.

(d) Fee not exceeding Rs.100 per certificate as may be prescribed by the concerned agency.

The agency would ensure that the goods are of Indian origin as per the general principles governing the rules of origin before granting the Certificate of Origin (non-preferential). The Certificate would be issued as per the Format of Certificate of Origin (Non-Preferential) given in Annexure-II to Appendix–35B. It should be ensured that no correction/re-type is made on the certificate.

In the event of any agency desirous of being enlisted in Appendix-35 B, they shall submit the following documents to the office of the Director General of Foreign Trade through the Jurisdictional Regional Office of the DGFT:

a) Details on the history, activities, membership, awards etc. of the agency.

b) Notarised Declaration-cum-Undertaking as per Annexure I to Appendix 35 B on a stamp paper (Minimum Rupees two)

A copy of the same may also be endorsed to the RMTR Division of the Department of Commerce.

***Automatic Licence/ Certificate/ Permission***

2.22 The status holders shall be issued licence/certificate/ permissions automatically within the stipulated time period. Deficiency, if any, shall be informed in the covering letter which shall be required to be rectified by the status holders within 10 days from the date of communication of deficiency.

***Submission of Certified Copies of Documents***

2.23 Wherever the original documents have been submitted to a different licensing authority/nominated agencies or to a different division of the same licensing authority, the applicant can furnish photocopy of the documents duly certified by him in lieu of the original.

***Advance Payment*** 2.24 In case, payment is received in advance and export/deemed exports takes place subsequently, the application for a licence/certificate/permission shall be filed within specific period following the month during which the exports/deemed exports are made, unless otherwise specified.

***Payment through ECGC cover*** 2.25.1 In cases, where the export has been completed but the payment has not been realised from the buyer, such exports shall be taken into account for the purpose of benefits under the Policy, provided the payment has been realised by the Indian exporter through ECGC cover.

***Payment through General Insurance*** 2.25.2 In cases, where exports have been made and payment realized through the General Insurance Cover on account of transit loss or other circumstances, the amount of the insurance cover paid would be treated as payment realized on account of exports under the various export promotion schemes.

***Export by post*** 2.26 In case of export by post, the exporter shall submit the following documents in lieu of documents prescribed for export by sea/air.

1) Bank Certificate of Export and Realisation as given in Appendix-22.
2) Relevant postal receipt.
3) Invoice duly attested by the Customs.

***Import/Export through Courier Service*** 2.26.1 Imports/Exports through a registered courier service is permitted as per the Notification issued by the Department of Revenue. However, importability/exportability of such items shall be regulated in accordance with the Policy.

***Direct negotiation of export documents*** 2.26.2 In cases, where the exporter directly negotiates the document (not through the authorised dealer) with the permission of the RBI, he is required to submit the following documents for availing of the benefits under the export promotion schemes:

a. Permission from RBI allowing direct negotiation of documents (however, this is not required for status holders who have been granted a general permission),
b. Copy of the Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) as per Form 10-H of the Income Tax department in lieu of the BRC and
c. Statement giving details of the shipping bills/invoice against which the FIRC was issued.

***Import/Export of Samples***

2.27 No licence/certificate/permission shall be required for Imports of bonafide technical and trade samples of items mentioned as restricted in ITC(HS) except vegetable seeds, bees and new drugs by any importer. However, samples of tea not exceeding Rs.2000 (CIF) in one consignment shall be allowed without a licence/certificate/permission by any person connected with Tea industry.

Duty free import of samples upto Rs. 60000 for all exporters barring those in the gems and jewellery sector and Rs. 100000 for those in the gems and jewellery sector shall be allowed as per the terms and conditions of Customs notification.

Exports of bonafide trade and technical samples of freely exportable item shall be allowed without any limit.

***Import under Lease Financing***

2.28 Permission of the licensing authority is not required for import of capital goods under lease financing. However, the condition of actual user or licence/certificate/permission, wherever required under the Policy or this Handbook, shall be applicable in case of import of capital goods under such lease financing.

The facility shall also be available under EPCG Scheme, EOU/SEZ scheme. The domestic supplier of capital goods to eligible categories of deemed exports shall be eligible for the benefits of deemed exports as given in paragraph 8.3 of the Policy even in such cases where the supplies are under lease financing.

***Exhibits Required For National And International Exhibitions Or Fairs And Demonstrations***

2.29 Import/export of exhibits, including construction and decorative materials required for the temporary stands of the foreign/Indian exhibitors at the exhibitions, fair or similar show or display for a period of six months on re-export/re-import basis, shall be allowed without a licence/certificate/permission on submission of a certificate from an officer of a rank not below that of an Under Secretary/Deputy Director General of Foreign Trade to the Government of India in the Department of Commerce/Directorate General of Foreign Trade or an officer of the Indian Trade Promotion Organization duly authorised by its Chairman in this behalf, to the effect that such exhibition, fair or similar show or display, as the case may be,

(i) has been approved or sponsored by the Government of India in the Department of Commerce or the India Trade Promotion Organization; and

(ii) is being held in public interest.

Extension beyond six months for re-export/re-import will be considered by the Customs authorities on merit. Consumables

such as paints, printed material, pamphlets, literature etc. pertaining to the exhibits need not be re-exported/re-imported.

***Import Policy*** 2.30 The Policy relating to the general provisions regarding import of capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods is given in Chapter 2 of the Policy.

***General Procedure for Licensing of Restricted Goods*** 2.31 Wherever an import licence/certificate/permission, including Customs Clearance Permit (CCP), is required under the Policy, the procedure contained in this chapter shall be applicable.

***Import of Second hand Goods/Waste Scrap/Seconds/Rags*** 2.32 The following items may be imported without a licence/ certificate/permission.

(i) Any form of metallic waste, scrap, seconds and defectives, other than those which are of a value below the value specified for any such items by a notification issued in this behalf, and excluding hazardous, toxic waste, radio active contaminated waste/scrap containing radio active material;

(ii) Woolens rags/synthetic rags/shoddy wool in completely mutilated form subject to the condition that mutilation must conform to the requirements as specified by the customs authorities.

(iii) PET bottle/waste.

(iv) Import of all types of ships may be made without a licence/ certificate/permission on the basis of guidelines issued by Ministry of Shipping and as per the age/residual life norms prescribed by the Ministry of Shipping.

Provided in case of import of metal scrap originating from a country affected by war, the exporter shall furnish the following documents to the Customs at the time of clearance of goods:

(I) Pre-shipment inspection certificate as per the format in Annexure I to Appendix 8 from any of the Inspection & Certification agencies given in Appendix-28 to the effect that:

a) The consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, radio active contaminated or any other explosive material in any form either used or otherwise.

b) the imported item(s) is actually a metallic waste/ scrap/seconds/defective as per the internationally accepted parameters for such a classification.

(II) A copy of the contract between the importer and the exporter stipulating that the consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, radio active contaminated, or any other explosive material in any form either used or otherwise.

In case any agency wishes to be enlisted under Appendix-28, they may furnish an application to the office of the Director General of Foreign Trade with the following documents:

a) A brief on the activities of the agency, its history, membership, organisational structure, manpower etc.

b) Infrastructural setup, logistics, testing labs etc for carrying out the inspection of metallic scrap.

c) List of companies/agencies for which testing has been carried out.

DGFT will review the performance of the Inspection and Certification Agencies in Appendix-28 on a regular basis.

***Import of Second Hand Capital Goods***

2.33 Import of second hand capital goods including refurbished/ reconditioned spares, shall be allowed freely, subject to conditions for the following categories:

The Import of second hand computers including personal computers and laptops are restricted for imports.

The import of refurbished/reconditioned spares will be allowed on production of a Chartered Engineer certificate that such spares have a residual life not less than 80% of the life of the original spare.

2.33.1 Notwithstanding the provisions of Para 2.33 above, second hand computers, laptops and computer peripherals including printer, plotter, scanner, monitor, keyboard and storage units can be imported freely as donations by the following category of donees:

(i) School run by Central or State Government or a local body,

(ii) Educational Institution run on non-commercial basis by any organization,

(iii) Registered Charitable Hospital,

(iv) Public Library,

(v) Public funded Research and Development Establishment,

(vi) Community Information Centre run by the Central or State Government or local bodies,

(vii) Adult Education Centre run by the Central or State Government or a local body or

(viii) Organization of the Central or State Government or a Union Territory

The imports under this sub Para would be subject to the condition that the goods shall not be used for any commercial purpose, is non transferable and complies with all the terms and conditions of the relevant Customs Rules and Regulations.

2.33A Customs or any other Central or State Government authority may avail of the services of the Inspection and Certification Agencies in Appendix 28 of the Handbook, for certifying both the residual life as well as the valuation/purchase price of the capital good.

***Import of Ammunition by Licensed Arms Dealers***

2.34 Import of following types of ammunition are allowed against a licence/certificate/permission by licensed arms dealers subject to the conditions as may be specified:

(i) Shotgun Cartridges 28 bore;

(ii) Revolver Cartridges of.450,.455 and.45 bores;

(iii) Pistol Cartridges of.25,.30 Mauser,.450 and.45 bores;

(iv) Rifle Cartridges of 6.5 mm,.22 savage,.22 Hornet, 300 Sherwood, 32/40,.256,.275,.280, 7m/m Mauser, 7 m/m Man Schoener, 9m/m Mauser, 9 m/m Man Schoener, 8x57, 8x57S, 9.3 m/m, 9.5 m/m,.375 Magnum,.405,.30.06,.270,.30/30 Winch,.318,.33 Winch,.275 Mag.,.350 Mag., 400/350,.369 Purdey,.450/ 400,.470,.32 Win,.458 Win,.380 Rook,.220 Swift and.44 Win. bores.

An import licence/certificate/permission shall be issued at 5% of the value of the annual average sales turnover of ammunition (whether indigenous or imported) during the preceding three licensing years subject to a minimum of Rs. 2000.

An application for grant of a licence/certificate/permission for items listed in paragraph 2.34 above may be made to the licensing authority in the form given in Appendix-8 alongwith the documents prescribed therein.

***Restricted Items Required By Hotels, Restaurants, Travel***

2.35 Items mentioned as restricted for imports in ITC(HS) required by hotels, restaurants, travel agents and tour operators may be allowed against a licence/certificate/permission. Import

***Agents, Tour Operators and Other Categories Specified***

licence/certificate/permission shall be granted on the recommendation of the Director General, Tourism, Government of India.

2.35.1 Hotels, including tourist hotels, recognised by the Director General of Tourism, Government of India or a State Government shall be entitled to import licence/certificate/permissions upto a value of 25% of the foreign exchange earned by them from foreign tourists during the preceding licensing year.

Such licence/certificate/permissions shall be granted for the import of essential goods related to the hotel and tourism industry.

2.35.2 Travel agents, tour operators, restaurants, and tourist transport operators and other units for tourism, like adventure/wildlife and convention units, recognized by the Director General of Tourism, Government of India, shall be entitled to import licence/certificate/permission up to a value of 10% of the foreign exchange earned by them during the preceding licensing year.

Such licence/certificate/permission shall be granted for the import of essential goods which are restricted for imports related to the travel and tourism industry, including office and other equipment required for their own professional use.

2.35.3 The import entitlement under paragraphs 2.35.1 and 2.35.2 of any one licensing year can be carried forward, either in full or in part, and added to the import entitlement of the two succeeding licensing years.

2.35.4 The import licence/certificate/permission granted under paragraphs 2.35.1 and 2.35.2 shall not be transferable. However, transferability of such licence/certificate/permission granted to hotels/restaurants/travel agents/tour operators may be allowed within their respective groups or to managed hotels as defined in Chapter 9 of Foreign Trade Policy.

2.35.5 The goods imported against such licence/certificate/permission shall not be transferred to anyone within a period of 2 years from the date of their import without the prior permission of the Director General of Foreign Trade.

No permission for transfer will be required in case the imported goods are re-exported. However, the re-export shall be subject to all conditionality, or requirement of licence, or permission, as may be required under Schedule II of ITC(HS) Classification.

2.35.6 An application for grant of a licence/certificate/permission under paragraphs 2.35.1 and 2.35.2 may be made in the form given in Appendix-8 to the Director General of Foreign Trade through Director of Tourism, Government of India, who will forward the application to the licensing authority concerned along with the recommendations on the import entitlement and the goods to be imported.

***Import of Other Restricted Items***

2.36 ITC(HS) contains the list of restricted items. An application for import of such items may be made, in the form given in Appendix-8 to the Director General of Foreign Trade alongwith documents prescribed therein.

***EXIM Facilitation Committee***

2.37 Restricted item licence/certificate/permission may be granted by the Director General of Foreign Trade or any other licensing authority authorised by him in this behalf. The DGFT/Licensing authority may take the assistance and advice of a facilitation committee.

The Facilitation Committee will consist of representatives of technical authorities and Departments/Ministries concerned.

***Gifts of Consumer or Other Goods***

2.38 In terms of the provisions contained in paragraph 2.19 of the Policy, an application for grant of Customs Clearance Permit for import as gifts of items appearing as restricted for imports in ITC(HS) shall be made to the Director General of Foreign Trade in the form given in Appendix-8 along with documents prescribed therein.

However, where the recipient of a gift is a charitable, religious or an educational institution registered under a law relating to the registration of societies or trusts or otherwise approved by the Central or a State Government and the gift sought to be imported has been exempted from payment of customs duty by the Ministry of Finance, such import shall be allowed by the customs authorities without a Customs Clearance Permit.

***Import under Govt. to Govt. Agreements***

2.39 Import of goods under Government to Government agreements may be allowed without a licence/certificate/permission or Customs Clearance Permit on production of necessary evidence to the satisfaction of the Customs authorities.

***Import of Cheque Books/Ticket Forms etc.***

2.40 Indian branches of foreign banks, insurance companies and travel agencies may import cheque books, bank draft forms and travellers cheque forms without a Customs Clearance Permit. Similarly, airlines/shipping companies operating in India, including persons authorised by such airlines/shipping companies, may import passenger ticket forms without a Customs Clearance Permit.

***Import of Reconditioned/ Second Hand Aircraft Spares***

2.41 Air India, Indian Airlines, Vayudoot, Pawan Hans Ltd. and scheduled domestic private airlines, private sector/public sector companies and State Governments operating executive/ training aircraft or those engaged in the aerial spraying of crops and non scheduled airlines and charter service operators will be eligible to import, without a licence/certificate/permission, reconditioned/second hand aircraft spares on the recommendation of the Director General of Civil Aviation, Government of India.

Foreign airlines shall also be eligible to import without a licence/certificate/permission, reconditioned/second hand aircraft spares on the recommendation of the Director General of Civil Aviation, Government of India.

***Import of Replacement Goods***

2.42 Goods or parts thereof on being imported and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged after import may be exported without a licence/certificate/ permission, and goods in replacement thereof may be supplied free of charge by the foreign suppliers or imported against a marine insurance or marine-cum-erection insurance claim settled by an insurance company. Such goods shall be allowed clearance by the customs authorities without an import licence/ certificate/permission provided that:

(a) The shipment of replacement goods is made within 24 months from the date of clearance of the previously imported goods through the Customs or within the guarantee period in the case of machines or parts thereof where such period is more than 24 months; and

(b) No remittance shall be allowed except for payment of insurance and freight charges where the replacement of goods by foreign suppliers is subject to payment of insurance and/or freight by the importer and documentary evidence to this effect is produced at the time of making the remittance.

The importer shall also have the option to claim refund of payment, if any, already made to the foreign supplier, instead of obtaining replacement of goods referred to above.

2.42.1 In such cases, where the goods have been found short-shipped, short-landed or lost in transit prior to actual import and/or detected as such at the time of customs clearance, import of replacement goods will be permitted on the strength of the certificate issued by the customs authorities without an import licence/certificate/permission.

This procedure shall also apply to cases in which short-shipment of goods is certified by the foreign supplier and he has agreed to replace the goods free of cost.

2.42.2 Cases not covered by the above provisions will be considered on merits by the DGFT for grant of licence/certificate/permissions for replacement of goods for which an application may be made in the form given in Appendix-8.

***Transfer of Imported Goods***

2.43 Goods, which are importable without restriction, can be transferred by sale or otherwise by the importer freely. Transfer of imported goods, which are subject to Actual User condition under the Policy and have become surplus to the needs of the Actual User, shall be made only with the prior permission of the licensing authority concerned. The following information alongwith supporting documents shall be furnished with the request for grant of permission for transfer, to the licensing authority concerned:

(i) Reasons for transfer of imported material;

(ii) Name, address, IEC number and industrial licence/certificate/permission/registration, if any, of the transferee;

(iii) Description, quantity and value of the goods imported and those sought to be transferred;

(iv) Copies of import licence/certificate/permission and bills of entry relating to the imports made;

(v) Terms and conditions of the transfer as agreed upon between buyer and the seller.

2.43.1 Prior permission of the licensing authority shall not, however, be necessary for transfer or disposal of goods, which were imported with Actual User condition provided such goods are freely importable without Actual User condition on the date of transfer.

2.43.2 Prior permission of the licensing authority shall also not be required for transfer or disposal of imported goods after a period of two years from the date of import. However, transfer of imported firearms by the importer/licencee shall be permitted only after 10 years of the date of import with the approval of the DGFT.

***Sale of Exhibits***

2.44 (i) Sale of exhibits of restricted items, mentioned in ITC(HS), imported for an international exhibition/fair organised/approved/sponsored by the India Trade Promotion

Organisation (ITPO) may also be made, without a licence/certificate/permission, within the bond period allowed for re-export, on payment of the applicable customs duties, subject to a ceiling limit of Rs.5 lakhs (CIF) for such exhibits for each exhibitor.

However, sale of exhibits of items, which were freely imported shall be made, without a licence/certificate/permission, within the bond period allowed for re-export on payment of applicable customs duties.

(ii) If goods brought for exhibition are not re-exported or sold within the bond period due to circumstances beyond the control of the importer, the customs authorities may allow extension of the bond period on merits.

***Import of Overseas Office Equipment***

2.45 On the winding up of overseas offices, set up with the approval of the Reserve Bank of India, used office equipment and other items may be imported without a licence/certificate/permission.

***Labels, Price Tags And Like Articles For Export Products***

2.46 Supplies, made by foreign buyers or procured by the exporters on the advice of foreign buyers, of labels, price tags, hangers sizers, PVC boxes, inlay cards, printed bags, stickers and trimming materials like buttons, belts shoulder pads, buckles, eyelets, hooks and eyes and rivets to be attached to the goods against specific orders placed by foreign buyers on Indian exporters, may be imported without a licence/certificate/permission.

***Prototypes***

2.47 Import of new/second hand prototypes/second hand samples not exceeding ten in number in a year may be allowed on payment of duty without a licence/certificate/permission to an Actual User (industrial) engaged in the production of or having industrial licence/letter of intent for research in the item for which prototype is sought for product development or research, as the case may be, upon a self – declaration to that effect, to the satisfaction of the customs authorities.

***Restricted items for R&D***

2.48 All restricted items, except live animals, required for R&D purpose may be imported without a licence/certificate/permission by Government recognised Research and Development units.

***Export Policy***

2.49 The policy relating to Exports is given in Chapter-2 of the Policy. Further, Schedule 2, Appendix-1 of the ITC (HS) specifies the list of items which may be exported without a licence/certificate/permission but subject to terms and conditions specified in this behalf.

| | | |
|---|---|---|
| ***Application for Grant of Export Licence/Certificate/ Permission*** | 2.50 | An application for grant of Export licence/certificate/ permission in respect of items mentioned in Schedule 2 of ITC(HS) may be made in the form given in Appendix-16 or 16A, as the case may be, to the Director General of Foreign Trade and shall be accompanied by the documents prescribed therein. The Foreign Trade Facilitation Committee shall consider applications on merits for issue of export licence/ certificate/permission.<br><br>An Inter-Ministerial Working Group in DGFT shall consider applications for export of Special Chemicals, Organism, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) as specified in Schedule 2, Appendix-3 of ITC(HS) on the basis of guidelines issued in this regard from time to time.<br><br>DGFT may also issue, on application, Free Sale Certificate as per guidelines in force on medical and surgical equipments. |
| ***Export of Items under State Trading Regime (STR)*** | 2.51 | An application for export of items mentioned in ITC (HS) under STR regime may be made to the Director General of Foreign Trade. |
| ***Exports of Samples/Exhibits*** | 2.52 | An application for the export of samples or exhibits, which are restricted for export, may be made to the Director General of Foreign Trade. |
| ***Free of Cost Exports*** | 2.52.1 | The status holders shall be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rs.10 lakh or 2% of the average annual export realisation during the preceding three licensing years whichever is higher. |
| ***Gifts/Spares/ Replacement Goods*** | 2.53 | For export of gifts, indigenous/imported warranty spares and replacement goods in excess of the ceiling/period prescribed in paragraphs 2.32, 2.33 and 2.37 respectively of the Policy, an application may be made to the Director General of Foreign Trade. |
| ***Furnishing of Returns in respect of Exports in non Physical form*** | 2.54 | All the exports made in non-physical form by using communication links including high speed data communication links, internet, telephone line or any other channel which do not involve the Customs authorities has to be compulsorily reported on quarterly basis to the Electronic and Software Export Promotion Council in the proforma given in Appendix-4B. |

These provisions shall be applicable to all the exporting units located anywhere in the country including those located in STP, SEZ, EHTP and under 100% EOU scheme.

***Duty Free Import of R&D Equipment for Pharmaceuticals and Bio-technology Sector***

2.55 Duty free import of goods (as specified in the list 28 of Customs notification No.21/2002 dated 1.3.2002, as amended from time to time) upto 25% of the FOB value of exports during the preceding licensing year, shall be allowed to the manufacturer exporters having Research and Development wing which is registered with the Department of Scientific and Industrial Research in the Ministry of Science and Technology subject to fulfillment of condition number 53(ii) of the said notification.

The eligible unit may furnish an application given in Appendix-34 to the Regional Licensing Authorities under whose jurisdiction the registered office of company or head office of the firm is located.

The Regional Licensing Authority shall verify the application on the basis of the declaration given by the unit and countersigned by Chartered Accountant.

2.55.1 Duty free imports of goods as specified in list 28A of Customs notification No. 21/2002 dated 1.3.2002, (as amended from time to time) upto 1% of the FOB value of exports made during the preceding licensing year, shall be allowed to agro chemicals sector unit having export turnover of Rs. 20 crore or above during preceding licensing year. Such facility shall be available only to a manufacturer having a research and development wing registered with Department of Scientific and Industrial Research in Ministry of Science and Technology subject to fulfilment of condition no.53A of the said notification.

The eligible unit shall apply in the form given in Appendix-34A to the Regional Licensing Authorities under whose jurisdiction the registered office of company or head office of the firm is located.

The Regional Licensing authority shall verify the application on the basis of the declaration given by the unit and countersigned by Chartered Accountant.

***Conversion of E.P. copy of shipping bill from One Scheme To Another***

2.56 If the Customs authorities, after recording reasons in writing, permit conversion of an E.P. copy of any scheme shipping bill on which the benefit of that scheme has not been availed, the exporter would be entitled to the benefit under the scheme in which shipment is subsequently converted.

***Relocation of Industries***

2.57 Plant and machineries would be permitted for import without a licence provided the depreciated value of such relocation plant exceeds Rs. 25 crore.

***Offsetting of Export Proceeds***

2.58 Subject to the specific approval of the Reserve Bank of India, any payables, or equity investment made by a licence holder under any export promotion scheme, can be used to offset receipts of his export proceeds. In such cases, the offsetting would be equal to the realisation of the export proceeds and the exporter would have to submit the following additional documents:

a) Appendix-22B in lieu of the Bank Realisation Certificate.

b) Specific permission of the Reserve Bank of India.

***Quality Certification***

2.59 It has been a constant endeavor to promote quality standards in the export product/units manufacturing the export product.

2.59.1 One the salient features incorporated in the Foreign Trade Policy as per paragraph 3.5.2 Note.1 for the promotion of quality standards is the grant of Star Export House status on achievement of a lower threshold limit for units having ISO-9000 (series), ISO-14000 (Series) or HACCP certification or WHOGMP or SEI CMM level-2 & above status/certification.

2.59.2 The list of such agencies authorised to grant quality certification is given in Appendix-28A.

Any of the agencies desirous of enlistment in Appendix-28A may forward a request to the office of the Director General of Foreign Trade with the following documents:

a) A valid accreditation certificate for quality management from National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) or any other agency.

b) List of firms/companies (whether Indian or foreign) granted certification by the applicant,

c) Details on the logistical/infrastructural setup of the agency,

d) An undertaking to the effect that "in case of any liability arising out of certification, the agency in India would be liable to the penal provisions under the FTDR Act or any other allied Acts".

2.59.3 However, in the case of foreign agencies accredited by a nodal agency in the parent country desirous of enlistment in

Appendix-28 A, the following documents may be forwarded to the office of DGFT:

a) A copy of the valid accreditation certificate of the foreign agency, which mentions, inter alia, whether the accreditation agency is a member of IAF(International Accreditation Forum),

b) Details of the Indian partner/agency/branch operating in India on behalf of the parent company,

c) List of foreign and Indian agencies granted certification,

d) An undertaking to the effect that "in case of any liability arising out of certification, the parent company and its partner/agency/branch in India would be liable to Indian laws in Indian courts"

***Grievance Redressal Mechanism*** 2.60 The provisions pertaining to the Grievance Redressal Mechanism is given in para 2.49 of the Foreign Trade Policy.

# CHAPTER-3

## PROMOTIONAL MEASURES

***Status Certificates***

3.1 The Policy relating to the status holder is given in Chapter-3 of the Policy.

***Application for Grant of Status***

3.2 For grant of any status, the application shall be filed before 1st March. The application for One to Five Star Export House shall be filed in Appendix-17. The application for One to Five Star Export House for service providers shall be filed in Appendix-17A.

An existing status holder shall be automatically treated to be an equivalent star export house as per the table given herein under:

| Erstwhile status under Exim Policy 2002-07 | Converted Status as per the Foreign Trade Policy 2004-09 |
|---|---|
| Export House | One Star Export House |
| Trading House | Three Star Export House |
| Star Trading House | Four Star Export House |
| Super Star Trading House | Five Star Export House |

However, any exporter irrespective of whether he is a status holder or not can apply afresh in Appendix 17 or Appendix-17A for grant of status or upgradation of his existing status.

3.2.1 Application for grant/renewal of certificate for One to Five Star Export House shall be filed with the concerned regional licensing authority headed by Joint DGFT. Provided further that, application for grant/renewal of status certificate in respect of EOU/SEZ units, shall be filed with the concerned Development Commissioner if it does not involve clubbing of FOB value of exports of its other company(s) in the DTA. However in case of clubbing, the application shall be filed with Joint DGFT.

3.2.2 Such application shall be made by the Registered Office/Head Office/Corporate Office in the case of a Company and Head Office in case of others. Where the applicant is the Registered Office/Head Office/Corporate Office in case of a Company, it shall furnish (a) Self certified copy of valid RCMC where the name of the Registered Office or Head Office or Corporate Office is given and (b) A disclaimer from the Head Office and Corporate Office (or Registered Office and Corporate Office or Registered Office and Head Office as the case may be) that no such application has been filed by the Company earlier against the period of entitlement for the status certificate.

3.2.3 The application for grant of status certificate in the case of non service providers mandates the submission of a "Bank Certificate of Export Realisation/Deemed Exports for Status Certificate" as given in Appendix-17B.

***Target Plus Scheme***

3.2.5 The Policy for the Target Plus Scheme is given at Chapter 3 of the Foreign Trade Policy

I. For direct as well as third party exports, the Export documents viz Export Order, Invoice, GR form, Bank Realization Certificate should be in the name of applicant only.

However for the third party exports, where goods have been procured from a manufacturer, the shipping bill should contain the name of the exporter as well as the supporting manufacturer.

II. Goods allowed to be imported under this scheme shall have a broad nexus with the products exported and a declaration in this regard shall be made by the applicant in Appendix-17D.

III. The licensing authority shall at the time of issuance of the duty credit entitlement certificate endorse the name of the associate manufacturer/supporting manufacturer/ job worker on the certificate as declared by the applicant. Goods imported against such entitlement certificate shall be used by the applicant or his supporting manufacturer/ job worker.

IV. The last date for filing of such applications shall be 31st December.

V. For each duty credit certificate, split certificates subject to a minimum of Rs. 5 lakh each and multiples thereof may also be issued. A fee of Rs 1000/- each shall be paid for each split certificate. However, a request for issuance of split certificate(s) shall be made at the time of application only and shall not be considered at a later stage.

VI. The duty credit certificate shall normally be issued with a single port of registration. However the applicant may choose for different ports of registration for each split certificate.

VII. The duty credit certificate shall be valid for a period of 24 months from the date of issue.

VIII. The applicants shall within one month of the last imports made under this certificate or within one month of expiry of the certificate which ever is earlier, submit a statement

of imports/utilization made under the certificate as per Appendix 17E, to the jurisdictional Regional Licensing Authority who have issued the Certificate with a copy to the jurisdictional Excise authorities.

***Maintenance of Accounts***

3.3 The status holder shall maintain true and proper accounts of its exports and imports based on which such recognition has been granted and the exports and imports made during the validity period of such recognition certificate. The record shall be maintained for a minimum period of three years from the expiry of the validity of such certificate. These accounts shall be made available for inspection to the licensing authority or any authority nominated by the Director General of Foreign Trade.

***Refusal/Suspension/ Cancellation of Certificate***

3.4 The status certificate may be refused or suspended or cancelled by the authority which is competent to issue/renew such certificate, if the certificate holder/applicant or any agent or employee acting on his behalf:

(a) Fails to discharge the export obligation imposed;

(b) Tampers with licences;

(c) Misrepresents or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining any licence;

(d) Commits a breach of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, or the Rules and Orders made there under; or

(e) Fails to furnish the information required by the Director General of Foreign Trade or any person or authority authorized by him.

3.4.1 A reasonable opportunity shall be given to the status holder before taking any action under paragraph 3.4 of Handbook.

***Appeal***

3.5 An applicant who is not satisfied with the decision taken to suspend or cancel the certificate, may file an appeal to the Director General of Foreign Trade within 45 days of the date of the said decision. The decision of the DGFT shall be final.

***Export Promotion Council***

3.6 The general policy relating to the Export Promotion Councils (EPCs) is given in Chapter-2 of the Policy. A list and product category of Export Promotion Councils/Commodity Boards is given in Appendix- 27.

3.7 The major functions of the EPCs are:

(a) To provide commercially useful information and

assistance to their members in developing and increasing their exports;

(b) To offer professional advice to their members in areas such as technology up gradation, quality and design improvement, standards and specifications, product development, innovation etc;

(c) To organise visits of delegations of its members abroad to explore overseas market opportunities;

(d) To organise participation in trade fairs, exhibitions and buyer-seller meets in India and abroad;

(e) To promote interaction between the exporting community and the Government both at the Central and State levels; and

(f) To build a database on the exports and imports of their members.

***Non-Profit, Autonomous and Professional Bodies***

3.8 The EPCs are non-profit organizations registered under the Companies Act or the Societies Registration Act, as the case may be.

3.9 The EPCs shall be autonomous and regulate their own affairs. However, if the Central Government frames uniform bylaws for the constitution and/or for the transaction of business for EPCs, they shall adopt the same with such modifications as Central Government may approve having regard to the special nature or functioning of such EPC.

The EPCs shall not be required to obtain the approval of the Central Government for participation in trade fairs, exhibitions etc. and for sending sales teams/delegations abroad.

The Ministry of Commerce and Industry/Ministry of Textiles of the Government of India, as the case may be, would interact with the Managing Committee of the Council concerned, twice a year, once for approving their annual plans and budget and again for a mid-year appraisal and review of their performance.

3.10 In order to give a boost and impetus to exports, it is imperative that the EPCs function as professional bodies. For this purpose, executives with a professional background in commerce, management and international marketing and having experience in government and industry should be brought into the EPCs.

***Government Support***

3.11 The EPCs may be provided financial assistance by the Central Government.

***Authorities Issuing RCMC***

3.12 An exporter desiring to obtain a Registration-cum- Membership Certificate (RCMC) shall declare his main line of business in the application which shall be made to the Export Promotion Council (EPC) relating to that line of business as indicated in Appendix-27. However, a status holder has the option to obtain RCMC from Federation of Indian Exporters Organization (FIEO).

The service exporters (except software service exporters) shall be required to obtain RCMC from FIEO. In respect of exporters having their head office/registered office in the State of Orissa, RCMC may be obtained from FIEO office in Bhubaneshwar irrespective of the product being exported by them.

In order to give proper guidance and encouragement to the Services Sector, an exclusive Export Promotion Council for Services shall be set up.

3.12.1 In addition, an exporter has the option to obtain an RCMC from FIEO or any other EPC, if the products exported by him relate to those EPC's. If the export product is such that it is not covered by any EPC, RCMC in respect thereof may be issued by FIEO.

***Registration cum-Membership***

3.12.2 An exporter may, on application given in Appendix-4, register and become a member of an Export Promotion Council. On being admitted to membership, the applicant shall be granted forthwith Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) of the EPC concerned, in the format given in Appendix-4A subject to such terms and conditions as may be specified in this behalf. In case an exporter desires to get registration as a manufacturer exporter, he shall furnish evidence to that effect.

Prospective/potential exporters may also, on application, register and become an associate member of an export promotion council.

***Validity Period of RCMC***

3.12.3 The RCMC shall be deemed to be valid from 1st April of the licensing year in which it was issued and shall be valid for five years ending 31st March of the licensing year, unless otherwise specified.

***Intimation Regarding Change in Constitution***

3.12.4 In case of change in ownership, constitution, name or address of an exporter, it shall be obligatory on the part of RCMC holder to intimate such change to the registering authority within a period of one month from the date of such change. The registering authority, however, may condone delays on merits.

***Furnishing of Returns*** 3.13 The exporter shall furnish quarterly returns/details of his exports of different commodities to the concerned registering authority. This will be in addition to any other returns as may be prescribed by the registering authority. However, status holders shall also send quarterly returns to FIEO in the format specified by FIEO.

***De-Registration*** 3.14 The registering authority may de-register an RCMC holder for a specified period for violation of the conditions of registration. Before such de-registration, the RCMC holder shall be given a show cause notice by the registering authority, and an adequate and reasonable opportunity to make a representation against the proposed de-registration. Upon de–registration, the concerned export promotion council shall intimate the same to all the licensing authorities.

***Appeal Against De-registration*** 3.15 A person aggrieved by a decision of the registering authority in respect of any matter connected with the issue of RCMC, may prefer an appeal to the Director General of Foreign Trade or an officer designated in this behalf within 45 days against the said decision and the decision of the appellate authority shall be final.

***Directives of DGFT*** 3.16 The Director General of Foreign Trade may direct any registering authority to register or de-register an exporter or otherwise issue such other directions to them consistent with and in order to implement the provisions of the Act, the Rules and Orders made there under, the Policy or this Handbook.

***Electronic Data Interchange*** 3.17 With a view to reducing transaction time and costs in obtaining licences/permission/certificate from the DGFT, electronic filing and electronic processing of licence application has been introduced.

***Eligibility*** 3.17.1 The facility of electronic filing of applications shall be available to all exporters.

***Procedure*** 3.17.2 Under this scheme, an exporter would be able to file his application on the DGFT website at http://dgft.delhi.nic.in. The application will then be processed in accordance with the prevalent rules and regulations. Deficiency, if any, shall be communicated online to the applicant.

The applicant will have to visit the concerned office to hand-over the hard copy of the application along with the requisite documents including the application fee. The licence shall be issued on receipt of the hard copies of the documents as mentioned above after due scrutiny as prescribed in this Book.

Only 50% of the normal application fee would be admissible if the application is made through a digital signature.

However, from 01.01.2005 onwards, the following deductions would be admissible for applications signed digitally and application fee paid electronically through EFT (electronic fund transfer).

| S. No | Mode of Application | Fee Deduction (as a % of normal application fee) |
|---|---|---|
| 1 | Digitally signed | 25% |
| 2 | Application fee payment vide EFT | 25% |
| 3 | Both digitally signed and EFT | 50% |

***Benefits***

3.17.3 The facility will reduce unnecessary physical interface with DGFT. It will enable faster processing, speedier communication of deficiencies, if any, and on-line availability of application processing status.

3.17.4 Licence issued electronically shall be transmitted to the Customs through EDI Mode. This shall also obviate the need for physical verification of licences before allowing clearance, as the verification will be done electronically by the Customs.

***Served From India Scheme***

3.18

a) The Policy for the Served From India Scheme is elaborated at Chapter 3 of Foreign Trade Policy.

b) A single consolidated application for the duty credit entitlement certificate shall be filed with the jurisdictional regional licensing authority in Appendix-36A by the Registered office in case of a company and Head Office in case of others. The last date for filing of such application shall be 31st December.

c) Where the applicant is the branch office or the individual units of the service provider, it shall furnish (i) self certified copy of any valid documentary evidence such as tax return etc. where the name of the branch/unit is given and (ii) an authority letter from the Registered Office of a company or head office of a firm, clearly indicating that the Registered/Head office or its branches and unit(s) have not been declared defaulter or otherwise made in-eligible for import/export under any of the provisions of the policy.

d) For each duty credit certificate, split certificates subject to a minimum of Rs. 5 lakh each and multiples thereof

may also be issued. A fee of Rs. 1000/- each shall be paid for each split certificate. However, a request for issuance of split certificate(s) shall be made at the time of application only and shall not be considered at a later stage.

The duty credit certificate shall normally be issued with a single port of registration. However the applicant may choose for different ports of registration for each split certificate.

e) The certificate holder intending to procure the item(s) from the indigenous sources/State Trading Enterprises in lieu of direct import has the option to source them against Advance Release Order (ARO) or invalidation letter, as the case may be, which shall be denominated in foreign exchange/Indian Rupees.

f) The entitlement can be used for import from private/public bonded warehouses subject to the fulfillment of provision of paragraph 2.28 of Foreign Trade Policy and the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue from time to time in respect of private/public bonded warehouses.

g) The duty credit entitlement certificate shall be valid for a period of 24 months. The service provider shall within one month of the completion of imports made or the expiry of the validity of the duty credit entitlement certificate whichever is earlier, submit a statement of imports made under the certificate as per Appendix-36B to the jurisdictional Regional Licensing Authority with a copy to the jurisdictional Excise authorities (service tax cell).

h) All the applicants under this scheme who are hotels (1 star and above, heritage hotels) and stand alone restaurants would ensure that they pass on the entire benefit of the duty credit entitlement to the consumer.

This would be confirmed by the submission of a certificate as per Annexure 1 to Appendix-36B pertaining to the "Statement of Utilization of Duty Credit Entitlement for Status Providers" to the licencing authority.

(i) Only such foreign exchange remittances as are earned as amounts in lieu of the services rendered by the service exporter would be counted for computation of the entitlement under this scheme.

Other sources of foreign exchange earnings such as equity or debt participation, donations, repayment of loans and any other inflow of foreign exchange unrelated to the

service rendered would not be counted for the computation of entitlement under the scheme.

***Vishesh Krishi Upaj Yojana***

3.19 The Policy pertaining to the Vishesh Krishi Upaj Yojana is given in Chapter 3 of the Foreign Trade Policy.

The following guidelines would be applicable for exports under this scheme:

(a) For direct as well as third party exports, the Export documents viz Export Order, Invoice, GR form, Bank Realization Certificate should be in the name of applicant only.

(b) The Duty Credit may be used for import of inputs or goods including capital goods, as may be notified, provided the same is freely importable under ITC(HS).

(c) The duty credit certificate would be valid for a period of 24 months.

Detailed guidelines and procedure for the scheme shall be notified.

# CHAPTER-4

## DUTY EXEMPTION/REMISSION SCHEME

| | | |
|---|---|---|
| ***Policy*** | 4.1 | The Policy relating to the Duty Exemption/Remission Scheme is prescribed in Chapter 4 of the Policy. |
| ***General Provision*** | 4.2 | An application for grant of an Advance Licence/Advance Licence for Annual Requirement/DFRC/DEPB may be made by the Registered office or Head office or a branch office or manufacturing unit of the eligible exporter, to the licensing authority concerned. |
| | 4.3 | Where the applicant is the branch office or manufacturing unit(s) of an exporter, it shall furnish (a) Self certified copy of valid RCMC where the name of the branch office or manufacturing unit is given and (b) an authority letter from the Registered Office of a Company or Head Office of a firm, clearly indicating that Registered/Head Office or its branches and manufacturing unit(s) have not been declared defaulter or otherwise made ineligible for import/export under any of the provisions of the Policy.<br><br>However, this declaration shall not be required for those filing applications electronically. |
| ***Advance Licence*** | 4.4 | Where the SION have been published, an application in Appendix-10B, along with documents prescribed therein, shall be submitted to the licensing authority concerned. |
| | 4.4.1 | In case of export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the quantity, wastage and the value addition norms shall be as prescribed in Chapter-4 of the Policy and this chapter. |
| | 4.4.2 | In case, where norms have not been published, an application in Appendix-10B (with Annexure-I), along with prescribed documents, shall be furnished to ALC for fixation of Norms.<br><br>In such cases, the original copy of the application along with prescribed fee shall be filed with the Regional Licensing Authority concerned and a self attested copy of the same shall be filed with ALC. The Licenses in such cases shall be issued by the RLA on the basis of recommendation of ALC.<br><br>The Committee shall also function as a recommendatory authority for SION. The Director General of Foreign Trade may notify such norms as recommended by the ALC. |

4.4.3 Applications, where Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo-ephedrine is required as an input for import, either in such cases where norms are fixed or in such cases where norms are not fixed, shall be filed with the regional licensing authorities concerned.

Copies of such applications shall also be simultaneously endorsed to the Drug Controller of India, Nirman Bhawan, New Delhi, Narcotics Commissioner, Central Bureau of Narcotics, Gwalior and the respective Zonal Director of the Narcotics Control Bureau, alongwith a declaration that the applicant will maintain the prescribed records and also submit the prescribed returns.

4.4.4 The licensing authority, while issuing the advance licence for the import of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo-ephedrine, shall endorse a condition that before effecting imports, NOC shall be obtained from the Narcotics Commissioner of India, Central Bureau of Narcotics, Gwalior and shall also endorse a copy of the licence to the Drug Controller, Nirman Bhawan, New Delhi and the concerned Zonal Director of the Narcotics Control Bureau.

4.4.5 Exports made against the Government of India line of credit would be entitled for benefits under the Advance Licence Scheme.

***Advance Licence for applicants with multi units***

4.5 While issuing advance licences in case of multi unit companies, the RLAs should endorse the use of material imported thereunder for a particular unit of a company and transfer of any material from one unit of the company to another unit of the same company shall be done with the permission of Excise Authorities with a clear understanding that no benefit of CENVAT shall be claimed on such transferred inputs.

***Advance Licence for Free of Cost and Paid Material***

4.6 In terms of paragraph 4.1.6 of the EXIM Policy, an exporter may apply for an Advance Licence for import of items mentioned in paragraph 4.1.1 of the Policy, some or all of which may also include items that are supplied free of cost.

In such cases, a specific endorsement shall be made on the exchange control copy of the Advance Licence disallowing remittances for the material being supplied free of cost. All inputs imported shall be utilised in the manufacturing of the product except the wastage.

The value addition in the case of such advance licences would be computed by adding the notional value of the free of cost

material to both the CIF value of imports and FOB value of exports.

*Self Declared licences where SION does not exist*

4.7 The licensing authority may also issue Advance licences, where SIONs are not fixed, based on self declaration and an undertaking by the applicant for a final adjustment as per Adhoc/SION fixed by ALC. However, no Advance Licence for import of horn, hoof and other organ of animal, or for any item for which DGFT may so notify, shall be issued under paragraph 4.7 by the licensing authority.

*Entitlement*

4.7.1 The CIF value of one or more such licences shall be Rs. 1 crore or 100% of the FOB and/or F.O.R value of preceding year exports/supply, whichever is more. However status holders can claim one or more such licences upto 200% of the FOB value of preceding year exports.

However, in cases where ALC has already ratified the norms for the same export-import products in respect of a licence obtained under paragraph 4.7, such norms shall be valid for a period of six months reckoned from the date of ratification.

The licence holder in such cases shall be entitled for further licence(s) as per the norms ratified by ALC without the need for subsequent ratification by ALC. In such cases, the applicant would file the application under Adhoc Norms Fixed category.

Licences shall be issued by the Licencing Authority concerned under " Adhoc Norms Fixed" category and in such cases the application copies need not be forwarded to the ALC for fixation/ratification of norms. The total value of licence(s) obtained on such norms shall not exceed 100% of the FOB and/or FOR value of preceding year export/supply.

4.7.2 Once the norms are fixed by ALC, the value limits mentioned in sub paragraph 4.7.1, above would not be applicable to advance licences issued under this paragraph. Such licences, subsequent to fixation of norms by ALC, may be enhanced to a value originally applied for or as decided by the competent authority.

*Licence in Excess of Entitlement*

4.7.3 An applicant shall be entitled for licence under this paragraph in excess of entitlement mentioned in paragraph 4.7.1 subject to furnishing of 100% Bank Guarantee to Customs authority to cover the exemption from Customs duties. A specific endorsement to this effect shall be made on the licence.

4.7.4 The original application with prescribed documents shall be submitted to the concerned Regional Licensing Authority. The licensing authority shall forward a copy of the application within 7 days from the date of issue of such licences to ALC for fixation of norms within the prescribed time.

4.7.5 The applicant shall give an undertaking that he shall abide by the norms fixed by ALC and accordingly pay duty, together with 15% interest, on the unutilised inputs as per norms, fixed by ALC.

4.7.6 In such cases, where the norms are not finalised by ALC within four months from the date of issuance of licence, the norms as applied for, shall be treated as final and no adjustment will be made. However, where the application for fixation of adhoc/SION is rejected on account of non-furnishing of required documents/information, the licence holder shall be liable for penalty as stated in the above paragraph.

In such cases where the export obligation is completed pending fixation of norms by ALC, the entitlement for the licence as given in paragraph 4.7.1 may be re-credited upon production of documentary evidence showing fulfillment of export obligation and realisation of foreign exchange in respect of the previous licenses. However, bond waiver/redemption shall not be allowed pending fixation of norms in such cases.

***Financial Powers***

4.8 The financial powers of the licensing authority and ALC are given in the table below:

| Category of Application | On published norms and under paragraph- 4.7 of this Handbook | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Regional Licensing Authority | | Regional Licensing Authorities on the recommendation of ALC. | |
| | Petroleum/ Petrochemical products & Advance Licence for Annual Requirements | Others | Petroleum/ Petrochemical products & Advance Licence for Annual Requirements | Others |
| CIF value of Licence | Upto Rs. 500 crore | Upto Rs. 100 crore | Above Rs. 500 crore | Above Rs. 100 crore |

***Standardisation of Adhoc Norms*** 4.9 For standardization of norms, an application may be made by the manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer, duly filled in, with complete data. Such applications shall be made to the Advance Licensing Committee (ALC) in the form given in Appendix-10.

Import of fuel may also be allowed under SION by ALC subject to the following: -

(a) The facility of import of fuel shall be allowed only to the manufacturer having captive power plant.

(b) In cases where SION specifically allows fuel, the same shall be permitted under advance licence. However, if fuel is not covered specifically under SION, it may be allowed as per general fuel Policy for products covered under SION or under paragraph 4.7

(c) Fuel should be allowed only against an actual user licence

(d) Even where fuel is included as an input under SION, it shall not be taken into account while fixing the DEPB rate for such products against which fuel has been allowed as an input.

(e) The applications of fixation of fuel entitlement for new sectors and modification of the existing entitlement as per the General Note for Fuel in the Handbook of Procedures (Vol. 2) would be made to the Advance Licencing Committee along with the requisite data in Appendix 10 H pertaining to the "Data Sheet for Fuel Rate".

The Advance Licence holders wishing to procure the fuel indigenously may apply for an Advance Release Order or Back to Back Inland Letter of Credit. The indigenous supplier supplying fuel shall be entitled for deemed export benefits given in paragraph 8.3(a), (b) & (c) of the Policy. In case the indigenous supplier is not willing to avail of deemed exports benefits under such supplies of fuel to the Advance Licence holder, he may issue a disclaimer on the basis of which the Advance Licence holder can avail of the deemed export benefits as per procedure given in Chapter 8 of the Handbook (Vol. 1).

***Modification of SION*** 4.10 An application for modification of existing SION may be filed before the ALC by manufacturer exporter or merchant-exporter, tied to supporting manufacturer, in the form given in Appendix-10.

***Amendment of Export item and Inputs***

4.10 An application for amendment of an export item or inputs under SION may be filed by any manufacturer or merchant exporter as per Appendix 10 J of the Handbook (Vol. 1).

The applicant would give justification in seeking the amendment and the same would be considered by the Regional Office with the specific approval of the Head of the Office.

However, no such amendment would be permitted for advance licences issued under adhoc norms or self certification.

***Description of an Advance Licence***

4.11 An Advance Licence shall specify:

(a) the names and description of items to be imported and exported/supplied;

(b) the quantity of each item to be imported or wherever the quantity cannot be indicated, the value of the item shall be indicated. However, if in Standard input-output norms, the quantity and value of individual inputs is a limiting factor, the same shall be applicable.

(c) the aggregate CIF value of imports; and

(d) the FOB/FOR value and quantity of exports/supplies.

***Exports in Anticipation of Licence***

4.12 Exports/supplies made from the date of issuance of file no for an Advance Licence by the licensing authority, may be accepted towards discharge of export obligation. If the application is approved, the licence shall be issued based on the input/output norms in force on the date of receipt of the application by the licensing authority in proportion to the provisional exports/ supplies already made till any amendment in the norms is notified. For the remaining exports, the Policy/Procedures in force on the date of issue of the licence shall be applicable.

4.12.1 The exports/supplies made in anticipation of the grant of an Advance Licence shall be entirely on the risk and responsibility of the exporter.

4.12.2 The conversion of duty free shipping bills to drawback shipping bills may also be permitted by the customs authorities in case, the application for an Advance Licence is rejected or modified by the licensing authority.

Note: Advance Licence, unless otherwise stated, means Advance Licence for Physical Exports/Intermediate Supply/Deemed Exports.

***Advance Licence or DFRC for Intermediate Supplies***

4.13 The application for grant of Advance License or DFRC for Intermediate supply may be made on the basis of a tie-up agreement with the exporter holding an Advance license for physical exports/deemed exports or DFRC. The licensing authority concerned shall consider such requests.

The Advance License or DFRC for Intermediate supply shall be issued after making the licence invalid for direct import of items to be supplied by the intermediate manufacturer. In such cases, a copy of the invalidation letter will be given to the licence holder and copy thereof will be sent to the intermediate supplier as well as the licensing authority of the intermediate supplier. The licensee in such case has an option either to supply the intermediate product to holder of Advance Licence for physical exports/deemed exports or to export directly.

The facility of advance licence for intermediate supply shall be available even in cases where the intermediate supplier has supplied or intend to supply the material subsequent to fulfilment of export obligation by the ultimate exporter holding the Advance Licence.

***Advance Release Order***

4.14 An application may be made to the Regional Licensing Authority concerned for grant of Advance Release Order (ARO) to procure the inputs from indigenous sources/State Trading Enterprises.

4.14.1 The application shall specify (i) the name, description and quantity of the items and (ii) the individual value of items to be procured. An ARO may be issued along with the Advance Licence for Physical Exports/Intermediate Supplies/Deemed Exports/DFRC or subsequently, and its validity shall be co-terminus with the validity of the Advance Licence for Physical Exports/Intermediate Supplies/Deemed Exports.

An ARO issued for the procurement of an individual item shall be automatically valid for procurement from one or more indigenous sources.

***Back to Back Inland Letter of Credit (LC)***

4.15 The exporter may alternatively avail the facility of a back to back inland letter of credit from the banks. An Advance Licence holder, and a DFRC holder, may approach a bank for opening an inland letter of credit (LC) in favour of an indigenous supplier.

4.15.1 Before opening the LC, the bank will ensure that the necessary BG/LUT has been executed by the Advance Licence holder and an endorsement to that effect has been made on the licence.

However, execution of BG/LUT shall not be required against DFRC. After opening the inland LC, the bank shall make the following endorsement on the Exchange Control and Customs copy of the Advance Licence for Physical Exports/Deemed Exports/DFRC;

The value of this Advance Licence for Physical Exports/ Deemed Exports/DFRC stands reduced by a sum of Rs. ________, being the value of the inland LC No.________ opened today by the licensee in favour of M/s __________________ (name and address of the indigenous supplier).

4.15.2 The licence shall be invalidated by the bank for direct import only in respect of the full quantity and value of the item being sourced indigenously.

4.15.3 The original Letter of credit (L/C) may be retained by the bank for negotiation and only the non-negotiable copy of the L/C may be given to the indigenous supplier.

4.15.4 The responsibility of the bank shall be confined to making the endorsement. The bank shall not be liable for any misrepresentation or false statement made by the licensee while requesting the bank to make the endorsement. The inland LC opened by the bank in favour of the indigenous supplier shall not be canceled for any reason whatsoever.

4.15.5 The non negotiable copy of inland LC together with the photocopy of the Advance Licence duly carrying endorsements made by the bank shall be sufficient for the indigenous supplier to claim deemed export benefits. LC issued against DFRC shall, however, be entitled only to benefit given in paragraph 8.3 (b) of Policy, whereas LC for other categories shall be entitled to benefits given in paragraph 8.3 (b) and (c) of the Policy.

4.15.6 Where the import of gold/silver is permitted as an input under this scheme, such gold/silver can be sourced through the nominated agencies as given in Chapter-4 of the Policy for supply against the Advance Licences issued in this behalf. Before supply of the material, the nominated agencies should follow the same procedure as given in paragraph 4.15.1 above.

***Facility of Supporting Manufacturers/Jobber***

4.16 The imported material may be used in any of the units of the licence holder or jobber/supporting manufacturer provided the same is endorsed on the licence by the regional office.

However if the licence holder is registered with the Central Excise, he has an option of getting the names of the jobber endorsed by the Central Excise as per the Central Excise Rules in lieu of the endorsement on the licence by the regional office. However, the licence holder shall be solely responsible for the imported items and fulfillment of export obligation.

***Facility Of Co-Licensee***

4.17 If the applicant desires to have the name of any manufacturer or jobber added to the licence, he may apply for such endorsement. Such endorsement shall be mandatory where prior import (before export) is a condition for Advance Licence for physical exports and the licence holder desires to have the material processed through any other manufacturer or jobber. Upon such endorsement made by the licensing authority, the licence holder and co-licensees shall jointly and severally be liable for completion of export obligation. Any one of the co-licensees may import the goods in his name or in the joint names. The BG/LUT shall also be furnished in their joint names.

***Acceptance of BG/LUT***

4.18 At the time of issue of the licence, the acceptance of the undertaking given by the applicant to the licensing authority concerned in the form given in Appendix-10B will be endorsed on the reverse of the Advance Licence.

*Note :- (a) No BG/LUT will be required where the specified export obligation has been fulfilled before making any import. In case of partial fulfillment of export obligation before effecting any imports, the BG/LUT may be reduced proportionately.*

*The licence holder shall also produce EP copy of the shipping bills and Bank Certificate of Export and Realisation, and a statement of exports giving details of shipping bill wise exports indicating the shipping bill number, date, FOB value as per shipping bill and description of export product, substantiating the completion or the partial fulfillment of the export obligation to the licensing authority concerned.*

*However, realization of export proceeds shall not be insisted if the shipments are made against irrevocable letter of credit or bill of exchange is unconditionally Avalised/Co- Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporter's bank. In both these arrangements, certification of this is to be made by the bank in column 14/15 of Appendix 22.*

*(b) In respect of an advance licence on which "No BG/LUT" facility has been provided, the licensing authority shall forward a copy of the "No Bond Certificate" indicating the shipping bill number, date, FOB value as per shipping bill and description of export product, in respect of shipment which were taken into account for calculating fulfilment of*

*export obligation to the customs authorities with whom the licence is/ required to be registered.*

*Before allowing the imports against Advance Licence, the Customs shall verify that the details of the exports as given in the "No Bond Certificate" are as per their records.*

*(c) The cancellation of BG/LUT would be undertaken by the Customs within 30 days of issue of EODC/bond waiver by the regional licencing office.*

***Port of Registration***

4.19 The licence and the Advance Licence shall be issued for the purpose of import and export through one of the sea ports or airports or ICDs or LCS specified below. The licence holder shall register the licence, the port specified in the licence and thereafter all imports against the said licence shall be made only through that port, unless he obtains permission from the customs authority concerned to import through any other specified port. However, exports may be made through any of the specified ports.

| | |
|---|---|
| Sea Ports | Mumbai, Kolkata, Cochin, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Chennai, Nhavasheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Vishakhapatnam, Dahej, Nagapattinam, Okha, Mundhra, Surat (Magdalla) and Jamnagar |
| Air-ports | Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore Air Cargo Complex, Cochin, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Srinagar, Trivandrum. Varanasi, Nagpur and Chennai. |
| ICDs: | Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Guwahati (Amingaon), Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jallandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Daulatabad, (Wanjarwadi and Maliwada), Waluj (Aurangabad), Anaparthy, Salem Mallanpur, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry,Garhi Harsaru Bhatinda, Dappar, Chheharata (Amritsar), Karur, Miraj and Rewari. |
| LCS | Ranaghat, Singhabad, Raxaul, Jogbani, Nautanva (Sonauli), Petrapole and Mahadipur |

The following ports would be treated as a single port for the purposes of imports and exports:

i Mumbai seaport, Nhava Sheva & Mumbai Airport

ii Delhi airport and ICDs in Delhi

iii Kolkata seaport, Kolkata airport

iv Chennai airport and Chennai seaport

v Bangalore airport and Bangalore ICD

vi Hyderabad Airport and Hyderabad ICD

4.19.1 The Commissioner of Customs may, either by a public notice or on the written request of the licence holder, by a special order and subject to such conditions as may be specified by him, also permit imports and exports from any seaport/airport/ ICD or land custom station other than those mentioned above.

4.19.2 In such cases, where the licence has not been registered at the port specified in the licence and no import has taken place, the request for change in the Port of Registration may be considered by the licensing authority concerned, provided the licence has not been redeemed.

4.19.3 For imports from the Airport/Seaport/ICD, other than the port of registration, a Telegraphic Release Advice(TRA) shall also be issued by the customs authority at the port of registration to the customs authority at the port of import.

***Facility of Clubbing***

4.20 The facility of clubbing shall be available only for redemption/ regularisation of the cases and no further import or export shall be allowed. For this facility, licences are required to have been issued under similar Customs notification.

4.20.1 The regional licensing authority, under whose jurisdiction the licence is issued or ALC in other cases, shall consider a request for clubbing all imports and exports of more than one Advance Licence of the same category only, provided the imported inputs are properly accounted for, as per norms. Hence an Advance Licence for physical export can not be clubbed with Advance Licence for Intermediate supplies or Advance Licence for deemed exports and vice versa. Similarly an Advance Licence for Intermediate supplies cannot be clubbed with an Advance Licence for deemed exports and vice versa.

The value addition of the licences so clubbed shall be the average of the value addition imposed on individual licences. Upon clubbing, the licences shall, for all purposes, be deemed to be one licence.

4.20.2 The accountability of imports and exports shall be restricted in relation to the individual categories of advance licences

including advance licence for annual requirements issued under this scheme.

4.20.3 The facility is available only for Advance Licence(s) where there is shortfall in fulfillment of export obligation, and which is sought to be clubbed with an advance licence(s) which is valid for imports. For expired licence(s) with EO shortfall and which is sought to be clubbed with an advance licence(s) which is valid for imports,the applicant shall pay the composition fee for E.O. period extension as per the provision of paragraph 4.22.

4.20.4 In such cases, the exports effected 36 months after the issuance of the earliest licence shall not be considered for clubbing.

4.20.5 Notwithstanding the provisions of para 4.20.3 and 4.20.4 above, Clubbing of all expired licences may also be permitted provided all the expired licences have been issued during the Exim Policy 1997-2002 i.e. 1st April, 1997 to 31st March, 2002.

***Enhancement/ Reduction In the Value of Licence***

4.21 In respect of an Advance Licence, the licensing authority concerned (as per their financial powers) may consider a request for enhancement/reduction in the CIF value of the licence, provided the value addition after such enhancement does not fall below the stipulated minimum value addition and provided there is no change in the input-output norms and the Policy under which the licence was issued.

4.21.1 The licensing authority concerned (as per their financial powers) may also consider the request for enhancement/ reduction in CIF value, quantity of inputs, FOB value of export obligation and quantity of exports of an advance licence provided there is no change in the input output norms and value addition after such enhancement does not fall below the stipulated minimum value addition.

4.21.2 The request for prorata enhancement in value and quantity may be made either before or after exports. In such cases where there is a change in the SION prior to the export of the said product, the prorata enhancement shall be given after calculating the entitlement on the revised SION.

4.21.3 The application for the enhancement/reduction in the value of the licence shall be made in Appendix 10 F of the Handbook (Vol. 1).

***Application fee for enhancement***

4.21.4 The application fee leviable for enhancement would be on the difference in the CIF values of the original and final licence.

However, no application fee would be charged if the value of the licence is being reduced or the applicant has paid the maximum fee of Rs 150,000 (for manual applications) and Rs 75,000 (for digitally signed applications) respectively in the original application for Advance Licence.

***Export Obligation Period and its Extension***

4.22 The period of fulfillment of export obligation under an Advance Licence shall commence from the date of issuance of licence. The export obligation shall be fulfilled within a period of 24 months except in the case of supplies under Advance Licence for Deemed Exports/Advance Licence to the projects/turnkey projects in India/abroad where the export obligation must be fulfilled during the contracted duration of execution of the project/turnkey project.

However, in case of Advance Licences for drugs, which have been issued against a specific export order and with pre-import condition the period of fulfillment of export obligation shall commence from the date of import of the first consignment and should be fulfilled within a period of 6 months.

4.22.1 The request for extension in export obligation period may be made in the form given in Appendix-10G. The regional licensing authority shall grant one extension for a period of six months from the date of expiry of the original export obligation period to the licensee subject to payment of 2% of the duty saved on all the unutilized imported items as per licence;

Request for a further extension of six months may be considered by the regional licensing authorities subject to payment of composition fee of 5% of the duty based on all the unutilized imported items as per licence.

However any further extensions beyond 36 months upto a period of 48 months from the date of issue of the Advance Licence or the duration of the contracted project (in the case of Advance Licence for Deemed Exports) or on the lapse of any other extension (s) granted by this office would be permitted on payment of the composition fee of 2% per month of duty saved.

For all the three cases of export obligation extension above, the composition fee on the duty saved on all the unutilized imported items would be computed with reference to the actual exports and imports made by the licence holder.

However such extensions would not be permitted in the case of the erstwhile Value Based Advance Licences (VABALs)

and Advance Licence for Annual Requirement. Additionally, no extension in export obligation would be allowed in respect of licences where misrepresentation/fraud has come to the notice of the licencing authorities. Further, in respect of licences where adjudication orders have already been passed, no extension in export obligation period shall be admissible.

4.22.2 The Customs may allow provisional clearance of export consignment as and when the licence holder produces documentary evidence of having applied for EO extension to the concerned RLA, provided the shipments are effected within 48 months from the date of issuance of licence.

***Revalidation of Licence***

4.23 The regional licensing authority may consider a request of the original licence holder and grant one revalidation for a period of six months from the date of expiry of the original licence. The request(s) for revalidation of licence shall be made in the form given in Appendix-10G

***Monitoring of Obligation***

4.24 The licensing authority, with whom the Undertaking is executed by the Advance Licence holder, shall maintain a proper record in a master register indicating the starting and closing dates of obligation period and other particulars to monitor the export obligation.

Within two months from the date of expiry of the period of obligation, the licence holder shall submit requisite evidence in discharge of the export obligation in accordance with paragraph 4.25 of the Handbook.

However, in respect of shipments where six months period for realisation of foreign exchange has not become due, the licensing authority shall not take action for non submission of bank certificate of exports and realisation provided the other document substantiating fulfillment of EO have been furnished.

4.24.1 In case the licence holder fails to complete the export obligation or fails to submit the relevant information/documents, the licensing authority shall take action by refusing further licences, shall enforce the condition of the licence and Undertaking and also initiate penal action as per law.

***Advance Licence for Annual Requirement***

4.24A (a) The exporters eligible for such licences shall file an application in Appendix-10 I to the licensing authority under whose jurisdiction the manufacturing unit of the applicant is located.

The Head office/Registered office of the company can

also file an application on behalf of the manufacturing unit. In such cases, the Head office/Registered office shall furnish full address of the factory where the inputs shall be used in the resultant product for exports.

In case of merchant exporters, the application shall be made by the Head office/Registered office mentioning the name and address of the supporting manufacturer shall be endorsed on the condition sheet attached to the licence.

(b) The applicant shall have the flexibility to import any input in respect of items mentioned in the licence. However, the licence holder shall have to account for the inputs as per SION/individual norms fixed by Advance Licensing Committee within the time period prescribed in this regard.

In respect of export products for which Standard Input Output Norms does not exist, the licence holder shall submit an application in Appendix-10 alongwith prescribed documents to ALC before making the shipment. The applicant shall also furnish Advance Licence for Annual Requirement number and date alongwith the file number from which the same was issued in the covering letter to the application.

In such cases where there is a change in SION/individual norms fixed by Advance Licensing Committee during the validity period of the licence, the licence holder shall account for raw material in respect of the exports made prior to the date of amendment, as per pre-revised norms and for exports made on or after the date of amendment as per revised norms.

(c) At the time of imports, the licence holder shall furnish the details of inputs, including its specification and technical characteristics, to the Customs authorities for making entries in the imports column. The licence holder shall maintain the nexus in the imported inputs and the resultant product.

(d) The applicant shall furnish details of the export product group, CIF value of licence and FOB value of the export obligation. However, the licence holder shall have the flexibility to export any product falling under the export product group using the duty exempted material.

(e) The licence shall be valid for 24 months for imports and 24 months for exports from the date of its issuance. Each licence will have one port of registration for imports. Exports can take place from any port mentioned in paragraph 4.19.

The regional licensing authority may consider a request of the license holder and grant one revalidation for a period of six months from the date of expiry of the original licence. No further revalidation may be considered by the regional licensing authorities.

The regional licensing authority may also grant extension in export obligation period in terms of paragraph 4.22 and 4.22.1 of the Handbook of Procedure, subject to the payment of composition fee as prescribed therein. Such export obligation period extension should not exceed 12 months from the date of expiry of original export obligation period of the licence.

The request(s) for revalidation of licence and/or extension of the export obligation period shall be made in the form given in appendix-10G.

(f) Within the eligibility, an exporter may apply for one or more than one licences in a licensing year, subject to the condition that against one port of registration only one licence can be issued.

On completion of export obligation against one or more licences, all issued in the same licensing year, the entitlement of an exporter shall be deemed to be revived by an amount equivalent to the export obligation completed against the licence(s).

(g) After expiry of 24 months the licence holder shall furnish proof of having fulfilled export obligation by submitting the documents prescribing in paragraph 4.25. In case of bonafide default in fulfillment of export obligation, the licence holder can apply for regularization in terms of paragraph 4.28.

4.24 B The provisions contained in paragraph 4.24A shall also be applicable to "Advance Licence for Annual Requirement for intermediate supplies" so far as they are not inconsistent with the following.

The facility of 'Advance Licence for annual Requirement for intermediate supplies' is available for the cases where the intermediate supplier intends to supply the material against invalidation letters issue to the holders of Advance license for physical exports/deemed exports. In such cases, a copy of the invalidation which makes the licence invalid for direct import of items to be supplied by the intermediate manufacturer will be given to the licence holder and copy thereof will be sent to the intermediate supplier as well as the licensing authority of

the intermediate supplier. Further the invalidation letters should also contain the licence number and date of 'Advance Licence for annual Requirement for intermediate supplies' to enable proper accounting of the invalidation letters. These would be submitted to the Licensing authority concerned by the intermediate supplier for the purpose of closure of licence.

***Fulfillment of Export Obligation***

4.25 The licence holder shall furnish the following documents in support of having fulfilled the export obligation:-

For physical exports:-

(i) Bank Certificate of Exports and Realisation in the form given at Appendix-22 or Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) in the case of direct negotiation of documents or Appendix –22B in case of offsetting of export proceeds.

However, realisation of export proceeds shall not be insisted, if the shipments are made against.

(a) confirmed irrevocable letter of credit or

(b) bill of exchange is unconditionally Avalised/Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank.

The stipulations at (a) or (b) above must be certified by the bank in colum 14/15 of Appendix-22.

(ii) EP copy of the shipping bill(s) containing details of shipment effected.

(iii) A statement of exports giving details of shipping bill wise exports indicating the shipping bill number, date, FOB value as per shipping bill and description of export product.

(iv) A statement of imports indicating bill of entry wise item of imports, quantity of imports and its CIF value.

For deemed exports

(i) A copy of the invoice or a statement of invoices duly signed by the unit receiving the material and their jurisdictional excise authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply.

However in case of supply of items which are non excisable or supply of excisable items to a unit producing non excisable product(s), a project authority certificate (PAC) certifying quantity, value and date of supply would be acceptable in lieu of excise certification.

However, in respect of supplies to EOU/EHTP/STP/BTP, a copy of ARE-3 duly signed by the jurisdictional excise authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply; can be furnished in lieu of the

excise attested invoice (s) or statement of invoices as given above.

(ii) Payment certificate from the project authority in the form given in Appendix-12A. In the case of Advance Licence for Intermediate Supplies/deemed exports, supplies to the EOUs/EHTPs/STPs/BTPs, documentary evidence from the bank substantiating the realisation of proceeds from the Licence holder or EOUs/EHTPs/STPs/BTPs, as the case may be, through the normal banking channel, shall be furnished in the form given at Appendix-22A.

However, realisation of proceeds shall not be insisted upon, if the shipments are made against:

(a) confirmed irrevocable inland letter of credit or

(b) inland bill of exchange is unconditionally Avalised/ Co- Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporter's bank.

The stipulations at (a) or (b) above must be certified by the bank in colum 5/6/7 of Appendix-22A.

(iii) A statement of supplies giving details of supply invoices and indicating the invoice number, date, FOR value as per invoices and description of product.

(iv) A statement of imports indicating bill of entry wise item of imports, quantity of imports and its CIF value.

***Redemption***

4.26 In case the export obligation has been fulfilled, the licensing authority shall redeem the case.

After redemption, the licensing authority shall forward a copy of the redemption letter indicating the shipping bill number(s), date(s), FOB value in Indian rupees as per shipping bill(s) and description of export product to the Customs authority at the port of registration.

Before discharging BG/LUT against the Advance Licence for Physical Exports, the Customs shall verify that the details of the exports as given in the "Redemption Certificate" are as per their records. However before discharging BG/LUT against Advance Licence for Intermediate Supplies and Deemed Exports, the Customs shall verify the details of the supplies from the Central Excise authorities.

Ordinarily, redemption of BG/LUT shall not preclude the customs authority from taking action against the licence holder for any misrepresentation, mis-declaration and default detected subsequently.

***Transitional Arrangement for licences issued upto 31.8.2004***

4.27 The Advance Licence including Advance Licence for Annual Requirement issued upto 31.8.2004 shall be governed by the provisions contained in Chapter-7 of the Handbook (Vol. 1) (RE-2001) and chapter 4 of the Handbook (Vol. 1) (RE-2002) respectively as amended from time to time, excepting the provision relating to clubbing which will be governed by the provisions of para 4.20 of this Handbook.

However, wherever Customs duty is to be paid on unutilised material, the same shall be paid alongwith interest @15% per annum thereon. This facility shall be available to all pending cases of regularisation of bonafide default advance licences irrespective of the date of its issuance including Advance licence (Advance Licence for physical exports), Annual Advance Licence (Advance Licence for annual requirement), Advance Licence for deemed exports (Special Imprest Licence), Advance Licence for Intermediate supply (Intermediate licence).

***Regularisation of Bonafide Default***

4.28 The cases of a bonafide default in fulfillment of export obligation may be regularised by the licensing authority in the manner indicated below:

(i) If the export obligation is fulfilled in terms of value, but there is a shortfall in terms of quantity, the licence holder shall, for the regularisation, pay:-

a) To the customs authority, customs duty on the unutilised value of the imported material alongwith interest at the rate of 15% per annum thereon; and

b) An amount equivalent to 3% of the CIF value of unutilised imported material through a TR in the authorised branch of central bank of India indicating the "Head Account: 1453, Foreign Trade and Export Promotion and Minor Head 102". However, the provisions of this sub paragraph shall not be applicable if the unutilised imported material was freely importable on the date of import.

(ii) If the export obligation is fulfilled in terms of quantity but there is shortfall in terms of value, no penalty shall be imposed if the licence holder has achieved the positive value addition. However, if the value addition falls below positive, the licence holder shall be required to deposit an equivalent amount through TR in the authorised branch of Central Bank of India indicating the "Head of Account-1453 Foreign Trade and Export Promotion- Minor Head –102" so that the 100 times the deposited amount and the FOB value realised in Indian rupees together account for positive value addition over the CIF value.

This shall be calculated with reference to actual quantity of exports and FOB value of realisation with reference to prorata quantity of imports and CIF value. For example, if the export performance is only 50% quantitywise but import has been for the complete CIF value permitted, then the value addition would be calculated on a prorata basis, i.e with reference to 50% of the CIF value of imports. This would accordingly imply that where the licence holder is unable to export, no penalty on valuewise shortfall shall be imposed.

(iii) If the export obligation is not fulfilled both in terms of quantity and value, the licence holder shall, for the regularisation, pay as per (i) and (ii) above.

(iv) In case an exporter is unable to complete the export obligation undertaken in full and he has not made any import under the licence, the licence holder will also have an option to get the licence canceled and apply for drawback after obtaining permission from the Customs authorities for conversion of shipping bills to Drawback Shipping Bills.

***Time Period For Depositing Fines, Customs Duty, Etc.***

4.29 The customs duty with interest to be recovered from the licencee on account of regularisation or enforcement of BG/LUT, as the case may be, shall be deposited by the licence holder in relevant Head of Account of Customs Revenue i.e. "Major Head 0037 - Customs and minor head 001- Import Duties in prescribed T.R. Challan within 30 days of the demand raised by the licensing/customs authority and documentary evidence shall be produced to this effect to the licencing/customs authority immediately.

On receipt of such documentary evidence from the licence holder, the licensing authority shall intimate the details of the recovery/deposits made to the customs authority at the port of registration under intimation to Joint Secretary (Drawback), Department of Revenue, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, New Delhi.

The payment of amount of duty, interest and any dues for regularisation shall, however, be without prejudice to any other action that may be taken by the customs authorities at any stage under the Customs Act, 1962.

***Maintenance of Proper Accounts***

4.30 Every licence holder shall maintain a true and proper account of licence-wise consumption and utilisation of imported goods in Appendix-18. Such records should be preserved for a period of at least three years from the date of redemption.

***Duty Free Replenishment Certificate***

4.31 The Policy of Duty Free Replenishment Certificate (DFRC) is given in Chapter 4 of the Policy. The exporter exporting under DFRC shall be required to give a declaration in the EP copy of the Shipping Bill indicating the serial number and product group of SION of the export product.

In case of export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the wastage norms as per paragraph 4.56 of the Handbook of Procedures (Vol.1) may be indicated on the EP copy of the shipping bill.

However in respect of the following items, the exporter shall be required to give declaration with regard to technical characteristics, quality and specification in the shipping bill. The licencing authority while issuing Duty Free replenishment Certificate shall mention the technical characteristics, quality and specification in respect of such inputs:

Alloy Steel including Stainless Steel, Copper Alloy, Synthetic Rubber, Bearings, Brass Scrap, Additives, Paper/Paper Board, Dyestuffs, Solvent, Perfumes/Essential Oil/Aromatic Chemicals, Surfactants, Relevant Fabrics, Marble.

4.31A DFRC shall also be available for supplies mentioned in Chapter 8 of the Policy except for supplies made to DFRC holders. Such DFRC shall be issued with a single port of registration mentioned in paragraph 4.19 of the Handbook (Vol. 1) as per option of the applicant

The CIF value of DFRC shall be arrived at after discounting 20% from the FOR value of supply. The FOR shall be calculated on the basis of the document mentioned in sub-paragraph ii) below. The application shall be accompanied by the following:-

i) A copy of the Invoice duly signed by the unit receiving the material and their jurisdictional excise authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply.

   However in case of supply of items which are non excisable or supply of excisable items to a unit producing non excisable product(s), a Project Authority Certificate (PAC) certifying quantity, value and date of supply would be acceptable in lieu of excise certification.

Notwithstanding the above, in respect of supplies to EOU/EHTP/STP/BTP, a copy of ARE-3 duly signed by the jurisdictional excise authorities certifying the item of supply, its quantity, value and date of such supply shall be furnished.

ii) Payment certificate from the project authority in the form given in Appendix-12A. In the case of Advance Licence for Intermediate Supplies/deemed exports, supplies to the EOUs/EHTPs/STPs/BTPs, documentary evidence from the bank substantiating the realisation of proceeds from the Licence holder or EOUs/EHTPs/STPS/BTPs, as the case may be, through the normal banking channel, shall be furnished in the form given at Appendix- 22A.

However realisation of export proceeds shall not be insisted upon if the shipments are made against confirmed irrevocable inland letter of credit or bill of exchange is unconditionally Avalised/Co- Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank and the same is certified in columns 5/6/7 of Appendix 22 A.

***Export/Imports under DFRC***

4.32 Export shipments under DFRC can be effected from any port mentioned in paragraph 4.19 of the Handbook. The DFRC shall be issued with single port of registration, which will be the port from where the exports have been effected. However for import from a port other then the port of export, TRA shall be issued by the Customs authority at the port of export to the Customs authority to the port of import.

***Filing of Application***

4.33 An application for grant of DFRC may be made to the licensing authority concerned in the form given in Appendix-10-D alongwith the documents prescribed therein. An application for DFRC shall be filed only after realisation of export proceeds. However, in case of exports against

(a) confirmed irrevocable Letter of Credit or

(b) where bill of exchange is unconditionally Avalised/Co-Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank,

the CIF value of DFRC shall be arrived at after discounting 20% from the FOB value of exports. The FOB value shall be calculated on the basis of the Bank Realisation Certificate. However in case of exports of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the CIF value would be computed from the FOB value as per the value addition given in paragraph 4.56.1 of Handbook of Procedures (Vol. 1).

***Time Period***

4.34 The application for DFRC shall be filed within six months from the date of realisation in respect of all shipments/supply for which DFRC is being claimed.

4.34.1 In case of exports against irrevocable Letter of Credit or bill of exchange is unconditionally Avalised/Co- Accepted/ Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank, the DFRC shall be filed within six months from the date of exports/supply for all shipments/supply in respect of which DFRC is being claimed.

4.34.2 For exports/supply against advance payment, DFRC shall be filed within six months from the date of exports against advance payment.

4.34.3 Wherever provisional shipment has been allowed by the customs authorities, DFRC against such exports shall be issued only after the release of the shipping bill by the Customs. The time limit for filing of application in such cases shall be six months from the date of release of shipping bill or three months from date of realisation, whichever is later.

***Frequency of Application***

4.35 The applicant shall file one application relating to one export product group from one port of export. Where export product falling under one product group have been exported from different ports, the exporter shall file more than one application for the same export product group.

***Verification by Customs***

4.36 The licensing authority shall ensure that while issuing the DFRC, the Shipping Bill no(s) and date(s), FOB value in Indian rupees as per Shipping Bill(s) and description of export product are endorsed on the reverse of DFRC. Before allowing the imports against DFRC, the Customs shall verify that the details of the exports as given on the DFRC are as per their records.

The licensing authority while issuing DFRC for deemed exports shall endorse a copy of the same to the Customs at the port of registration and a copy to Excise Authorities having jurisdiction over recipient unit of the deemed exports alongwith details of invoice giving item of supply, its quantity, value and date of such supply.

In case there is any variation in the details furnished by the licensing authority and the record verified by the Excise authority, the Excise authority shall intimate to the licensing authority and Customs at the port of registration immediately.

***Duty Entitlement Passbook Scheme***

4.37 The Policy relating to Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB) Scheme is given in Chapter-4 of the Policy. The duty credit under the scheme shall be calculated by taking into account the deemed import content of the said export product as per SION and the basic custom duty payable on such deemed

imports. The value addition achieved by export of such product shall also be taken into account while determining the rate of duty credit under the scheme.

***Fixation of DEPB Rate***

4.38 Appendix-10A prescribes the form regarding fixation of DEPB rates. All applications for fixation of DEPB rates shall be routed through the concerned Export Promotion Council which shall verify the FOB value of exports as well as the international price of inputs covered under SION.

***Provisional DEPB Rate***

4.38A To encourage diversification and to promote export of new products, the DEPB Committee would be empowered to notifying provisional DEPB rates. However, such DEPB rates would be valid for a limited period of time during which the exporter would furnish the data on export and import for the regular fixation of rates.

***Exports in anticipation of DEPB Rate***

4.39 No exports shall be allowed under DEPB scheme unless the DEPB rate of the concerned export product is notified.

***Port of Registration***

4.40 The exports/imports made from the specified ports given shall be entitled for DEPB.

| | |
|---|---|
| Sea Ports | Mumbai, Kolkata, Cochin, Dahej, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Mundra, Chennai, Nhavasheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin Vishakhapatnam, Surat (Magdalla), Nagapattinam, Okha, Dharamtar and Jamnagar. |
| Airports | Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar Mumbai, Kolkata Coimbatore Air Cargo Complex, Cochin, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur and Chennai. |
| ICDs | Agra, Ahmedabad, Bangalore, Bhiwadi, Coimbatore, Daulatabad, (Wanjarwadi and Maliwada), Delhi, Dighi (Pune), Faridabad, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jallandhar, Jodhpur, Kanpur, Kota, Ludhiana, Madurai and the land Customs station at Ranaghat Mallanpur, Moradabad, Meerut Nagpur, Nasik, Gauhati (Amingaon), Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Rudrapur (Nainital), Salem Singanalur, Surat, Tirupur, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Waluj, Bhilwara, Pondicherry,Garhi-Harsaru, Bhatinda, Dappar, Chheharata (Amritsar), Karur, Miraj and Rewari. |

| | |
|---|---|
| LCS | Ranaghat, Singhabad, Raxaul, Jogbani, Nautanva (Sonauli), Petrapole and Mahadipur. |
| | The exports made to the following Special Economic Zones (SEZ) are also entitled to DEPB |
| SEZ | Santacruz, Kandla, Kochi, Vishakhapatnam, Chennai, FALTA, Surat, NOIDA |

Provided further that the Commissioner of Customs may, either by a public notice or on the written request of the licence holder, by special orders and subject to such conditions as may be specified by him permit imports or exports from any other sea port, airport, inland container depot or through a land Customs.

The following ports would be treated as a single port for the purposes of imports and exports:

i Mumbai seaport, Nhava Sheva & Mumbai Airport

ii Delhi airport and ICDs in Delhi

iii Kolkata seaport, Kolkata airport

iv Chennai airport and Chennai seaport

v Bangalore airport and Bangalore ICD

vi Hyderabad Airport and Hyderabad ICD

4.40.1 The DEPB shall be issued with single port of registration, which will be the port from where the exports have been effected.

***Maintenance of Record***

4.40.2 Each Custom House at the ports shall maintain a separate record of the details of the exports made under the DEPB shipping bill.

***Credit under DEPB and Present Market Value***

4.41 In respect of products where the rate of credit entitlement under DEPB Scheme comes to 10% or more, the amount of credit against each such export product shall not exceed 50% of the Present Market Value (PMV) of the export product. At the time of export, the exporter shall declare on the shipping bill that the benefit under DEPB Scheme against the export product would not exceed 50% of the PMV of the export product.

However PMV declaration shall not be applicable for products for which value cap exists, irrespective of the DEPB rate of the product.

***Utilisation of DEPB credit***

4.42 The credit under DEPB may also be utilised for payment of customs duty on any item, which is freely importable.

***Application for DEPB***

4.43 An application for grant of credit under DEPB may be made to the licensing authority concerned in the form given in

***Revalidation***

4.50 No revalidation shall be granted beyond the original period of validity of DEPB, unless it expires in the custody of the Licensing/Customs authorities as per the provisions under para 2.13 of the Handbook.

***Re-export of goods imported under DEPB Scheme***

4.51 Goods imported under DEPB scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per the guidelines issued by the Department of Revenue. In such cases 98% of the credit amount debited against DEPB for the export of such goods, shall be generated by the concerned Commissioner of Customs in the form of a Certificate, containing the amount generated and the details of the original DEPB. Based on the certificate, a fresh DEPB shall be issued by the concerned Licensing Authority. The fresh DEPB, so issued, shall have the same port of registration and shall be valid for a period equivalent to the balance period available on the date of import of such defective/unfit goods.

***Issuance of DEPB/ DFRC against lost EP copy of the Shipping Bills***

4.52 In case where EP copy of the Shipping Bill has been lost, the DEPB and other duty credit certificates/DFRC claim can be considered subject to submission of the following documents:-

a) A duplicate/certified copy of the Shipping Bill issued by the Customs authority in lieu of original;

b) An application fee equivalent to 2% of the DEPB or other duty credit entitlement or 1% of DFRC entitlement, as the case may be, in respect of lost Shipping Bills. However, no fee shall be charged when the Shipping Bill is lost by the Government agencies and a documentary proof to this effect is submitted;

c) An affidavit by the exporter about the loss of Shipping Bills and an undertaking to surrender it immediately to the concerned licencing authorities, in case the same is found subsequently.

d) An indemnity bond by the exporter to the effect that he would indemnify the Government for the financial loss if any on account of DEPB or other duty credit certificate/ DFRC issued against lost Shipping Bills.

The Customs authority, before allowing clearance, shall ensure that no DEPB/DFRC benefit has been availed against the same shipping bill.

4.52.1 The claim against the lost Shipping Bill shall be preferred within a period of six months from the date of release of duplicate copy of shipping bill and any application received thereafter will be rejected. However, if a provisionally assessed

DEPB shipping bill is lost, the time period for filing an application for DEPB would be six months from the date of release of the finally assessed shipping bill.

***Loss of Original Bank Certificate***

4.53 In such cases where original bank certificate has been lost, the DEPB/DFRC claim can be considered subject to submission of following documents:

a) A duplicate copy of the Bank Certificate issued by the bank authority in lieu of original loss.

b) An application fee equivalent to 2% of the DEPB entitlement or 1% of DFRC entitlement, as the case may be, in respect of lost Bank Realisation Certificate.

c) An affidavit by the exporter about the loss of Bank Certificate and an undertaking to surrender it immediately to the concerned licencing authorities, in case the same is found subsequently.

d) An indemnity bond by the exporter to the effect that he would indemnify the Government for the financial loss if any on account of DEPB/DFRC issued against lost Bank Certificate.

The claim against the lost Bank Certificate shall be preferred within a period of six months from the date of realisation and application received thereafter will be rejected.

In such cases, where both the documents have been lost, the exporter shall follow the procedure laid down in paragraph 4.51 and 4.52.

***Policy***

4.54 The Policy relating to Gem Replenishment Licence, and scheme for gold/silver/platinum jewellery is given in Chapter-4 of the Policy.

***Replenishment Licence***

4.55 An application for REP Licence may be made in the form given in Appendix-13 alongwith the documents prescribed therein to the licensing authority concerned as given in Appendix-25

4.55.1 The application shall be filed within six months following the month/quarter during which the export proceeds are realised. For export proceeds realised during the month/quarter, consolidated application for entire month/quarter shall be filed. However, if any supplementary application is to be filed, it may be accepted with a cut of 10% on entitlement. In case of third party exports, Replenishment benefit shall be admissible provided the EP copy of the Shipping Bill shows the names of both the manufacturer and the third party and REP licence

against such exports is claimed by either of the parties after furnishing a disclaimer from the other party. REP licences will be transferable.

4.55.2 In case where part payment has been realised against an invoice, the application for REP licence may be made within six months following the month during which part payment was realised, provided:

a) Not more than two such applications may be made for each such invoice; and

b) The first such application shall be made only after 50% of the proceeds of the invoice is realised.

4.55.3 In case where payment is received in advance and exports take place subsequently, the application for REP licence shall be filed within six months following the month during which the exports are made.

4.55.4 For the purpose of clarity, it is again reiterated that the month in which the export has been made in the case of advance payment and the month in which export proceeds have been realised in part or full after making of the exports, shall be excluded while calculating the period of six months for the purpose of filing of application for REP licence.

***Wastage Norms***

4.56 The wastage or manufacturing loss on gold/silver/platinum jewellery and articles thereof is as follows:

WASTAGE NORMS

| | Item of exports | Percentage of wastage by weight with reference to Gold/Platinum/Silver content in the export item. | |
|---|---|---|---|
| | | Gold/ Platinum | Silver |
| a. | Plain jewellery and articles and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads/imitation stones, cubic zirconia etc. but excluding diamonds, precious, semi-precious stones. However, if the per gram value of the semi-precious stones utilised in the making of the jewellery/articles is less than the per gram value of gold/silver/platinum, the wastage norms of plain jewellery shall be applicable. | 3.5% | 4.5% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| b. | Studded jewellery other than those covered by (a) above and articles thereof | 9.0% | 10% |
| c. | Mountings and findings manufactured (by non-mechanised process) indigeneously | 3.5% | 4.5% |
| d. | Any jewellery/articles manu-factured by a fully mechanised process and unstudded. | 1.25% | 1.25% |
| e. | Mountings, whether imported or indigenously procured/manufactured, used in the studded jewellery | 2.5% | 2.5% |
| f. | Gold/silver/platinum medallions and coins (excluding the coins of the nature of the legal tender) | 0.25% | 0.25% |
| g. | Findings and mountings manufactured by mechanized process | 1.25% | 1.25% |

***Value Addition***

4.56.1 The value addition will be calculated with reference to the value of gold/silver/platinum content including admissible wastage. The minimum value addition shall be:

| S.No. | Item of Export | Minimum Value Addition |
|---|---|---|
| a) | Studded gold/platinum/silver Jewellery and articles thereof other than those covered by entry (b) below | 15% |
| b) | Plain gold/platinum/silver jewellery/Articles and ornaments like Mangalsutra Containing gold and black beads/Imitation stones, precious stones and semi precious stones, cubic zirconia etc. only but excluding diamonds, precious & semi-precious stones. However, if the per gram value of the precious stones, semi-precious stones utilised in the making of jewellery/articles is less than the per gram value of gold/silver/platinum, the value addition of only 7% as has been prescribed for plain jewellery shall be achieved. | 7% |
| c) | Any jewellery/articles manufactured by fully mechanised process | 3% |
| d) | Gold/silver/platinum medallions & coins (excluding the coins of the nature of legal tender) | 3% |
| e) | Gold/silver/platinum findings/mountings manufactured by mechanised process | 5% |

4.56.2 The entitlement of quantity of gold/silver/platinum against the export shall be the quantity of gold/silver/platinum in the item of export plus the admissible wastage/manufacturing loss.

| | | |
|---|---|---|
| ***Loss of Gem and Jewellery*** | 4.57 | Consignments of gem and jewellery items exported out of the country and lost in transit after exports, where foreign exchange against such exports has been realised or insurance claims settled, will also be eligible for REP licence. |
| ***Gem & Jewellery Replenishment Licences*** | 4.58 | The Gem REP Licences shall be valid for import of precious stones, semi-precious and synthetic stones and pearls. In addition, the licence shall also be valid for import of empty jewellery boxes upto 5% of the value of the licence within its overall CIF value. The Gem REP licences issued against export of studded gold/silver/platinum jewellery articles, shall also be valid for import of cut and polished precious/semi-precious stones other than emerald upto 10% of the CIF value of the licence within its overall CIF value. |
| | 4.58.1 | The Gem REP Licence are available as per the scale given in Appendix-26A. |
| ***Filing of Application*** | 4.58.2 | (i) An application for Gem Rep licence may be given to the licensing authority concerned as given in Appendix-25 in the form given in Appendix-13A alongwith the documents prescribed therein.<br>(ii) In case E.P Copy of the Shipping Bill and Customs attested invoice is submitted to the nominated agencies, the exporter shall furnish a self-certified photo copy of the same along with a certificate from the nominated agencies certifying the carat/value of studdings in case of studded jewellery and excess the value addition achieved in the case of plain jewellery and articles.<br>(iii) The provision of paragraph 4.55.1 to 4.55.4 will also be applicable for Gem Rep licences. |
| ***Agency Commission*** | 4.59 | The exporter availing the scheme of gold/silver/platinum jewellery are allowed to pay agency commission. The value addition shall be calculated after deducting agency commission. Wherever such agency commission is paid, the value addition shall be correspondingly increased by the percentage of agency commission. |
| ***Endorsement on Shipping Bill and Invoice*** | 4.60 | At the time of export of jewellery, the shipping bill and the invoice presented to the customs authorities shall contain the description of the item, its purity, weight of gold/silver/platinum content, wastage claimed thereon, total weight of gold/silver/platinum content plus wastage claimed and its equivalent quantity in terms of 0.995/0.999 fineness for gold/silver and in terms of 0.9999 fineness for platinum and its value, fob value of exports and value addition achieved. If the purity of |

gold/silver/platinum used is the same in respect of all or some of the items made out from each of these metals for export, the exporter may give the total weight of gold/silver/platinum and other details of such similar items which are of the same purity. In case of studded items, the shipping bill shall also contain the description, weight and value of the precious/semi-precious stones/diamonds/pearls used in manufacture, and the weight/value of any other precious metal used for alloying the gold/silver:

***Conditions of Exports*** 4.61 The exports shall be allowed by the customs authorities provided the endorsement made on the shipping bill and the invoice are correct and the value addition achieved is not below the minimum prescribed in the Policy.

***Proof of Exports*** 4.62 The exporter has to furnish the proof of exports, wherever required for export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, by furnishing the following documents:

(a) E.P copy of the shipping bill;

(b) Customs attested invoice;

(c) Bank certificate of export in the form given in Appendix-22 showing that documents have been sent for negotiation/collection; and

(d) A declaration on the following lines:

"I/We declare that outstanding realisation of export proceeds beyond 180 days does not exceed 10% of average exports of preceding three licensing years. I/We further declare that no export proceeds are outstanding beyond one year or such extended period for which RBI permission has been obtained."

In case of Personal carriage of jewellery by foreign buyer, the following documents should be submitted by the exporter/seller as proof of exports for claiming export entitlements:

(a) Copy of the shipping bill filed by the Indian Seller;

(b) A copy of the Currency Declaration Form filed by the Foreign Buyer with the Customs at the time of his arrival; and

(c) Foreign Exchange Encashment Certificate from the Bank.

In addition to this, Personal Carriage on Documents Against Acceptance (DA)/Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. The exporter will have to furnish the following documents as proof of exports for claiming export entitlements:

***Loss of Gem and Jewellery*** 4.57 Consignments of gem and jewellery items exported out of the country and lost in transit after exports, where foreign exchange against such exports has been realised or insurance claims settled, will also be eligible for REP licence.

***Gem & Jewellery Replenishment Licences*** 4.58 The Gem REP Licences shall be valid for import of precious stones, semi-precious and synthetic stones and pearls. In addition, the licence shall also be valid for import of empty jewellery boxes upto 5% of the value of the licence within its overall CIF value. The Gem REP licences issued against export of studded gold/silver/platinum jewellery articles, shall also be valid for import of cut and polished precious/semi-precious stones other than emerald upto 10% of the CIF value of the licence within its overall CIF value.

4.58.1 The Gem REP Licence are available as per the scale given in Appendix-26A.

***Filing of Application*** 4.58.2

(i) An application for Gem Rep licence may be given to the licensing authority concerned as given in Appendix-25 in the form given in Appendix-13A alongwith the documents prescribed therein.

(ii) In case E.P Copy of the Shipping Bill and Customs attested invoice is submitted to the nominated agencies, the exporter shall furnish a self-certified photo copy of the same along with a certificate from the nominated agencies certifying the carat/value of studdings in case of studded jewellery and excess the value addition achieved in the case of plain jewellery and articles.

(iii) The provision of paragraph 4.55.1 to 4.55.4 will also be applicable for Gem Rep licences.

***Agency Commission*** 4.59 The exporter availing the scheme of gold/silver/platinum jewellery are allowed to pay agency commission. The value addition shall be calculated after deducting agency commission. Wherever such agency commission is paid, the value addition shall be correspondingly increased by the percentage of agency commission.

***Endorsement on Shipping Bill and Invoice*** 4.60 At the time of export of jewellery, the shipping bill and the invoice presented to the customs authorities shall contain the description of the item, its purity, weight of gold/silver/platinum content, wastage claimed thereon, total weight of gold/silver/platinum content plus wastage claimed and its equivalent quantity in terms of 0.995/0.999 fineness for gold/silver and in terms of 0.9999 fineness for platinum and its value, fob value of exports and value addition achieved. If the purity of

gold/silver/platinum used is the same in respect of all or some of the items made out from each of these metals for export, the exporter may give the total weight of gold/silver/platinum and other details of such similar items which are of the same purity. In case of studded items, the shipping bill shall also contain the description, weight and value of the precious/semi-precious stones/diamonds/pearls used in manufacture, and the weight/value of any other precious metal used for alloying the gold/silver:

***Conditions of Exports*** 4.61 The exports shall be allowed by the customs authorities provided the endorsement made on the shipping bill and the invoice are correct and the value addition achieved is not below the minimum prescribed in the Policy.

***Proof of Exports*** 4.62 The exporter has to furnish the proof of exports, wherever required for export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, by furnishing the following documents:

(a) E.P copy of the shipping bill;

(b) Customs attested invoice;

(c) Bank certificate of export in the form given in Appendix-22 showing that documents have been sent for negotiation/collection; and

(d) A declaration on the following lines:

"I/We declare that outstanding realisation of export proceeds beyond 180 days does not exceed 10% of average exports of preceding three licensing years. I/We further declare that no export proceeds are outstanding beyond one year or such extended period for which RBI permission has been obtained."

In case of Personal carriage of jewellery by foreign buyer, the following documents should be submitted by the exporter/seller as proof of exports for claiming export entitlements:

(a) Copy of the shipping bill filed by the Indian Seller;

(b) A copy of the Currency Declaration Form filed by the Foreign Buyer with the Customs at the time of his arrival; and

(c) Foreign Exchange Encashment Certificate from the Bank.

In addition to this, Personal Carriage on Documents Against Acceptance (DA)/Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. The exporter will have to furnish the following documents as proof of exports for claiming export entitlements:

(i) Copy of Shipping Bill filed by the Indian Seller; and

(ii) Bank Certificate of Export and Realisation.

Instructions issued by the Customs Department in this regard should be followed mutatis-mutandis.

***Conversion of Purity/ Fineness*** 4.63 For conversion of quantity of gold/silver/platinum in terms of equivalent quantity in terms of fineness, the following formula shall be used:

(i) Where items of gold has been exported in terms of carats, the quantity of gold shall be multiplied by the number of carat of gold exported, divided by 24 and thereafter again divided by 0.995/0.999/0.900 to arrive at the equivalent quantity of gold in terms of fineness of 0.995/0.999/0.900 respectively; and

(ii) Wherever the purity of the item of export is expressed in terms of fineness, the quantity of gold/silver/platinum shall be multiplied by the fineness of gold/silver/platinum exported and thereafter divided by 0.995/0.999/0.900 to arrive at the equivalent quantity of gold/silver/platinum in terms of 0.995/0.999/0.900 fineness respectively.'

***Release of Gold/ Silver/Platinum by Nominated Agencies*** 4.64 The gold/silver/platinum shall be released to the exporter of jewellery by the nominated agencies/RBI authorised banks in multiples of 10 gms or in Ten Tola Bars in respect of golds. However, silver shall be released to the exporters in multiples of 1 Kg only. Any balance of gold/silver/platinum shall be available to the exporters along with his future entitlement. The gold/silver shall be released by the nominated agencies in terms of 0.995/0.999 fineness and platinum in terms of 0.900 fineness or more.

***Terms of payment*** 4.65 Export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof shall be against irrevocable letter of credit, payment of cash on delivery basis, Documents Against Acceptance (DA) basis or advance payment in foreign exchange.

***Port of Export*** 4.66 Exports under the schemes of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof shall be allowed by airfreight and Foreign Post Office through the Customs House at Mumbai, Calcutta, Chennai, Delhi, Jaipur, Bangalore, Kochi, Coimbatore, Ahmedabad, Dabolin Airport, Goa and Hyderabad. Export by courier shall also be allowed through Custom Houses at Mumbai, Calcutta, Chennai, Delhi, Jaipur, Bangalore, Ahmedabad and Hyderabad upto FOB value of Rs.20 lakhs per consignment.

*Export by Post*

4.67 In case of exports through Foreign Post Office which may include export via Speed Post through Foreign Post Office, the value of the jewellery parcels shall not exceed US$50000 and 20 kg. by weight. At the time of exports, the exporter shall submit the following documents:

(i) Shipping bills or invoice presented at the foreign Post Office;

(ii) Certificate from nominated agencies indicating the price at which gold/silver/platinum was booked or given on outright sale basis or loan basis;

(iii) Three copies of invoice.

*Value Addition*

4.68 Under the scheme for export of jewellery, the value addition shall be calculated with reference to the CIF value of gold/silver/platinum which shall be equivalent to the total outflow of foreign exchange on account of gold/silver/platinum content in the export product plus the admissible wastage. Wherever gold on loan basis has been given, the CIF value shall also include interest paid in free foreign exchange to the foreign supplier.

*Export Against Supply By Foreign Buyer*

4.69 Before clearance of each consignment of import supplied by the foreign buyer, the nominated agency shall execute a bond with the Customs, undertaking to export within the period stipulated in the contract, gold/silver/platinum jewellery or articles equivalent to the entire import quantity of gold/silver/platinum, mountings and findings etc excluding the admissible wastage.

In case of direct supply of gold/silver/platinum, alloys, findings and mountings of gold/silver/platinum and plain semi-finished gold/silver/platinum jewellery to status holder/exporter, the Status Holder/exporter shall furnish a Bank Guarantee to the Customs equivalent to the Customs Duty leviable on imported gold/silver/platinum, alloys, findings and mountings of gold/silver/platinum and plain semi-finished gold/silver/platinum jewellery etc.

The Bank Guarantee executed with the Customs shall be valid for one year. In case of direct supply to the Status Holder/exporter, exports shall be completed within 60 days. In case of non-fulfillment of export obligation/non-achievement of stipulated value addition, Customs Department shall proceed to recover custom duty alongwith interest which may include enforcement of Bank Guarantee. Besides the importer will be liable to penal action under the Customs Act.

4.69.1 The nominated agency/Status Holder/exporter shall be liable to pay customs duty leviable on that quantity which is proved to have been not exported.

4.69.2 The goods shall be cleared through Customs by the nominated agency Status Holder/exporter. Even where export order is received by an Associate, the goods shall be cleared through Customs by the nominated agency only and not the Associate. The associate shall, in such cases, authorise the nominated agency to act as its agent to file Bill of Entry and shipping bill.

4.69.3 At the time of export, the shipping bill presented to the Customs shall also contain the following:

(i) Name and address of the associate/Status Holder/exporter;

(ii) An endorsement by the nominated agency that the export is made against an order received by the concerned associate, its date of registration with the nominated agency. In case of exports by Status Holder/exporter, a Self Declaration shall be provided to this effect;

(iii) The name of the Customs House through which gold/silver/platinum/plain semi-finished gold/silver/platinum jewellery was imported and the corresponding Bill of Entry No. and date and the date of import.

4.69.4 Each shipping bill shall be valid for exports only through the Customs House located at the place where the office of the nominated agency/Status Holder/exporter concerned is situated. It shall be valid for shipment for a period of seven days including the date on which the endorsement was made by the nominated agency in case of exports through nominated agency. If the exports cannot be made within this period, the exporter shall file a fresh shipping bill.

4.69.5 At the time of export, the exporter shall submit the following documents :

(i) Shipping bill with two extra copies where exports are made from a Customs House other than the Customs House through which the corresponding import of gold/silver/platinum/plain semi-finished gold/silver/platinum jewellery was effected. In other cases, shipping bill with an extra copy;

(ii) Three copies of invoice;

(iii) Certificate from the nominated agency indicating the quantity and value of items supplied by the foreign buyer.

4.69.6 The customs authorities shall return two copies of the shipping bill and the connected invoice duly attested. One copy shall be sent to the person who presented the documents and the other copy shall be sent by the Customs to the office of the nominated agency/Status holder/exporter.

4.69.7 In case of exports through nominated agency, the exporter shall submit proof of exports to the nominated agency within 15 days of exports, who shall, after verifying the documents, release admissible quantity of the gold/silver/platinum etc. to the exporter.

4.69.8 The exporter may also obtain, in advance, gold/silver/platinum etc..supplied by the foreign buyer by furnishing a bank guarantee for an amount equal to the international price of such items plus customs duty payable thereon. The bank guarantee shall be redeemed only when the exporter has furnished proof of exports to the nominated agency and accounted for the use of items supplied in advance in the export product.

4.69.9 For the purpose of redemption of bond/Bank Guarantee executed with the Customs, the nominated agency/Status Holder/exporter shall furnish a statement indicating the items, its quantity and value supplied by the foreign buyer, the corresponding Bill of Entry number and date, number of each of the shipping bills against which corresponding exports was made.

***Maintenance of Accounts***

4.70 The nominated agency shall maintain complete account, consignment-wise, of the gold, silver, platinum, mountings, findings/plain semi-finished gold/silver/platinum jewellery etc. imported for execution of each export order, the exports effected and the quantity of gold, silver, platinum mountings, findings etc. released against such exports. In case of direct exports, similar accounts shall also be maintained by the Status Holder. Such accounts shall be maintained for a minimum period of three years from the date of exports.

***Export Through Exhibitions/Export Promotion Tours/ Export of Branded Jewellery***

4.71 The nominated agencies shall produce to the customs authorities letter in original or its certified copy, containing Government's approval for holding the exhibition/export of branded jewellery. Any other person shall produce to the Asst. Commissioner, customs the letter in original or its certified copy containing GJEPC's approval for holding the exhibitions/ export promotion tour/export of branded jewellery.

In case of re-import, such items, on arrival, shall be verified alongwith the export documents before clearance.

4.72 (a) The exports under this scheme shall be subject to the following conditions for the following modes of export:

(i) Export of Gems and Jewellery for holding/ participating in overseas exhibition.

The exports under this scheme shall be subject to the following conditions:

Items not sold abroad shall be re-imported within 60 days of the close of the exhibition. However in case the exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of the first exhibition, then the 60 days shall be counted from the date of close of the last exhibition. In case of personal carriage of gems and jewellery for holding/ participating in overseas exhibitions, the value of such gems and jewellery shall not exceed US $ 2 million.

The gold/silver/platinum content on items sold in such exhibitions may be imported as replenishment. The exporter shall take replenishment from the nominated agency within 120 days from the close of the exhibition gold/silver/platinum for the purpose of replenishment content against the items sold abroad in exhibition.

(ii) Personal Carriage of gems & jewellery for Export Promotion Tools.

Personal carriage of gold/silver/platinum jewellery, cut and polished diamonds, precious, semi-precious stones, beads and articles as samples upto US$ 100,000 for export promotion tours and temporary display/sale abroad is also permitted with the approval of Gem & Jewellery & Jewellery Export Promotion Council subject to the condition that the promoter would bring back the jewellery/goods or repatriate the sale proceeds within 45 days from the date of departure through normal banking channel. In case of personal carriage for export promotion tours, the exporter shall declare personal carriage of such samples to the Customs while leaving the country and obtain necessary endorsement on the Export Certificate issued by Jewellery Appraiser of the Customs. In such cases the exporter shall book with the nominated agency, within 120 days after the export promotion tour or the expiry of the stipulated period of 45 days, whichever is earlier, gold/silver/platinum for the purpose of replenishment content against the items sold abroad.

(iii) Export of branded jewellery.

Export of branded jewellery is also permitted with the approval of Gem & Jewellery and Jewellery Export Promotion Council for display/sale in the permitted shops set up abroad or in the showroom of their distributors/agents. Items not sold abroad within 180 days shall be re-imported within 45 days. The exporter shall book with the nominated agency within 120 days after the end of the stipulated period of 180 days, gold/silver/platinum for the purpose of replenishment content against the items sold abroad.

(b) The following documents shall be submitted for claiming such replenishment:

(i) Customs attested invoice;

(ii) Copy of the approval letter issued by the Government/GJEPC;

(iii) Certificate from the nominated agency/GJEPC in the form given in Appendix-13A.

(c) In case of exhibitions organised by the nominated agencies, the gold/silver/platinum shall be imported as replenishment by the nominated agencies within 60 days from the close of the exhibition.

4.73 The nominated agencies shall maintain a complete account of the exports made, goods sold abroad, goods re-imported, and metals purchased abroad and imported into India. Such account shall be maintained for a minimum period of three years from the date of close of the exhibition.

***Export Against Supply By Nominated Agencies***

4.74 The exporter under the scheme may obtain gold/silver/platinum on following basis:-

(i) Replenishment basis after completion of exports;

(ii) Outright purchase basis in advance;

(iii) Loan basis.

***Replenishment Basis***

4.75 The exporter may apply to the nominated agency for booking of precious metal gold/silver/platinum. The quantity of the precious metal booked with the nominated agency shall be equivalent to the precious metal content in the export product and the admissible wastage.

4.75.1 The applicant shall at the time of booking deposit an earnest money for a minimum amount of 20% of the notional price of

the precious metal, which shall be adjusted at the time of actual sale.

4.75.2 The exporter may also export jewellery on a notional rate based on the certificate provided by the Bank. The exporter must fix the price within the credit terms allowed to the buyer and realise proceeds within the due date of the credit terms or 180 days, whichever is earlier. The exporter exporting on a notional basis under Replenishment Scheme must book the same quantity of gold with the Nominated Agency on the same rate that he may have booked with the buyer. The nominated agencies shall purchase the precious metal on behalf of the exporter at the rate so fixed and thereafter issue a purchase certificate bearing a serial number to the exporter indicating the quantity of gold/silver/platinum and the CIF value, in dollars including the Rupee equivalent. The price shall be the actual price at which gold/silver/platinum is purchased by the nominated agencies plus permitted service charges levied by the nominated agencies shall be included with the price of gold/silver/platinum for the purpose of value addition. The duplicate and triplicate copies of exporter's application together with copies of purchase certificate for the exporter shall be sent by the nominated agencies to the concerned Custom House as well as to the negotiating bank who will confirm realization at which the gold has been purchase. The exporter exporting under the notional rate will get the replenishment only after the proceeds are realised.

4.75.3 The exports shall be effected within a period of 120 days from the date of booking and the drawal of the precious metal shall be completed within a period of 150 days from the date of booking or within 30 days from the date of export whichever is later.

***Outright Purchase Basis in Advance***

4.76 The exporter may obtain the required quantity of precious metal in advance on outright purchase basis subject to furnishing of Bank Guarantee to the nominated agencies for an amount as may be prescribed by the nominated agency. On failure to effect exports within the period prescribed, the nominated agencies shall enforce the Bank Guarantee.

4.76.1 The exports shall be effected within a maximum period of 60 days from the date of outright purchase of the precious metal.

***Loan Basis***

4.77 The exporter may obtain the required quantity of precious metal on loan basis subject to furnishing of Bank Guarantee to the nominated agencies for an amount as may be prescribed by the nominated agencies. On failure to effect exports within the

period prescribed, the nominated agencies shall enforce the Bank Guarantee.

4.77.1 The exporter has to pay interest on gold taken on loan basis at the rate as may be specified.

4.77.2 The export has to be completed within a maximum period of 60 days from the date of release of gold on loan basis. No extension for fulfillment of export obligation shall be allowed.

4.77.3 The exporter shall be permitted to export the jewellery on the basis of a notional rate certificate to be issued by the nominated agency. This rate will be based on the prevailing Gold/USD rate and the USD/INR rate in the notional rate certificate. The certificate issued by the nominated agency should not be older than 3 working days of the date of shipment.

The value addition will have to be achieved on rate as may be got fixed with the buyer and the nominated agency.

The exporter shall have the flexibility to fix the price and repay the gold loan within 60 days from the date of export. This price shall be communicated to the nominated agencies who will issue a certificate showing the final confirmation of the rate to the bank negotiating the documents, to ensure export proceeds are realized at this rate.

4.77A The nominated agencies may accept payment in dollars towards the cost of import of the precious metal from the EEFC account of the exporter.

***Exports against Advance Licence***

4.78 The procedure applicable to Advance Licences under Chapter 4 of this Handbook shall apply to this scheme.

4.78.1 The export obligation will be required to be fulfilled within 120 days from the date of import of first consignment against the licence. The advance licence holder may import gold as replenishment after completion of exports.

4.78.2 The Advance licence holder may obtain gold/silver/platinum from the nominated agencies in lieu of direct imports. In such a case, the nominated agency shall make, both the exchange control copy and customs purpose copy of the licence invalid for direct imports.

***Regularistion of Bonafide Default***

4.79 The cases of bonafide default in fulfillment of export obligation by an exporter who has obtained precious metals from the nominated agencies may be regularised provided the exporter

has paid customs duty alongwith 15% interest thereon to the Customs. However, in the case of Advance Licence, the provisions as given in Chapter-4 of this Handbook shall apply. This shall be without prejudice to any action that may be taken against the exporter under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992, the Order or the Rules issued thereunder'

***Replenishment License for Import of Consumables***

4.80 A Replenishment Licence for duty free import of consumables, equal to 1% of FOB value of exports of the preceding year may be issued on production of Chartered Accountant's Certificate indicating the export performance. However, for metals other than Gold and Platinum, the entitlement of consumables will be 2% of FOB value of exports subject to the conditions mentioned above. This licence shall be non-transferable and subject to actual user condition. This Replenishment Licence shall be valid for duty free import of consumables as notified by the Customs.

Application for import of consumables or import of plain/studded jewellery as given above may be made to the concerned Regional Licensing Authority in the form given in Appendix-13.

***Personal Carriage of Gems & Jewellery Export Parcels***

4.81 Personal Carriage of gems & jewellery parcels by Foreign Bound Passengers from all EOU/SEZ units and all firms in DTA through the Airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad and Jaipur is permitted. The procedure for Personal Carriage of exports shall be as prescribed by Customs. The export proceeds shall, however, be realised through normal banking channel. For claiming the Replenishment in case of Personal Carriage of Exports by Foreign Bound passenger, documents shall be the same as mentioned under paragraph 4.75.2 of the Handbook(Vol.1). Authorised Courier Companies are also permitted to operate on the above lines.

***Personal Carriage of Gems & Jewellery Import Parcels***

4.82 Personal carriage of gems & jewellery import parcels by an Indian importer/Foreign National may be permitted into all EOUs/SEZ units and all firms in DTA through the airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad and Jaipur. The procedure will be the same as for import of goods by air-freight except that the parcels shall be brought to the Customs by the Importer/Foreign National for examination and release. The clearance of imports under this scheme shall be as per the normal licensing system of Chapter-4 of the Policy.

***Re-import of rejected jewellery***

4.83 An exporter of plain/studded precious metal jewellery shall be allowed to re-import duty free the jewellery rejected and

returned by the buyer upto 2% of the FOB value of exports in the preceding licencing year.

4.83.1 An exporter desirous of re-importing plain/studded precious metal jewellery shall submit a CA certified copy of the export of his preceding year to the jurisdictional Customs Authorities and also execute a bond with them to re-export equivalent quantity of plain/studded jewellery of same quantity (equivalent weight of gold & value of studdings that were re-imported) within 60 days of the re-import.

# CHAPTER-5

## EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME

***Policy*** 5.1 The Policy relating to Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme is given in Chapter 5 of the Policy.

***Application Form*** 5.2 An application for the grant of a licence may be made to the licensing authority concerned in the form given in Appendix-9 along with documents prescribed therein.

***Consideration of Applications*** 5.3 The applicant may apply for EPCG licence wherein duty saved amount is Rs. 50 crores, to the Regional Licensing Authority along with a certificate from the independent chartered engineer in the proforma annexed to Appendix 9 certifying the end use of capital goods sought for import for its use at pre production, production or post production stage for the product undertaken for export obligation.

For the cases wherein duty saved amount is above Rs. 50 crores, the applicant may apply to DGFT Headquarters directly with a copy endorsed to the concerned RLA. In such cases, based on the recommendations of Headquarters EPCG Committee/ approval of competent authority, the concerned RLAs will issue the EPCG licence accordingly.

5.3.1 After issuance of an EPCG License wherein duty saved amount is upto Rs. 50 crores, a Committee of officers of the RLA, headed by the Head of Office, and the EPCG Committee in the Headquarters, where duty saved amount is more than Rs. 50 Crores, shall finalize the nexus within the stipulated period of two months on the basis of the Chartered Engineer's certificate and on the basis of EPCG nexus norms maintained by them. While finalizing the nexus, the provisions contained in the existing Policy/Procedures will be taken into account.

In case, the Committee of officers at RLA fails to finalize the nexus within two months from the date of issuance of licence, the nexus as applied for, shall be treated as final.

However, where the application for fixation of nexus is rejected on account of non-furnishing of documents/information, the licence holder shall be liable to pay customs duty as applicable together with 15% interest thereon.

5.3.2 The licence holder (whether registered with Central Excise Authority or not) shall produce to the concerned licensing authority a certificate from the jurisdictional Central Excise

authority confirming installation of capital goods at the factory/premises of the licence holder or his supporting manufacture(s)/vendor(s) within six months from the date of completion of imports.

However, service providers, can give a certificate either from the jurisdictional Excise authority or from an independent chartered engineer confirming installation of movable and immovable capital goods at the premises of the service provider.

5.3.3 The EPCG licence shall be issued with a single port of registration mentioned in paragraph 4.19 of the Handbook of Procedure for the purpose of imports. All imports shall be made from that particular port unless the specific permission of the Customs authorities is obtained. However, exports can be made from any of the ports specified in paragraph 4.19.

5.3.4 (i) The applicant may also apply for import of spares including refractory, catalyst and such consumables as are required for installation and maintenance of capital Goods under the EPCG Scheme.

The application shall contain list of plant/machinery installed in the factory/premises of applicant for which spares are required, duly certified by Chartered Engineer or Jurisdictional Central Excise authorities.

In such cases EPCG licence shall not specify the list of spares but shall indicate:-

(a) Name of plant/machinery for which spares are required.

(b) Amount of duty saved allowed under the licence.

(c) Description of product to be exported with value of export obligation as per the Policy.

(ii) The licensing authority, after issue of EPCG licence for spare shall forward a copy of licence to concerned Jurisdictional Central Excise Authority.

(iii) In case of import of spares for capital goods, the licence holder (whether registered with Central Excise Authority or not) shall produce to the licensing authority a certificate by the jurisdictional central excise authorities confirming the inventory of spares taken in the records of the licence holder within one month of the date of completion of each import.

Further at the time of final redemption of export obligation, licence holder shall submit certificate from

the Independent Chartered Engineer confirming the use of spares so imported in the installed capital goods on the basis of stock & consumption register maintained by licence holder.

However, the service providers, can give a certificate either from the jurisdictional Excise authority or from an independent chartered engineer confirming the inventory of spares taken in record of the licence holder within six months from the date of completion of imports.

***EOU/SEZ Units under EPCG Scheme***

5.4 An EOU/SEZ unit may apply for an EPCG licence in terms of paragraph 6.20(d) of the Policy. Such application shall be made in the form given in Appendix-9 alongwith the documents prescribed therein. In addition, the applicant shall also furnish a copy of the 'No Objection Certificate' from the Development Commissioner showing the details of the capital goods imported/indigenously procured by the applicant, its value at the time of import/sourcing and the depreciated value for the purpose of assessment of duty under the scheme.

Such cases shall not be required to be forwarded to Headquarters EPCG Committee. The concerned licensing authority shall issue EPCG licences based on the "No Objection Certificate" produced from the concerned Development Commissioner.

***Indigenous Sourcing of Capital Goods***

5.5 The EPCG licence holder intending to source capital goods indigenously, shall make a request to the licensing authority for invalidation of the EPCG licence for direct import. The EPCG licence holder shall also give the name and address of the person from whom he intends to source the capital goods.

5.5.1 On receipt of such request, either at the time of issuance of licence or subsequently, the licensing authority shall make the licence invalid for direct import and issue an invalidation letter, in duplicate, to the EPCG licence holder. The licensing authority shall simultaneously grant permission to the EPCG licence holder to procure the capital goods indigenously in lieu of direct import.

5.5.2 The indigenous manufacturer intending to supply capital goods to the EPCG licence holder may apply to the licensing authority in the form given in Appendix-10B for the issuance of Advance licence for deemed exports for import of inputs including components required for the manufacture of capital goods to be supplied to the EPCG licence holder.

***Benefits To indigenous supplier of Capital Goods***

5.5.3 For the purpose of claiming benefit of deemed exports, the indigenous supplier of capital goods shall furnish:

(a) Certificate from the respective Assistant Commissioner of Customs and Central Excise Authorities having jurisdiction over the factory/premise as evidence of having supplied/received the manufactured capital goods and in case of service provider, a certificate from independent Chartered Engineer confirming the supplies/receipt of the Capital Goods.

(b) Evidence of payments received through normal banking channel from the EPCG licence holder in the form given in Appendix-22A.

***Leasing of Capital Goods***

5.6 An EPCG licence holder may, on the basis of firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic leasing company in accordance with paragraph 2.25 of the Policy. In such cases, the Bill of Entry of imported capital goods or the commercial invoice of indigenously procured capital goods, as the case may be, shall be signed jointly by the EPCG licence holder and the leasing company at the time of import/local supply respectively. However, the EPCG licence holder shall alone be fully responsible for fulfillment of export obligation.

***Condition for Fulfilment of Export Obligation***

5.7 In addition to the conditions mentioned in paragraph 5.4 of the Policy, the following conditions shall also be applicable for fulfilment of export obligation under the scheme:-

5.7.1 The exports shall be direct exports in the name of the EPCG licence holder. However, the export through third party(s) as defined in Chapter 9 of the policy is also permitted under the EPCG scheme. If a merchant exporter is the importer, the name of the supporting manufacturer shall also be indicated on the shipping bills. At the time of export, the EPCG licence No. and date shall be endorsed on the shipping bills which are proposed to be presented towards discharge of export obligation.

5.7.2 Export proceeds shall be realised in freely convertible currency except for deemed exports under paragraph 5.7.3. However, in case of exports against irrevocable letter of credit or if the bill of exchange is unconditionally Avalised/Co- Accepted/ Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank, realisation of export proceeds need not be insisted for fulfillment of export obligation provided the final receipts are in free foreign exchange.

5.7.3 Exports shall be physical exports. However, deemed exports as specified in paragraph 8.2 (a), (b), (d), (f), (g) & (j) of Policy shall also be counted towards fulfilment of export obligation along with the usual benefits available under paragraph 8.3 of the Policy.

Royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for R& D services shall also be counted for discharge under the EPCG scheme.

Payment received in rupee terms for the port handling services in terms of Chapter 9 of the Foreign Trade Policy shall also be counted for export obligation discharge under the Scheme.

5.7.3.1 The supplies made to the Oil and Gas sector also may be counted towards discharge of export obligation against an EPCG licence provided the licence has been issued on or before 31.3.2000 and no benefit under paragraph 8.3 of the Policy has been claimed on such supplies.

5.7.4 Wherever average level of export obligation was fixed taking into account the exports made to former USSR or to such countries as notified by the Directorate General of Foreign Trade under this paragraph, the average level of exports shall be reduced by excluding exports made to such countries. This waiver shall be applicable to all EPCG licences, which have not been redeemed/regularised.

However, exports made against any EPCG licence, except the EPCG licences which have been redeemed, shall not be added up for calculating the average export performance for the purpose of the subsequent EPCG licence.

5.7.5 Where the manufacturer exporter has obtained licences for the manufacture of the same export product both under EPCG and the Duty Exemption or Diamond Imprest Licence Scheme or made exports under DEPB/DFRC/Replenishment licences, the physical exports or deemed exports for categories mentioned in paragraph 5.7.3 made under these schemes shall also be counted towards the discharge of the export obligation under EPCG scheme.

5.7.6 In case of export of goods relating to handicraft, handlooms, cottage, tiny sector, agriculture, aqua-culture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry, sericulture and services, the export obligation shall be determined in accordance with paragraph 5.1 of the Policy, but the licence holder shall not be required to maintain the

average level of exports as specified in paragraph 5.4 (i) and 5.9 of the Policy.

The goods excepting tools imported under EPCG scheme by such sectors shall not be allowed to be transferred for a period of five years from the date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled.

However, the transfer of capital goods would be permitted to the group companies or managed hotels under intimation to the Regional Licensing Authority.

Moreover, in cases where the service provider wants to discharge export obligation by export of goods also, he shall have to maintain the average level of foreign exchange earning for the preceding three licencing years in respect of goods proposed to be exported for discharge of export obligation.

5.7.7 The Export Obligation shall be fulfilled as per conditions given in para 5.4 of the Policy.

*Fulfillment of Export Obligation*

5.8 The licence holder under the EPCG scheme shall fulfil the export obligation over the specified period in the following proportions:

| Period from the date of issue of licence | Minimum export obligation to be fulfilled |
|---|---|
| Block of 1st to 6th year | 50% |
| Block of 7th and 8th year | 50% |

5.8.1 In respect of licences, on which the value of duty saved is Rs.100 crore or more, the export obligation shall be fulfilled over a period of 12 years in the following proportion:-

| Period from the date of issue of licence | Minimum export obligation to be fulfilled |
|---|---|
| Block of 1st to 10th year | 50% |
| Block of 11th and 12th year | 50% |

5.8.2 However, the export obligation of a particular block of year may be set off by the excess exports made in the preceding block of year. The licence holder would intimate the regional licencing authority on the fulfillment of the export obligation as well as average exports annually by secured electronic filing using digital signatures.

5.8.3 Where export obligation of any particular block of years is not fulfilled in terms of the above proportions, except in such cases where the export obligation prescribed for a particular block of year is extended by the competent authority, such licence holder shall, within 3 months from the expiry of the block of years, pay duties of customs plus 15% interest of an amount equal to that proportion of the duty leviable on the goods which bears the same proportion as the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation.

5.8.4 However, the licences issued under the scheme upto 31.3.2000 shall be governed by provisions laid down in paragraph 6.11 as given in Handbook (Vol.1) (RE-99). Notwithstanding the provisions in Handbook (Vol.1) (RE-99), the licence holder shall not have to surrender Special Import licence in case of valuewise shortfall.

Licences issued from 1st April, 2000 upto 31st March, 2002 shall be governed by the provisions of Chapter 6 of the Handbook (Vol. 1) (RE-01), as amended from time-to-time.

Licences issued from 1st April, 2002 upto 31st August, 2004 shall be governed by the provisions of para 5.8 of the Handbook (Vol 1) (RE-02), as amended from time-to-time. However, the provision of clubbing even in case of old licences would be as per the current provision of para 5.18 of this Handbook.

However, wherever Customs duty is to be paid under EPCG scheme, on account of shortfall in export obligation for regularisation for bonafide default, the same shall be paid alongwith interest @15% per annum thereon. This facility shall be available to all pending cases of regularisation of EPCG licences irrespective of the date of its issuance".

***Maintenance of Average***

5.8.5 The average exports under the EPCG licence has to be maintained as per the provisions of para 5.4(i) and 5.9 of the Policy. However, in case of any shortfall in maintenance of the average exports below the 75% threshold as given in para 5.9 of the Policy, the licence holder shall intimate the regional office of the same at the end of the year of the shortfall giving a valid justification.

***Monitoring of Export Obligation***

5.9.1 The licence holder shall submit to the licensing authority, report on the progress made in fulfillment of export obligation against the licence issued to him. The report shall be submitted in the form given in Appendix-9A. The periodicity of the report shall be yearwise. The licensing authority may issue partial EO

fulfilment certificate to the extent of EO fulfilled in a particular year.

***Automatic Reduction/ Enhancement upto 10% of CIF value and Prorata Reduction/ Enhancement in Export Obligation***

5.10 If the licence issued under the scheme has actually been utilized for import of a value in excess/deficit of 10% of the CIF value of the licence, licence shall be deemed to have been enhanced by that proportion. The Customs shall automatically allow the clearance of goods in excess/deficit of 10% of the licence value without endorsement by the licensing authority.

In such cases, the licence holder shall furnish additional fee to cover the excess CIF value of imports effected subsequently. The export obligation shall automatically stand enhanced proportionately.

5.10.1 Similarly, if the EPCG licence holder has utilised the licence less than the value earmarked in the licence, his export obligation shall stand reduced on prorata basis with reference to actual utilisation of licence.

***Extension of Export Obligation Period***

5.11 The regional licencing authority, on merits may consider one or more request for extension in export obligation period, including extension for year(s) or a block of year(s), for fulfilment of export obligation subject to the condition that extension of export obligation shall not exceed a total period of one/two year as per relevant Customs notifications from the date of expiry of the export obligation period.

The extension in export obligation period shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed by the competent authority. Wherever the export obligation period is extended, the licence holder shall be required to maintain average export obligation during the extended period as well.

5.11.1 The firm/company or group company registered within the original/extended E.O. period with the BIFR or state rehabilitation Scheme for SSI unit as a sick unit or any firm/ company acquiring a unit, which is under BIFR may apply for extension in export obligation period for fulfillment of export obligation to Director General of Foreign Trade.

The firm/company, which is applying for registration with BIFR/Rehabilitation Department of State Government shall also intimate DGFT with regard to relief sought for EPCG licence, if any, within 30 days of receipt of the application by agency concerned.

The DGFT, on receipt of intimation/notice received from the BIFR/operating agency/Rehabilitation Department of State Government shall take up the matter with the agency concerned to safeguard government interest on account of default in fulfillment of export obligation imposed on EPCG licence obtained by such firm.

DGFT may consider such application for grant of extension in the period of export obligation upto 12 years or as per the rehabilitation package prepared by operating agency and approved by BIFR board/state authority, on its merit.

***Export Obligation Shortfall***

5.12 The regional licencing authority may also consider condonation of shortfall upto 5% in the export obligation subject to such terms and conditions as may be prescribed by them.

***Redemption***

5.13 As evidence of fulfillment of export obligation, the licence holder shall furnish the following documents;

(a) For Physical Exports:

A consolidated statement of exports made in the form given in Appendix-9A, duly certified by a Chartered Accountant and bank evidencing exports and realisation in freely convertible currency or statements of exports in the form given in Appendix-9A for individual banks duly certified by a Chartered Accountant.

However in case of exports made under irrevocable letter of credit or bill of exchange unconditionally Avalised/ Co- Accepted/Guaranteed by a bank and the same is confirmed by the exporters bank, realization of export proceeds would not be insisted upon.

The EPCG licence holder shall submit a copy of the irrevocable letter of credit or the bill of exchange unconditionally Avalised/Co- Accepted/Guaranteed by a bank and confirmed by the exporters bank for availing of the benefit of EPCG..

(b) For Deemed Exports:

(i) Copy of ARO/Back to Back Inland letter of Credit or Advance Licence for Intermediate Supplies
or
Supply invoices or ARE 3 duly certified by the Bond Office of EOU concerned showing that supplies have been received;

(ii) The licensee shall also furnish the evidence of having received the payment through normal banking channel in the form given in Appendix- 22A or a

self certified copy of payment certificate issued by the Project authority concerned in the form given in Appendix-12A.

(c) For Services rendered:

Consolidated statement or individual statements (bank/authorised dealer wise) of services rendered in the form given in Appendix-9B, duly certified by a Chartered Accountant and bank/authorised dealer evidencing foreign exchange earning received through normal banking channel.

On being satisfied, the licensing authority shall issue a certificate of discharge of export obligation to the EPCG Licence holder and send a copy of the same to the customs authorities with whom BG/LUT has been executed.

***Regularisation of Bonafide Default***

5.14 In case, EPCG licence holder fails to fulfil the prescribed export obligation, he shall pay duties of Customs plus 15% interest per annum to the Customs authority as per paragraph 5.8.3.

***Maintenance of Records***

5.15 Every EPCG licence holder shall maintain, for a period of 3 years from the date of redemption, a true and proper account of the exports/supplies made and services rendered towards fulfilment of export obligation under the scheme.

***Re-Export of Capital Goods Imported Under EPCG Scheme***

5.16 Capital Goods imported under the EPCG scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported back to the foreign supplier within three years from the date of payment of duty on importation thereof with the permission of the Licensing/Customs Authority

***Replacement of Capital Goods***

5.16.1 The Capital Goods imported under the scheme and found defective or otherwise unfit for use may be re-exported and Capital Goods in replacement thereof be imported under the scheme. In such cases, while allowing re-export, the Customs shall recredit the duty benefit availed which can be debited again at the time of import of such replaced Capital Goods

***Penal Action***

5.17 In case of failure to fulfil the export obligation or any other condition of the licence, the licence holder shall be liable for action under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, the Orders and Rules made thereunder, the provisions of the Policy and the Customs Act, 1962.

***Clubbing of EPCG licences***

5.18 The clubbing of two or more EPCG licences of the same licence holder would be permitted as per the provisions given herewith. The expiry period mentioned in the subparas of this para would

be with reference to the export obligation period of the EPCG licence.

5.18.1 The accountability of imports and exports shall be restricted to the items mentioned in the EPCG licences to be clubbed.

5.18.2 An application for clubbing can be made only to the regional licencing authority under whose jurisdiction the licence is issued in Appendix-9C. Clubbing shall not be permitted in case the licences are issued by different RLAs. The concerned RLA would consider the request for clubbing only on the fulfillment of the following conditions:

(a) The EPCG licences have been issued during the same licencing year,

(b) The EPCG licences have been issued under the same Customs Notification,

(c) The EPCG licences must be for the export of the same product(s) or same services.

5.18.3 The total export obligation for the licences so clubbed would be refixed taking into account the total duty saved or total CIF value of imports as the case may be of the clubbed licences.

The export obligation period of the clubbed licence would be as per the policy applicable for the clubbed CIF value/clubbed duty saved amount, as the case may be. In case of any discrepancy in the export obligation periods of the two licences, clubbing would not be permitted.

5.18.4 On clubbing, the licences for all purposes shall be deemed to be a single EPCG licence issued under the said Customs Notification and the export obligation period for the clubbed licence shall be reckoned from the date of issuance of the first licence.

5.18.5 The average export obligation to be maintained for the clubbed licence would be the highest of the average export obligations endorsed on the individual licences put up for clubbing.

5.18.6 No clubbing would be permitted in the case of expired EPCG licences. In case any specific (as against general extensions) export obligation extension has been given for any EPCG licence, the same licence cannot be considered for clubbing.

***Refixation of Export Obligation***

5.19 (a) The EPCG licence holder can apply for the refixation of export obligation as given in para 5.4 (i) of the Policy in the form at Appendix-9D.

(b) In case of all EPCG licences where the application is made for re-fixation within two years of its issuance, the export obligation shall be automatically refixed based on 8 times the duty saved on the date of issuance of licence.

(c) For all other EPCG licences, the licence holder should have fulfilled the mandated blockwise export obligation at the end of the particular block in which the application is made. For example if the licence holder applies in the 3rd-4th year block for an EPCG licence with an export obligation period of 8 years, he should have fulfilled 15% of the original export obligation. In such cases, the refixed export obligation would be computed as under:

(% export obligation unfulfilled) x (8) x (duty saved on the date of issuance of the licence)

(d) In cases where the remaining export obligation period of the EPCG licence is less than 2 years on the date of application for refixation, and the mandated blockwise export obligation has been fulfilled, the export obligation would be refixed at two times the duty saved on the date of issuance of licence.

(e) There would be no change in average export obligation fixed or the export obligation period of the original licence.

(f) An application under Appendix 9 D can also be made if the EPCG licence holder has got his average and EPCG export obligation refixed on account of the change in product/service as per the provisions of para 5.4 (i) of the Policy.

***Technological Upgradation of Capital Goods***

5.20 The EPCG licence holders can opt for the Technological Up gradation of the capital good imported under the EPCG Scheme as per the provisions of Para 5.10 of the Policy.

In case an EPCG licence holder wants to upgrade the existing capital good imported under the EPCG scheme,he can opt for the Technological Up gradation subject to the following conditions:

(i) The capital good to be imported must be new and technologically superior to the earlier capital good. It must be used for the manufacture of the same product for which the original EPCG licence was issued.

(ii) The export obligation for the new capital good would be the difference of the sum total of 6 times the duty saved on both the capital goods and the exports already made under the old capital good.

(iii) The export obligation period would be 8 years from the date of issuance of the new licence.

(iv) The block wise export obligation fulfillment would be as per Para 5.8 of this Handbook.

(v) The average export obligation for the upgraded capital good would be the same as that of the capital good being replaced.

The application for technological upgradation of the capital good would be made in Appendix 9 E of the Handbook (Vol. 1).

***Import of Refurbished/ Reconditioned Spares and Tools***

5.21 The import of refurbished spares as mentioned in paras 5.1 and 5.1A of the Policy shall be permitted under the EPCG Scheme.

However such refurbished/reconditioned spares must have a residual life not less than 80% of the life of the original spare which would be certified by the EPCG licence holder.

The tools imported under the EPCG Scheme may be transferred to any of the units or group companies of the applicant.

# CHAPTER-6

## EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS (EHTPs), SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPs) SCHEME AND BIO-TECHNOLOGY PARKS(BTPS)

***Scheme***

6.1 The Policy relating to Export Oriented Units (EOUs) Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs), Software Technology Parks (STPs) and Bio-technology parks (BTPs) Scheme is given in Chapter 6 of the Foreign Trade Policy.

***Definitions***

6.2 For the purpose of Export Oriented Units (EOUs), Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs), Software Technology Parks (STPs) and Bio-Technology Parks (BTPs) unless the context otherwise requires, the words and expressions shall have the meanings attached to them as given in the Policy.

***Approval/Application and renewal of Application***

6.3.1 For setting up an EOU, three copies of the application in the form given in Appendix-14-IA may be submitted to the Development Commissioner.

6.3.2 Applications for setting up of units under EOU scheme other than proposals for setting up of unit in the services sector (except R&D, software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by the BOA), shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per the criteria indicated in Appendix-14-IB and sector specific conditions relating to the approval given in Appendix-14-IC. In other cases, approval may be granted by the Development Commissioner after clearance by the Board of Approval.

6.3.3 Proposals for setting up EOU requiring industrial licence may be granted approval by the Development Commissioner after clearance of the proposal by the Board of Approval (as per Appendix-14-ID) and Department of Industrial Policy and Promotion within 45 days on merits.

6.3.4.1 Software Technology Park (STP)/Electronics Hardware Technology Park (EHTP) complexes can be set up by the Central Government, State Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof, duly approved by the Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Information Technology).

Application for setting up EHTP/STP unit shall be in the format prescribed by the Ministry of Communication and Information

Technology (Department of Information Technology) and shall be submitted to the officer designated by the Department of Information and Technology.

6.3.4.2 Bio Technology Park (BTP) can be set up by the Central Governmnet, State Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof.

Application for setting up of BTP unit shall be submitted to the Department of Bio Technology and such applications which meet the guidelines prescribed by the Department of Bio Technology will be approved and recommended to the DGFT for notification. Application for setting up of BTP unit shall be submitted to the officer designed by the Department of Bio technology.

6.3.6 The LOP/LOI shall specify the item(s) of manufacture/service activity, annual capacity, projected annual export for the first five years in dollar terms, Net Foreign Exchange earnings (NFE), limitations, if any, regarding sale of finished goods, by-products and rejects in the DTA and such other matter as may be necessary and also impose such conditions as may be required.

6.3.7 LOP/LOI issued to EOU/EHTP/STP/BTP units by the concerned authority would be construed as a licence for all purposes. Standard format for LOP for EOU units is given in Appendix 14-IE.

6.3.8 EOUs shall have separate ear-marked premises for separate LOP. Similarly, EOUs may be approved on leased premises provided the lease has been obtained from Government Department/Undertaking/Agency. However, in case lease is obtained from private parties, it shall have a validity period of five years from the date of LUT and the Development Commissioner shall satisfy himself of genuine nature of the lease.

6.3.9 On completion of the approval period as provided for in paragraph 6.6 of Policy, it shall be open to the unit to continue under the scheme or opt out of the scheme. If no intimation in this regard is received from the unit within a period of six months of expiry of the approval period, the Development Commissioner will take action, suo moto, to cancel the approval under the EOU scheme and take further action in this regard. Where the unit opts to continue, the Development Commissioner concerned will extend the approval period.

***Legal Undertaking***

6.4.1 The approved EOU/EHTP/STP/BTP unit shall execute a legal undertaking with the Development Commissioner/Designated Officer concerned as per the format given in Appendix-14-IF.

6.4.2 All EOUs/EHTP/STP/BTP should have permanent e.mail address. No LUT for new units shall be executed unless the unit has its permanent e-mail address and digital signature on the said e-mail ID. In the event of an EOU not having permanent e-mail address and digital signature, further imports and DTA sale shall not be permitted by the Development Commissioner.

***Export of goods and services***

6.5.1 Software units may undertake exports using data communication links or in the form of physical exports (which may be through courier service also), including export of professional services.

6.5.2 The EOUs shall be permitted to export jewellery on the basis of a notional rate certificate issued by the nominated agency. This rate will be based on the prevailing Gold/US$ rate and the US$/INR rate in the notional rate certificate. The certificate issued by the nominated agency should not be older than 3 working days of the date of shipment.

6.5.3 The exporter shall have the flexibility to fix the price and repay the gold loan within 60 days from the date of export. The price shall be communicated to the nominated agencies who will issue a certificate showing the final confirmation of the rate to the bank negotiating the document, to ensure export proceeds are realized at this rate.

6.5.4 Gem & Jewellery and Jewellery EOUs may re-export imported goods and export domestically procured goods, including goods generated out of partial processing/manufacture. Besides, supply of unsuitable/broken cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones upto 5% of the value of imported or indigenously procured goods to the DTA against the valid Gem & Jewellery REP as applicable on payment of appropriate duty is also permitted.

***Import/domestic procurement of goods***

6.6.1 Goods permitted to be imported/procured from Domestic Tariff Area shall include:

(a) Raw materials, components, consumables, intermediates, spares and packing materials:

(b) Capital goods, whether new or second-hand, including inter-alia the following and their spares:

(i) DG sets, captive power plants, transformers and accessories for all above.

(ii) Pollution control equipment.

(iii) Quality assurance equipment.

(iv) Material handling equipment, like fork lifts and overhead cranes, mobile cranes, crawler cranes, hoists and stackers.

(v) Un-interrupted Power Supply System (UPS), Special racks for storage, storage systems, modular furniture, computer furniture, anti-static carpet, tele-conference equipment, Servo Control System, Air-conditioners/ Air-conditioning system, panel for electricals and special data transmission cable.

(vi) Security Systems.

(vii Tools, jigs, fixtures, gauges, moulds, dyes, instruments and accessories;

(c) Raw material for making capital goods for use within the unit.

(d) others including:

(i) Prototypes and technical samples for existing product(s) and product diversification, development or evaluation;

(ii) Drawings, blue prints, charts, microfilms and technical data;

(iii) Office equipment, including PABX, Fax machines, projection system, Computers, Laptop, server.

(e) Spares and consumables for all the above items

(f) any other items not mentioned above with the approval of Board of Approval.

6.6.2 EOUs may import plain/studded gold/platinum or silver jewellery for export after repairs/remaking.

***Conditions of Import*** 6.7 The import of goods by EOU/EHTP/STP/BTP units shall be subject to the following conditions:

(a) The goods shall be imported into the EOU/EHTP/STP/ BTP premises. However, agriculture and allied sectors and granite sector units in EOU may supply/transfer the capital goods and the inputs in the farms/fields/quarries with prior intimation to the jurisdictional Customs/Central Excise authorities, provided the ownership of the goods rests with EOU units.

(b) The procedure as prescribed under Customs/Excise rules for EOUs and units in EHTP/STP/BTP will be followed

and appropriate bond executed with Customs/Excise authorities.

(c) The goods, except capital goods and spares, shall be utilised by EOU/EHTP/STP/BTP units within a period of three years or as may be extended by Customs authorities.

(d) Goods already imported/shipped/arrived before the issue of LOP/LOI are also eligible for duty free clearance under the EOU/EHTP/STP/BTP scheme provided customs duty has not been paid and the goods have not been cleared from Customs.

***Fax machines/ lap- top computers outside approved premises***

6.8.1 EOU/EHTP/STP/BTP units may install one fax machine at a place of its choice, outside the premises of the unit, subject to intimation of its location to the concerned Customs/Central Excise authorities.

6.8.2 EOU/EHTP/STP/BTP units may, temporarily take out of the premises of the unit duty free laptop computers and video projection systems for working upon by authorised employees.

6.8.3 EOU/EHTP/STP/BTP units may install personal computers not exceeding two in number, imported/procured duty free in their registered/administrative office subject to the guidelines issued by Department of Revenue in this behalf.

6.8.4 For IT and IT enabled services, persons authorized by the software units may access the facility installed in the EOU/EHTP/STP/BTP unit through communication links.

***Leasing of Capital Goods***

6.9 The value of imported capital goods financed through leasing companies or obtained free of cost and/or on loan/lease basis shall also be taken into account for the purpose of calculation of NFE as defined in the Policy.

***Net Foreign Exchange Earnings (NFE)***

6.10.1 EOU/EHTP/STP/BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner. Net Foreign Exchange Earnings (NFE) shall be calculated cumulatively for a block of five years from the commencement of production according to the formula given below. Items of manufacture for export specified in the Letter of Permission (LOP)/Letter of Intent (LOI) alone shall be taken into account for calculation of NFE.

Positive NFE = A – B > 0

*Where*
NFE is Net Foreign Exchange Earning.

'A'is the FOB value of exports by the EOU/EHTP/STP/BTP unit; and

'B'is the sum total of the CIF value of all imported inputs and the CIF value of all imported capital goods, and the value of all payments made in foreign exchange by way of commission, royalty, fees, dividends, interest on external borrowings/high sea sales during the first five year period or any other charges. "Inputs" mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials.

6.10.2 If any goods are obtained from another EOU/EHTP/STP/SEZ/BTP unit, or procured from an international exhibition held in India, or bonded warehouses or precious metals procured from nominated agencies the value of such goods shall be included under B.

6.10.3 If any capital goods imported duty free or leased from a leasing company, received free of cost and/or on loan basis or transfer, the CIF value of the capital goods shall be included pro-rata, under B for the period it remains with the units.

6.10.4 For annual calculation of NFE, the value of imported capital goods and lumpsum payment of foreign technical know-how fee shall be amortized as under:

1st – 10th year: 10%

***Maintenance of accounts***

6.11.1 EOU/EHTP/STP/BTP unit shall maintain proper account, and shall file digitally signed quaterly and annual report as prescribed in Annexure to Appendix-14-IF to the Development Commissioner/Designated Officer in the Ministry of Information & Technology/Department of Bio-Technology and Customs and Central Excise authorities.

6.11.2 The unit shall be able to account for the entire quantity of each category of homogenous goods imported/procured duty free, by way of exports, sales/supplies in DTA or transfer to other SEZ/EOU/EHTP/STP/BTP units and balance in stock. However, at no point of time the units shall be required to co-relate every import consignment with its exports, transfer to other SEZ/EOU/EHTP/STP/BTP units, sales in the DTA and balance in stock. Any matter for clarification as to whether goods are homogenous or not shall be decided by Unit Approval Committee.

***Monitoring of NFE***

6.12.1 The performance of EOU units shall be monitored by the Units Approval Committee as per the guidelines given in Appendix

-14-IG. Performance of EHTP/STP/BTP shall be monitored by Ministry of Information & Technology/Deptt. of Bio-technology jointly with the jurisdictional Central Excise/ Customs Authority.

6.12.2 Failure to ensure positive NFE or to abide by any of the terms and conditions of the LOP/LOI/IL/LUT shall render the unit liable to penal action under the provisions of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and the Rules and Orders made there under without prejudice to action under any other law/rules and cancellation or revocation of LOP/LOP/IL.

***Conversion of Scrap/dust/ sweeping of gold/ silver/platinum into standard Bars***

6.13 Scrap/dust/sweeping of gold/silver/platinum may be sent to the Government of India Mint/Private Mint from the EOU EHTP/STP units and returned to them in standard bars in accordance with the procedure prescribed by the Customs authorities or may be permitted to be sold in the DTA on payment of applicable Customs duty, on the basis of gold/silver/ platinum content, as may be notified by Customs authorities.

***DTA supplies***

6.14 Not withstanding the provision of DTA sales in Para 6.8 of Policy, such DTA sales shall not affect the application to any goods of any other prohibition or regulation affecting import thereof in force at the time when such goods are imported. This also does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from any commitment or compliance with any requirements to which the importer may be subject to under other laws or regulations.

***Supplies to other EOU/EHTP/STP/ SEZ/BTP units***

6.15 Supplies to other EOU/SEZ/EHTP/STP/BTP units shall be counted towards NFE provided that such goods are permissible for procurement by these units.

***Transfer of Power from one unit to another***

6.16 Transfer of power from DG Sets from one unit of EOU/EHTP/ STP/BTP to another is permitted.

***Supply of precious/ semi-precious/ synthetics stones from DTA.***

6.17 Supplier of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOUs shall be eligible for grant of Replenishment Licence at the rates and for the items mentioned in the Handbook (Vol. I). The procedure for submission of application for grant of Replenishment Licence as contained in the relevant Chapter of the Handbook (Vol. I) shall be applicable. However, the application shall be made to the Development Commissioner concerned. Such supplies to EOUs are not treated as deemed exports for the purpose of any of the deemed export benefits.

***Application for grant of entitlement***

6.18 Application for grant of all the entitlements may be made to the Development Commissioner concerned.

***Export through other exporters***

6.19 An EOU/EHTP/STP/BTP unit may export goods manufactured/software developed by it through other exporter or any other EOU/EHTP/STP/SEZ/BTP unit subject to the condition that:

(a) Goods shall be produced in the EOU/EHTP/STP/BTP unit concerned.

(b) The level of NFE or any other conditions relating to the imports and exports as prescribed shall continue to be discharged by the EOU/EHTP/STP unit concerned.

(c) The export orders so procured shall be executed within the parameters of EOU/EHTP/STP/BTP schemes and the goods shall be directly transferred from the unit to the port of shipment.

(d) Fulfillment of NFE by EOU/EHTP/STP/BTP units in regard to such exports shall be reckoned on the basis of the price at which the goods are supplied by EOUs to other Exporter or other EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ unit.

(e) All export entitlements, including recognition as Status Holder would accrue to the exporter in whose name foreign exchange earnings are realized. However, such export shall be counted towards fulfillment of obligation under EOU/EHTP/STP/BTP scheme only.

***Other Entitlements***

6.20.1 Clubbing of FOB value of export of an EOU/EHTP/STP/BTP units with FOB value of export of its parent company in the DTA or vice versa for the purpose of according Export House, Trading House, Star Trading House or Super Star Trading House status is permitted.

6.20.2 Sectoral norms as notified by the Government shall apply to FDI in services activities.

6.20.3 Software units may also use the computer system for training purpose (including commercial training) subject to the condition that no computer terminal shall be installed outside the bonded premises for the purpose.

6.20.4 Export of iron ore shall be subject to the decision of the Government from time to time. Requirements of other conditions of exports like minimum export price/export in consumer pack etc. as per ITC(HS) shall apply in case the raw materials are sourced from DTA and exported without further

processing/manufacturing by the EOU. Export of textile items shall be covered by bilateral agreements. Wood based units shall comply with the direction of Hon'ble Supreme Court contained in its order dated 12.12.1996 in Writ (civil) No, 202 of 1995- T.N.Godavarman Thirrumulppad v/s Union of India and others with WP(Civil) no 171 of 1996 in regards to use of timber/other wood.

***Sub-Contracting***

6.21.1 Sub-contracting by EOU gems and jewellery units through other EOUs or SEZ Units or units in DTA shall be subject to following conditions:-

(a) Goods, finished or semi finished, including studded jewellery, taken out for sub- contracting shall be brought back to the unit within 90 days.

(b) No cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones (except precious, semi-precious and synthetic stones having zero duty) shall be allowed to be taken out for sub-contracting.

(c) Receive plain gold/silver/platinum jewellery from DTA/ EOU/SEZ units in exchange of equivalent quantity of gold/silver/platinum, as the case may be, contained in the said jewellery.

(d) EOUs shall be eligible for wastage as applicable for sub-contracting and against exchange.

(e) The DTA unit undertaking job work or supplying jewellery against exchange of gold/silver/platinum shall not be entitled to deemed export benefits.

6.21.2 The facility of getting job work done from DTA unit will be available even when the job worker is not registered with the Central Excise Authority subject to the condition that the goods are brought back to the premises of the Unit on completion of the job work.

6.21.3 Export of finished goods from the job worker's premises may be permitted provided such premises are registered with the Central Excise authorities. Where the job worker is SEZ/EOU/ EHTP/STP/BTP unit, no such excise registration is required and export may be effected either from the job workers' premises or from the premises of the unit. Export of such products from the job worker's premises shall not be allowed through third parties as provided in the Policy.

6.21.4 EOUs may be permitted to remove moulds, jigs, tools, fixtures, tackles, instruments, hangers and patterns and drawings to the premises of sub-contractors subject to the conditions that these

shall be brought back to the premises of the units on completion of the job work within a stipulated period. The raw materials may or may not be sent along with these goods.

6.21.5 In case of sub-contracting of production process abroad, the goods may be exported from the sub-contractor premises subject to the conditions that job work charges shall be declared in the export declaration forms, invoices etc. and full repatriation of foreign exchange.

***Contract farming***

6.22 EOUs engaged in production/processing of agriculture/horticulture/aquaculture products, may on the basis of annual permission from the Customs authorities take out inputs and equipments (specified at Appendix-14-IJ) to the DTA farm subject to the following conditions:

(a) Supply of inputs by the EOUs to the contract farm(s) shall be subject to the input-output norms approved by the DGFT/BOA.

(b) There shall be contract farming agreement between the EOU and the DTA farmer(s).

(c) The unit has been in existence for at least two years and engaged in export of agriculture/horticulture/aquaculture products; otherwise it shall furnish bank guarantee equivalent to the duty foregone on the capital goods/inputs proposed to be taken out to the Deputy/Assistant Commissioner of Customs/Central Excise till the unit completes two years.

***Export through Exhibitions/ Export Promotion Tours***

6.23 EOUs/EHTP/STP/BTP may export goods for holding/participating in exhibitions abroad with the permission of Development Commissioner subject to the following conditions:-

(a) The unit shall produce to the Customs authorities the letter in original or its certified copy containing approval of the Development Commissioner. For gems and jewellery items, a self certified photograph of the products shall also be submitted.

(b) In case of re-import, such items, on arrival shall be verified along with the export documents before clearance.

(c) Items not sold abroad shall be re-imported within 60 days of the close of the exhibition. However, in case the exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of the first exhibition, then the 60 days shall be counted from the date of close of the last exhibition.

(d) In case of personal carriage of goods and for holding/participating in overseas exhibitions, the value of such gems and jewellery shall not exceed US $ 2 million.

***Personal Carriage of gems and jewellery for Export promotion Tours***

6.24 Personal carriage of gold/silver/platinum jewellery, cut and polished diamonds, precious, semi-precious stones, beads and articles as samples upto US $ 100,000 for export promotion tours and temporary display/sale abroad by EOUs is also permitted with the approval of the Development Commissioner subject to the following conditions:

(a) EOU shall bring back the goods or repatriate the sale proceeds within 45 days from the date of departure through normal banking channel.

(b) The unit shall declare personal carriage of such samples to the Customs while leaving the country and obtain necessary endorsement.

***Export through show-rooms abroad/duty free shops***

6.25 Export of goods is also permitted for display/sale in the permitted shops set up abroad or in the show rooms of their distributors/agents. The items not sold abroad within 180 days shall be re-imported within 45 days.

***Sale through showrooms/retail outlets at International Airports***

6.26 EOUs may set up show rooms/retail outlets at the International Airports for sale of goods in accordance with the procedure laid down by the Customs authorities. The items remaining unsold after a period of 60 days shall be exported or returned to the respective EOUs.

***Personal carriage of import/export parcels including through foreign bound passengers***

6.27.1 Import/export through personal carriage of gem and jewellery items may be under-taken as per the procedure prescribed by Customs. The export proceeds shall, however, be realized through normal banking channel. Import/export through personal carriage, other than gem and jewellery units, shall be allowed provided the goods are not in commercial quantity.

6.27.2 For Personal carriage of jewellery by foreign bound passenger, the following documents shall be submitted by EOU units as proof of exports.

(a) Copy of the shipping bill filed by the EOUs ;

(b) A copy of the Currency Declaration Form filed by the Foreign buyer with the Customs at the time of his arrival; and

(c) Foreign Exchange Realisation/Encashment Certificate from the Bank.

6.27.3 In addition to this, Personal Carriage by foreign bound passenger on Document Against Acceptance (DA)/Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. The EOUs will have to furnish the following documents as proof of exports:-

(a) Copy of Shipping Bill;

(b) Bank Certificate of Export and Realisation.

6.27.4 The procedure for personal carriage of import parcels will be the same as for import of goods by airfreight except that the parcels shall be brought to the Customs by the EOUs/foreign national for examination and release. Instructions issued by the Customs authorities in this regard should be followed mutatis mutandis.

6.27.5 Personal carriage of parts by foreign bound passengers shall be allowed in case the same are required for repairs of exported goods at customer site. The following documents should be submitted as proof of exports:-

(a) Permission letter from customs for exports.

(b) Invoice with value (for payment or free of charge).

***Replacement/Repair of imported/ indigenous goods***

6.28.1 The units may send capital goods abroad, for repair and return. Any foreign exchange payment for this purpose will also be allowed.

6.28.2 EOU/EHTP/STP/BTP units may, on the basis of records maintained by them and prior intimation to Customs authorities

(a) Transfer goods to DTA/abroad for repair/replacement, testing or calibration and return.

(b) Transfer goods for quality testing/R&D purpose to any recognised laboratory/institution upto Rs. 5 lakhs per annum without payment of duty, on giving suitable undertaking to the customs for return of the goods. However, if the goods have been consumed/destroyed in the process of testing etc. a certificate from the laboratory/ institution to this effect be furnished to the Customs.

***Samples***

6.29.1 EOU/EHTP/STP/BTP units may on the basis of records maintained by them, and on prior intimation to Custom authority supply or sell samples in the DTA for display/market promotion on payment of applicable duties.

6.29.2 Remove samples without payment of duty, on furnishing a suitable undertaking to Customs authorities for bringing back the samples within a stipulated period.

6.29.3 An EOU may export free samples, without any limit, including samples made in wax moulds, silver mould and rubber moulds through all permissible mode of export including through courier agencies/post.

***Donation of Computer and Computers peripherals***

6.30 EOU/EHTT/STP/BTP unit may be allowed by customs authorities concerned to donate imported/indigenously procured (bought or taken on loan) computer and computer peripherals, including printer, plotter, scanner, monitor, key-board and storage units without payment of duty, two years after their import/procurement and use by the units, to a school run by the Central Government, or Government of a State or, a Union Territory or, a local body, an Educational Institution run on non-commercial basis by any organization, a Registered Charitable Hospital, a Public Library, a Public Funded Research and Development Establishment, a Community Information Center run by the Central Government or, Government of a State or, a Union Territory or local body, an Adult Education Center run by the Central Government or, Government of a State or, a Union Territory or a local body, or an organization of the Central Government or, a Government of a State or, a Union Territory as per Custom/Central Excise notification issued in this regard.

***Destruction of goods***

6.31 No duty shall be payable in case capital goods, raw material, consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged, and scrap/waste/remnants/rejects are destroyed within the Unit after intimation to the Custom authorities or destroyed outside the Unit with the permission of Custom authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.

***Distinct Identity***

6.32 If an industrial enterprise is operating both as a domestic unit as well as an EOU/EHTP/STP/BTP unit, it shall have two distinct identities with separate accounts, including separate bank accounts. It is, however, not necessary for it to be a separate legal entity, but it should be possible to distinguish the imports and exports or supplies affected by the EOU/EHTP/STP/BTP units from those made by the other units of the enterprise.

***Unit Approval Committee for EOUs***

6.33.1 The powers and functions of the Unit Approval Committee of EOUs shall be as under:-

(a) To consider applications for setting up EOUs other than proposals for setting up of unit in the services sector (except R&D, software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by the BOA), Item of manufacture requiring industrial licence under

the Industrial (Development & Regulation) Act, 1951 shall be considered by the BOA.

(b) to consider and permit conversion of units in SEZ to EOU;

(c) to monitor the performance of the Units;

(d) to supervise and monitor permission, clearances, licences granted to the units and take appropriate action in accordance with law;

(e) to call for information required to monitor the performance of the unit under the permission, clearances, licenses granted to it;

(f) to perform any other function delegated by the Central Government or its agencies;

(g) to perform any other function as may be delegated by the State Governments or its agencies; and

(h) to grant all approvals and clearances for the establishment and operation of EOUs.

***Approval of EHTP/STP/BTP units***

6.33.2 In the case of units under EHTP/STP scheme, necessary approval/permission shall be granted by the officer designated by the Ministry of Communication and Information Technology, Department of Information Technology/Director (STPI). Similarly in case of units under BTP, necessary approval/permission shall be granted by the officer designated by the Department of Bio-Technology. However, the designated officers shall adopt the criteria for automatic approval of new units as laid down in Appendix 14-IB.

***Administration of EOUs/Power of DC/Designated Officer***

6.34 The Development Commissioner/Designated Officer shall have the following powers in respect to the units. Jurisdiction of Development Commissioners is given in Appendix- 14-IK.

(1) Conversion of sick/closed DTA unit into EOU;

(2) Conversion of EOU to STP/EHTP/BTP and vice versa as per the prescribed procedure;

(3) To allow increase in the value of capital goods in terms of Indian Rupees, on account of foreign exchange rate fluctuations;

(4) To permit capacity enhancement without any limit in case of de-licensed industries only;

(5) Permit broad-banding for similar goods and activities mentioned in the LOP or to provide for backward or forwarded linkages to the existing line of manufacture;

(6) Authorize change in name of the company or the implementing agency and change from a company to

another provided the new implementing agency/company undertakes to take over the assets and liabilities of the existing unit;

(7) Permit change of location from the place mentioned in the LOP to another and/or include additional location provided that no change in other terms and conditions of the approval is envisaged and that the new location is within the territorial jurisdiction of the Development Commissioner/Designated Officer;

(8) Extend validity period of LOP by three years beyond the initial validity period of the LOP (except in case where there is a restriction on initial period of approval, like setting up of oil refinery projects);

(9) Cancel LOP wherever warranted;.

(10) Permit merger of two or more units into one unit provided the units fall with in the jurisdiction of the same Development Commissioner/Designated Officer subject to the conditions that the activities are covered under the provision of broad banding;

(11) Exercise powers of adjudication under Section 13 read with Section 11 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 in respect of EOUs as mentioned in Gazette Notification No. SO. 194(E) dated 6.3.2000

(12) Do valuation of exports declared on SOFTEX form by EOUs as per RBI A.D. (M.A Series) Circular A P (DIR series Circular No. 9 dated 25.10.2001);

(13) Issue eligibility certificates for grant of employment visa to low level foreign technicians to be engaged by EOUs as per Ministry of Home Affairs' letter No. 25022/7/99-F.1 dated 20.9.1999;

***Registration-cum-Membership Certificate***

(14) Function as a Registering authority for EOU/EHTP/STP BTP. A separate Registration-cum-Membership Certificate shall not be required in their cases as provided for in the Policy.

***Importer Exporter Code No.***

(15) Allot Importer-Exporter Code number for EOUs, if the same has already not been allotted to the entity;

***Green Card***

(16) Issue of Green Card automatically after execution of Legal Undertaking;

(17) Grant/renewal of Status Certificate in respect of EOUs provided it does not involve clubbing of FOB value of exports of its parent company in the DTA;

(18) Publicity of EOU/EHTP/STP/BTP Scheme under their jurisdiction.

***Clearance of capital goods under EPCG Scheme***

6.35 Clearance of capital goods imported as second hand shall be allowed as per the Policy under EPCG scheme. In case of second hand capital goods clearance in DTA may be allowed on payment of duty after 2 years from date of import.

***Depreciation norms***

6.36.1 Depreciation upto 100% is permissible for Computers and Computer peripherals in 5 years and 10 years in case of other items.

***Depreciation norms for Computers and Computer peripherals***

6.36.2 Depreciation for computers and computer peripherals shall be as follows:

10% for every quarter in the first year;
8% for every quarter in the second year;
5% for every quarter in the third year;
1% for every quarter in the fourth and fifth year;

***Depreciation norms for other Capital goods***

6.36.3 For capital goods, other than the above, the depreciation rate would be as follows:

4% for every quarter in the first year;
3% for every quarter in the second and third year; and
2.5% for every quarter in the fourth and fifth year.
2% for every quarter thereafter.

***Conversion***

6.37.1 Existing DTA units, may also apply for conversion into an EOU/EHTP/STP/BTP unit, but no in duties and taxes would be available under the scheme for plant, machinery and equipment already installed. On coversion, they would get Income Tax concessions but limited to the period of 10 year from original commencement of manufacture or that prescribed under Section 10 of Income Tax Act whichever is earlier. For this purpose, the DTA unit may apply to the Development Commissioner/Designated Officer concerned in the same manner as applicable to new units. In case there is an outstanding export commitment under the EPCG scheme, it will be subsumed in the export performance of the unit. If the unit is having outstanding export commitment under the Advance Licensing Scheme, it will apply to the Advance Licensing Committee for reducing its export commitment in proportion to the quantum of duty free material actually utilised for production and permitted to carry forward the unutilized material imported against the Advance Licence, if any, under the EOU/EHTP/STP/BTP scheme.

6.37.2 The existing EHTP/STP/BTP units may also apply for conversion/merger to EOU unit and vice-versa. In such cases, the units will continue avail the permissible exemption in duties

and taxes as applicable under the relevant scheme. EHTP/STP/BTP units desiring conversion as an EOU may apply to the Development Commissioner concerned through the Officer designated by the Department of Information Technology/Department of Bio-Technology in the same manner as applicable to new units. Likewise EOU desiring conversion into EHTP/STP/BTP may apply to the officer designated by the Department of Information Technology/Department of Bio-Technology through the Development Commissioner concerned.

6.37.3 An EOU may be shifted to SEZ with the approval of Development Commissioner provided the EOU unit has achieved pro-rata obligation under the EOU scheme.

***Revival of Sick units***

6.38 Subject to a unit being declared sick by the appropriate authority, proposals for revival of the unit or its take over may be considered by the Board of Approval. Guidelines on revival of sick units are given in Appendix-14-IM.

***Fast Track Clearance***

6.39.1 A fast track clearance procedure for EOUs having status holder certificate under the Policy is to facilitate functioning of performing EOUs, the following fast track clearance procedure is notified. The eligible units shall avail of this procedure on self-certification basis during the validity of their status. For this purpose the units will have to get the Authorized Signatories notified from the jurisdictional Development Commissioner. The intimations, wherever, prescribed be sent electronically and digitally signed by these notified authorized signatories.

6.39.2 The units will execute the B-17 bond to facilitate duty free imports/domestic procurement. The B17 Bond in such cases shall be without BG/Security or Surety.

6.39.3 The eligible EOU units shall be allowed clearance of goods on the basis of self certification and eligible for self sealing of containers as contained in Circular No. 426/59/98-CE.

6.39.4 For the purpose of examination of both import and export cargo at Gateway port, the procedures applicable to SEZ units shall apply to status holder EOUs.

6.39.5 Such units shall make clearance of rejects up to 5% into DTA, sale of waste/scrap & DTA sales of all categories without obtaining any permission or requiring any supervision from the Central Excise officers or Development Commissioner. Such clearances shall be undertaken on the basis of prior intimation to Development Commissioner and jurisdictional Central Excise Authorities.

6.39.6 The status holder units shall be exempt from examination of import cargo at port of import and at the unit's premises.

However, advance intimation of imports shall be filed to the jurisdictional Central Excise range. The re-warehousing of cargo shall be allowed based on such intimation only.

6.39.7 All the domestic procurements/imports duty free shall be made by the units on the strength of self issued CT3/Procurement Certificates. The Serial No. of the preprinted CT3/Annexure Booklet being put to use shall be intimated in advance to jurisdictional Assistant Commissioner/Deputy Commissioner of Central Excise. The details of the duty free procurement/imports shall be filed every month by the unit to the jurisdictional AC/DC Central Excise.

6.39.8 Export of samples, return of rejected imported/indigenous material will be made by the unit without seeking any permission. However, an advance intimation shall be filed to the jurisdictional Central excise.

6.39.9 Procurement of DG set shall be permitted without the permission from Development Commissioner and the jurisdictional Dy. Commissioner, Central Excise.

6.39.10 The status holder units shall be eligible for factory stuffing without any permission.

6.39.11 The clearance of samples and temporary removal of Capital Goods and parts for repair shall be allowed on self-certification basis.

6.39.12 Sub-contracting shall be based on prior intimation of the process and the details of the sub contractor on annual basis to the jurisdictional Assistant Commissioner/Deputy Commissioner of Central Excise. Provisions of Circular 65/2002-Cus in terms of taking samples, retention of samples and the finished goods received from job-worker and period restriction of 30 days shall not be applicable to the Status Holder EOUs.

6.39.13 In respect of the following activities of a status holder EOU, permission will not be required from the Development Commissioner/jurisdictional Central Excise Authorities and instead unit shall be required to send prior intimation :-

(i) import of capital goods (ii) installation of fax machine (iii) laptop from outside the approved premises (iv) DTA Sale of finished products (v) Inter Unit Transfer (vi) Sub-contracting (vii) Participation in Exhibitions (viii) Personal carriage of Gems & jewellery for export promotion tours (ix) Replacement/repair of imported indigenous goods (x) Supply of sale of samples (xi) Sale of unutilized material.

# CHAPTER-7

## SPECIAL ECONOMIC ZONE

***Scheme***

7.1 This may be called the Special Economic Zones Scheme.

***Definitions***

7.2 For the purposes of Special Economic Zone scheme, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the meanings attached to them as given in the Policy.

***Status of SEZs***

7.3.1 Special Economic Zone (SEZ) is a specifically delineated duty free enclave and shall be deemed to be foreign territory for the purposes of trade operations and duties and tariffs.

7.3.2 Goods and services going into the SEZ area from DTA shall be treated as exports and goods and services coming from the SEZ area into DTA shall be treated as if these are being imported.

7.3.3 The Special Economic Zones may have areas, demarcated as,-

(a) Processing areas for setting up of units for production of goods and rendering of services; and

(b) non-processing areas, if any.

***Setting up of SEZ in Private/joint/State Sector***

7.4.1 A SEZ may be set up in the public, private or joint sector or by State Government. Guidelines for setting up of Special Economic Zones in the public/private/joint Sector or by the State Government is given in Appendix-14-IIO.

7.4.2 Project proposal for setting up of SEZ, recommended by the concerned State Government, shall be considered by the Board of Approval in the Department of Commerce as given in Appendix 14-ID.

7.4.3 On approval of the proposal, a Letter of Permission shall be issued to the developer for development, operation and maintenance of SEZ as given in Appendix-14-IIP. Format of Letter of Permission for developers engaged in operation and maintenance of SEZ is given in Appendix-14-IIQ.

***Registration of Developer***

7.5.1 The developer shall obtain RCMC from the concerned Development Commissioner of SEZ.

***Entitlements of SEZ Developer***

7.5.2 For development, operation and maintenance of infrastructure facilities in SEZs, the developer shall be eligible for the following entitlements:

(a) Income Tax exemption as per 80 IA of the Income Tax Act.

(b) Import/procure goods without payment of Customs/ Excise duty.

(c) Exemption from Service Tax.

(d) Exemption from CST.

7.6 Deleted.

***Eligibility of SEZ units***

7.7.1 SEZ units may be set up for manufacture of goods and rendering of services.

***Application/Approval and Renewal of Approval***

7.7.2 For setting up a unit in SEZ, three copies of the application in the form given in Appendix-14-IA. may be submitted to the Development Commissioner (DC) of the SEZ concerned

7.7.3 Applications for setting up a unit in SEZ other than proposals for setting up of unit in the services sector (except R&D, software and IT enabled services, trading or any other service activity as may be delegated by the BOA), shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per the procedure indicated in Appendix-14-IB. In other cases, approval may be granted by the Development Commissioner after clearance by the Board of Approval. Sector specific conditions relating to the approval are given in Appendix-14-IC.

7.7.4 Proposals for setting up units in SEZ requiring Industrial Licence may be granted approval by the Development Commissioner after clearance of the proposal by the SEZ Board of Approval and Department of Industrial Policy and Promotion within 45 days on merits.

7.7.5 Letter of Permission (LOP)/Letter of Intent (LOI) issued to SEZ units as per standard format indicated at Appendix-14-IE. shall be valid for a period of 3 years for commencement of production. The LOP/LOI shall be valid for a period of five years from the date of commencement of production and would be construed as a licence for all purposes. On completion of 5 years operation, the approval may be renewed by the Development Commissioner concerned for a period of 5 years at a time on receipt of application for renewal from the unit.

7.7.6 Each LOP/LOI shall have separate ear-marked premises and shall specify the items of manufacture/service activity, annual capacity, projected annual export for the first five years in dollar terms, Net Foreign Exchange Earnings (NFE), limitations, if

any, regarding sale of finished goods, by-products and rejects in the DTA and such other matter as may be necessary and also impose such conditions as may be required

7.7.7 In case of any change in approved activity or undertaking any new activity by SEZ units, the Development Commissioner shall issue amended LOP within six days on receiving intimation from the unit.

***Legal Undertaking***

7.8 The unit shall execute a legal undertaking with the Development Commissioner concerned in the form given in Appendix-14-IF.

***Export***

7.9.1 SEZ units may export goods and services including agro-products, partly processed goods, sub-assemblies and components except prohibited items of exports in ITC (HS). The units may also export by-products, rejects, waste scrap arising out of the production process. Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in the ITC (HS).

7.9.2 SEZ units, other than trading/service unit, may also export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit/Escrow Rupee Account of the buyer, subject to RBI clearance, if any.

7.9.3 At the time of export of jewellery, the shipping bill and the invoice presented to the Customs authorities shall contain the description of the items, its weight, purity of gold/silver/platinum, type of Gem & Jewellery stone (diamond, ruby, sapphire, cubic zircon etc.) used for studding and studding weight in carats, FOB price rate of the jewellery item, quantity in pieces and total value.

7.9.4 The SEZ unit may export jewellery on the basis of a notional rate certificate to be issued by the nominated agency. This rate will be based on the prevailing Gold/USD rate and the USD/INR rate in the notional rate certificate. The certificate issued by the nominated agency should not be older than 3 working days of the date of Shipment.

7.9.5 The exporter shall have the flexibility to fix the price and repay the gold loan within 60 days from the date of export. The price shall be communicated to the nominated agencies who will issue a certificate showing the final confirmation of the rate to the bank negotiating the document, to ensure export proceeds are realized at this rate.

7.9.6 Software units may undertake exports using data communication links or in the form of physical exports (which may be through courier service also), including export of professional services.

***Import/domestic procurement***

7.10.1 SEZ unit may import/procure from the DTA without payment of duty all types of goods and services, including capital goods, whether new or second hand, required by it for its activities or in connection therewith, provided they are not prohibited items of imports in the ITC(HS). However, if any permission is required for import under any other law, the same shall be allowed with the approval of the Board of Approval. Goods shall include raw material for making capital goods for use within the unit. The units shall also be permitted to import goods required for the approved activity, including capital goods, free of cost or on loan from clients.

7.10.2 In case of doubt as to whether the item is required by the unit for its activities or in connection therewith, the decision of the concerned Development Commissioner shall be final.

7.10.3 The import shall be subject to the following conditions:

(a) The goods shall be imported into the premises of the unit.

(b) The procedure as prescribed under Customs/Excise rules. for SEZ will be followed and general bond executed with Customs/Excise authority.

(c) Goods already imported/shipped/arrived before the issue of Letter of Permission (LOP)/Letter of Intent (LOI) are also eligible for duty free clearance under the SEZ scheme provided customs duty has not been paid and the goods have not been cleared from Customs.

7.10.4 SEZ units may procure goods required by it without payment of duty, from bonded warehouses in the DTA set up under the Policy and/or under Section 65 of the Customs Act from International Exhibitions held in India.

7.10.5 SEZ units, may import/procure from DTA, without payment of duty, all types of goods for creating a central facility for use by units in SEZ. The Central facility for software development can also be accessed by units in the DTA for export of software.

7.10.6 Gem and Jewellery units may also source gold/silver/platinum through the nominated agencies.

7.10.7 SEZ units obtaining gold/silver/platinum from the nominated agencies on loan basis shall export gold/silver/platinum

jewellery within 60 days from the date of release. This shall not however apply to the outright purchase of precious metal from the nominated agencies.

7.10.8 SEZ units may import/procure goods and services from DTA without payment of duty for setting up, operation and maintenance of units in the Zone.

7.10.9 Goods, except capital goods and spares, shall be utilized within the approval period of 5 years.

***Leasing of Capital Goods***

7.11.1 SEZ unit may, on the basis of a firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic/foreign leasing company. In such a case the SEZ unit and the domestic/foreign leasing company shall jointly file the documents to enable import/procurement of the capital goods without payment of duty.

7.11.2 Capital goods procured from indigenous sources on the basis of lease agreement between the leasing company and the SEZ unit will be eligible for Central Excise exemption.

7.11.3 The value of imported capital goods financed through leasing companies or obtained free of cost and/or loan basis shall also be taken into account for the purpose of calculation of Net Foreign exchange Earning (NFE).

***Net Foreign Exchange Earnings (NFE)***

7.12.1 SEZ unit shall be a positive Net Foreign Exchange Earner. Net Foreign Exchange Earnings (NFE) shall be calculated cumulatively for a period of five years from the commencement of production according to the following formula:

Positive NFE = A – B >0

Where:
A : is the FOB value of exports by the SEZ unit; and

B: is the sum total of the CIF value of all imported inputs and the CIF value of all imported capital goods, and the value of all payments made in foreign exchange by way of commission, royalty, fees, dividends, interest on external borrowings during the first five year period or any other charges. "Inputs" mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials.

7.12.2 If any goods are obtained from another SEZ/EOU/EHTP/STP unit or bonded warehouses or procured from an international exhibitions held in India or precious metals procured from

nominated agencies or from advance licencing holder in fulfillment of his export obligation, the value of such goods shall be included under B.

7.12.3 If any capital goods imported duty free or leased from a leasing company, received free of cost and/or on loan basis or transfer, the CIF value of the capital goods shall be included pro-rata, under B for the period it remains with the unit.

7.12.4 For annual calculation of NFE, the value of imported capital goods and lumpsum payment of foreign technical know-how fee shall be amortized as under;

1st –10th Year : 10% each year

***Maintenance of accounts***

7.13.1 SEZ unit shall maintain proper account, and shall submit quarterly and annual report as prescribed in annexures to Appendix-14-IF to the Development Commissioner/Customs.

7.13.2 The unit shall be able to account for the entire quantity of each category of homogenous goods imported/procured duty free, by way of exports, sales/supplies in DTA or transfer to other SEZ/EOU/EHTP/STP units and balance in stock. However, at no point of time the units shall be required to co-relate every import consignment with its exports, transfer to other SEZ/EOU/EHTP/STP units, sales in the DTA and balance in stock. Any matter for clarification as to whether goods are homogenous or not shall be decided by the Unit Approval Committee. The unit approval committee shall also review imported/domestically procured goods not utilized within five-year period as part of annual performance review.

***Monitoring of performance***

7.14.1 The performance of SEZ units shall be monitored by the Unit Approval Committee as per the guidelines given in Appendix-14-IG.

7.14.2 Failure to ensure positive NFE or to abide by any of the terms and conditions of the LOP/LUT shall render the unit liable to penal action under the provisions of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and the Rules and Orders made there under without prejudice to action under any other law/rules and cancellation or revocation of LOP.

***DTA Sale and Supplies***

7.15.1 (a) SEZ unit may sell goods, including by-products, and services in DTA in accordance with the import policy in force, on payment of applicable duties.

7.15.2 DTA sale by service/trading unit shall be subject to achievement of positive NFE cumulatively. Similarly for units undertaking manufacturing and services/trading activities against a single LOP, DTA sale shall be subject to achievement of NFE cumulatively.

7.15.3 Scrap/waste/remnants/rejects arising out of production process or in connection there with may be sold in the DTA on payment of applicable duty.

7.15.4 Scrap/dust/sweeping of gold/silver/platinum may be sent to the Government of India Mint/Private Mint from the SEZ units and returned to them in standard bars in accordance with the procedure prescribed by the Customs authorities or may be permitted to be sold in the DTA on payment of applicable Customs duty, on the basis of gold/silver/platinum content, as may be notified by Customs authorities.

***DTA Supplies to count towards NFE***

7.16.1 The following supplies effected in DTA by SEZ units will be counted for the purpose of fulfillment of positive NFE:

(a) Supplies effected in DTA to holders of advance licence for annual requirement/DFRC under the duty exemption/ remission scheme/FPCG scheme.

(b) Supplies made to free trade Warehousing set up under the Policy and/or under Section 65 of the Customs Act where payment is received in free foreign exchange.

(c) Supplies against special entitlements of duty free import of goods.

(d) Supplies of goods and services to such organizations which are entitled for duty free import of such items in terms of general exemption notification issued by the Ministry of Finance.

(e) Supply of services (by services units) relating to exports paid for in free foreign exchange or for such services rendered in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI.

(f) Supplies of Electronic and IT Hardware items, having zero Customs duty provided the items are manufactured in the unit.

***Supplies to other EOU/STP/EHTP/ SEZ units***

7.16.2 Supplies to other EOU/SEZ/EHTP/STP units shall also be counted towards NFE provided that such goods are permissible for procurement by units.

***Entitlement for Supplies from the DTA***

7.17.1 DTA supplier to SEZ shall be entitled for:-

(a) Drawback
or
DEPB in lieu of Drawback

(b) Discharge of export performance, if any.

7.17.2 Notwithstanding the above, SEZ units/SEZ Developer shall, on production of a suitable disclaimer from the DTA supplier, be eligible for obtaining the entitlement of Drawback or DEPB in lieu of Drawback.

7.17.3 SEZ units shall be entitled for:-

(a) Exemption from Central Sales Tax;

(b) Exemption from payment of Central Excise Duty on all goods eligible for procurement.

(c) Reimbursement of Central Excise Duty, including additional excise duty, if any, paid on bulk tea procured from licenced auction centers by Development Commissioner of concerned Zone so long as levy on bulk tea in this regard is in force. The unit shall submit documentary evidence showing that the tea was procured from licenced auction centers along with the claim.

(d) Reimbursement of Duty paid on fuels or any other goods procured from DTA as per the rate of drawback notified by the Directorate General of Foreign Trade from the date of such notification.

7.17.4 Supplier of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from Domestic Tariff Area to the units situated in SEZ shall be eligible for grant of Replenishment Licenses at the rates and for the items mentioned in of the Handbook (Vol. I).

7.17.5 The procedure for submission of application for grant of Replenishment Licence for cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls shall be as contained in the Policy. However, the application shall be made to the Development Commissioner of the SEZ concerned.

7.17.6 The entitlements under paragraph 7.17.1 and 7.17.3 (b) above shall be available provided the goods supplied are manufactured in India.

*Export through Status holder*

7.18 SEZ unit may also export goods manufactured or software developed by it, through a merchant exporter/status holder recognized under this Policy or any other EOU/SEZ/EHTP/STP unit subject to following conditions:

(a) The goods/software shall be produced/developed in the SEZ unit concerned.

(b) The level of NFE or any other conditions relating to the imports and exports as prescribed shall continue to be discharged by the SEZ unit concerned.

(c) The export orders so procured shall be executed within the parameters of SEZ Scheme and the goods shall be directly transferred from the SEZ unit to the port of shipment.

(d) Fulfillment of positive NFE by SEZ unit in regard to such exports shall be reckoned on the basis of the price at which the goods and services are supplied by SEZ units to the status holder/merchant exporter or other EOU/EPZ/SEZ/EHTP/STP unit.

(e) All export entitlements, including recognition as status holder would accrue to the exporter in whose name foreign exchange earnings are realized. However, such export shall be counted towards fulfillment of obligation under SEZ scheme only.

*Inter-unit Transfer*

7.19.1 SEZ units may transfer goods, including partly processed/semi-finished goods and services from one SEZ unit to another SEZ/EOU/EHTP/STP unit. However, trading units in SEZ may sell/transfer imported goods to another SEZ/EOU/EHTP/STP units.

7.19.2 Goods imported/procured by a SEZ unit may be transferred or given on loan to another unit within the same SEZ, which shall be duly accounted for, but not counted towards discharge of export performance.

7.19.3 Capital goods imported/procurea may be transferred or given on loan to another SEZ/EOU/EHTP/STP unit with prior permission of the Development Commissioner and Customs Authorities.

7.19.4 Transfer of goods as per paragraphs 7.19.1 and 7.19.2 within the same SEZ shall not require any permission but the units shall maintain proper accounts of the transaction.

***Other Entitlements***

7.20.1 Units set up in SEZs established by the Government will be charged rent for lease of industrial plots and standard design factory buildings/sheds as per rates fixed from time to time.

7.20.2 Exemption from Service tax.

7.20.3 Exemption from income tax as per the provisions of the Income Tax Act.

7.20.4 FOB Value of export of a SEZ unit can be clubbed with FOB value of export of its parent company in the DTA, or vice versa, for the purpose of according Export House, Trading House, Star Trading House or Super Star Trading House status;

7.20.5 Foreign Equity up to 100% is permissible for all manufacturing activities under automatic route except for the following:

(a) arms and ammunition, explosives and allied items of defence equipment, defence aircraft and warships;

(b) atomic substances;

(c) narcotics and psychotropic substances and hazardous chemicals;

(d) distillation and brewing of alcoholic drinks; and

(e) cigarettes/cigars and manufactured tobacco substitutes.

7.20.6 Sectoral norms as notified by the Government shall apply to foreign investment in services and trading activities.

7.20.7 SEZ units may retain 100% of their export proceeds in their EEFC account.

7.20.8 Export value of goods, software and services by SEZ units may be realized and repatriated to India as per the RBI instructions in the matter.

7.20.9 Software units may, in addition, also be allowed to use the computer system for training purpose (including commercial training) subject to the condition that no computer terminal shall be installed outside the Zone premises for the purpose.

7.20.10 Procurement of raw materials and export of finished products shall be exempt from Central levies.

7.20.11 Exemption from Industrial Licensing for manufacture of items reserved for SSI sector.

20.12 State Trading Enterprises Policy shall not apply to SEZ manufacturing units. Export of iron ore shall however be subject to the decision of the Government from time to time. Requirements of other conditions like minimum export price/ export in consumer pack as per Exim Policy shall apply in case the raw materials are indigenous and exported without further processing/manufacturing by the SEZ unit. Export of textile items shall be covered by bilateral agreements, if any. Wood based units shall comply with the direction of Hon'ble Supreme Court contained in its order dated 12.12.1996 in Writ (civil) No, 202 of 1995- T.N.Godavarman Thirrumulppad v/s Union of India and others with WP(Civil) no 171 of 1996 in regard to use of timber/other wood.

7.20.13 SEZ unit may install one fax machine at a place of its choice, outside the Zone, subject to intimation of its location to the concerned Customs/Central Excise authorities.

7.20.14 SEZ units may, temporarily take out of the Zone duty free laptop computers and video projection systems for working upon by persons authorised by unit.

7.20.15 SEZ units may install personal computers not exceeding two in number imported/procured duty free in the registered/ administrative office subject to the guidelines issued by Department of Revenue in this behalf.

7.20.16 For IT and IT enabled services, persons authorized by the software units may access the facility installed in the SEZ unit through communication links.

***Sub-Contracting***

7.21.1 SEZ unit, including gem and jewellery units, may subcontract a part of their production or production process through units in the DTA or through other SEZ/EOU/EHTP/STP units with the annual permission of Customs authorities. Subcontracting of part of production process may also be permitted abroad with the approval of the Development Commissioner.

7.21.2 All units, including gem and jewellery, may sub-contract part of the production or production process through other units in the same SEZ without permission of Customs authorities subject to records being maintained by both the supplying and receiving units.

7.21.3 Sub-contracting by SEZ gems and jewellery units through units in other SEZ or EOUs or units in DTA shall be subject to following conditions:-

(a) Goods, finished or semi-finished, including studded jewellery, taken outside the zone for sub- contracting shall be brought back to the unit within 90 days.

(b) No cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones (except precious/semi-precious stones and synthetic stones having zero duty) shall be allowed to be taken outside the zone for sub-contracting.

(c) Receive plain gold/silver/platinum jewellery from DTA/EOU/SEZ units in exchange of equivalent quantity of gold/silver/platinum and the wastage thereon as may be notified, as the case may be, contained in the said jewellery.

(d) SEZ units shall be eligible for wastage as applicable for sub-contracting and against exchange.

7.21.4 Scrap/waste/remnants generated through job work may be cleared from the job worker's premises on payment of applicable duty or destroyed in the presence of Customs/Excise authorities or returned to the unit. Destruction shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.

7.21.5 Export of finished goods from the job worker's premises may be permitted provided such premises are registered with the Central Excise authorities. Where the job worker is SEZ/EOU/EHTP/STP unit, no such excise registration is required and export may be effected either from the job workers' premises or from the premises of the unit. Export of such products from the job worker's premises shall not be allowed through third parties as provided in the Policy.

7.21.6 SEZ units may, on the basis of annual permission from the Customs authorities, undertake jobwork for export, on behalf of DTA exporter, provided the finished goods are exported directly from SEZ units and export document shall jointly in the name of DTA/SEZ unit. For such exports, the DTA units will be entitled for refund of duty paid on the inputs by way of Brand Rate of duty drawback.

7.21.7 SEZ units may be permitted to remove moulds, jigs, tools, fixtures, tackles, instruments, hangers and patterns and drawings to the premises of sub-contractors, subject to the conditions that these shall be brought back to the premises of the units on completion of the job work within a stipulated period. The raw materials may or may not be sent along with these goods.

7.21.8 In case of sub-contracting of production process abroad, the goods may be exported from the sub-contractor premises subject to the conditions that job work charges shall be declared in the export declaration forms, invoices etc. and full repatriation of foreign exchange shall be ensured by the SEZ unit.

***Contract Farming***

7.21.9 SEZ units engaged in production/processing of agriculture/horticulture products, may on the basis of annual permission from the Customs authorities take out inputs and equipments (specified at Appendix-14-IJ to the DTA farm subject to the following conditions:

(a) Supply of inputs by the SEZ to the contract farm(s) shall be subject to the input-output norms approved by the DGFT/BOA.

(b) There shall be contract farming agreement between the SEZ and the DTA farmer(s);

(c) The unit has been in existence for at least two years and engaged in export of agriculture/horticulture products; otherwise it shall furnish bank guarantee equivalent to the duty foregone on the capital goods/inputs proposed to be taken out to the Deputy/Assistant Commissioner of Customs/Central Excise till the unit completes two years.

***Export Through Exhibitions***

7.22.1 SEZ units may export goods for holding/participating in exhibitions abroad with the permission of Development Commissioner subject to the following conditions:

(a) the unit shall produce to the Customs authorities the letter in original or its certified copy containing approval of the Development Commissioner. For gems and jewellery items, a self-certified photograph of the products shall also be submitted.

(b) in case of re-import, such items on arrival shall be verified along with the export documents before clearance.

(c) items not sold abroad shall be re-imported within 60 days of the close of the exhibition. However, in case the exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of the first exhibition, then the 60 days shall be counted from the date of close of the last exhibition.

(d) In case of personal carriage of goods and for holding/participating in overseas exhibitions, the value of gems and jewellery shall not exceed US $ 2 million.

***Personal Carriage of gems and jewellery for Export promotion Tours***

7.22.2 Personal carriage of gold/silver/platinum jewellery, cut and polished diamonds, precious, semi-precious stones, beads and articles as samples upto US $ 100,000 for export promotion tours and temporary display/sale abroad by SEZ units is also permitted with the approval of the Development Commissioner subject to the following conditions:

(a) SEZ units shall bring back the goods or repatriate the sale proceeds within 45 days from the date of departure through normal banking channel.

(b) The unit shall declare personal carriage of such goods to the Customs while leaving the country and obtain necessary endorsement.

***Export through show rooms abroad/Duty Free Shops***

7.23.1 Export of goods is also permitted for display/sale in the permitted shops set up abroad or in the show rooms of their distributors/agents. The items not sold abroad within 180 days shall be re-imported within 45 days.

7.23.2 SEZ unit may set up show rooms/retail outlets at the International Airports for sale of goods in accordance with the procedure laid down by the Customs authorities. The items remaining unsold after a period of 60 days shall be exported or returned to the respective SEZ units.

***Personal carriage of Import/Export Parcels including through foreign bound passengers***

7.24.1 Import/export through personal carriage of gem and jewellery items may be under-taken as per the procedure prescribed by Customs. The export proceeds shall, however, be realized through normal banking channel. Import/export through personal carriage for units, other than gem and jewellery units, shall be allowed provided the goods are not in commercial quantity.

7.24.2 For Personal carriage of goods by foreign bound passenger, the following documents shall be submitted by SEZ units as proof of exports.

(a) Copy of the shipping bill filed by the SEZ units;

(b) A copy of the Currency Declaration Form filed by the Foreign buyer with the Customs at the time of his arrival; and

(c) Foreign Exchange Realisation/Encashment Certificate from the Bank.

(d) Personal carriage of parts by foreign bound passenger shall also be allowed in case the same are required for repairs of exported goods at customer site. The following documents shall be submitted as proof of export:

(i) permission letters from Customs for exports.

(ii) Invoice with value (for payment or free of charge).

7.24.3 In addition to this, Personal Carriage by foreign bound passenger on Document Against Acceptance (DA)/Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. The SEZ units will have to furnish the following documents as proof of export.

(a) Copy of Shipping Bill.

(b) Bank Certificate of Export and Realisation.

7.24.4 The procedure for personal carriage of import parcels will be the same as for import of goods by airfreight except that the parcels shall be brought to the Customs by the SEZ unit/foreign national for examination and release. Instructions issued by the Customs authorities in this regard should be followed mutatis mutandis.

***Export/Import by Post/Courier***

7.25 Goods including free samples, may be exported/imported by airfreight or through Foreign Post Office or through courier subject to the procedures prescribed by Customs.

***Replacement/ Repair of Goods***

7.26.1 The general provisions of Policy relating to export of replacement/repaired goods shall apply equally to SEZ units, save that, cases not covered by these provisions shall be considered on merits by the Development Commissioner.

7.26.2 The units may send capital goods abroad, for repair and return. Any foreign exchange payment for this purpose will also be allowed.

7.26.3 The goods sold in the DTA and to be defective may be brought back for repair or replacement under intimation to the Development Commissioner.

7.26.4 Goods or parts thereof, on being imported/indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective after import/ procurement may be returned and replacement obtained or destroyed. In the event of replacement, the goods may be brought back from the foreign suppliers or their authorised agents in India or the indigenous suppliers. However, destruction shall not apply to precious and semi-precious stones and precious metals.

7.26.5 Goods may be transferred to DTA/abroad for repair/ replacement, testing or calibration, quality testing and R & D

purpose under intimation to Customs authorities and subject to maintenance of records.

7.26.6 SEZ units may transfer goods for quality testing/R & D purpose to any recognized laboratory/institution, upto Rs 5 lakhs per annum without payment of duty, on giving suitable undertaking to the customs for return of the goods. However, if the goods have been consumed/destroyed in the process of testing etc. a certificate from the laboratory/institution to this effect shall be furnished to the Customs.

***Samples***

7.27.1 SEZ units may, on the basis of records maintained by them, and on prior intimation to Customs authority supply or sell samples in the DTA for display/market promotion on payment of applicable duties.

7.27.2 SEZ units may also remove samples to DTA without payment of duty under prior intimation to the Customs authorities subject to the condition that the goods shall be brought back within a stipulated period.

7.27.3 SEZ units may export free samples, without any limit, including samples made in wax moulds, silver mould and rubber moulds through all permissible mode of export including through couriers agencies/post.

***Sale of unutilized material/destruction***

7.28.1 In case a SEZ unit is unable, for valid reasons, to utilize the goods, and services, imported or procured from DTA, it may be transferred to other EOU/SEZ/EHTP/STP units or disposed off in the DTA on payment of applicable duties and submission of import license by DTA unit, wherever applicable or exported. Such transfer from SEZ unit to another SEZ/EOU/EHTP/STP unit would be treated as import for the receiving unit.

7.28.2 Capital goods and spares that have become obsolete/surplus may either be exported, transferred to another SEZ/EOU/EHTP/STP unit or disposed of in the DTA on payment of applicable duties. The benefit of depreciation, as applicable will be available in case of disposal in DTA.

7.28.3 SEZ unit may be allowed by Customs authorities concerned to donate imported/indigenously procured (bought or taken on loan) computer and computer peripherals, including printer, plotter, scanner, monitor, key-board and storage units without payment of duty, two years after their import/procurement and use by the units, to recognized non-commercial educational institutions, registered charitable hospitals, public libraries, public funded research and development establishments.

organisations of the Government of India or Government of a State or Union Territory as per Custom/Central Excise notification issued in this regard.

7.28.4 No duty shall be payable in case capital goods, raw material, consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged and scrap/waste/remnants/rejects are destroyed within the Zone after intimation to the Custom authorities or destroyed outside the Zone with the permission of Custom authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.

***Self-Certification***

7.29 All activities of SEZ units within the Zone, unless otherwise specified, including export and re-import of goods shall be through self certification procedure.

***Distinct identity***

7.30 If an industrial enterprise is operating both as a domestic unit as well as an SEZ unit, it shall have two distinct identities with separate accounts, including separate bank accounts. It is, however, not necessary for it to be a separate legal entity, but it should be possible to distinguish the imports and exports or supplies effected by the SEZ units from those made by the other units of the enterprise.

***Powers of Units Approval Committee***

7.31 The powers and functions of the Unit Approval Committee notified by the Government (Appendix-14-IIR) shall be as under:

(a) To consider the applications for setting up of units in SEZ other than proposals for setting up of unit in the services sector (except R&D, software and IT enabled services, trading or any other service activity as may be delegated by the BOA) and items of manufacture requiring industrial licence under the Industrial (Development & Regulation) Act, 1951 shall be considered by the BOA;

(b) To consider and permit conversion of EOU into SEZ unit;

(c) to monitor the performance of the Units;

(d) to supervise and monitor permission, clearances, licences granted to the units and take appropriate action in accordance with law;

(e) to call for information required to monitor the performance of the unit under the permission, clearances, licence granted to it;

(f) to perform any other function delegated by the Central Government or its agencies;

(g) to perform any other function delegated by the State Governments or its agencies;

(h) to grant all approvals and clearances for the establishment and operation of Units in the Special Economic Zone.

***Management of SEZ***

7.32.1 SEZ will be under the administrative control of the Development Commissioner

***Registration-cum-Membership Certificate***

7.32.2 Registering authority for SEZ units, shall be the Development Commissioner of the SEZ concerned. A separate Registration cum-Membership Certificate shall not be required in their cases as provided for in the Policy.

***Powers of the Development Commissioner***

7.32.3 Apart from the original power delegated elsewhere, the Development Commissioners of SEZ will exercise the following powers in respect of SEZ units. Jurisdiction of Development Commissioners is given in Appendix-14-IK.

***Importer-Exporter Code No.***

(a) allot Importer-Exporter code number for SEZ units and SEZ developer.

(b) Approve all matters relating to post approval operation of the unit including import/procurement of additional capital goods, increase in value of capital goods on account of foreign exchange rate fluctuations, enhancement of production capacity, broad banding/ diversification, change in name of the company or the implementing agency and change from a company to another provided the new implementing agency/company undertakes to take over the assets and liabilities of the existing unit and merger of two or more SEZ units.

(c) Cancel LOP/LOI/IL wherever warranted.

(d) Adjudication under Section 13 read with Section 11 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 in respect of SEZ units.

(e) Action under the Public Premises Eviction Act in case the rent on the plot/built up premises allotted to the units is in arrears or if the plot/shed is not utilised for the purpose for which the same has been allotted.

(f) Valuation of exports declared on SOFTEX form by the units located in Special Economic Zones.

(g) Issuing eligibility certificates for grant of employment visa to low level foreign technicians to be engaged by SEZ units.

(h) Issue of Green Card after execution of Legal Undertaking by the unit.

(i) Import of second hand capital goods without age restrictions.

(h) Grant/renew Status Holder Certificate in respect of SEZ units provided it does not involve clubbing of FOB value of exports of its parent company in the DTA.

***Exit from SEZ scheme***

7.33.1 SEZ unit may opt out of the scheme with the approval of the Development Commissioner. Such exit from the scheme shall be subject to payment of applicable Customs and Excise duties on the imported and indigenous capital goods, raw materials etc. and finished goods in stock. In case the unit has not achieved positive NFE, the exit shall be subject to penalty, that may be imposed by the adjudicating authority under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.

7.33.2 Broad conditions governing exit of units from the SEZ scheme are indicated at Appendix-14-IL.

7.33.3 In the event of a gem and jewellery unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gem and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominated by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) at the price to be determined by that agency.

7.33.4 SEZ unit may also be permitted by the Development Commissioner, as one time option, to exit from SEZ scheme on payment of duty on capital goods under the prevailing EPCG Scheme, subject to the unit satisfying the eligibility criteria of that Scheme and standard conditions, as per paragraph above.

***Depreciation norms for Capital goods***

7.33.5 The depreciation upto 100% is permissible for computer and computer peripherals in 5 years and in case of others capital goods in 10 years, as per the norms notified by the Department of Revenue.

7.33.6 Depreciation for computers and computer peripherals shall be as follows:

10% for every quarter in the first year,
8% for every quarter in the 2nd year,
5% for every quarter in the 3rd year
1% for every quarter in the fourth and fifth year.

7.33.7 For capital goods, other than the above, the depreciation rate would be as follows:-

4% for every quarter in the first year;
3% for every quarter for the second and thrid year;
2.5% for every quarter for the fourth and fifth year; and
2% for every quarter thereafter.

7.33.8 Clearance of capital goods imported as second hand shall be allowed as per the Policy under EPCG Scheme. In respect of second hand capital goods which are less than 10 years old on date of import, clearance in the DTA may be allowed, on payment of applicable duties, after 2 years from the date of import. In addition, where the second hand capital goods are more than 10 years old, clearance in the DTA may be allowed only against an import licence and payment of applicable duties.

***Revival of Sick units***

7.34 Subject to a unit being declared sick by the appropriate authority, proposals for revival of the unit or its take over may be considered by the Board of Approval as per guidelines in Appendix-14-IM.

# CHAPTER-8

## DEEMED EXPORTS

***Policy***

8.1 The Policy relating to Deemed Exports is given in Chapter 8 of the Foreign Trade Policy.

***Benefits to the Supplier***

8.2 In respect of supplies made against Advance Licence in terms of paragraphs 8.2(a) of the Policy, the supplier shall be entitled to Advance Licence for intermediate supplies.

(i) If the supplies are made against Advance Release Order (ARO) or Back to Back Letter of Credit issued against Advance Licence, in terms of paragraphs 4.1.11 and 4.1.12 of the Policy, supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraphs 8.3(b) and (c) of the Policy, whichever is applicable.

(ii) However, in such cases where Advance Release Order (ARO) or Back to Back Letter of Credit has been issued against DFRC, in terms of paragraphs 4.1.11 and 4.1.12 of the Policy, supplier shall be entitled only to the benefit listed in paragraph 8.3(b) of the Policy.

8.2.1 In respect of supply of goods to EOU/EHTP/STP/BTP in terms of paragraphs 8.2 (b) of the Policy, the supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraph 8.3(a),(b)and (c) of the Policy, whichever is applicable.

8.2.2 In respect of supplies made under paragraph 8.2(c) of the Policy, the supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraph 8.3(a), (b) and (c), of the Policy, whichever is applicable.

8.2.3 In respect of supplies made under paragraphs 8.2 (d), (f) and (g) of the Policy, the supplier shall be entitled to the benefits listed in paragraphs 8.3(a),(b) and (c),whichever is applicable.

8.2.4 In respect of supplies made under paragraph 8.2(e) of the Policy, the supplier shall be eligible for the benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of the Policy, whichever is applicable.

8.2.5 The supplies of goods to projects funded by UN agencies covered under para 8.2(i) of the Policy are eligible for benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of the Policy, whichever is applicable.

8.2.6 In respect of supplies made to Nuclear Power Projects under para 8.2 (j) of the policy, the supplier would be eligible for benefits given in para 8.3(a), (b) and (c) of the Policy, whichever is applicable.

8.3 In all cases of deemed exports, supplies shall be made directly to the designated Projects/Agencies/Units/Advance Licence/EPCG licence holders. The sub-contractor may, however, make the supplies to the main contractor as per paragraph 8.5 instead of designated projects/agencies.

***Procedures/Criteria for claiming Deemed Exports Benefit***

8.4 (i) The procedures for issue of ARO and Back to Back Inland Letter of Credit, in respect of supplies under paragraph 8.2(a) of the Policy, is given in paragraphs 4.14 and 4.15 of this Handbook.

(ii) For the purpose of claiming deemed export benefits, if any, the indigenous supplier shall produce documentary evidence substantiating the realisation of proceeds from the recipient through the normal banking channel in the form given in Appendix-22A as well as a copy of ARO/Non-negotiable copy of Back-to-Back Inland Letter of Credit.

8.4.1 In respect of supplies under paragraphs 8.2 (b) of the Policy, the DTA unit shall claim the deemed exports benefit from the concerned Development Commissioner except the Advance Licence for deemed export and DFRC. Advance licence for deemed exports and DFRC shall be claimed from the concerned licensing authority. For supplies to EHTP/STP/BTP, the DTA unit shall claim deemed export benefits from the licensing authority concerned. Such supplies shall be certified by the receiving agencies.

8.4.2 In respect of supply of capital goods under paragraphs 8.2 (c) of the Policy, the supplier shall produce a certificate from the respective Excise authorities evidencing supplies/receipt of the manufactured capital goods and shall produce documentary evidence substantiating the realisation of proceeds from the EPCG licence holder through the normal banking channel in the form given in Appendix- 22A.

8.4.3 In respect of supplies under categories mentioned in paragraphs 8.2 (d), (e), (f), (g), (h) and (j) of the Policy, payment against such supplies shall be certified by the Project Authority concerned, as prescribed in form given in Appendix-12A.

However, in respect of supplies mentioned in paragraph 8.2(d), supplies to the projects funded by such agencies alone, as may be notified by Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, shall be eligible for deemed export benefits. A list of such agencies/funds is given in Appendix-33.

8.4.4 (a) Supplies under category mentioned in paragraphs 8.2 (e) of the Policy shall be for the fertilizer plants being set up at Kakinada, Gadepan, Babrala and Shahjahanpur and those which may have been set up or expanded/revamped/retrofitted/modernised during the Eighth Plan period.

(b) The benefit of deemed exports shall also be available in respect of supplies of capital goods and spares to fertilizer plants which are set up or expanded/revamped/retrofitted/modernised during the Ninth Plan period. The benefit of deemed exports shall also be available on supplies made to Fertilizer plants, which have started in the $8^{th}/9^{th}$ Plan periods and spilled over to the $10^{th}$ Plan period.

8.4.5 The benefits of deemed exports under para 8.2(f) of the Policy shall be applicable in respect of items, import of which is allowed by the Department of Revenue at zero customs duty subject to fulfillment of conditions specified under Customs notification No.21/2002- dated 1/3/2002, as amended from time to time.

8.4.6 Supply of capital goods and spares upto 10% of the FOR value of the capital goods to the power projects in terms of paragraphs 8.2(g) shall be entitled for deemed export benefits provided the International Competitive Bidding procedures have been followed, at Independent Power Producer (IPP)/Engineering, Procurement and Construction (EPC) stage. The benefit of deemed exports shall also be available for renovation/modernisation of power plants. The supplier shall be eligible for benefits listed in paragraph 8.3(a) and (b) of the Policy.

However, supply of goods required for setting up of any mega power projects as specified in S.No.400 of Department of Revenue notification No.21/2002-Customs dated 1/3/2002, as amended, shall be eligible for deemed exports benefits as mentioned in paragraph 8.3(a)(b) and (c) of the Policy, whichever is applicable, if such mega power project is –

(a) an inter state thermal power plant of a capacity of 1000 MW or more; or

(b) an inter-state hydel power plant of a capacity of 500 MW or more.

8.4.7 Supplies under paragraph 8.2(g) of the Policy to the new refineries being set up during the Ninth plan period, and spilled over to the Tenth plan period shall be entitled for deemed export benefits in respect of goods mentioned in list 17 specified in S.No.228 of Notification No.21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended from time to time.

***Supplies to Nuclear Power project***

8.4.8 Supply of goods required for setting up any nuclear power project in list 43 specified in S.No.401 of Notification No.21/2002-Customs dated 1.3.2002, as amended from time to time having a capacity of 440 MW or more as certified by an officer not below the rank of Joint Secretary of Government of India in the department of Atomic Energy shall be entitled for deemed exports benefits in cases where the procedure of competitive bidding (and not international competitive bidding) has been followed.

***Benefits to Sub-Contractor***

8.5 Supplies made by an Indian sub-contractor of an Indian or foreign main contractor, shall also be eligible for deemed export benefits provided the name of the sub-contractor is indicated either originally or subsequently in the contract, and payment certificate is issued by the project authority in the name of the sub-contractor in the form given in Appendix-12A.

In respect of supplies made by sub-contractor to the main contractor under paragraph 8.2 (d) (e) (f) (g) (i) and (j), the main contractor may make payment to the sub-contractor and issue payment certificate in the form given in Appendix-12A as Form 1-C. However, for supplies under paragraph 8.2 (d) (e) (f) (g) and (j), the payment certificate from main contractor shall not be insisted for refund of Terminal Excise duty. The deemed exports benefits to the sub-contractor would be available to the extent of goods that are manufactured and supplied by him or outsourced from other manufacturers, for the value as indicated in Appendix-12A.

***Procedure for claiming Deemed Exports Drawback & Terminal Excise Duty Refund/ Exemption from payment of Terminal Excise Duty***

8.6 The procedure for claiming benefits under paragraph 8.3 (b) and (c) of the Policy shall be as under:-

(i) An application in the form given in Appendix-12B, alongwith the documents prescribed therein, shall be made to the Regional Licensing Authority concerned.

(ii) The claim shall be filed against payment certificate received on monthly basis/quarterly basis/half yearly basis, except for supplies under paragraph 8.2 (d), (e), (f) (g) and (j), where it may be filed either on the basis of payment certificate or on the basis of proof of supplies effected. The claim may be filed either covering the payment certificate received for the supplies against a particular project or supplies to all the projects effected during the month/quarter/half year as per the option of the applicant. In addition, the applicant shall also have the option to file claim covering all the supplies to a project.

8.6.1 Such claims shall be filed within a period of six months from the end of monthly/quarterly/half yearly period as per the option of the applicant which shall be counted from the date of receipt of the payment certificate or from the date of certificate of receipt of the supplies by the Project Authority as per the applicant's option. Such claims may also be filed where part payment certificates have been received.

8.6.2 For claiming exemption from payment of terminal excise duty, procedure prescribed by the Central Excise Authority shall be followed.

8.6.3 Where no All Industry Rate of Drawback is available or the same is less than 4/5$^{th}$ of duties actually paid on the materials or components used in the production or manufacture of the said goods, the exporter/supplier may apply for fixation of brand rate in the application form as given in Appendix-12B to the regional licensing authority/Development Commissioner in respect of supplies made to EOU/EHTP/STP/BTP as per jurisdiction indicated in Appendix 24 of the Handbook of Procedures Vol. I.

8.6.4 The claim application shall be filed along with the application for fixation of brand rate of duty drawback in case brand rate is required to be fixed. The provision of late cut under paragraph 9.3 and supplementary claim under paragraph 9.4 shall also be applicable under this sub-paragraph.

8.6.5 Regional Licensing Authorities may consider provisional payment to the extent of 75% of the drawback claim in the case of private companies and 90% in the case of Public Sector Undertakings, pending fixation of Brand Rate.

8.6.6 Subject to the procedure laid down in this Handbook, the Customs and Central Excise Duty Drawback Rules, 1995 shall apply mutatis-mutandis to deemed exports.

# CHAPTER - 9

## MISCELLANEOUS MATTERS

***Change in Name and Constitution***

9.1 If there is any change in the name/address or constitution of IEC holder/licensee/Actual User eligible for import without a licence/recognised status holders, the concerned IEC holder/licensee/Actual User/status holders, as the case may be, shall cease to be eligible to import or export against the licence/IEC No. or any other facility permitted under the Policy and Handbook, after expiry of 90 days from the date of such change in his name or address or constitution, unless in the meantime,

(a) The IEC holder/licensee/status holders has got the consequential changes effected in the IEC Number/licence or the recognition certificate, as the case may be, by the concerned licensing authority;

(b) The Actual User has got the consequential changes effected from the concerned authority in the Industrial Licence issued by the Secretariat for Industrial Assistance (Ministry of Commerce and Industry) or Certificate of Registration as an Actual User issued by Director of Industries of the State Government or has received an acknowledgement for filing of a memorandum with the Secretariat for Industrial Assistance.

Provided, however, the licensing authority issuing the IE Code may, condone the delay on payment of a penalty of Rs. 1000/-.

However, the change in the director of a public limited company shall not be considered change in the constitution of the company for the purposes of payment of the aforesaid penalty.

The constitution for the purposes of amendment of an IEC and payment of the aforesaid penalty would mean the change in partners in a partnership firm, trustees of a trust, members of the board of a society and directors of a private limited company.

***Denomination of Import Licence/ Certificate/ Permissions***

9.2 Import Licence/Certificate/Permissions issued under the Policy shall indicate the value both in Rupees and in freely convertible currency(s) at the exchange rate(s) prevailing on the date of issue of the Licence/Certificate/Permission. In the case of Licence/Certificate/Permissions where export obligation is imposed, the value of the export obligation shall be indicated both in freely convertible currency(s) and in Rupees equivalent at the exchange rate(s) prevailing on the date of issue of the

Licence/Certificate/Permission. Such exchange rate(s) shall also be indicated on the import Licence/Certificate/Permission.

9.2.1 The remittance of foreign exchange and discharge of export obligation against the Licence/Certificate/Permission shall, however, be regulated in freely convertible currency. No enhancement in Rupee value shall be necessary if the remittance of foreign exchange is covered by the value of Licence/Certificate/Permission shown in freely convertible currency.

9.2.2 However, on the Advance Licence(s), issued for exports to ACU countries, export obligation shall be denominated and discharged in ACU dollars.

9.2.3 The export obligation against Advance Licence for intermediate supply and Advance Licence for deemed export, where supplies are to be made within the country, shall be denominated in Indian rupees and the export obligation shall be discharged in Indian rupees with reference to the CIF value of imports in Indian rupees irrespective of CIF value indicated on the licence.

***Applications Received After Expiry of Prescribed Date of Receipt***

9.3 Wherever any application is received after the expiry of the last date for submission of such application but within six months from the last date, such application may be considered after imposing a late cut @ 10% on the entitlement.

***Supplementary Claims***

9.4 Wherever any application for supplementary claim is received, within the specified time limits, such application may also be considered after imposing a cut @10% on the entitlement.

***Furnishing of Information***

9.5 Every importer/exporter shall furnish such information as may be called for by the Director General of Foreign Trade or any officer duly authorised by him.

***Clarifications on Policy/Procedures***

9.6 A request seeking clarifications on any provision of the Policy or Handbook of procedures, importability or exportability of items under ITC(HS), may be made to the Director General of Foreign Trade in the form given in Appendix-19. The clarification may also be sought on E.mail.

***Consumption Register***

9.7 The importer shall maintain a register of items imported under a licence and its consumption. The importer shall also maintain such a register of items imported without a licence and its consumption provided such items are imported subject to actual user condition.

The register shall be maintained in the form given in Appendix-18 except in respect of the scheme wherein period for retention of the consumption register is specifically mentioned, in all other cases, the register shall be maintained upto 3 years period from the date of import.

***Export Facilitation*** 9.8 In order to resolve exporters' problems in a co-ordinated manner, the field offices of the Directorate General of Foreign Trade shall act as Export Facilitation Centres.

These offices shall function as nodal agencies to attend to the problems and grievances of the exporters, and also co-ordinate with different Departments to resolve their trade and export related problems.

In addition, Nodal Officers have also been nominated in other Ministries/Departments and a list of such officers nominated to assist exporters is given in Appendix-38.

For resolving problems relating to different departments, facilitation committees shall be constituted in each department which shall be serviced by Directorate General of Foreign Trade.

***Standing Grievance Committee*** 9.9 The detail of the Grievance Redressal Mechanism is given in para 2.49 of the Policy.

In order to facilitate speedy redressal of genuine grievances of trade and industry pertaining to the Policy and Procedure, Grievance Committees have been constituted.

These Grievance Committees are chaired by (i) the Director General of Foreign Trade at the Headquarters and (ii) head(s) of the concerned Regional Licensing Authority (s) in the respective licensing offices.

Grievance Committee will include representatives of the Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Export Promotion Councils/Commodity Boards, Development Authorities, and Government Departments/technical authorities as their members.

9.9.1 The Chairman of the respective Grievance Committee(s) may also co-opt any other member. The meetings of such Committees shall be held on a monthly basis.

9.9.2 Every exporter/importer shall have a right to seek and have an opportunity to make a representation to and be personally heard,

if he so desires, by the Grievance Committee. For this purpose, he may send his request in writing seeking such personal hearing.

9.9.3 A representation to the Grievance Committee may be made in the form given in Appendix-23.

***Counter Assistance***

9.10 For speedy disposal of applications, "Counter Assistance" will function in all the offices of the Directorate General of Foreign Trade.

A Foreign Trade Development Officer (FTDO) shall be incharge of the counter in each office. On submission of the application at the counter, applicant will be handed over a token and would be advised on the same day whether his application has been found complete and admitted for further processing by the office or whether is any deficiency that needs to be rectified.

9.10.1 Counter Assistance will send the application to the concerned section on the same day of its receipt for necessary scrutiny. If there are any deficiencies, these will be noted by the concerned section and returned to the counter on the same day. In case of complete applications, the applicant will be given a formal receipt indicating file number for further reference.

In case of deficient applications, the same will be returned to the applicant for complying with all the deficiencies pointed out by the concerned section.

Complete applications shall be processed by the concerned section within the time frame as given under paragraph 9.11.

Communication of any deficiency noted subsequently should be undertaken only with the approval of the head of office who shall be responsible for effective functioning of Counter Assistance.

9.10.2 Counter Assistance may also be availed of for amendments of minor nature/enquiries. Applications, in such cases, will be received in the licensing offices at the counter against a proper receipt and the licence/list/enquiry, as the case may be, shall be returned after carrying out necessary amendments/giving necessary reply as far as possible on the same day, across the Counter.

***Time Bound disposal of applications***

9.11 The licensing authority shall dispose off applications expeditiously. The following time schedule shall normally be followed to dispose of the applications provided the application is complete in all respects and is accompanied by the prescribed documents.

| S.No. | | Category of Application | Time Limit For Disposal |
|---|---|---|---|
| a) | | IEC Code Number | 2 working days |
| b) | | Advance Licence where Input-Output norms are notified or under paragraph 4.7 and Advance Licence for Annual Requirement | 3 working days |
| | | Advance Licence where Input-Output norms are notified but cases are to be placed before ALC | 15 working days |
| | | Advance Licences where Input-Output Norms are not notified, | 45 working days |
| | | Fixation of input output norms | 90 working days |
| c) | | DFRC/DEPB | 3 working days |
| d) | (i) | EPCG licences on self declaration basis | 3 working days |
| | (ii) | EPCG licences for fixation of nexus [other than those covered in (i) above] | 45 working days |
| e) | | All licences under Gem & Jewellery scheme | 3 working days |
| f) | | Revalidation of licence and extension of export obligation period by R.L.A | 3 working days |
| g) | | Acceptance of Bank Guarantee/Legal Undertaking | 3 working days |
| | | Redemption of Bank Guarantee/ Legal Undertaking for Advance Licences. | 15 working days |
| | | Redemption of BG/LUT for EPCG licences | 30 working days |
| h) | | Issuance/renewal of status certificate | 3 working days |
| i) | | Amendment of any category of licence | 3 working days |
| j) | | Fixation of deemed exports Drawback rate | 45 working days |
| k) | | Miscellaneous | 10 working days |
| l) | | All applications filed through EDI mode | 1 working day |

Cases of undue delay in disposal of applications may be brought to the notice of the head of the regional offices by way of a written representation, which shall be promptly enquired into and responded to.

***Date of Shipment/ Dispatch In respect of Imports***

9.11.A Date of shipment/dispatch for the purposes of imports will be reckoned as under:-

| **Mode of Transportation** | **Date of Shipment/Dispatch** |
|---|---|
| By Sea | The date affixed on the Bill of Lading |
| By Air | The date of the relevant Airway Bill provided this represents the date on which the goods left the last airport in the country from which the import is effected. |
| From land-locked countries | The date of dispatch of the goods by rail, road or other recognised mode of transport to the consignee in India through consignment basis. |
| By Post Parcel | The date stamp of the office of dispatch on the packet or the dispatch note. |
| By Registered Courier Service | The date affixed on Courier Receipt Waybill. |
| Multimodal transport | The date of handling over the goods to the first carrier in a combined transport Bill of Lading. |

***Date of Shipment/ Dispatch in respect of Exports***

9.12 Date of shipment/despatch for the purposes of exports will be reckoned as under:-

| **Mode of Transportation** | **Date of Shipment/Dispatch** |
|---|---|
| (i) By Sea | For bulk cargo, the date of Bill of Lading or the date of me receipt, whichever is later.<br>a) For containerised cargo, the date of "Onboard Bill of Lading", or "Received for Shipment Bill of Lading", where the L/C provides for such Bill of Lading. For exports by containers from Inland Container Depot (ICD), the date of Bill of Lading issued by shipping agents |

| | | |
|---|---|---|
| | | at the time of loading of export goods in the ICD after customs clearance. |
| | | b) For Lash barges, the date of Bill of Lading evidencing loading of the export goods on board. |
| (ii) | By Air | The date mentioned by the appropriate Officer of Customs on the Shipping Bill, evidencing loading or handing over of goods to the air cargo complex, which are not international airports, or by way of rotation of flight number and date. |
| (iii) | By Post Parcel | The date stamped on the postal receipt. |
| (iv) | By Rail | The date of RR (Railway Receipt). |
| (v) | By Registered Courier Service | The date affixed on Courier Receipt/Waybill |
| (vi) | By Road | The date on which the goods crossed the Indian border as certified by the Land Customs Authorities. |

However, wherever the Policy provisions have been modified to the disadvantage of the exporters, the same shall not be applicable to the consignments already handed over to the Customs for examination and subsequent exports upto the date of the Public Notice.

Similarly, in such cases where the goods are handed over to the customs authorities before the expiry of the export obligation period but actual Exports take place after expiry of the export obligation period, such exports shall be considered within the export obligation period and taken towards fulfilment of export obligation.

***General Power of review***

9.13 The Director General of Foreign Trade may, on his own or otherwise, call for the records of any case pending with or decided by an officer subordinate to him or an officer of any EPC/FIEO including a Group/Committee of officers nominated, appointed or authorised by him and pass such orders as he may deem fit.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.